राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या: 03

शुक्रवार,

12 फरवरी 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-18

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में विद्युत बिल माफ करने की कार्ययोजना

19. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान जनता का सहयोग करने के लिए घोषणाएं की गयी थीं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समयावधि के दौरान बिजली बिल माफ करने की भी घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के किस-किस श्रेणी के कितने उपभोक्ताओं के बिल माफ किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (ऊर्जा मंत्री के स्थान पर): (1) कोरोना महामारी के कारण आये संकट एवं प्रभावी लॉकडाउन को देखते हुए दिनांक 02.04.2020 को राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों व विभिन्न संस्थाओं को कई प्रकार की राहत 31 मई, 2020 तक प्रदान की गई, जिन्हें 30 जून, 20 तक बढ़ा दिया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(श्री परसादी लाल)

अघरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए:-

(i) अघरेलू व औद्योगिक उपभोक्ता, जो कि लॉकडाउन से मुक्त नहीं थे, उन्हें अप्रैल, मई व जून, 2020 के जारी होने वाले विद्युत बिलों में लॉकडाउन अवधि के आनुपातिक स्थाई शुल्क को 30 जून, 2020 तक स्थगित किया गया।

(ii) कृषि व घरेलू श्रेणी के अलावा सभी उपभोक्ताओं को 30 जून, 2020 से पूर्व बिल जमा करवाने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गयी।

कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:-

(i) कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह मार्च, अप्रैल, मई व जून, 2020 में जारी विद्युत बिलों को 30 जून, 2020 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा कराने की छूट दी गयी।

(ii) 150 यूनिट तक मासिक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिलिंग माह अप्रैल, मई व जून के विद्युत बिल 30 जून, 2020 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा कराने की छूट दी गयी।

(iii) सभी घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को 30 जून, 2020 तक विद्युत बिल राशि जमा कराने पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उपलब्ध करवायी गयी।

सभी उपभोक्ताओं के लिएः-

(i) दिनांक 31.03.2019 में कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना 30 जून, 2020 तक बढ़ाई गयी।

(ii) लॉकडाउन अवधि में 31 मई, 2020 तक ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने अपने मीटर की रीडिंग व फोटो निर्धारित मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध कराई थी, उनको बिल राशि का एक प्रतिशत (अधिकतम 50 रुपये) की छूट बिलों में दी गयी।

(iii) इसके अलावा जो बिल राशि स्थगित नहीं की गई, उसमें भी आंशिक राशि (Part Payment) 30 जून, 2020 तक जमा कराने की छूट प्रदान की गयी।

(iv) 30 जून, 2020 तक बकाया राशि पर किसी भी उपभोक्ता के कनेक्शन विच्छेदित नहीं किये गये।

(श्री परसादी लाल)

अनलॉक अवधि में विद्युत उपभोक्ताओं को दी गई सुविधाएं व छूटः-

150 यूनिट तक मासिक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं व कृषि उपभोक्ताओं की माह जून, 2020 तक की बकाया राशि एवं अघरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के माह जून, 2020 तक स्थगित स्थाई शुल्क को माह जुलाई व अगस्त में दो समान किश्तों में बिना विलम्ब शुल्क के जमा कराने की सुविधा प्रदान की गयी।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे बी.पी.एल, लघु घरेलू श्रेणी उपभोक्ता (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) एवं कृषि उपभोक्ता जो अपने बिजली बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए थे, उन्हें पुनः राहत देते हुए लम्बित बिल की मूल राशि 30 नवबर, 2020 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा करवाने की सुविधा प्रदान की गयी।

कृषि उपभोक्ताओं को चोरी के प्रकरण में सतर्कता निरीक्षण प्रतिवेदन (वी.सी.आर.) के आधार पर राजस्व निर्धारण की राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा कराने पर वी.सी.आर. प्रकरण का पूर्ण निस्तारण किया गया।

विद्युत वितरण निगमों द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ताओं को दी गई राहतों का वित्तीय भार कुल राशि 310.42 करोड़ रुपये वहन किया गया है।

(2) जी नहीं। मालपुरा के उपभोक्ताओं को भी बिन्दु संख्या एक में वर्णित विवरण अनुसार ही राहत प्रदान की गयी है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने घोषणा की थी कि अप्रैल, मई और जून की जो भी पैनल्टी आएगी, उसको माफ करेंगे, जबकि यह राशि बिलों में जुड़कर आयी है। अब सरकार की क्या मंशा है, क्या उनको माफ करेंगे? बिलों को दुबारा देंगे? दूसरा, पूर्ववर्ती वसुन्धरा जी की सरकार ने किसानों को 833 रुपये की सब्सिडी दी थी, उसको आपने अभी बंद कर दिया है, क्या उनको वापस सब्सिडी देने की मंशा है और जिस तरह से..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोविड के बारे में पूछें, कोविड के रिलेवेंट। पहला प्रश्न तो आपका ठीक है। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड

(श्री परसादी लाल)

महामारी में जो छूट दी, उनका विवरण मैंने सदन के सामने रखा और मालपुरा के बारे में आपने पूछा, कितनी राहत दी गयी? कुल टोटल राहत प्रदेश में बिन्दु संख्या-1 में दी, उसका कुल भार सरकार पर 310.42 करोड़ रुपये पड़ा और मालपुरा का 53.61 लाख की राहत वहां पर दी गयी। यह सब राहत, जिन्होंने फायदा लेना चाहा, उसके अन्तर्गत हमने यह छूट दी थी और इसका निश्चित रूप से किसानों ने, उपभोक्ताओं ने फायदा उठाया है और जैसे आपने दूसरा प्रश्न किया, वह इससे सम्बन्धित नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

जनापुर (पिंडवाड़ा) में मुख्यमंत्री आवास योजना में आवासों के हस्तांतरण की कार्ययोजना

20. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री आवास योजना, जनापुर (पिंडवाड़ा) में लोगों द्वारा किस्त जमा के उपरान्त भी अब तक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है? क्या सरकार द्वारा कब्जा शीघ्र ही दिया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): सहभागिता आवास योजना (पी.पी.पी.) मॉडल द्वितीय पिंडवाड़ा में 230 आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण राशि, 205 आवंटियों द्वारा 50 प्रतिशत राशि एवं 161 आवंटियों द्वारा 50 प्रतिशत से कम राशि जमा करायी गयी है। आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण आवासों का निर्माण कार्य अपूर्ण है। इसके साथ ही बाह्य विकास कार्यों का सम्पादन भी अभी पूर्ण किया जाना है। नगरपालिका पिंडवाड़ा द्वारा समस्त बाह्य विकास कार्यों एवं विकासकर्ता के माध्यम से आवासों के शेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए जिन आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गयी है, उनको माह जुलाई, 2021 तक कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दो साल से काम बंद है, तब से

(श्री समाराम गरासिया)

किश्त जमा करवाना बंद है। क्या उनको नोटिस दिये गये हैं जिन्होंने पूरी किश्त दी है और काम किस कारण से बंद रहा? दो साल से काम बिलकुल ठप है। वे अभ्यर्थी पैसे भर देते, परन्तु काम बंद होने की वजह से किश्त के पैसे नहीं भरे। उनको आपने नोटिस कब दिया और ऐसे कितने लोग हैं, जिनको आपने नोटिस दिया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपका प्रश्न मुख्य मंत्री योजना के आवास के बाबत था। वह मुख्य मंत्री आवास योजना नहीं है, वह सहभागिता योजना है। जहां तक सवाल इस बात का है कि लोगों ने पूरा पैसा जमा नहीं करवाया तो उनको नगरपालिका के द्वारा छह-छह नोटिस दिये गये हैं, जिनकी तारीख मैं आपको बता देता हूं। चूंकि यह काम 2013 में शुरू हुआ था और 2016 में समाप्त होना चाहिये था, लेकिन यह 2016 में भी समाप्त नहीं हुआ और आज भी समाप्त नहीं हुआ। 2018 में नोटिस दिया गया और उसके बाद 13.04.2018 को दिया गया, 10.07.2018 को दिया गया, 12.11.2018 को दिया गया, 04.03.2020 को दिया गया और 03.01.2021 को भी दिया गया। सवाल यह है कि जब तक यह पूरी राशि जमा नहीं होगी, क्योंकि 15 करोड़ के लगभग राशि जमा हुई थी, जो डवलपर को दे दी गयी। अब डवलपर कहता है कि मुझे पैसा दो, मैं कहां से काम करूं? जबकि सिर्फ 230 आदमियों ने पूरा पैसा दिया है और योजना वहां पर 632 की बन रही थी। वहां पर जो इकाइयां बननी थीं, वे 632 बननी थीं, लेकिन 632 के बजाय 569 का ही आवेदन आया तो 569 ही बननी थीं। उसमें से सिर्फ इतने लोगों की राशि जमा हुई है। अब राशि जमा न होने के कारण पी.एच.ई.डी. को लिखा गया, विद्युत विभाग को लिखा गया कि आप वहां पर बाह्य विकास का काम करिए, इन्टीरियर का काम कीजिए, लेकिन वह भी नहीं कर पाये, क्योंकि राशि नहीं पहुंची। कुलमिलाकर आपका जो मन्तव्य था कि जिन्होंने पूर्ण राशि जमा करा दी, उनको जुलाई, 2021 में कब्जा देना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस योजना को 2013 से शुरू करके 2016 तक पूरा करना था। मैं यह जानना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहता हूं कि इन 230 लोगों ने, जिन्होंने अपनी सारी राशि जमा करा दी, इनका क्या दोष है जिसके कारण से आप उनको अभी 2021 की जुलाई में अलॉटमेंट करोगे, क्यों? जिन्होंने पूरी राशि दे दी, उनका क्या अपराध था कि जिसके कारण से उनको यह जमीन या यह जो बने हुए मकान हैं, ये आवंटित नहीं हुए? वे तो कम से कम अपना अधिकार रखते थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दीवार बना दें या कमरा बना दें, उससे कब्जा नहीं मिल सकता। कब्जा तब मिलेगा जब पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। अभी जो काम वहां पर कमप्लीट हुए हैं वे मैं आपको बता देता हूं। लाइटिंग का, प्लम्बरिंग का, फ्लोरिंग का, खिड़की दरवाजे का, प्लेटफार्म का, ये काम तो करीब-करीब सब-कुछ हो चुके, लेकिन न तो बिजली का कनेक्शन हुआ है और न पी.एच.ई.डी. का कनेक्शन हुआ है, बाहरी विकास का नहीं हुआ, तो कब्जा किस बात का देवें? कब्जा क्या सिर्फ खाली उसका दे देवें? इसलिए ये सब काम कम्प्लीट होने के बाद में ही जाकर के...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं या तो समझा नहीं पाया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, फर्माओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं कि जो राशि आपने तय की, उसको सब प्रकार के कम्पलीट करके काम करने के लिए तय की और 230 लोगों ने वह सारी राशि जमा करा दी, उनको आवंटन करने में आपको कौनसी अड़चन आ रही थी? मैं इतना जानना चाहता हूं। जिसने आधी राशि जमा करायी, जिसने नहीं करायी या कम करायी, वह तो समझ में आ सकता है, लेकिन जिन 230 लोगों ने, आपने आवंटन के लिए जो भी राशि तय की थी वह आवंटन राशि उन्होंने समय पर जमा करा दी, इनका दंड वे क्यों भुगतें?

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, एक मिनट। कटारिया जी, प्रोजेक्ट बना 600 आदमियों का, तो प्रोजेक्ट में पैसा सबका लिया गया, 230 ने जमा कराया, पर 600 का प्रोजेक्ट कमप्लीट नहीं होगा तब तक तो पूरा नहीं मिल सकेगा। आपका कहना है कि 230 की गलती क्या है, 230 की गलती यह है

(श्री अध्यक्ष)

कि वे उस प्रोजेक्ट के पार्ट बन गये। सब पैसा जमा करायें तो प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा, सब नहीं कराएंगे तो कमप्लीट नहीं होगा। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसा जमा करा दिया, उनके लिए हम जुलाई, 2021 तक कोशिश करके उनको देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों? मान लो अगर उन्होंने गलती कर दी तो यह जुलाई उनके लिए क्यों तय की, यह तारीख कहां से निकल कर आयी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको बता देता हूं। देखिये, मोटी बात क्या है कि अतिरिक्त बाह्य विकास कार्य, जैसे सम्पर्क सड़क, विद्युतीकरण, पानी की सप्लाई, जब तक ये सब-कुछ नहीं होंगे तब तक हम उसको किस बात का कब्जा दे दें? मकान तो कम्पलीट ही नहीं है, मकान कम्पलीट होगा तभी तो जाकर के देंगे न। अब ये सब काम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जुलाई तक ये काम हो जाएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो आपसे इतना पूछा कि आपने ये जुलाई वाला मुहूर्त कहां से निकाला और किस आधार से निकाला?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे वह ही निवेदन कर रहा हूं। हमें उम्मीद है कि हम जुलाई तक इस काम को कमप्लीट कर लेंगे इसलिए यह जुलाई की तारीख प्रस्तावित की गयी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

तीतरखेड़ी में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

21. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीतरखेड़ी में स्कूल के खेल मैदान की भूमि तथा इसके साथ लगी हुई चरागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या उक्त अतिक्रमणों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को है?

(श्री प्रताप सिंह)

यदि हां, तो जानकारी होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने के क्या कारण रहे हैं?

(3) क्या उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो कब तक अतिक्रमण हटा दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) तीतरखेड़ी ग्राम में स्थित स्कूल के खेल मैदान पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। खेल मैदान से लगती हुई चरागाह भूमि नहीं है। खेल मैदान के साथ सिवायचक खसरा नम्बर स्थित है, जिस पर 22 बीघा भूमि पर पूर्व वर्षों से अतिक्रमण ज्ञात हुआ है। 5 बीघा पर फसल, एक बीघा पर रास्ते तथा शेष 16 बीघा पर मकान एवं उनके साथ लगते हुए बाड़े स्थित हैं।

(2) खसरा नम्बर 177 की रकबा 22 बीघा जमाबंदी में सिवायचक दर्ज थी किन्तु तरमीम नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तरमीम पश्चात् अतिक्रमण की मौका स्थिति ज्ञात हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर अतिक्रमण चिह्नित किया गया है।

(3) अतिक्रमण हटाने हेतु निर्धारित समय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत सुस्थापित विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि स्कूल को कब और कितनी जमीन अलॉट की गयी?

दूसरा, क्या यह सही है कि मेरे द्वारा शिकायत करने के बाद वहां पर जो दबंग लोगों ने कब्जे करके खेती कर रखी थी, उनको हटाया गया? इसका जवाब दो, फिर दूसरा पूछूंगा।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीतरखेड़ी को 1996 में आबादी भूमि पंचायत द्वारा आवंटित की गयी, जिसका रकबा लगभग 8 बिस्वा है, इसका खसरा नम्बर 176/2 है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम तीतरखेड़ी के खेल मैदान से लगे खसरा नम्बर 177 की 22 बीघा भूमि पर ग्रामवासियों के अनुसार लगभग 30-35 वर्षों से कच्चे व पक्के मकान व बाड़े बना कर अतिक्रमण किये हुए हैं और चूंकि तरमीम के पश्चात् अतिक्रमी चिह्नित किये गये हैं, अत: पहली बार ही धारा 91 के नोटिस जारी किये गये

(श्री भंवर सिंह भाटी)

हैं और राज्य सरकार के आदेशानुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के अन्तर्गत तरमीम कार्य किया जाना था एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 03.02.20021 को तरमीम कार्य किया गया है। उक्त प्रकरण में 41 अतिक्रमियों के प्रकरण 05.02.2021 को नायब तहसीलदार कोर्ट में दर्ज हुए हैं एवं प्रकरण दिनांक 09.02.2021 को निर्णीत किये जा चुके हैं एवं बेदखली की कार्यवाही अतिक्रमियों को नोटिस मिलने की तारीख से 15 दिवास के पश्चात् नियमानुसार की जाएगी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा कि मेरी शिकायत के बाद कब्जे हटाये हैं या पहले हटाये हैं?

श्री अध्यक्ष: तारीख बता दी न, आपके कहने के बाद ही हटाये हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 09.02.2021 को हटाये हैं, तो मेरे कहने के बाद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ही की बात कह रहे हैं न। आपके कहने के बाद यह तारीख 03.02.2021 दी उन्होंने।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 177 की जो सिवायचक जमीन है, उस पर किन-किन व्यक्तियों का कब्जा है, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है। मैं यह पूछना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। यह इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि तरमीम नहीं हुई थी इसलिए लोग वहां काबिज हैं। आपके प्रश्न करने के बाद तरमीम हुई है, तो अतिक्रमी तो अब हुए हैं, तब तक तो अतिक्रमी हैं ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनें। मेरा निवेदन यह है कि जो अतिक्रमी हैं, जिनके मकान बने हैं उनको तो आप आबादी के लिए पंचायत को दे दीजिए और दूसरा, जिन लोगों ने वहां पर खेती कर रखी है, गांव के सरमायेदार और बड़े लोग हैं, उनकी जमीन को कब तक खाली करा दिया जाएगा? आज वहां गेहूं की खेती हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। जब तक उसकी लैंड का यूज ही चेंज नहीं होगा। तरमीम ही 03.02.2021 तारीख को हुई है। 03.02.2021 के पहले वह जमीन है ही नहीं ...(व्यवधान) आप बैठें। अगला प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। कटारिया जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अलग ढंग से आएं। अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। श्री शंकर सिंह रावत। माननीय, मुझे माफ करें। आप इस प्रश्न को अलग ढंग से ले आएं, मैं अलाउ करूंगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। मैं यह भी, जो कटारिया जी को प्रिविलेज दिया है, वह विथड्रा करूंगा। मैं यह विथड्रा करूंगा, मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, कोई अंकित नहीं होगा। I will not allow it. माननीय कटारिया जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आपको भी प्रिविलेज अलाउ नहीं करूंगा। गलत, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: आगे प्रश्न दूसरे ढंग से भी नहीं आएगा। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। You can’t dictate.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

किशनपुरा (ब्यावर) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन की शिकायत

22. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):- क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब व उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के उपरान्त भी उक्त को बहाल कर पदोन्नत करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जांच पूरी होने से पूर्व उक्त प्रधानाचार्य को बहाल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा) (राज्य मंत्री, शिक्षा के स्थान पर): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, ब्यावर (अजमेर) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत श्री शिवकुमार दुबे के विरुद्ध विभाग को शिकायत दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जवाजा, अजमेर के पत्र दिनांक 11.06.2020 द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टाटगढ (जवाजा), अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने दिनांक 03.07.2020 द्वारा श्री शिवकुमार दुबे को निलम्बित किया गया।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री शिवकुमार दुबे, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 14.09.2020 को ज्ञापन, आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किया जाकर आदेश दिनांक 06.11.2020 द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर को जांच अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जवाजा, अजमेर को विभागीय जांच में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर श्री शिवकुमार दुबे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी नहीं। श्री शिवकुमार दुबे, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा (ब्यावर), अजमेर को किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं दी गयी है, अपितु प्रकरण में जांच विचाराधीन रखते हुए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश दिनांक 12.11.2020 द्वारा निलम्बन से बहाल किया

(डा. सुभाष गर्ग)

गया है तथा आदेश दिनांक 20.11.2020 द्वारा श्री दुबे का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमगढ़-मसूदा, अजमेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन किया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त प्रधानाचार्य को जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया है अतः किसी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रकरण नहीं बनता है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य रहते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की ऑडिट नहीं होती है। अपनी मनमर्जी से बिलों का इंद्राज और भुगतान किया जाता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, 27.03.2019 के 4 बिल हैं और उनकी राशि 4120 रुपये है। उन्हीं बिलों को वापस 18.08.2019 को सेम इनवोइस नम्बर 13, 24.05.2018 को इनवाइस नम्बर 27, 21.07.2018, को इनवोइस नम्बर 35, 5.09.2018, को इनवाइस नम्बर 41, सेम ही वही का वही है।

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, आपकी आवाज यहां पर बहुत ज्यादा आती है। ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): दुकानदारों से इनवोइस लेकर के इंद्राज कर दिया जाता है ...(व्यवधान) इसका किसी भी प्रकार का ऑडिट नहीं होता है। एक ही दिन में बिल उठा रहे हैं। एक बिल का नम्बर 332, 22.11.2019 है और दूसरा बिल 810 नम्बर का है, इसका मतलब इतने ग्राहक आ गए। वह भी वही 22 तारीख का ही है। तीसरा बिल 811 नम्बर का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इस प्रकार के जो घालमेल हो रहे हैं, क्या आप शिक्षा के मंदिर में सुधार करने के लिए ऑडिट का प्रावधान रखने का विचार रखते हैं? इनका किसी प्रकार का ऑडिट नहीं होता है। कहां से कितना पैसा आया और कहां गया, इसका किसी प्रकार का ऑडिट नहीं होता है। मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका निवेदन ही है। प्रश्न तो है ही नहीं। प्रश्न पूछो न आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आप जांच पूरी होने तक क्या उसको जिले से बाहर रखेंगे? यह हमारा निवेदन है। जो 16 CCA की जांच चल रही है, उसको वे प्रभावित कर रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में बात करेंगे? यह जानकारी में आया है कि ऐसे व्यक्ति को आप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने जा रहे हैं। उसको भी आप क्लियर करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहली बात तो यह कि उसको जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने जा रहे हैं, यह गलत है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दूसरा, आपने कहा कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए इनकी जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी ये दूसरे ब्लॉक में थे। दूसरे विधान सभा क्षेत्र में थे। आप जानते हैं कि यह सामान्य प्रक्रिया है। राजस्थान सर्विस सेवा नियम बने हुए हैं। उसमें आदमी सस्पेंड भी होता है। बहाल भी होता है। इनके विरुद्ध 16 सीसीए के तहत जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि इनके खिलाफ दो तो पी.ई. कराई गयीं। पहली पी.ई. जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की गई, फिर सेक्रेटरी को एक ज्ञापन दिया गया। उन्होंने इनक्वायरी कराई। उसमें काफी आरोप थे, उनमें से कुछ सत्य भी हैं एक-दो आरोप। कुछ गलत भी हैं। अब उनको 16 सी.सी.ए. के तहत चार्ज शीट दे दी गयी है। जो भी चार्ज शीट्स की फाइंडिंग्स होंगी, उनके अनुसार राजस्थान सर्विस रूल्स जो हैं, उसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

तीसरा, आपने कहा जिले से बाहर, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा कि यह जांच प्रभावित न कर सके।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 22 किलोमीटर दूर उनका मकान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आप इनको यह आश्वासन दे दें कि इस जिले से इनकी बाहर पोस्टिंग कर दी जाएगी। बात खतम हुई।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ठीक है। जांच प्रभावित न हो इसलिए इस व्यक्ति को निश्चित रूप से जिले से बाहर कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न। अशोक लाहोटी।

नवीन महाविद्यालयों हेतु भूमि का आवंटन

23. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितने नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गयी व कितने महाविद्यालयों को नवीन भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है व कितना व्यय किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) गत दो वर्षों में 88 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) उक्त नवीन महाविद्यालयों को भूमि आवंटन व भवन से संबंधी विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) नवीन महाविद्यालयों को आवंटित बजट एवं व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह बजट घोषणा थी, लेकिन आपने यह जो परिशिष्ट '3' दिया है, इसमें आपने बताया कि एक भी रुपये का बजट किसी कॉलेज की बिल्डिंग के लिए या लैंड के लिए अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। यह आपने केवल खर्चे का ब्योरा दिया है। कहीं 30 हजार, कहीं 40 हजार, कहीं एक लाख, जो कि ऑफिस खर्चा हुआ है।

दूसरा, आपने जो परिशिष्ट '2' में दिया है कि आधे से ज्यादा कॉलेजों को अभी तक लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में 2,000 बच्चों की स्कूल चल रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यही प्रश्न है। प्रश्न में ही जानकारी भी

(श्री अशोक लाहोटी)

है। स्कूल के 6 कमरे खाली करवाकर के नाम मात्र के लिए कॉलेज खोल दी। आपने लिखा है कि जीरो बजट आवंटन किया है। क्या नौजवान, युवाओं के भविष्य को अंधकार में रखकर के 88 कॉलेजों की खाली गिनती पूरी करेंगे? बजट घोषणा का प्रश्न है। बजट घोषणा में से एक भी रुपये का बजट आवंटन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आपके विधान सभा क्षेत्र में से कॉलेज विथड्रा किया जाए? कॉलेज बंद किया जाए?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): स्कूल में कॉलेज खोल दी। स्कूल के 6 कमरे ले लिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी।

श्री अध्यक्ष: कोई भी स्कीम लागू होती है तो धीरे-धीरे ही उसमें होता है। एक दिन में तो सभी चीजें होंगी नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कोई अलग से बिल्डिंग ले लें। अलग से बिल्डिंग किराये पर ले लें।

श्री अध्यक्ष: आपकी कन्सर्न यह होनी चाहिए कि आपने कॉलेज खोला, उसमें शीघ्रातिशीघ्र पैसे और जमीन का आवंटन करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कब तक बजट आवंटन कर देंगे और कब तक लैंड अलॉटमेंट हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने 2019-20 और 2020 -21 में कॉलेज खोलने की सैंक्शन दी तो कोई बजट प्रोविजन किया होगा? वह बजट प्रावधान 2019-20 का क्या था और 2020-21 का क्या था?

आपने 2019-20 में डूंगरपुर में लॉ कॉलेज खोला है, कॉलम 28 में आप लिख रहे हो कि रनिंग टैम्परेरी बिल्डिंग में। इधर आप जवाब दे रहे हो कि डूंगरपुर आपकी स्वीकृति में ही नहीं है। यह आप नीचे लिख रहे हो बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की अनुपालना में खोले गये राजकीय विधि महाविद्यालय, डूंगरपुर को बी.सी.आई. से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया। इधर आप लिस्ट में, 28 में दे रहे हो कि डूंगरपुर में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

टैम्परेरी चल रहा है। इनमें से कौनसा सही है और कौनसा गलत है? अगर उसको मान्यता ही नहीं मिली तो वह चल कैसे रहा है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में 40 महाविद्यालय और 2020-21 में 37 बजट घोषणा में और 2 की माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गयी, उसके तहत खोले गये। कुल 88 कालेज खोले गए हैं। इन कालेजेज में बजट का प्रावधान करने के लिए डी.एम.एफ.टी. फंड के तहत 24 कालेजेज को अनुमत किया है। इनमें से काफी कालेजेज की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इनमें से राजकीय कालेज फागी है, बस्सी है, जमवारामगढ़ है। बाकी कालेजेज की डी.एम.एफ.टी. प्रक्रियाधीन है। अतिशीघ्र डीएमएफटी से स्वीकृति मिलने के बाद में इन कालेजेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय लीडर आफ अपोजिशन का सीधा क्वेश्चन है कि डूंगरपुर में बता रखा है कि लॉ कालेज 2019 में शुरू हुआ। अभी आप बता रहे हो कि वहां टैम्प्रेरी बिल्डिंग में चल रहा है। आप पूछ रहे हैं कि बी.सी.आई. के कारण वह कालेज बंद हो गया। क्या वह चल रहा है? इनमें से कौनसी बात सत्य है? दैट्स आल।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा बजट घोषणा में डूंगरपुर में लॉ कालेज खोलने की घोषणा की गयी थी। बी.सी.आई. के द्वारा उसकी अभी अनुमति नहीं मिल पाई है, इसलिए यह कालेज हम चालू नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने उत्तर में लिख रखा है कि रनिंग इन टैम्परेरी बिल्डिंग, तो आप यह बोलो कि नहीं चल रहा है। आपने जो उत्तर लिखकर दिया है, उसमें है रनिंग इन टैम्परेरी बिल्डिंग। इसका मतलब डूंगरपुर में लॉ कॉलेज चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि वह बी.सी.आई. ने एप्रूव नहीं किया है। आपका उत्तर यह होना चाहिए कि 2019 में खोला है, लेकिन आज की डेट में बी.सी.आई. की अनुमति नहीं होने के कारण कालेज नहीं चल रहा है। इस उत्तर में आप अपने आपको करेक्ट करें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जी। अध्यक्ष महोदय, हमने बिल्डिंग की व्यवस्था की थी लेकिन बी.सी.आई. के द्वारा हमें अभी परमिशन नहीं मिली है इसलिए हम चालू नहीं कर पाए हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ये दोनों प्रश्नों का जवाब तो दे। जो प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र की वन भूमि पर संचालित होटल

24. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स शिब्बा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड बयनामे के आधार पर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में होटल सरिस्का पैलेस पूर्ण रूप से वन भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा टाइगर हैवन अमरा का बास व मैसर्स हैरिटेज रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अमन बाग रिसोर्ट, अजबगढ़ आंशिक वन भूमि पर संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों व कब से? उक्त होटल कौन-कौन से रकबा एवं खसरा की कितनी वन भूमि पर संचालित हैं? सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर राजपरिवार की निजी भूमि एवं वन भूमि पर बयनामे, क्रय-विक्रय के इकरारनामों के आधार पर मैसर्स शिब्बा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का होटल संचालन पूर्णतया नियमों के विपरीत है? यदि हां, तो बयनामों, क्रय-विक्रय के दस्तावेजों की प्रतियां एवं सरकार द्वारा इस प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित होटल एवं रिसोर्ट से सम्बन्धित वन भूमि एवं की गई कार्यवाही सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) जी हां। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन भूमि पर मैसर्स शिब्बा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से संचालित होटल पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'बी' अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वन भूमि पर अतिक्रमण है वन अभयारण्य क्षेत्र में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार यह नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि सरिस्का पैलेस, टाइगर हैवन और

(श्री जगसी राम)

अमराका बास, इन सारों पर अतिक्रमण कर रखा है। क्या माननीय मंत्रीजी कोर्ट का हवाला देकर इनको इधर-उधर बहाना बनाकर निकाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसकी कमेटी गठित कर इन सब वन अभयारण्यों को बचाएंगे? यही नहीं, जो अतिक्रमण किया गया है, उस पर आपकी तरफ से जो भी कार्यवाही की गयी है, वह आप बताएं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरिस्का में एक होटल सरिस्का पैलेस चल रही है; दूसरी चल रही है टाइगर हैवन, अमरा का बास में; तीसरी अमन बाग़, अजबगढ़ में; तीनों का मैटर कोर्ट में विचाराधीन है। जो सरिस्का पैलेस, सरिस्का है, वह अलवर महाराजा की थी, उन्होंने 08.03.1972 को योगेश सिंह को बेचान की, योगेश सिंह ने आगे 27.01.1982 को मैसर्स शिब्बा व्हील्स को बेचान किया। इसकी तारीख पेशी 17.03.2021 नियत है, कोर्ट में पैंडिंग है।

दूसरा, टाइगर हैवन, अमरा का बास है, उसका प्रकरण वर्तमान में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के यहां विचाराधीन है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.02.2021 नियत है।

तीसरा, मैसर्स हैरिटेज रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका राजस्थान उच्च न्यायालय में रेस्टोरेशन के तहत 02.02.2021 को पेशी थी, जवाब देने के लिए 4 वीक का समय दिया है।

तीनों ही मामले कोर्ट में पैंडिंग हैं, निर्णय आने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़।

भरतपुर में जहरीली शराब से मौतें

25. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश में शराब बिक्री से कुल कितना राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है व 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में 2019-20 व 2020-21 में नकली, मिलावटी व जहरीली शराब पीने से मृत्यु होने के कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कितने?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) क्या यह भी है कि जनवरी, 2021 में जहरीली शराब पीने से भरतपुर जिले में कुछ लोगों की मृत्यु हुई हैं? यदि हां, तो कितनों की तथा दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : (1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी विभाग को राशि रुपये 12,500 करोड़ का लक्ष्य आबंटित किया गया है, जिसके विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2021 तक राशि रुपये 7,511 करोड़ 46 लाख का राजस्व अर्जन किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2019-20 में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। वर्ष 2020-21 में दो प्रकरण क्रमशः भरतपुर जिले में दिनांक 13.01.2021 एवं भीलवाड़ा जिले में दिनांक 29.01.2021 को जहरीली शराब से मृत्यु होने पर दर्ज हुए हैं।

(3) दिनांक 13.01.2021 को जिला भरतपुर में ग्राम चक सामरी, पुलिस थाना रूपवास में घटित शराब दुखांतिका में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड 3 में 13 जनवरी को भरतपुर में रूपवास थाना में शराब दुखांतिका में 7 लोगों के मृत्यु के बारे में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का जो विवरण परिशिष्ट 'ब' दिया है, उसमें 15 अधिकारी और कर्मचारी आबकारी विभाग के हैं, 3 पुलिसकर्मी हैं, उनके विरुद्ध आपने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है तो क्या जिन लोगों के कारण से, नकली शराब जिन्होंने बनाई या जिनको विभागीय कार्यवाही करके एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए थी, ऐसे नकली शराब के निर्माताओं के विरुद्ध आपने क्या-क्या कार्यवाही की, कितनी एफ.आई.आर. हुईं कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? यह बताएं।

आपने 2019-20 में खण्ड 2 में कहा कि एक भी प्रकरण दर्ज नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुआ। क्या यह सही है कि 2019-20 में, नवम्बर 2020 में कामां के सुनहेरा गांव में 5 व्यक्तियों की जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु हुई, जिनके नाम आप कहें तो उद्धृत कर दूं। सोहन सिंह पुत्र कन्हैया, श्रीराम पुत्र दुर्गा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो, प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बताइए आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका पहला सवाल यह था कि 15 जो आबकारी से रिलेटेड लोग थे उनको निलम्बित किया गया और 3 पुलिसवालों को निलम्बित किया गया, यह तो ठीक ही है। अब सवाल आपका यह आया कि जिन लोगों ने यह बनाई थी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बनाई गयी थी, उसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 9 आरोपियों में रामेश्वर, चक सामरी का; संतोष, चक सामरी का; सुंदर, नानकपुर थाना रूपवास का; मणिपाल, रूपवास का; दीनदयाल, सलेमपुर जिला दौसा का; नरेन्द्र पुत्र साहब सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी, नागला छीतर थाना जगनेर, जिला आगरा यू.पी. का। इसके साथ-साथ एक सतवीर को भी और गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार करके, चूंकि ये शराब उत्तर प्रदेश के जिस गांव का मैंने जिक्र किया था जगनेर में, वहां पर बनाई गयी थी और बनाकर जी.एस.एम. की बोतल पर लेबल लगाकर बेचा करते थे। जिसमें जो चीज उनके पास पकड़ी गयी, दोनों के पास में जगनेर में, वह एक कार्बन कोड लेबल मशीन, दो कार्बन रिबन रोल, पांच बारकोड लेवल तथा छह ड्रम स्पिरिट के, तीन-चार लीटर स्पिरिट और जरीकेन प्लास्टिक तथा चालीस लीटर स्पिरिट तथा एक आर.ओ. मशीन जब्त की गयी है, तो इस प्रकार यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश में ये आरोपी स्पिरिट से नकली शराब बनाकर उन पर फर्जी लेबल लगाकर बेचा करते थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका मैंने आपको बता ही दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिक्र किया, भरतपुर में जो शराब दुखांतिका हुई थी उसके बारे में गिरफ्तारी का। आप खुद अपने उत्तर में कहते हैं कि 29 जनवरी को भीलवाड़ा जिले में भी जहरीली शराब से मृत्यु हुई। कितने लोगों की मृत्यु हुई? क्या यह सही है कि हाल ही में भीलवाड़ा के अन्दर जो जहरीली शराब से मृत्यु हुई, उसकी एफ.एस.एल. की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जहरीली शराब में कीटनाशक और नींद की गोलियां डालकर इसको बनाया गया था, जिसके कारण से चार लोगों की वहां मृत्यु हुई और दस लोग अंधे हुए। क्या इनके खिलाफ भी सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? इन मृतकों को और घायलों को क्या सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कब तक?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, इसमें चार व्यक्ति नहीं, पांच व्यक्ति मरे हैं। आप अपने आपको करेक्ट कर लीजिए। आपने पूछा कि इसमें क्या एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आई, वह मैं पढ़कर बता देता हूं। उपरोक्त चार व्यक्ति तो अलग मरे और एक आदमी बाद में मरा, जो कंजर था, वह बाद में मरा है और उपरोक्त चार आदमियों की एफ.एस.एल. रिपोर्ट जो आई है, वह मैं आपको बता रहा हूं। जहरीली शराब नहीं मिली। नींद की गोलियां, पेस्टीसाइड्स, इथाइल एल्कोहल शराब, जो जहरीली नहीं थी, वह मिली। मिथाइल एल्कोहल नहीं मिला। शराब में Benzedrine drug तथा Organophosphorus मिला है। ये दोनों हथकड़ शराब बनाने के काम में नहीं आते। यह एफ.एस.एल. की रिपोर्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कार्यवाही के बारे में मैं आपको बता रहा हूं न। पांच तो मर ही गये। अब सवाल यह रह गया कि किस-किसके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई? डीवाई.एस.पी. जो वृत्त अधिकारी था, विनोद कुमार; मनोज कुमार, जो वहां का एसएचओ था; जगदीश चन्द्र, जो हैड-कांन्स्टेबल और बीट प्रभारी था; शिवराज सिंह, बीट कान्स्टेबल था, इन सबको निलम्बित कर दिया गया। इसके साथ-साथ कुल-मिलाकर भीलवाड़ा जिले में 10.02.2021 तक जो कार्यवाही की गयी, उसमें 220 प्रकरण दर्ज किये गये। कुल 202 आदमी गिरफ्तार हुए और 2019 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की गयी। 296 भट्टियां नष्ट की गयीं और 5 चालू भट्टियां नष्ट की गयीं। जहां तक सवाल है कि मरने वालों को इस सरकार ने क्या दिया, पुरानी सरकार क्या देती थी, वह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तो आप जानते ही हैं, 50 हजार, 75 हजार देती थी। हमने मरने वालों को 2 लाख रुपये दिये और बीमारों को 50 हजार रुपये दिये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण मीणा।

बस्सी के विद्यालयों व चिकित्सालयों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ना

26. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किस-किस विद्यालय एवं चिकित्सालय में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु बीसलपुर पेयजल योजना में कनेक्शन दिये गये हैं? स्थान एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सभी वंचित विद्यालयों एवं चिकित्सालयों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील बस्सी एवं चाकसू के क्रमश: 210 एवं 27, कुल 237 ग्रामों में सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित दो वृहद पेयजल परियोजनाओं क्रमश: बीसलपुर-दूदू-बस्सी एवं बीसलपुर-दूदू-चाकसू अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप पाइप्ड जल योजनाओं से पूर्व से लाभान्वित ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में सार्वजनिक नलों (पी.एस.पी.) द्वारा पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित 319 राजकीय विद्यालयों में से 218 विद्यालय पेयजल सुविधा से वर्तमान में जुड़े हुए हैं जिनमें से 16 विद्यालयों में जल सम्बन्धों के माध्यम से बीसलपुर से तथा 202 ग्रामों में हैण्डपम्प, नलकूप एवं बीसलपुर परियोजना अन्तर्गत सार्वजनिक नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

इसी प्रकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित 10 राजकीय

(श्री परसादी लाल)

चिकित्सालयों में से 6 राजकीय चिकित्सालय पेयजल सुविधा से वर्तमान में जुड़े हुए हैं जिनमें से 1 राजकीय चिकित्सालय में जल सम्बन्धों के माध्यम से बीसलपुर से तथा 5 राजकीय चिकित्सालयों में नलकूपों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। वांछित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल सम्बन्ध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना सुनिश्चित किया है एवं साथ ही संस्थानिक क्षेत्र यथा विद्यालय, चिकित्सालय इत्यादि को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त जल मांग का प्रावधान भी लिया गया है।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कुल 237 ग्रामों में से 32 ग्रामों में घर-घर जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इनकी योजनाओं की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर, इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 29 ग्रामों की जल योजनाओं के उक्त मिशन के अन्तर्गत बनाये गये प्रस्ताव स्वीकृति अन्तर्गत विचाराधीन हैं।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के शेष रहे ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव कार्ययोजना अनुरूप आगामी समय में बनाये जाकर केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इनकी स्वीकृति पर विचार सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के समस्त ग्रामों को उक्त मिशन के तहत आगामी समय में जोड़ा जाकर हर घर सहित राजकीय विद्यालयों एवं चिकित्सालयों को ग्राम स्तरीय जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा जल सम्बन्धों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि जो एग्जिस्टिंग बीसलपुर योजना है, उसके तहत 319 में से केवल 16 को जोड़ा गया है। 10 में से केवल एक हास्पिटल को जोड़ा। बाकी को क्यों नहीं जोड़ा गया और कब तक इन्हें जोड़ने का विचार है? इसका एक स्पेसिफिक

(श्री लक्ष्मण मीणा)

जवाब दें, आपने घुमा-फिराकर जवाब दिया। मैंने गांवों का जे.जे.एम. के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, यह परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी और 2018 में इसका कार्य पूर्ण हो गया। अब जल जीवन मिशन की दूसरी परियोजना जो आ रही है, घर-घर कनेक्शन, विद्यालय, सभी उसमें जुड़ेंगे। जो पूर्व योजना में वंचित रह गये, उन्हें इसमें जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। जो विद्यालय जुड़ गये, कोई नलकूप से है, कोई हैण्डपम्प से हैं, अगर ऐसे विद्यालय जहां कोई नजदीक पाइपलाइन है उस योजना की तो उसका सर्वेक्षण कराके उनको जोड़ देंगे।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं कि जो यह बीसलपुर की एग्जिस्टिंग योजना है, उसमें विद्यालय और अस्पताल जिनमें मैक्सिमम लोगों की मौजूदगी रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें गुणवत्ता का पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। हैण्डपम्प और नलकूप से मिलता है जिसमें फ्लोराइड है। इसको जोड़ने का कब तक विचार है? मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह परियोजना कम्प्लीट हो चुकी है और दूसरी परियोजना जो जल जीवन मिशन वाली है, अभी केवल एक घंटे पानी पी.एस.पी. के माध्यम से आता है, किसी को कनेक्शन दिये नहीं हैं, न विद्यालय को, न चिकित्सालय को दिये हैं। पी.एस.पी. सार्वजनिक नल के माध्यम से ढाणियों को और गांवों को जोड़ा है। अगर इसमें पास में कोई लाइन होगी और आवश्यक होगा तो निश्चित रूप से उसका सर्वे कराके उनको जोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

कोटा में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाएं

27. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल ने विगत दो वर्षों में कितना राजस्व अर्जित किया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने कोटा सम्भाग में आवासन मण्डल के कोटा और बारां के कार्यालयों को बन्द कर दिया है? यदि हां तो क्यों?

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(3) विगत दो वर्षों में कोटा सम्भाग में आवासन मण्डल ने गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों के लिए कितनी आवासीय योजनाएं प्रारम्भ कीं तथा कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में कोटा सम्भाग में कितने विकलांग, विधवा और निर्धन श्रेणी के लोगों को आवास आबंटित किये गये?

(5) सरकार मध्यमवर्गीय और निर्धन वर्ग के लोगों को रियायती दर पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) राजस्थान आवासन मण्डल के गत 2 वर्षों में अर्जित राजस्व के विवरण की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व खर्च	राजस्व आधिक्य की राशि
2018-19	12874.48	11658.30	1216.18
2019-20	13255.96	11934.46	1321.50

(2) जी नहीं। राजस्थान आवासन मण्डल के कोटा और बारां के कार्यालयों को बंद नहीं किया गया है। मण्डल द्वारा स्टाफ की कमी और कार्य के स्तर को देखते हुए जोधपुर वृत्त-द्वितीय एवं कोटा वृत्त कार्यालय तथा 14 अन्य खण्ड कार्यालयों के पुनर्गठन का निर्णय संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 21.09.2020 में लिया गया था, इनमें कोटा का वृत्त कार्यालय एवं बारां का खण्ड कार्यालय भी शामिल था, परन्तु फिलहाल इस निर्णय को वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31.03.2021) तक स्थगित किया हुआ है। पुनर्गठन आदेश की पालना होने पर भी इन स्थानों पर आवासन मण्डल के उप-खण्ड कार्यालय कार्य करते रहेंगे।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोटा सम्भाग में विगत 2 वर्षों में कोई भी नयी आवासीय योजना शुरू नहीं की गयी है। भूमि की उपलब्धता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि उपलब्ध होते ही नयी योजना प्रस्तावित की जायेगी।

(4) कोटा सम्भाग में विगत 2 वर्षों में 102 विकलांग, 167 विधवा और 6,129 निर्धन श्रेणी के लोगों को आवासों का आबंटन किया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यमवर्गीय लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से राज्य में मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 2018-19 और 2019-20 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को लाभ पहुंचाने का काम किया। जब यह हाउसिंग बोर्ड लाभ में है और बिन्दु संख्या दो में आपने कहा कि स्टाफ की कमी की वजह से इनको बन्द करने का निर्णय लिया गया है। जब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड लाभ में है और इसमें गरीब लोग आवास लेने का प्रयास करते हैं तो इसको लम्बे समय तक चलाने के लिए जो स्टाफ की कमी है, उसकी भर्ती के लिए क्या प्रयास कर रहे हो? साथ ही प्रश्न संख्या 3 के जवाब में आपने कहा है कि विगत दो वर्षों में कोई आवासीय योजना संचालित या प्रस्तावित नहीं की गयी है और बिन्दु संख्या 4 में लिखा है कि कोटा सम्भाग में विगत दो वर्षों में 102 विकलांग, 167 विधवा और 6,129 निर्धन लोगों को आवास आबंटित किये गये, तो इन दोनों में भिन्नता नजर आ रही है। इसका मतलब ये आवास पुराने थे और पुराने थे तो सरकार की एक योजना है, जिसमें पत्रकारों को भी आवास देने का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। आप बोले जा रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): 102 विकलांग, 167 विधवा और 6,129 निर्धन को दिये तो इनमें क्या पत्रकारों को भी दिये हैं? इसके अलावा जो शेष पत्रकार बाकी हैं, चाहे वे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ कहीं के भी हों तो उनको देने के लिए क्या प्रयास है?

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, एक मिनट, कटारिया साहब पूछ रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, थोड़ी-सी या तो आपसे बोलने में चूक हुई है या फिर क्या है कि जो आप बोले हो कि 2018-19 की राजस्व प्राप्तियां, यह 128 करोड़ 74 लाख है, 12 हजार करोड़ नहीं है। यह लाख है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

श्री अध्यक्ष: ऊपर लाखों में ही लिख रखा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो इसको करोड़ बोले हो न वह करोड़ नहीं है, लाख है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, करोड़ नहीं लाख है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तो इस फीगर को कर लें वापस।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): करोड़ से तो लाख पर ले आये ये। बात करोड़ों की हो रही थी और ये लाख पर ले आये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इन्होंने तो करेक्ट किया है आपको। लाख पर नहीं लाये, करेक्ट किया है आपको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऐसे करेक्ट करते हैं क्या कि करोड़ से लाख पर ले आओ?

श्री अध्यक्ष: अब आप दोनों के बीच में हम नहीं बोलते, आप तो करेक्ट होकर जवाब दे दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य ने पूछा कि पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी। पुनर्गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वहां इन दोनों जगह कोटा और बारां में कोई काम नहीं था तो उस स्टाफ को उठाकर जहां पर काम चल रहा है वहां पर लगा दिया गया है। इसलिए इस पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन मैंने आपको यह एश्योर किया है कि पुनर्गठन आदेश की पालना होने पर भी इन स्थानों पर मण्डल के उप खण्ड कार्यालय कार्य करते रहेंगे।

नम्बर दो, आपने पूछा कि दो साल से आवासीय योजना शुरू क्यों नहीं की गयी, तो जमीन की उपलब्धता नहीं थी। दो साल तक कोई जमीन ही नहीं ली गयी। न बारां में है, न कोटा में है, कोई भी ऐसी नहीं है जहां पर आवासीय योजना शुरू होती। अब उपलब्धता के लिए कोशिश की जा रही है।

नम्बर तीन, आपने पूछा कि कोटा सम्भाग में विगत दो वर्षों में विकलांग वगैरह का क्या है तो इसकी फीगर का ब्रेक-अप मैं आपको दे देता

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हूं। कोटा सम्भाग में निर्धन वर्ग - बूंदी में 332, कोटा में 617, झालावाड़ में 407, ये तो निर्धन वर्ग हैं। विकलांग को आप लो, तो कुल 11 कुल विकलांगों को मिला है, जिनमें बूंदी के 3, कोटा के 2 और झालावाड़ के 6 हैं। विधवाओं को आप लो, तो विधवा को 167 हुए हैं, जिनमें बूंदी 116, कोटा 19 और झालावाड़ में 32 को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

गौशालाओं को पट्टे देने की योजना

28. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में श्मशान घाट एवं जन सहयोग से चल रही गौशालाओं एवं बड़े गांवों के रास्ते आदि के पट्टे देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोचर, सिवाय चक, गैर-मुमकिन, पहाड़, नदी नाले वन क्षेत्र आदि सभी प्रकार की भूमि पर रास्ते, श्मशान, गौशाला, गांव आदि बसे हुए हैं? क्या सरकार कैम्प लगाकर उक्त को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जो गांव वर्षों से बसे हुए हैं, उन गांवों में मूलभूत आवश्यकताएं यथा स्कूल, अस्पताल, श्मशान, रास्ते, पंचायत भवन आदि के लिए पट्टे व रजिस्ट्री करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की लापरवाही देखो कि प्रश्नकाल चल रहा है, ट्रैजरी बैंचेज बैठी हैं। माननीय सदस्य ने आपके आदेश पर प्रश्न पुकारा है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी खड़े हो गये हैं। माननीय सदस्य, शेम नहीं। खड़े हो रहे हैं न, आप चिन्ता क्यों कर रहे हो? एक के साथ दो खड़े हो गये, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपको तकलीफ कहां है? दो-दो खड़े हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) (राजस्व मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। राजस्थान पंचायती

राज नियम, 1996 में ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी क्षेत्र में आने वाली भूमि के ही पट्टे दिये जाने का अधिकार है।

(2) यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में गोचर सिवाय चक, गैर-मुमकिन, पहाड़, नदी नाले वन क्षेत्र आदि सभी प्रकार की भूमि पर रास्ते, श्मशान, गौशाला, गांव आदि अतिक्रमण कर बसे हुए हैं।

विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना में नदी, नाले, वन क्षेत्र की भूमियों पर आबंटन/आरक्षण किया जाना प्रतिबंधित है।

सिवायचक गै.मु. एवं पहाड़ वर्गीकरण की भूमियां स्थानीय आवश्यकताओं के आंकलन पश्चात् भूमि का आबंटन स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत को किया जाता है, तदुपरान्त निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये जाने का प्रावधान है।

गोचर किस्म की भूमियों को मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक, जिनको स्थानीय निकाय या पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए जा चुके हैं, तो राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त योजना बनाकर निकाय या पंचायत द्वारा नियमित किया जा सकता है। शेष के लिए चरागाह भूमि प्रतिबंधित होने के कारण नियमितीकरण नहीं किया जाता है।

(3) ऐसे गांव जो वर्षों से बसे हैं जो आबादी क्षेत्र में घोषित हो चुके हैं, उनमें विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल, अस्पताल, श्मशान, पंचायत भवन आदि को पंचायत द्वारा पट्टे दिये जा सकते हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें जिक्र किया गया है कि अतिक्रमण करके बसे हुए हैं पर ये गांव सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं, तो आबादी विस्तार के लिए आप कब तक कैम्प लगाकर पट्टे देने का विचार रखते हैं?

दूसरा, गौशाला और श्मशान, इनमें सरकारी पैसा हम नहीं दे सकते क्योंकि पट्टे नहीं दिये गये हैं तो ऐसी विशेष चीजों के पट्टे देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि श्मशान उठने वाले तो हैं नहीं, हजारों वर्षों से बने हुए हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत में जिनके प्लाट हैं, रजिस्ट्री भी है, कन्वर्ट भी है तो उनके पट्टे कौन देगा? ग्राम पंचायत कहती है कि तहसीलदार देगा, तहसीलदार कहता है ग्राम पंचायत देगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप कब तक आबादी विस्तार के

कैम्प लगाएंगे? इसके अलावा जिनकी रजिस्ट्री है, उनको कब तक कौन पट्टे देगा? सरपंच देगा या तहसीलदार देगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो गांव वर्षों से बसे हुए हैं और जो आबादी क्षेत्र में घोषित हो चुके हैं, तो अगर आबादी क्षेत्र में वे घोषित हो चुके तो वहां की ग्राम पंचायत ही उनको पट्टे देगी, चाहे वह अस्पताल हो, चाहे श्मशान हो, चाहे स्कूल हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो आबादी में नहीं हुए, उनके लिए आबादी विस्तार का क्या करेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो सिवाय चक भूमि पर बने हुए हैं और ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में नहीं हैं उनके लिए ग्राम पंचायत कलेक्टर को लिखकर वह जमीन सैट-अपार्ट करवा सकती है और करवाने के बाद में पंचायत पट्टे दे सकती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया। अगला प्रश्न श्री गोतम लाल।

धरियावद के विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद

29. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धरियावद से प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं को अन्यत्र पदस्थापित किया गया है तथा उक्त के स्थान पर अन्य को नहीं लगाया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा) (राज्य मंत्री, शिक्षा के स्थान पर) : जी हां। प्रधानाचार्य का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति का पद है तथा व्याख्याता स्कूल शिक्षा का पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति का पद है। प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से

(डा. सुभाष गर्ग)

चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाए जाने पर ही भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के ट्रांसफर करने के बाद में जो पद रिक्त हुए हैं, उनके स्थायी समाधान के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है क्या कि कब तक भरे जाएंगे? ट्राइबल बैल्ट में हर पंचायत मुख्यालय पर पिछली सरकार में वसुन्धरा राजे ने 12वीं तक स्कूल खोले, उनमें पद भी भरे, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उनका ट्रांसफर करने से सारे पद रिक्त हो गये हैं, तो उनको कब तक भरने का विचार रखते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अभी 3,560 हमारे पास पदोन्नति से और 5,000 के लिए आर.पी.एस.सी. की जो काउंसलिंग हो चुकी है, इनके आवेदन पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं। काउंसलिंग कार्य चल रहा है और जैसे ही ये आते हैं तो इनको काउंसलिंग के माध्यम से भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी भी है और मैं यह बताना भी चाहूंगा कि यह काउंसलिंग के माध्यम से जब हम विकल्प लेकर पद भरते हैं तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 5-7 जिले दूर-दराज के हैं, जैसे प्रतापगढ़, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर है, तो यहां के लिए लोग आप्शन नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो दिये थे, उनमें गत वर्ष केवल दो अभ्यर्थियों ने ही धरियावद की चोइस भरी थी तो विभाग इस पर विचार कर रहा है कि प्रतापगढ़ है और इसमें धरियावद का भी उल्लेख है, और भी जिले हैं, उनमें किस तरह से शत-प्रतिशत पद भरे जाएं।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्रतर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, विराजें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोविड-19 के दौरान राजकीय अधिकारी/कर्मचारियों का 15 दिवस का वेतन स्थगित किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र में ताकली बांध का निर्माण कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में हैड व टैल क्षेत्र के किसानों को समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में CHC बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से शेरगढ़ वन अभयारण्य में संवेदक फर्म द्वारा नियम विरुद्ध बनाये जा रहे रास्तों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश की ग्राम पंचायतों को SFC योजना में अनुदान राशि जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश में 25 अप्रैल, 2021 को महावीर जयंती पर्व के दिन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) का आयोजन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमों में समय

पर अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बढ़ते जहरीली शराब के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध शराब के सेवन से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धनुर्धर लिम्बाराम की गम्भीर बीमारी का इलाज राज्य सरकार द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अविनाश, श्री कालीचरण सराफ, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री संदीप शर्मा एवं श्री राजकुमार रोत को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर की ढाणियों में पेयजल आपूर्ति की बन्द पड़ी परियोजनाओं को प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में असिंचित खरीफ की फसलों में झोला लगने से होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पम्पों के विद्युत बिल जमा नहीं होने से विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में।

(5) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से आर्म्स लाइसेंस रिन्युअल कराने की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से श्री परसराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़ में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के विद्यालयों में खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से यू.आई.टी. पैरीफेरी क्षेत्र उदयपुर की सम्पूर्ण जमीन यू.आई.टी. के खाते में चढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला सिरोही के भुला गांव में शहीद स्मारक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन के कतिपय गांवों में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) सुश्री दिव्या मदेरणा, सदस्य की ओर से परसराम मदेरणा राजकीय बी. एड. कालेज, भोपालगढ़ का नाम PTET की सूची में जुड़वाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से किशनगढ़ कस्बे में स्थित संत नागरीदास पेनोरमा में आवागमन हेतु झील के ऊपर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

(14) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में भी मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से परवन बांध सिंचाई

(श्री अध्यक्ष)

परियोजना के नजदीकी ग्रामों को बूंद-बूंद सिंचाई योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव। नारायण जी, बाद में, पहले स्थगन करेंगे। श्री अविनाश।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्राम पंचायतों को SFC योजना में अनुदान राशि का भुगतान

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं मेरी समस्या को इस सदन के माध्यम से रखना चाहूंगा। इस सदन में विराजे हुए लगभग सभी माननीय सदस्यों की ग्राम पंचायतों की जो समस्या है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान से ग्राम विकास के सभी आवश्यक कार्य करवाये जाते हैं। राजस्थान में जहां करोड़ों लोग गांवों में निवास करते हैं, वहां सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से ही गांवों का विकास होता है। इन ग्राम पंचायतों के गांवों में निजी आय नहीं होने के कारण उनकी परेशानियों को देखते हुए राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया..

श्री अविनाश (जैतारण): पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतिम वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को वर्ष में दो किश्तों के माध्यम से ग्राम विकास के लिए अनुदान दिया जाता है लेकिन इस वित्तीय वर्ष की दोनों किश्तें ग्राम पंचायतों के खाते में अभी तक नहीं पहुंची हैं जबकि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा मार्च, 2020 तक ग्राम पंचायतों को दोनों ही किश्तों का अनुदान ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 2020 से छठे राज्य वित्त आयोग का गठन होना है, लेकिन

(श्री अविनाश)

आज दिन तक लगभग सवा साल बीत जाने के बाद भी इसकी कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं जबकि 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन भी हो गया और प्रथम किश्त की राशि के रूप में 2,438 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को आबंटित किये जा चुंके हैं।

केन्द्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान प्रदेश को केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर कुल 9 हजार 752 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। इसमें से 2,438 करोड़ रुपये राजस्थान को आबंटित किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायतों को अनुदान नहीं मिलने से सामान्य विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। जैसे सामान्य स्टाफ का वेतन-भत्ता हो, चाहे पम्प चालक का भत्ता, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का वेतन हो और अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य, जैसे नाली निर्माण का कार्य हो, साफ-सफाई का हो, मिट्टी भराई का कार्य हो। अधिकांशत: गांवों में जनता जल के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से जारी है, लेकिन बिल नहीं भरने के कारण डिस्कॉम के अधिकारी आते हैं, ग्राम पंचायतों का बिजली का कनेक्शन काट देते हैं, जिससे जनता को पीने के पानी की समस्या और बिजली नहीं होने से ग्राम पंचायतों में आवश्यक रूप से कम्प्यूटर कार्य भी करने में दिक्कत आती है। छठे राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को अधिक अनुदान करवाये जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वर्ष 2021 में भी छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ और इसकी सिफारिशें आज एक वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हो पाई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों की इस विकट परिस्थिति को देखते हुए जल्दी से जल्दी, राज्य वित्त आयोग की अभी तक 3 किश्तें बाकी हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20, राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 2018-19 की अंतिम किश्त के रूप में 5 हजार 193 लाख रुपये दे दिये, लेकिन वर्ष 2019-20 की दोनों किश्तें और वर्ष 2020-21 की, ये जो एक किश्त बाकी है, यह अभी तक राज्य सरकार के द्वारा दी नहीं गयी है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि राज्य सरकार से जब भी कोई विकास के कार्य की बात की जाती है, कोरोना का बहाना बनाकर, पिछले साल-सवा साल से ये बातें की जा रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब कोरोना पूरे हिन्दुस्तान में आया, जब केन्द्र में भी कोरोना था, दिल्ली में भी

(श्री अविनाश)

था, यू.पी. में भी था, राजस्थान में भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I'll not allow, please.

श्री अविनाश (जैतारण): लेकिन अब आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार इस खाते में पैसे जमा करवाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

महावीर जयंती पर्व के दिन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी इंतजार के बाद 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने की है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस दिन महावीर जयंती है और महावीर जयंती जैन समाज का बड़ा गरिमापूर्ण त्योहार होता है। इस दिन जैन समाज के अधिकांश लोग धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। यदि उस दिन परीक्षा का आयोजन हुआ तो जैन समाज के जो बी.एड. और एस.टी.सी. के अभ्यर्थी हैं, वे परीक्षा से वंचित हो जायेंगे। इस दिन नोटिफिकेशन यह जारी किया हुआ है कि सार्वजनिक अवकाश भी रहता है और जो जैन समाज के विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इसी प्रकार से 26 तारीख को आखा तीज है और उस दिन अबूझ सावा होने के कारण प्रदेश में हजारों शादियां भी होंगी तो रीट की परीक्षा तो आयोजित होनी चाहिए, परन्तु यह 25 और 26 तारीख को न हो करके या तो चार-पांच दिन पहले हो या चार-पांच दिन बाद हो तो जो जैन समाज के लोग हैं और जिनकी शादियां होने वाली हैं, ऐसे हजारों जो अभ्यर्थी हैं वे भी परीक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे और वे भी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह 25 अप्रैल की तारीख को परिवर्तित करे, या तो 5 दिन पहले कर दे या 5 दिन बाद कर दे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज मुकदमों में समय पर

अभियोजन स्वीकृति जारी न होना

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मुझे इस बात का दुख है कि राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक हमारी टीम ने जिस प्रकार के प्रकरण पिछले वर्षों में दर्ज किये और जिस प्रकार के लोगों पर उन्होंने शिकंजा कसा, यह राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सारा देश इस बारे में बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता है कि वास्तव में राजस्थान का ए.सी.बी. इस प्रकार के संगीन केस बनाने की भी हिम्मत जुटाता है और उसके कारण से तो उसकी सारी टीम को मैं अपनी ओर से और आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरे मन में दु:ख इस बात का है कि इतने प्रयत्नों के बाद इस प्रकार के लोगों के जब संगीन केस पकड़े जाते हैं और जब वे अखबार में आते हैं तो पढ़कर के सारे राजस्थान के लोगों के मन में बहुत ही खुशी और विश्वास होता है कि हां वास्तव में भ्रष्टाचार, जिसको सरकार यह कहती है कि हम जीरो टोलरेंस की बात करते हैं, शब्द बहुत अच्छा लगता है जीरो टोलरेंस का, लेकिन जब इसकी हकीकत के अन्दर जाने का प्रयास करते हैं तो इसमें कुछ कमियां नजर आती हैं।

मेरी विनम्र प्रार्थना है सरकारें आयेंगी, सरकारें जायेंगी, पार्टियां आयेंगी, पार्टियां जायेंगी, लेकिन इन दागी लोगों को अगर हम समय पर सजा दिलाने में सफल हो जाते हैं तो भविष्य कम से कम प्रदेश और देश का अच्छा होगा। इसके बोलने के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूं वह इस कारण से कर रहा हूं कि वास्तव में हम में से कई लोग, हो सकता है कि कोई आपका भाई ट्रैप हो गया होगा, कोई मेरा बच्चा ट्रैप हो गया होगा, मन में एक स्वाभाविक रहता है कि उसको किसी तरह से किसी गली से बाहर निकाल दें। इस सोच के कारण से इस विभाग के द्वारा की गई सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मैं केवल आपको इस साल के जो प्रकरण हुए हैं, मैं सोचता हूं कि कलेक्टर अगर पकड़ा जाये और उस कलेक्टर के ऊपर पहले से ही ए.सी.बी. के इसी प्रकार के 8 केस थे लेकिन उनमें एफ.आर. लग गयी। यह नवां केस है, उस कलेक्टर का यह नवां केस है। इसके बारे में सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस प्रकार के व्यक्ति को समय पर अगर हम दंडित कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

देते तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। हमारा एस.पी. ट्रैप हो रहा है, बंधी ले रहा है। हमारे एस.डी.ओ. बंधी ले रहे हैं। हमारा आई.जी. और डी.आई.जी. इस प्रकार के मुकदमे में उलझ रहा है। मतलब, वास्तव में जिनके नाम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसे लोगों को अगर उनके खिलाफ समय पर कार्यवाही करने का प्रयत्न करें तो मैं सोचता हूं कि जो मेहनत ए.सी.बी. कर रही है उसको भी एक तरह से संतोष होगा। मैं पिछले साल की बता रहा हूं कि 365 दिन में से 361 केस बने हैं जो वास्तव में प्रतिदिन का एक केस ए.सी.बी. की टीम ने ट्रैप किया है या आय से अधिक सम्पत्ति के केस बने हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से 2003 में डायरेक्शन है कि इस प्रकार के जो केस बनते हैं उनको 3 महीने में सरकार की तरफ से इजाजत मिल जानी चाहिए। अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सरकार को और सरकार के जो सचिव हैं, उनको इस बात का नोटिस दिया है, डी.जी. को भी इस बात का नोटिस दिया है कि आपके यहां कई प्रकरण लम्बे समय से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण से पैण्डिंग चल रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरा किसी व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन है या कौन नहीं है, पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी भी आज की तारीख में भी आप देखिये कि हमारे आई.ए.एस. अधिकारी हैं, उनका 2017 से है, अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। मैं सोचता हूं कि आपको अगर रिजेक्ट करना है, आप उसको ठीक नहीं मानते हैं तो विदिन पीरियड कर दीजिये, लटकाये रखकर के डिपार्टमेंट के बारे में भी और उस व्यक्ति के बारे में भी, हमें कोई ज्यादा काम नहीं है, अब यह नीरज के. पवन का केस 2017 से पैण्डिंग है, जिसको सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। श्रीमती निर्मला मीणा, रसद अधिकारी, जोधपुर है। आपने और मैंने पढ़ा तो आपका और मेरा रोम-रोम कांप गया कि अगर इस प्रकार के अधिकारी इतने सालों से और ऐसी पोस्टों पर रहकर के जिस प्रकार से अपने आचरण को कर रहे हैं, उनका केस भी 2018 से बना हुआ अभी तक पैण्डिंग चल रहा है। यह जो आस मोहम्मद, ए.सी.पी. झोटवाड़ा का, 2019 में केस बना, वह अभी तक पैण्डिंग है। यह सब मैं आपको आर.पी.एस. और आई.पी.एस. बता रहा हूं। अमृत लाल जीनगर का इसी प्रकार से रायसिंहनगर में केस बना, वह 2020 से पैण्डिंग चल रहा है। यह जो अग्निहोत्री है, इनका केस 2016 से चल रहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। 2016 से सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी, इस कारण से पैण्डिंग पड़ा है। नरेंद्र कुमार थोरी, आयुक्त, नगर परिषद्, टोंक का 2018 से पैण्डिंग पड़ा है कि इसकी स्वीकृति नहीं मिली। इसी प्रकार से अरुण प्रकाश, नगर न्यास, बीकानेर के सचिव का 2018 से केस पैण्डिंग पड़ा है। इसी तरह से दुर्गेश बिस्सा है, यू.आई.टी. बीकानेर का 2018 से पैण्डिंग पड़ा है। चंद्रभान सिंह, तहसीलदार, बाड़मेर, 2019 से केस पैण्डिंग पड़ा है।

यही नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारी वर्किंग चल रही है न, वह इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद करती है। मैं केवल आपको एक सूची दे रहा हूं कि विभिन्न विभागों के 279 अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी स्वीकृति के लिए केस अभी तक सरकार के पास पैण्डिंग पड़े हैं, डम्प करके रख रखा है। वह केस भी कब से हैं, 2013 से स्वायत्त शासन के 21 प्रकरण। यह सारे विभागों की सूची है इनमें राजस्व विभाग के 28 हैं, पंचायती राज के 39 हैं, यह सारे मिलाकर के 279 केस आज भी 2013 से लेकर 2021 तक केवल इसलिए पैण्डिंग पड़े हैं कि विभाग उसमें अपनी स्वीकृति यस और नो नहीं दे पा रहा है, उसके कारण से पैण्डिंग हैं। क्या इससे व्यवस्था में सुधार हो सकेगा? मैं आपको कहता हूं राजस्थान का, इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा अफसोस कब होता है, चाहे मेरे द्वारा हुआ हो, चाहे किसी के द्वारा हुआ हो, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ऐसे दागी लोगों को अगर सरकार एक लम्बे समय के बाद उन सब के बारे में अपनी असहमति लिख करके भेज देती है, उस दिन इस विभाग का बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब इतने समय तक मेहनत करने के बाद भी राजस्थान में ऐसे एक नहीं सैकड़ों केस ऐसे हैं, जिनको लम्बे समय तक पैण्डिंग रखा जाता है और बाद में विभाग उसमें अपनी असहमति जाहिर करता है। मैं कहता हूं कि अगर विभाग उसको निर्दोष मानता है तो 4 महीने में या 6 महीने में आप फैसला करके उसको निर्दोष घोषित कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनको 6 साल, 8 साल तक पैण्डिंग रखने के बाद जो आपने फैसला किया, मैं आपको अधिकारियों के नाम देता हूं, यह सत्य प्रकाश जो है यह चीफ इंजीनियर है, यह 30 जनवरी को अभी आपने पिछले साल 30 जनवरी के दिन इसके बारे में अपनी असहमति जाहिर की। जिसने मेहनत की होगी, जिसने केस बनाया होगा, जिसने चार्ज फ्रेम करने के लिए आपके पास भेज रखा है, सत्य प्रकाश गोयल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का है। इसी तरह मुकेश कुमार सैनी का ट्रैप केस है, 13 फरवरी को आपने उस पर असहमति लिख दी। यह रामकुमार कुमावत है, सचिव, जो चार लाख में ट्रैप हुआ है, उसको आपने 26 फरवरी के दिन मुक्त कर दिया। यह प्रखर चतुर्वेदी उप निदेशक है। उसको फ्री किया। जीत सिंह है, चंद्रभान है, ऐसे केवल यह छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े-बड़े अधिकारी भी इसी प्रकार से अंततोगत्वा जाकर, और मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आय से अधिक सम्पत्ति में इस राजस्थान में जो-जो लोग पकड़े गये हैं, उनका जब चिट्ठा चला तो किसी के पास 100 करोड़ रुपये की सम्पत्ति, किसी के पास 200 करोड़ रुपये की सम्पत्ति, लेकिन उनको इतना समय मिल जाता है कि कोई अपनी पुरानी जायदाद का कहीं से कागज लाता है, कोई अपने ससुराल से कोई कागज निकलवा कर लाता है, कोई शादी के समय कागज नहीं बने, वो सारी रकमें तैयार करता है। इस तरह से मैं सोचता हूं कि भ्रष्टाचार पर आप जिस तरह से जीरो टोलरेंस की भाषा बोलते हो न, यह भाषा बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने के लिए कम से कम इसको पैंडिग नहीं करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तीन महीने में दें। यस और नो, मैं नहीं कहता हूं कि आप उन सबके बारे में हां कर दो, अगर किसी का गलत बना है तो आप न करो, कोई चिंता की बात नहीं है, पर इसको 6-6 साल तक पैंडिंग रखने के बाद फिर आप कहो कि इस पर सहमति नहीं देते हैं, यह जीरो टोलरेंस नहीं है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक सुषड्यंत्र है जो विभाग और अधिकारी कर रहे हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिये मैं सभी माननीय सदस्यों की तरफ से विनम्र प्रार्थना करता हूं। आप और मैं रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है उसको किसी भी कीमत पर टोलरेट नहीं करना चाहिये और जितने संगीन केस बने हैं, उनके लिए ए.सी.बी. को धन्यवाद देना चाहिये कि आखिर उन्होंने इतने बड़े अधिकारियों पर भी हाथ डालकर जिस प्रकार के प्रकरण बनाये, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

जहरीली शराब का अवैध कारोबार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राजस्थान में शराब माफिया, आबकारी और पुलिस विभाग की मिलीभगत से इन दिनों में कुटीर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उद्योग बन चुके नकली शराब और अवैध शराब की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो नकली शराब बनती है, शराब में जो मिथाइल अल्कोहल और स्पिरिट उपयोग में लिया जाता है, स्पिरिट और मिथाइल अल्कोहल, स्पिरिट कारखानों में काम में आने वाला है और मिथाइल अल्कोहल हमारे डिस्टिलरी में, इसका उद्गम वहां से प्रारम्भ होता है। यह किस प्रकार बड़े-बड़े उद्योगों से निकलकर और मिथाइल अल्कोहल बड़ी-बड़ी डिस्टिलरी से निकलकर गांव तक चला जाता है और गांव में फिर माफिया लोगों के माध्यम से कुटीर उद्योग के रूप में इसकी नकली शराब बनाई जाती है, जिससे आये वर्ष, अध्यक्ष महोदय, अब तो भरतपुर और भीलवाड़ा की चर्चा सामने आ गयी, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा, जिस वर्ष में जहरीली और नकली शराब से या तो लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करते होंगे या अंधे, अपाहिज नहीं होते होंगे। सवाल इस बात का है कि जब तक इन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इनका जहां से उद्गम होता है, वहां कार्यवाही नहीं होगी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आज आपने स्वीकार किया भीलवाड़ा में तो पेस्टीसाइड्स, कीटनाशक और नींद की गोलियां, अध्यक्ष महोदय, कितनी जगह इसका उपयोग हो रहा होगा, नींद की गोलियां बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के किस प्रकार गांव में उस अवैध नकली शराब बनाने वाले के पास थोक में पहुंच गयी। सवाल इस बात का है कि जब तक इन पर नकेल नहीं कसी जायेगी तब तक इसी प्रकार की कार्यवाही चलती रहेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने कार्यवाही की। आपने एक अभियान चलाया और अभियान भी आपने एक सप्ताह चलाया। उस एक सप्ताह में आपके रिकार्ड ने क्या कहा कि एक सप्ताह में 10 अवैध शराब की फैक्ट्रियां राजस्थान में पकड़ी गयीं और 9,873 लीटर स्पिरिट पकड़ी गयी। यह स्पिरिट कहां से आई और उसके अलावा 7,636 हथकड़ की बोतलें पकड़ी गयीं। अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा, पर 33,52,445 लीटर वाश नष्ट किया गया। मतलब 33 लाख लीटर यह गांवों में सिर्फ एक सप्ताह का अभियान है और 2,682 आपने अवैध शराब की भट्टियां नष्ट कीं, 225 आपने चालू भट्टियां नष्ट कीं। इधर जब अभियान चल रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, भास्कर समाचार पत्र ने स्टिंग आपरेशन किया। आप जहां अभियान चला रहे थे, उसी अभियान में जिन गांवों में आप जाकर तोड़ रहे थे, वहीं से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनके 16 संवाददाताओं ने नकली शराब खरीदी और अखबारों में छाया हुआ रहा। जब आप अभियान चला रहे थे तो इसी राजधानी में जमवारामगढ़ और बस्सी के पास ढूंढ़ नदी के पेटे राजस्थान पत्रिका के संवाददाता ने फोटो खींची, पत्रिका ने फोटो खींचते हुए जलते अलाव में शराब बनाते हुए लोगों को देखा। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, जिनका जिक्र आज प्रश्न काल में हो गया। निश्चित तौर पर कामां में और सुनेहरा गांव में जहरीली शराब, मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा कि आपने जहरीली शराब में यू.पी. के एक व्यक्ति को पकड़ा। यू.पी. में भी सुनेहरा गांव से सटा जो भरसाना गांव है, यह लोग सुनेहरा गांव से शराब पीकर गये, वहां भी तीन आदमी काल कवलित हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा उद्देश्य यही था कि नवजीवन योजना, जिसका लक्ष्य था, शराब के अवैध धंधे में लगे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, बैंक लोन देने के लिए, बच्चों की शिक्षा देने के लिए 2009 से यह योजना चली। लक्ष्य था आबकारी राजस्व का एक परसेंट इनके रीहैबिलिटेशन पर खर्च करने का। मंत्री महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि शराब दुखांतिका से लोग मरते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सर्वे हुआ था, तीन साल से तो इनका सर्वे नहीं हुआ और तीन साल पहले जो सर्वे हुआ, 18 जिलों का सर्वे हुआ, उसमें, अध्यक्ष महोदय, 70 हजार परिवार इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाये गये, जिनको नवजीवन योजना से लाभान्वित किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, 2009 में जब यह योजना प्रारम्भ की जा रही थी कि उसका बेस था कि 2008 और 2009 में एक साल में 38 हजार मामले एक्साइज एक्ट में दर्ज हुए। तब यह पता चला कि इन परिवारों में लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री महोदय आप किसी गांव में चले जाओ, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें गांव के कुछ न कुछ लोगों ने कुटीर उद्योग की तरह इसको अपना व्यवसाय बना रखा है। समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस नवजीवन योजना की 2011 से, जब से यह नोडल एजेंसी बनी है, एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। भगवान के लिए राजस्थान को बचाइए, आप, हम रहें या नहीं रहें, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, पर कुछ बातें ऐसी हैं, जिनसे आंख मिलाकर बात करनी पड़ेगी। आज राजस्थान के गांव-गांव में इस धंधे के साथ एक-दो नहीं, मेरा दावा है, 18 जिलों का सर्वे आपके रिकार्ड पर होगा, इन 18 जिलों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के सर्वे में मैं नहीं कह रहा, सरकार का सर्वे कह रहा है कि 70 हजार परिवार आपने तीन साल पहले 18 जिलों में ढूंढ़ कर निकाले थे कि इतने परिवार होंगे। इसलिए सदन से मेरी मांग है यह जो नवजीवन योजना है, इस योजना के बारे में, मंत्री महोदय, बैठक लीजिए। राजस्व का जो एक परसेंट पैसा था, 12,500 करोड़ के आपके राजस्व में एक परसेंट साढ़े बारह करोड़ रुपये होते हैं, कम से कम इन गरीब लोगों को, जो इस धंधे में हैं, आप अभियान चलाकर लाखों लीटर वॉश नष्ट कर सकते हो, आपने 33 लाख लीटर वॉश नष्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन्हीं को करेक्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बिलकुल नहीं। श्री संदीप शर्मा।

अवैध शराब के सेवन से मौतें

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। शराब दुखांतिकाओं में पूरा राजस्थान, पूरे राष्ट्र में, मैं समझता हूं कि अव्वल रहा होगा। जिस तरीके से शराब दुखांतिकाओं में परिवार के परिवार उजड़ गये, कई लोगों की जान इस शराब दुखांतिका में चली गयी, राजस्थान की सरकार ने फौरी रूप से कार्यवाही करवाई। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जिन विभागों के नाक के नीचे यह काम हो रहा है, उनको सारी जानकारी रहती है। चाहे वह पुलिस विभाग हो, चाहे वह आबकारी विभाग हो, हर व्यक्ति को वह चिह्नित जगह याद है कि कहां पर कच्ची शराब बन रही है, कहां पर कच्ची शराब का निर्माण हो रहा है, किस तरीके के केमिकल उनमें उपयोग में लाये जा रहे हैं परन्तु उसके बावजूद भी फौरी कार्यवाही होती है। पुन: उसके बाद शराब का कारोबार माफिया प्रारम्भ कर देते हैं और यदि नहीं करते हैं तो कुछ विभाग उनसे जबरदस्ती यह कच्ची शराब बनवाने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरीके से यह कच्ची शराब का कारोबार

(श्री संदीप शर्मा)

चलता रहा तो मेरा मानना है कि परिवार के परिवार और कुछ चयनित बस्तियां हैं, कुछ चिह्नित परिवार हैं, जो इस कार्य को करते हैं और जिसके विषय में हर व्यक्ति जानता है कि यहां पर कच्ची शराब बन रही है। कोटा का अमृत कुआं, जहां पर लगातार कच्ची शराब बनती आ रही है। पुलिस जाती है, कुछ कार्यवाही करके वापस चली आती है। आदरणीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने सही बात कही कि जब तक इनका पुनर्वास नहीं होगा, इनको किसी न किसी योजना के तहत सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करायेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि जहां ऐसी कच्ची बस्तियों में जो लोग कच्ची शराब बनाते थे, उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनको ट्रेनिंग दी गयी और उनके उस हुनर का अच्छी जगह उपयोग करा कर उनके द्वारा उनको रोजगार का सृजन कराया गया। अध्यक्ष महोदय, पूरी की पूरी बस्तियों ने अपने इस पूरे काम को चेंज कर लिया। वे लोग सम्मानपूर्वक, सुरक्षित जी रहे हैं। सरकार यदि इस मामले में पूरी तरीके से गम्भीर हो तो निश्चित रूप से सरकार उनको रोजगार उपलब्ध कराये, विभिन्न विभागों द्वारा उनको ट्रेनिंग्स दे और उनके रोजगार को परिवर्तित करे और अपने विभागों को पूरी तरीके से पाबंद करे। इस प्रकार की कार्यवाही के लिए वे उनको सहयोग करना बंद करें और उन पर कड़ाई से कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

धनुर्धर लिम्बाराम की गम्भीर बीमारी के उपचार की व्यवस्था

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं उस शख्स की बात करना चाह रहा हूं, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे राज्य और पूरे देश का नाम रोशन किया था। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते थे। जो तीरंदाजी में दक्ष थे, वे लिम्बाराम जी वर्तमान में गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनको अपने जीवन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। अपने स्तर से, अपनी काबिलियत से वे आगे बढ़े और उनको सहयोग मिला और पूरे देश का नाम रोशन किया। आज वे दिल्ली में भर्ती हैं। छह-सात महीनों से वे गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको एक न्यूरो-डिसआर्डर बीमारी हुई है और उनके ब्रेन में दिक्कत है। उनके लिए एक जीवन रक्षक इंजेक्शन, डाक्टरों ने बताया कि

(श्री राजकुमार रोत)

वह इंजेक्शन उनको देना अति आवश्यक है, लेकिन दो से तीन माह हो गये हैं, वह इंजेक्शन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विशेष अनुरोध है कि उनकी जो बीमारी है, उस बीमारी का जो इलाज है, वह सरकार अपने स्तर से कराये। एक ऐसा समय था जब देश-विदेश में उनकी डिमांड थी। कई ऐसे देश थे जो चाह रहे थे कि वे वहां पर कोचिंग दें और कई ऐसे राज्य थे, वे भी चाह रहे थे कि वे वहां पर कोचिंग दें, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे देश में दूंगा और देश में भी सोचा कि मेरे राज्य के लोगों को दूंगा। उन्होंने अपने राज्य में और अपने क्षेत्र में फ्री में सेवा दी, लेकिन छह-सात महीने हो गये, वे गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं। आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि राज्य सरकार उनकी बीमारी का खर्चा वहन करे और उनका इलाज करवाये। धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा पोस्टर के साथ प्रदर्शन)

श्री अध्यक्ष: 295, श्री नारायण बेनीवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खींवसर की ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु बंद योजनाओं का संचालन

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, खींवसर विधान सभा क्षेत्र के ढाणियों में निवास करने वाले व्यक्तियों हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित बंद पड़ी योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, जिसकी बड़ी आबादी ढाणियों में निवास करती है तथा वहां लम्बे समय से पेयजल की आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से होती आई है, लेकिन काफी समय से विभाग के अधिकारी यह कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम फेज के पूर्ण हो जाने के कारण बंद पड़े नलकूपों, क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. व बंद पड़ी पाइप लाइनों के लिए बजट का आबंटन उच्चाधिकारियों के निर्देश के कारण नहीं हो पा रहा है।

केंद्र सरकार की जल शक्ति मिशन योजना में हालांकि प्रत्येक घर तक जल के लिए योजनाओं का काम चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक घर

(श्री नारायण बेनीवाल)

तक नल द्वारा हिमालय का मीठा पानी सरकार उपलब्ध कराएगी, लेकिन ढाणियों में बसी आबादी के लिए अभी नलकूप, जी.एल.आर. व पाइप लाइनें ही प्यास बुझाने का मुख्य आधार है। जब तक प्रत्येक घर तक नल की परियोजना सुचारु रूप से चालू नहीं हो जाए, तब तक समस्त जनता जल योजना के नलकूप निजी ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अथवा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं सहित तमाम नलकूपों, जी.एल.आर. व पाइप लाइनों हेतु बजट का आबंटन तुरन्त प्रभाव से करवाने का श्रम कराएं।

अतः महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु बंद पड़ी समस्त जल प्रदाय योजनाओं को सुचारु रूप से चालू करने हेतु बजट का आबंटन तुरन्त प्रभाव से करवाया जाए, ताकि ढाणियों में निवास करने वाले समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): महोदय, प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत की गई सड़कों के निर्माण उपरांत भी ठेकेदारों को 2 वर्ष से बकाया राशि करीब 1,300 करोड़ रुपये का भुगतान न कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। भुगतान नहीं होने से आज उनके परिवारों की हालत खराब है। परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सड़कें तो स्वीकृत कर रही है, लेकिन उन सड़कों का ठेकेदारों द्वारा निर्माण कर देने के बावजूद भी उन्हें भुगतान नहीं कर रही है। ठेकेदार बकाया भुगतान के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें उनके द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं कर रही है। प्रदेश में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उन पर चलना भी दूभर हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चेचट से अलोद, चेचट से खेड़ारुद्धा एवं रामगंज मण्डी से सुकैत, अमझार से चेचट, ढाबादेह से मोड़क, सालेड़ाकलां से चेचट, देवलीकलां से घाटोली, जूल्मी रोड से देवलीखुर्द, कोटा-झालावाड़ रोड से रांवठा-भवरियां सहित दर्जनों गांवों में सड़क इतनी जर्जर अवस्था में है कि उन पर चलना मौत को आमंत्रण देना है। मैं लगातार विभाग के अधिकारियों को,

(श्री मदन दिलावर)

माननीय मंत्री महोदय को एवं मुख्य मंत्री महोदय जी को निवेदन करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन बात को अनसुना कर सड़कों को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और शायद किसी बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। यह काफी लोक महत्व का मामला है!

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

असिंचित खरीफ की फसलों में झोला लगने से हुए नुकसान का प्राकृतिक आपदा में शुमार

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत असिंचित खरीफ फसलों में झोला लगने से होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल कर किसान को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि असिंचित खरीफ की फसल में फसल बढ़ोतरी व फल आने के समय, पश्चिमी हवा चलने पर फसल में लाभ होता है, जिसको हम सवाव कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर वर्ष फसल के पकाव के समय उत्तरी हवा 2-4 दिन तक चल जाती है तो फसल की पैदावार 25 से 50 प्रतिशत तुरन्त घट जाती है, जिससे फल, फूल, पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। इस स्थिति को मारवाड़ी में झोला लगना कहते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। इस तरह से हुए नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है।

अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, टिड्डी दल आदि को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, उसी तरह झोला लगने को भी प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए तथा इससे होने वाले नुकसान का सर्वे करवाकर समुचित आकलन के आधार पर किसान को राहत पहुंचायी जाए।

अत: मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि किसानों की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समस्या असिंचित खरीफ फसलों में झोला लगने से होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल कर किसान को राहत पहुंचाने का श्रम कराएं। ताकि किसानों को आपदा से राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

बडोपल व आर.डी. 99 पर स्थापित विद्युत पम्प का कनेक्शन

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, सेम नाले पर स्थापित विद्युत मोटरों का व्यय बिल जमा न होने से सिल्ट सफाई नहीं होने के कारण गम्भीर संकट।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में सेम समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे क्षेत्र की जमीन बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है। किसान लगातार इस समस्या का सामना गत 20 वर्षों से करता आ रहा है। क्षेत्र में सेम नाले से सेम पानी निकासी के लिए इ.गां.न. परियोजना की आर.डी. 99 पर व बडोपल ग्राम में विद्युत पम्प स्थापित हैं, जिसका विद्युत व्यय सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन पैसों के अभाव में विद्युत व्यय का बिल विभाग द्वारा नहीं भरा गया, जिसके कारण विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। बार-बार मेरे द्वारा एवं सेम के किसानों द्वारा भी विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सेम समस्या गम्भीर होती जा रही है। खेतों में फसलें खड़ी हैं, पानी का भराव अब खेतों में होता जा रहा है। इसी के साथ पूर्ववर्ती बी.जे.पी. सरकार ने समय भैरूसरी से बडोपल सेम नाले की खुदाई कर बडोपल में पम्प हाउस से पानी की निकासी की व्यवस्था की थी, परन्तु दो वर्ष हो गये, वर्तमान सरकार उस सेम नाले पर ध्यान नहीं दे रही है। सेम नाले की सिल्ट सफाई न होने के कारण जो भूमि कृषि योग्य बन गयी थी, वह आज जल मग्न होने के साथ ही बंजर भी होती जा रही है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि रावतसर से 99 आर.डी. भैरूसरी से बडोपल तक सेम नाले की सिल्ट सफाई व दोनों पम्पों के विद्युत बिल के लिए बजट का प्रावधान करें, जिससे किसानों की खड़ी फसलों को बर्बादी से एवं भूमि को बंजर होने से बचाया जा सके और काश्तकारों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

आर्म्स लाइसेंस नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा आर्म्स लाइसेंस रिन्युअल, नवीन आर्म्स लाइसेंस तथा लाइसेंसधारी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिस को आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

व अनावश्यक विलम्ब व परेशानी दूर करने के क्रम में निवेदन है।

संवेदनशील प्रशासन व जीरो Harassment सरकार का संकल्प है। इस संकल्प की परीक्षा नवीन आर्म्स लाइसेंस बनाने, आर्म्स लाइसेंस रिन्युअल करते समय या फिर लाइसेंसधारी की मृत्यु उपरांत वारिस के नाम लाइसेंस बनवाते समय की जा सकती है। यह समूची व्यवस्था अनावश्यक देरी, प्रताड़ना, जटिल व दुखदायी है। आर्म्स लाइसेंस रिन्युअल मामले में पुराना लाइसेंस, फीस, लाइसेंसधारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो, कोई शिकायत प्रतिबंधित नहीं हो, यह जांच अधिकारी के चैम्बर के बाहर लम्बा इंतजार व समय सीमा में अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना इस व्यवस्था का भाग बन गया है। काम में सावधानी जरूरी है, मगर किसी भी अधिकारी को परेशानियां पैदा करने का अधिकार भी नहीं है। सरकार ने व्यवस्था तो ऑनलाइन की है, मगर जब अधिकारी ही स्वयं लाइन पर नहीं हो तो व्यवस्था क्या करेगी। शायद यही कारण है कि अपराध में विश्वास करते लोग सहजता से बिना लाइसेंस का हथियार प्राप्त कर लेते हैं व जिम्मेदार संभ्रान्त नागरिक गैर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथों परेशान होते रहते हैं। कोटा के अतिरिक्त दंडनायक, शहर इसकी जीती जागती मिसाल हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

आहोर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आहोर विधान सभा में पिछले 2 वर्षों से हमेशा 10-15 किमी. प्रति वर्ष सड़क बनाने की प्रक्रिया होती है, जबकि दो वर्षों में एक किलोमीटर भी मिसिंग लिंक की सड़क नहीं बन रही है, जिसके कारण 4 किमी. का सफर 20 किमी. में तय करना पड़ता है। कृपया निम्नलिखित मिसिंग लिंक रोड बनवाने की कृपा करें:-

1. गुडा इन्द्रपुरा से गोगरा (पाली सीमा बार्डर तक) 4 किमी.।
2. कंवला से पेणावा (पाली सीमा बार्डर तक) 4 किमी.।
3. भोरडा से रातडी (बाड़मेर जिला सीमा तक) 1 किमी.।
4. नोसरा की ढाणी से कालोपादर से बाला 4 किमी.।
5. कंवला से सुगालियो से वलदरा 4 किमी.।

(श्री छगनसिंह)

6. जोडा से पादरली 6 किमी.।

7. मादाभाखरी से मंडला 3-4 किमी.।

8. बिबलसर से देलदरी 6 किमी.।

9. डुडसी से आडवाडा 3 किमी.।

अत: आपसे निवेदन है कि आम जन को हो रही इस परेशानी को ध्यान में रखकर इन सड़कों को बनाने की कृपा कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

भोपालगढ़ के श्री परसराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय में पर्याप्त संसाधनों का अभाव

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं।

भोपालगढ़ कस्बे के श्री परसराम मदेरणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपालगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र राजकीय बी.एड. कालेज को खुले महज 5 वर्ष होने पर ही बन्द होने के कगार पर है। इस कालेज के बी.एड. संकाय को लेकर केन्द्र सरकार के एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट, 1993 के तहत सेक्शन 17 का शो कॉज नोटिस भेजा है। 12 दिसम्बर, 2018 को जारी नोटिस का जवाब 30 दिनों में मांगा गया। इससे पहले 27 जून, 2018 को एक और नोटिस दिया गया था। अब नोटिस माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के तहत देते हुए एनसी.टी.ई. ने साफ तौर पर कहा है कि महाविद्यालय में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो बी.एड. कालेज को बंद कर दिया जाए। इससे कालेज प्रशासन/स्टाफ एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों में असमंजस एवं भय की स्थिति बन गयी है। ऐसी स्थिति में अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि कालेज के सुचारु संचालन हेतु प्रयास कर रहे हैं और विद्यार्थी आंदोलन की राह पकड़ने एवं न्यायालय की शरण लेने को मजबूर हो गये हैं। यह कालेज 2015-16 से 100 सीटों के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर भावी शिक्षक तैयार हुए हैं।

उक्त बी.एड. कालेज में मानदंडानुसार पर्याप्त भवन है। 16

(श्री पुखराज)

व्याख्याताओं की जरूरत है, जिनके स्थान पर मात्र 5 कार्यरत हैं। बी.एड. संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष डा. अनारसिंह जी द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर एन.सी.टी.ई. को भेजा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई स्वीकृति नहीं मिल पायी है। कालेज प्रशासन द्वारा बार-बार पत्र व्यवहार के उपरांत भी आयुक्तालय द्वारा संविदा या प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याताओं को लगाने की अनुमति आज तक प्राप्त नहीं हो पायी है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। एन.सी.टी.ई. और आयुक्तालय द्वारा जानबूझकर परेशानी पैदा की जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बी.एड. कालेज, भोपालगढ़ में सरकारी स्तर से देय सभी भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय जनता के लिए महत्वपूर्ण इस संस्था के सुचारु रूप से संचालन करने हेतु सम्बन्धित विभागाधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर कॉलेज को बंद होने को रोककर युवाओं एवं अभिभावकों को न्याय प्रदान कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा, जहाजपुर।

जहाजपुर के विद्यालयों में खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर अतिक्रमण

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा के अन्तर्गत पंचायत समिति कोटड़ी की ग्राम पंचायत कोटड़ी में आराजी संख्या 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4 में 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आबंटन राजकीय विद्यालय के खेल मैदान के नाम से पूर्व में किया जा चुका है, जिसके अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटड़ी को 15 बीघा 15 बिस्वा; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अहीर मोहल्ला को 5 बीघा; शरबती गाडोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को 5 बीघा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेहरू नगर, कोटड़ी को 5 बीघा का आबंटन हुआ है। उक्त आबंटित भूमि पर क्षेत्रीय अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया जाकर उक्त विद्यालय के खेल मैदान के स्वरूप को छिन्न-भिन्न करते हुए विद्यार्थियों के समक्ष खेल मैदान

(श्री गोपी चन्द मीणा)

के नाम पर एक छोटा-सा भूखण्ड रख छोड़ा है। इसके परिणामस्वरूप उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अध्यापकों एवं विद्यालय प्रशासन के समक्ष खेलकूद से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्राम पंचायत कोटड़ी एवं पंचायत समिति कोटड़ी द्वारा भी पूर्व में कई बार प्रयास किया जा चुका है, किन्तु स्थिति वर्तमान में भी जस की तस है।

'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क' निवास करता है। इस अवधारणा को फलीभूत करने के क्रम में मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त विद्यालयों को खेल मैदान के रूप में आबंटित भूमि पर से अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का श्रम कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर पैरीफेरी क्षेत्र की यू.आई.टी. खाते में दर्ज भूमि से उत्पन्न समस्याएं

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा निवेदन है कि यू.आई.टी. पैरीफेरी क्षेत्र उदयपुर जिले के 132 गांवों में वर्षों से बसे किसानों व आम जनता, सर्वसमाज के लोग वहां पर निवास करते हैं, जिसमें जनजाति परिवारों को प्रधान मंत्री आवास भी मिले हुए हैं मगर आज तक एक भी प्रधान मंत्री आवास नहीं बन पाया है क्योंकि बिलानाम जमीन सारी की सारी यू.आई.टी. के खाते में चढ़ गयी है। इसलिए यू.आई.टी. जब तक परमिशन नहीं देती, तब तक वह गरीब परिवार मकान नहीं बना सकता। मेरी मांग है कि पूर्व में सरकार द्वारा घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि पट्टे जल्द ही उपलब्ध करवा दिये जाएंगे। मगर आज तक इन गांवों में न कोई सरकारी भवन बना है, यहां तक कि पैरीफेरी एरिया में पंचायत का भवन भी नहीं बन पाया है। यू.आई.टी. के खाते की जमीन में पंचायत द्वारा कोई भी विकास नहीं करा सकते, क्योंकि यू.आई.टी. परमिशन नहीं देती, जबकि गांव में 80 परसेंट लोग यू.आई.टी. की जमीन में बसे हुए हैं। जब यूआई.टी. आयी, उससे पहले आम जनता बिलानाम जमीन में ही निवास कर रही थी। जब यह जमीन यू.आई.टी. के खाते चढ़ी, एक ही आदेश में पूरे के पूरे 132 गांव की सारी जमीन यू.आई.टी. के खाते में चली गयी। मैं मेरे विधायक फंड का पैसा

(श्री फूल सिंह मीणा)

भी इसमें विकास कार्य के लिए खर्च नहीं कर पा रहा हूं। पूर्व में पंचायत के नाम पर आबादी जमीन थी, वह भी यू.आई.टी. द्वारा अवाप्त कर ली गयी है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस मांग पर अतिशीघ्र ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही का निर्देश देते हुए वहां रह रहे आम जन को राहत प्रदान करने की कृपा कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

भुला ग्राम (सिरोही) में शहीद स्मारक निर्माण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदया राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के द्वारा सिरोही जिले के ग्राम भुला में शहीद स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के भुला गांव में लीलूडी बडली की तलाई में अंग्रेजों व राजशाही राज द्वारा थोपे गए लगान के विरोध में संघर्ष करते हुए 5 मई, 1922 को सैकड़ों आदिवासियों ने बलिदान किया था। महिलाएं, बच्चे व युवाओं सहित 800 आदिवासी शहीद हुए व सैकड़ों घायल हुए। श्री मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यह विरोध राजस्थान से लेकर गुजरात तक हुआ। यहां की मिट्टी कलश में भरकर 1989 में दिल्ली तक भेजी गयी, लेकिन शहीदों की स्मृति में कुछ नहीं हुआ।

मुख्य मंत्री के रूप में माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने 2013 में स्वयं लीलूडी बडली आकर 3.25 करोड़ रुपये के शहीद स्मारक का शिलान्यास किया लेकिन दलित एवं आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में इसे निरस्त कर दिया। अब फिर से जैसलमेर में आदिवासी दिवस के आयोजन पर होटल सूर्यगढ़ में जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया जी को निर्देश प्रदान किये जाने पर उन्होंने चारदीवारी निर्माण के लिए लीलूडी बडली में 2020 में 50 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से बजट 2021-22 में इस शहीद स्मारक की पुन: स्वीकृति के लिए विनती करता हूं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा ले सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

बाड़मेर की तहसील चौहटन के गांवों में पेयजल समस्या

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बाड़मेर की तहसील चौहटन, रामसर, गडरा रोड में नर्मदा नहर के प्रोजेक्ट से गांव में पीने के पानी के सम्बन्ध में जलदाय विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आठ साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, तब नर्मदा नहर से चौहटन के रामसर गडरा रोड के तहसीलों में पीने के पानी के लिए 601 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था, जिसको आज आठ साल हो चुके हैं, मगर अफसोस है कि आज तक एक भी गांव में पीने का पानी नहीं गया। एक साल पहले हमने ध्यानाकर्षित किया था, परन्तु उस पर कोई अमल नहीं हुआ। शिव क्षेत्र में बाड़मेर ज़िले के जलदाय विभाग के रायजयखण्ड जो पूरा रेगिस्तानी खण्ड है, इसमें जे.ईएन. व ए.ईएन. के सारे पद खाली पड़े हैं, इतने खाली पद रहने से जलदाय विभाग की सारी योजनाएं असफल हो रही हैं।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर जलदाय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के संत नागरीदास पैनोरमा में आवागमन हेतु झील के ऊपर पुलिया निर्माण

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ कस्बे में स्थित संत नागरीदास पैनोरमा में आवागमन हेतु झील के ऊपर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि किशनगढ़ शहर में पिछली सरकार के कार्यकाल में शहर की ऐतिहासिक गुन्दोलाव झील के मध्य में स्थित मोखम विलास में संत नागरीदास पैनोरमा का करोड़ों रुपये की लागत से निर्माण कराया गया था, जिससे किशनगढ़ के ऐतिहासिक महत्व का पूरे विश्व में पता चले और किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध मार्बल मण्डी में आने वाले अथवा पुष्कर और अजमेर आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी यह स्थान आकर्षित कर सके। बड़े खेद के साथ आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पैनोरमा तो बन गया, परन्तु विगत तीन वर्षों से उसकी देखरेख नहीं हो रही है, जिसका मुख्य कारण उसमें आने जाने हेतु झील के ऊपर पूर्व में निर्मित पुलिया का पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होना है। मैंने पूर्व में भी

(श्री सुरेश टाक)

दोनों बजट सत्रों में इस क्षतिग्रस्त पुलिया के नवनिर्माण हेतु सरकार को निवेदन किया था, परन्तु अभी तक इस पुलिया के निर्माण हेतु काई कार्यवाही नहीं हुई है। पूर्व में इस पुलिया का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने के लिए सरकार द्वारा 3 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट भी आबंटित किया गया था, परन्तु यह राशि कम होने से किसी भी संवेदक द्वारा इस टेंडर के प्रति रूचि नहीं दिखाते हुए टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य में अधिक राशि व्यय होने सम्बन्धी पत्र भी सरकार को लिखा गया है।

मान्यवर, वर्तमान में इस पुलिया से आवागमन विभाग द्वारा रोक दिया गया है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से पुलिया पर जाते हुए दो लोगों की अकाल मृत्यु हो गयी थी।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस पुलिया के लिए आवश्यक राशि शीघ्र ही स्वीकृत कराएं, जिससे इसका निर्माण हो सके, ताकि करोड़ों रुपये की लागत से जो पैनोरमा बनाया गया है, उसका उपयोग हो सके और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

नगरपालिका क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि देशभर में मनरेगा के तहत सभी ग्राम पंचायतों में सभी वर्गों के गरीब तबके के लोगों को रोजगार गारंटी के तहत रोजगार दिया जा रहा है। मगर बड़े ही दु:ख की बात है कि शहरी क्षेत्रों जहां नगरपालिकाएं हैं वहां नरेगा योजना नहीं चलाई जा रही हैं। क्या शहरों में गरीब तबके के लोग नहीं रहते हैं? जब प्रदेश के सभी गरीबों को रोजगार देना है तो शहरी क्षेत्र यानी नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले गरीब व मजदूर तबक़े के लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है? जबकि मेरा ऐसा मानना है कि शहर के गरीब व मजदूर तबक़े के लोग गांवों से ज्यादा दु:खी हैं, क्योंकि शहर के लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई भी सुविधा या किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती है। इस वजह से शहरी क्षेत्र के गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों का औने-पौने दामों की मजदूरी करने के लिए मजबूर

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

होना पड़ता है और वे अपने परिवार का पालन पोषण भी आराम से नहीं कर पाते हैं।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश की सभी नगरपालिका क्षेत्रों में सर्वे करवाकर गरीब व मजदूर तबक़े के लोगों का वार्डवाइज सर्वे कराकर चिह्नित कराएं और शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा के जॉब कार्ड बनवाये जाएं और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी का लाभ दिलवाया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल सके और वे अपने परिवार व बच्चों का लालन पालन बड़े सम्मान के साथ कर सकें। सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र के गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों की इस विशेष मांग को आप स्वीकार करके प्रदेश की सभी नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व मजदूर वर्ग को राहत प्रदेश करने की कृपा करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना।

परवन बांध सिंचाई परियोजना के नजदीकी ग्रामों का बूंद-बूंद सिंचाई योजना में शुमार

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, परवन बांध सिंचाई परियोजना के नजदीकी ग्रामों को बूंद-बूंद सिंचाई योजना में सम्मिलित कर ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु नियम 295 के तहत निवेदन है कि वृहद सिंचाई परियोजना परवन बांध के सर्वाधिक नजदीक बसे हुए बारां ज़िले की छीपाबडौद तहसील के ग्रामों गुन्दलाई, गडारी, रारंगखेडा, बिन्दाराड़ा, रमपुरिया, फलिया, कांकड़दा, झरनियां, मोखमपुरा, जयनगर, सिंजिनिया, पचकुई, कोहड़ी, ढोलम, रांई, रावां, खेडी, करनाल, खेड़ला, अमलावदा, आली आदि 25 ग्रामों का भूमिगत जलस्तर बांध निर्माण के पूर्व ऊपर ही था, किन्तु दोनों नहरों को 90 फीट के करीब गहराई से टनलों के द्वारा निकाल दिये जाने से भूमिगत जल सतह खतम हो गयी है और किसानों की कृषि भूमि में उपज समाप्त होती जा रही है एवं भूमि बंजर हो रही है। राज्य सरकार की नीति अनुसार फव्वारा पद्धति तथा बूंद-बूंद सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उक्त ग्रामों का भी बांध सीमा के नजदीक होने से बूंद-बूंद सिंचाई के जरिए कृषि भूमि की सिंचाई का प्रथम अधिकार बनता है, ताकि पानी की बचत होने के साथ अधिक उपज प्राप्त हो सके।

(श्री रामनारायण मीना)

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि बांध के समीप स्थित उपरोक्त वर्णित 25 ग्रामों के किसानों की कृषि भूमि को बूंदबूंद सिंचाई/फव्वारा सिंचाई से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचना। श्री शाले मोहम्मद।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं।

एफ.20(1)डीएमएडब्ल्यू/डब्ल्यूबी/2014 दिनांक 06.10.2020 जिसके द्वारा राजस्थान वक्फ अधिकरण नियम, 2020 विरचित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार 12 वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19)

1. मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19;

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-28 की उप धारा 2 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान नगरीय पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

3. कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 75वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 75वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2019-20)

7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20;

जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

8. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा-60 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अजमेर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2019-20)

9. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा-60 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2019-20;

राजस्थान आवासन मण्डल के अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2019-20)

10. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 के अध्याय-4 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2019-20;

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

11. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

12. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, 13 वार्षिक प्रतिवेदन, कब-कब के हैं हमें मालूम पड़ जाए। एक बात कहकर कि 13 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं, सदन जानना चाहता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिस्ट आफ बिजनस में यह है, पार्लियामेंट में प्रैक्ट्रिस यही है। श्री लालचन्द कटारिया।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार 6 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

1. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

(श्रीमती ममता भूपेश)

अधिनियम, 1987 की धारा-32 (4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020)

2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

3. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020)

4. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020;

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020)

5. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020;

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार 2 वार्षिक प्रतिवेदन एवं संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री शाले मोहम्मद)

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 2019-20)

1. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20;

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 2019-20) एवं संपरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19)

2. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-14 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 एवं संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19.

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: डा. सुभाष गर्ग।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

1. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; एवं

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020)

2. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020.

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2019-20)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री जे.पी. चन्देलिया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश वेलफेयर स्टेट के रूप में संचालित होने के लिए संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के प्रिएम्बल में यह अंकित किया था। वेलफेयर स्टेट का मतलब विस्तृत रूप में कुछ भी हो, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं निवेदन करता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियों का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं, अपितु सम्पूर्ण जनता के हितों के लिए किया जाता है।

कल पार्लियामेंट में माननीय श्री राहुल गांधीजी ने जो कंसेप्ट केन्द्र सरकार के बारे में बताया, हम दो और हमारे दो, वह यह जो परिभाषा मैंने लोक कल्याणकारी राज्य की दी है, उससे मैं रिलेट करता हूं। खाली 'दो' के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जनता के लिए योजनाएं बननी चाहिए और उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। नवाचारों के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने नये-नये आयाम कायम किये और महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर हमारा राज्य संचालित हो रहा है। कल्याणकारी राज्य की जो भावना है उसके अनुसार ही हमारे राज्य में योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन हो रहा है।

एक बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान राज्य, जहां किसानों के लिए योजनाएं बहुत अच्छी-अच्छी बना रहा है, देश भी बना रहा था, लेकिन यहां यह कहना समीचीन होगा कि लगभग दो सौ किसान, जो वहां शहीद हुए

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

दिल्ली की सीमा पर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधीजी ने जो बात कही और श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात पर भी अगर पार्लियामेंट में शोर शराबा होता है तो शोर शराबा करने के लिए मैं सोचता हूं कि शर्म की बात है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हमारे यहां की गयी है। न केवल केन्द्र सरकार, बल्कि राज्य सरकार भी इस बात पर विश्वास करती है कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि योजना इस तरह बने, देश की भी और राज्य की भी, कि वह आत्मनिर्भर भारत की ओर जाए, आत्मनिर्भर राज्य की ओर जाए। आत्मनिर्भरता किसी व्यक्ति विशेष पर या कुछ एक-दो घरानों पर, कुछ दस-बीस घरानों पर हमारे देश में नहीं हो जाए। जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से केन्द्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, वे मेरे विचार से इस तरह चल रही हैं जैसे केन्द्र अम्बानी और अडाणी पर आत्मनिर्भर होने जा रहा है। यह बात बिलकुल गलत है। आत्मनिर्भरता हमारी सभी योजनाओं के माध्यम से इस तरह होनी चाहिए कि हम अपने नैचुरल रिसोर्सेज से, हमारे अपने क्रियेटेड रिसोर्सेज से और हमारी योजनाओं के माध्यम से और हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से, हमारी खुद की अर्निंग से और जो हमारे देश की ग्रोस इन्कम है, उसके माध्यम से हमारा देश इस तरह से एक अच्छे देश के रूप में विकसित हो कि हम अपने रिसोर्सेज से अपने काम चला सकें और किसी अन्य देश पर हमको निर्भर नहीं होना पड़े।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने 10 तारीख को जो अभिभाषण इस सदन में पढ़ा, बहुत शानदार डाकूमेंट था और वास्तव में राजस्थान सरकार का जो एक साल का लेखा-जोखा था, कार्य के संचालन की जो रूपरेखा थी, रूपरेखा क्या, उसका क्रियान्वयन था, वह बहुत सही था और उसमें कोई भी ऐसी बात अंकित नहीं की गयी थी जो कि वास्तविकता से परे हो।

जिस संकट से हम पिछले साल निकले हैं, यह कोरोनाकाल महामारी का जो काल था उसमें राज्य को लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद इनकम के कोई सोर्स नहीं होने के बावजूद और जो सरकार की रेवेन्यू है, वह लगभग 30 परसेंट रहने के बावजूद भी राज्य को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी तरह से चलाया और कोरोना महामारी

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

का बहुत भली प्रकार से सामना किया। इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है। हमारे मुख्य मंत्री के डायनामिक लीडरशिप में जो कार्य किया गया, वास्तव में वे बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

कोरोना महामारी में जो RT-PCR जांच की गयी, वह सभी के लिए नि:शुल्क की गयी, इस बात के लिए हम सभी माननीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को और राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं। RT-PCR ही क्यों, सभी जांचें, लगभग 90 जांचें हैं जो नि:शुल्क की गयी हैं और खाली यहां राजधानी में ही नहीं, बल्कि लगभग सभी जिलों में उन जांचों की व्यवस्थाएं की गयी हैं, जिससे कि कोरोना महामारी के इस संकटकाल में सभी आम आदमी, कोई भी आदमी, जिसके पास चाहे साधन हो चाहे नहीं हो, वह सारी जांचें कराकर अपना उपचार करा सके, पता लगे कि उसके वास्तव में क्या बीमारी है। जांच से पता लगे कि उसके शरीर में क्या व्याधि है और उससे वह आगे अपना इलाज करा सके।

(13.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

राज्य सरकार ने 43,000 प्लस आइसोलेटेड बैड्स क्रिएट किये, बनाये, उनकी व्यवस्था की और 3,170 आई.सी.यू. के बैड्स और पी.पी.ई. किट्स की व्यवस्था की, जिससे कि हमारे यहां के नागरिकों को जो कोरोना महामारी से जूझना पड़ रहा था, उसका हम अच्छी तरह सामना कर सके। 140 डैडिकेटेड हास्पिटल्स, कोरोना की जो महामारी आई, उसके लिए ऐसी स्थिति हो गयी कि सभी हास्पिटल्स में अगर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता था तो निश्चित रूप से वह बीमारी फैलने की ज्यादा सम्भावना थी। इसके लिए 143 डैडिकेटेड हास्पिटल्स और सब-सेंटर्स की स्थापना की गयी। इसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

40 हजार का इंजेक्शन, 40 हजार आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत भारी कीमत होती है। 40 हजार का नि:शुल्क इंजेक्शन सभी को लगाने के लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अलाउ किया। 40 हजार का जो इंजेक्शन आता है, वह सभी लोगों के लिए नि:शुल्क किया गया, इसके लिए भी राज्य सरकार का जो कदम है, वह बहुत सराहनीय माना जायेगा। चेस्ट इंफेक्शन और सी.टी. स्कैन की जो जांच थी, जो सभी हास्पिटल्स में राज्य सरकार के द्वारा नि:शुल्क की गयी। आम

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

आदमी को, जिसके पास कोई साधन नहीं था, वह भी अपने चेस्ट के इंफेक्शन की जांच नि:शुल्क करा सकता था। इसी प्रकार से अन्य जो जांचें हैं, वे सारी करा सकता था।

प्लाज्मा थैरेपी में राजस्थान राज्य एक अग्रणी राज्य के रूप में देश में सामने आया है और सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरपी में नाम भी कमाया है और इलाज भी किया गया है। अशोक गहलोत मॉडल और राजस्थान मॉडल के रूप में एक प्रसिद्धि इस राजस्थान राज्य ने पाई। वह एक अच्छे मैनेजमेंट के कारण से हो पाई और एक इस प्रकार से व्यवस्था जो की गयी, इफेक्टिव मैनेजमेंट किया गया, प्रभावी व्यवस्था की गयी, उसके कारण से यह हुआ। जो मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना थी, मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना थी, 90 जांचें जो नि:शुल्क घोषित की गयी थीं और जिनका धरती पर क्रियान्वयन किया जा रहा था। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 30 जनवरी, 2021 को जो हमारे राज्य में लागू की गयी, उस योजना के लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को इस सदन के द्वारा बधाई दी जानी चाहिए। इसमें 3 लाख 20 हजार के बजाय 5 लाख का कवरेज किया गया, वह भी एक बहुत अच्छी बात है। चूंकि कोरोनाकाल में चिकित्सकों की और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी नजर आ रही थी और राज्य में ऐसी स्थिति आ गयी थी कि हमारा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वास्तव में कम है, इसलिये 2,727 डाक्टर्स और 11 हजार नर्सिंग स्टाफ की जो भर्ती की गयी, वह एक बहुत बड़े सहायक फैक्टर के रूप में सामने आई और इस चैलेंज का, जो कोरोना महामारी के रूप में हमारे सामने आया था, हम सामना कर सके।

निरोगी राजस्थान अभियान का संचालन करके 80 हजार स्वास्थ्य मित्रों को राजस्थान में ट्रेंड किया गया और इतना ही नहीं, यह एलोपैथी की बात ही नहीं कह रहा बल्कि मैं यह भी कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके लिए भी राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया गया और कुल मिलाकर यह कहना है कि जो संकटकाल हमारा पिछले वर्ष राजस्थान के सामने आया, राजस्थान के सामने ही क्या, वह तो एक वैश्विक बीमारी थी लेकिन फिर भी अपने राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं कि उसका मुकाबला राज्य सरकार ने बहुत भली प्रकार से किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसका वर्णन

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

बहुत अच्छी तरह से अपने अभिभाषण में किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अभिभाषण में जो बातें लिखी गयी हैं वह बातें अक्षरशः सही थीं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में कृषि और किसान के बारे में जो बातें कहीं हैं, वे बहुत अच्छी बातें थीं। फसल बीमा योजना के माध्यम से 24 लाख 23 हजार किसानों को 3,973 करोड़ रुपये का बीमा क्लैम का राजस्थान राज्य में भुगतान किया गया। इसी प्रकार से यूरिया और डी.ए.पी. जिनकी सामान्यतया कमी क्षेत्र में नजर आती है, किसानों को दिक्कतें आती हैं, उनकी भी आपूर्ति बढ़ाई गयी।

फव्वारा संयंत्र और बूंद-बूंद सिंचाई योजना और मिनी स्प्रिंकलर की योजना को राजस्थान में और प्रोत्साहन दिया गया, वह किसानों के लिए, कृषि के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात थी।

कृषक कल्याण योजना के अन्तर्गत जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधान मंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है और पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की योजना है, उसके अन्तर्गत 1,830 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां राजस्थान राज्य में जारी की गयीं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में पिछले अभिभाषण में, पिछले बजट में चर्चा आई थी, उसी के अन्तर्गत 179 परियोजनाओं को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को राजस्थान राज्य में एप्रूव्ड किया गया और उनका कार्य चालू हुआ।

इसी विधान सभा में राजस्थान सरकार ने 5 हैक्टेयर तक की भूमि को कुर्की से मुक्त करने का जो कानून बनाया, वह निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए एक बहुत अच्छी रिलीफ की बात थी।

इसी प्रकार डार्क जोन, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में डार्क जोन के कारण किसानों को पानी की दिक्कत आ रही थी, कुएं खोदने में जो अड़चन आ रही थी और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स अथोरिटीज से जो एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं हो रही थी, उसको अभी फिलहाल कुछ महीने पहले ही डिलीट किया गया तो उससे जो भी किसान अपना पानी का सोर्स डवलप करना चाहे, वह अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी का आग्मेंटेशन करना चाहे तो उसके लिए भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अल्पकालीन ऋण राजस्थान में दिया गया, 244 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण दिया गया और 108 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण किसानों को दिया गया, वह एक एग्जेम्प्लरी काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निर्बाध रूप से एफ.आई.आर. दर्ज करने का जो काम राजस्थान में हुआ है, यह बहुत सराहनीय काम है। पहले यह होता था कि पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता था और वह गिड़गिड़ाता रहता था लेकिन एफ.आई.आर. लॉज करने में थाने का जो कर्मचारी है, थाने का इंचार्ज है, वह कई बार आनाकानी करता था और वह अपराध वहीं पर दफन हो जाता था, जनता के सामने नहीं आता था और उसको न्याय नहीं मिल पाता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने यह जो निर्बाध एफ.आई.आर. का काम किया है कि एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दर्ज करनी पड़ेगी, यह एक बहुत बड़ा काम है। चाहे संख्या एफ.आई.आर. की बढ़ रही हो लेकिन वास्तव में लोगों को न्याय मिल रहा है और अपराध पर निश्चित रूप से नियंत्रण हो रहा है। अपराधी को अब यह पता लग गया है कि कोई भी अपराध वह करेगा तो उसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा, वह जेल में भी जाएगा और उसको सज़ा भी माननीय न्यायालयों के द्वारा मिल सकती है।

महिलाओं पर जो अपराध घटित हो रहे थे, उसके लिए राजस्थान में महिला अपराध अनुसंधान इकाइयां स्थापित कर दी गयी हैं तथा विशेष जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो और राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से जोर देकर ये इकाइयां स्थापित की गयी हैं।

30 हजार पुलिस मित्र बनाये गये हैं, ताकि पुलिस को सही समय पर सही खबर मिल सके। जो पुलिस मित्र हैं, वे अपने-अपने बीट्स के जो कांस्टेबल्स हैं या पुलिस के दूसरे जो अधिकारी हैं, उनको सही सूचना समय पर दे सकें। यह हुई एफ.आई.आर की और अपराध जगत की बात।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं विद्युत की बात करूं तो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना बनाई गयी है जो कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसी प्रकार अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान में बहुत सराहनीय काम किया गया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने ऊर्जा के इन क्षेत्रों में जो सराहनीय कार्य राजस्थान में हुआ है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है जो कि एक वास्तविकता है।

राजस्थान में 400 के.वी. का एक, 200 के.वी. के तीन और 132 के.वी. के 19 जी.एस.एस. बनाये गये हैं और 33 के.वी. के 387 जो सब स्टेशंस स्थापित किये गये हैं, वह भी अपने आप में, जो गत वर्षों की परफोरमेंस थी, कई सालों की, उसमें यह जो साल है, यह एक बहुत अच्छा साल रहा है।

01 अप्रैल, 2023 तक पूरे राज्य में किसान को अपनी खेती बाड़ी की सिंचाई करने के लिए दिन में बिजली दी जाएगी, यह एक बहुत बड़ा संकल्प राजस्थान सरकार ने लिया है। होता यह था कि चाहे भयंकर से भयंकर सर्दी पड़ती हो, पानी में खड़ा होकर रात को जाग-जागकर किसान को अपने खेत को सींचना पड़ता था, क्योंकि बिजली कभी रात को दो बजे, कभी रात को बारह बजे, कभी रात को तीन बजे, इस तरह से आती थी लेकिन यह संकल्प राजस्थान सरकार ने लिया है, मैं यह उम्मीद करता हूं इस संकल्प को अगर हम पूरा करेंगे तो किसान को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी।

स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान में पावर सेक्टर में लागू कर दिया गया है जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगा।

अब रही बात रोजगार के क्षेत्र की तो 31 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए 25 अप्रैल, 2021 को हमारे यहां पर रीट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 31 हजार शिक्षकों का मतलब यह हुआ कि एक बहुत बड़ा बेरोजगार वर्ग जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। कम से कम 31 हजार टीचर्स की जो नौकरी लगेगी तो 31 हजार का मतलब यह हुआ कि 31 हजार परिवारों को अपना एक रोजगार का अवसर मिलेगा।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, होता यह था कि पब्लिक स्कूल्स का जो कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी यह हमेशा सोचता

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

था कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना की है और 168 ब्लाक्स में यह स्थापना हो चुकी है। अंडरलाइन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो महात्मा गांधी विद्यालय बड़ी सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

इसी प्रकार 38 नये कालेज स्थापित किये हैं। वैसे दो साल में 88 कालेज राजस्थान सरकार ने नए स्थापित किये हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गत वर्ष भी 38 कालेज जो नए स्थापित किये गये हैं, मैं यह अंडरलाइन करना चाहूंगा और यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी चिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय राज्य सरकार ने खोला है। वह न केवल चालू हो गया है बल्कि बहुत सफलतापूर्वक भारी संख्या में छात्र छात्राएं उसमें एडमिशन लेकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य राज्य सरकार ने किया, इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है।

माननीय सभापति महोदय, 15 अक्टूबर, 1955 को राजस्थान में राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 लागू हुआ था और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा स्टेप लेते हुए हमारे यहां पर यह निर्णय लिया गया है कि 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह किसानों के लिए भी ठीक होगा, रेवेन्यू मशीनरी के लिए भी ठीक होगा और लेजिस्लेचर के क्षेत्र में भी एक अच्छा कदम माना जाएगा।

265 तहसीलों को ऑनलाइन कर दिया गया है और घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपनी तहसील के सम्बन्ध में सूचना चाहे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सूचना चाहे, रेवेन्यू रिकार्ड के रूप में सूचना चाहे तो वह घर बैठे सूचना प्राप्त कर सकता है। ई-मित्र, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई-हस्ताक्षरित जमाबंदी, गिरदावरी, नामांतरण आदि जो डाकूमेंटेशन का कार्य है, वह आसानी से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बहुत ही मामूली सी फीस है, वह जाकर अपना कोई भी डाकूमेंट चाहे तो प्राप्त कर सकता है। पहले इसके लिए चक्कर काटने पड़ते थे, वह चक्कर काटने की किसान को जरूरत नहीं पड़ेगी। भूमि जो काश्त करता है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। कई

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

बार क्या होता है कि फैमिली के इंटरेस्ट में या अपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण से एक व्यक्ति दूसरे के हित में अपना हक त्याग करता है और हक त्याग करने का उसमें कोई एक बहुत बड़ा लोभ नहीं होता है। कोई वास्तविक ट्रांसफर नहीं होता, जिसके पास जमीन है या प्रोपर्टी है, उसके पास ही रहता है। राज्य सरकार ने इस बात को विचार करके हक-त्याग पर स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है। यह बहुत अच्छी बात है जिससे लिटिगेशन कम होंगे और रिकार्ड का सही दुरुस्तीकरण होगा। कई बार बहिनें अपने भाई के हक में त्याग करती हैं तो उसमें एक नेचुरल लव एण्ड अफेक्शन है। पहले हक -त्याग करने पर शुल्क लगता था, स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, वह स्टाम्प ड्यूटी अब समाप्त कर दी गयी है।

एक बहुत अच्छा काम इस संदर्भ में और किया गया है, जो रूपान्तरण शुल्क लगता था, उसके कारण से यह समाज सुधार के कार्य नहीं हो पाते थे, हिचक आती थी, पैसा भी ज्यादा लगता था, इसलिए राज्य सरकार ने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाती हैं या वृद्धाश्रम बनाये जाते हैं या अनाथालय बनाये जाते हैं या कुष्ठ रोग के केन्द्र बनाये जाते हैं या विशेष योग्यजन के लिए कोई योजना चालू की जाती है या बालगृह या कन्या आश्रम बनाये जाते हैं, उनमें जो रूपान्तरण शुल्क है, वह समाप्त कर दिया गया है।

गौशालाओं के लिए और गौ-संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी योजना राजस्थान में लागू की है। यह बहुत ही सराहनीय बात है, 571 पशु चिकित्सा केन्द्र खोलना मेरे विचार से एक ऐतिहासिक कार्य है, 571 पशु चिकित्सा केन्द्र राजस्थान में खोले गये हैं, यह भी एक उल्लेखनीय बात है।

गत दो वर्षों में 81,893 युवाओं को रोजगार दिया गया है और 50,865 पदों के लिए अभी भर्ती प्रक्रिया चालू है। इस प्रकार जो जो घोषणा हमने पिछले बजट में की थी, उसी परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक कदम के साथ, अच्छे संकल्प के साथ में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। इससे 81,893 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। 50,865 जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उससे उन 50,865 परिवारों को, उन युवाओं को और लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गयी है और 'वन नेशन वन कार्ड' के कंसेप्ट के अन्तर्गत 95 प्रतिशत काम

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

पूरा हो चुका है। राजस्थान जन आधार और जन कल्याण पोर्टल हमारे यहां चालू हो चुका है। जगह-जगह पर नये उद्योग स्थापित हुए हैं और जो पुराने उद्योग थे, सिकनैस थी, उनको डवलप किया गया है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना है, उसके अन्तर्गत स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की गयी है और वन स्टाप शाप के अन्तर्गत बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट व राजविलास पोर्टल की स्थापना की गयी है और मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का भी एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है।

बाड़मेर रिफाइनरी योजना का जो कार्य है, वह बहुत द्रुत गति से चल रहा है। इससे राजस्थान राज्य का काफी विकास होगा और इससे राजस्थान राज्य को आर्थिक लाभ मिलेगा, जिसका अन्ततोगत्वा हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन में फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के जो बिन्दु हैं, मैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत 83 लाख 85 हजार पेंशनर्स प्रति माह हमारे राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इन पेंशनधारियों के अलावा भी बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. अन्त्योदयी, निराश्रित, असहाय लोगों को और स्ट्रीट वेंडर्स को 3 हजार 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 1155 करोड़ रुपये का वितरण, यह जो कोरोना महामारी थी, उस पीरियड में राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जो हमारे कल्याणकारी राज्य की भावना है, उसको पोषित करता है।

सिलिकोसिस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना बनायी गयी है और एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति के छात्र-छात्राओं को तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। राज्य के कुल 3,260 जो पंजीकृत मदरसे हैं, उनके माध्यम से भी हमारे 01 लाख 92 हजार छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहरिया, खेरवा, कथोड़ी आदि जातियों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं राजस्थान राज्य में क्रियान्वित हो रही हैं। कुसुम योजना, समेकित बाल विकास परियोजना, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती और धात्री महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, राजस्थान

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

में बहुत अच्छी तरह चल रही हैं। उसकी सराहना भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की है, जो वास्तविकता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण और शहरी विकास परियोजनाएं, जो महामहिम ने अपने अभिभाषण में अंडरलाइन की हैं, उनके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जो योजनाएं हैं, वह अच्छी तरह से संचालित हो रही हैं। उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा अभिभाषण के माध्यम से महामहिम ने की है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से हमारे राज्य में लगभग 34 करोड़ मानव दिवस की संरचना की जा चुकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बेरोजगार युवक थे, उनको रोजगार मिला है और हमारी अपनी असेट्स का भी क्रिएशन हुआ है। 'एक गांव एक काम' योजना के अन्तर्गत चरागाह विकास, तालाब, श्मशान और कब्रिस्तान तथा खेल के मैदान विकसित किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 42 हजार 468 काम स्वीकृत किये गये, जिनमें 11 हजार 615 काम पूरे हो चुके हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा, समाप्त कर रहा हूं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 01 लाख 84 हजार रोजगारों का सृजन किया गया है और स्वयं सहायता समूह राज्य में और भी बनाये जा रहे हैं। चौदहवें और पन्द्रहवें वित्त आयोग और स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो आय प्राप्त हो रही है, उनका राज्य में बहुत अच्छा सदुपयोग किया गया है। यह महामहिम ने अपने अभिभाषण में मेंशन किया है। राजीव गांधी जल संचयी योजना के अन्तर्गत 18 हजार कार्य राजस्थान में स्वीकृत किये गये हैं। स्वच्छ भारत मिशन की योजना को अच्छी तरह लागू किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। 'इंदिरा रसोई योजना' 20 अगस्त, 2020 को लागू की गयी। इसमें 8 रुपये में अच्छा खाना दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उसकी मैं सराहना करना चाहूंगा। इसमें 12 रुपये प्रति थाली की सब्सिडी है और अन्य सुविधाएं भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही हैं।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर शहरों का बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड डवलपमेंट हो रहा है और हमारी हैरिटेज को बचाते हुए जयपुर सिटी में जो अंडरग्राउंड मैट्रो संचालित हुई है, उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज की योजना, उद्यान डवलपमेंट की योजना, हैरिटेज संरक्षण की योजना के 61 कार्य राजस्थान में चालू किये गये हैं। 29 राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को जो आउट आफ टर्न जाकर उच्च पदों पर नियुक्ति की गयी है, वह भी एक बहुत अच्छा काम है। अनेक आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. जो किये गये हैं, वह भी एक बहुत अच्छा काम है। 52 न्यायालयों को अपग्रेड किया गया है या नये न्यायालय बनाये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम का जो अभिभाषण है, वह बिलकुल सत्य अभिभाषण है और राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इस अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात कहता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय सदन में 10 तारीख को पधारे और उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा। जो उन्होंने उनका संवैधानिक दायित्व था, उसका निर्वहन किया। सरकार ने उनको जो अभिभाषण पढ़ने को दिया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था, जो किया गया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए कहा कि हमने आयुष्मान भारत बीमा योजना, महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा, वह लागू की है और केवल वाहवाही लूटने का पूरा यत्न हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम सब लोगों का इलाज फ्री कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, लगभग दो साल पहले भामाशाह योजना बंद कर दी गयी और आयुष्मान भारत बीमा योजना लागू नहीं की गयी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग दो साल तक गरीब लोग बिना इलाज के तड़पते रहे। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, इलाज के अभाव में मर गये। इनका दोषी कौन होगा? जो हजारों लोग बिना इलाज के मर गये, जो तड़पते रहे, उनका दोषी कौन है? मैं आरोप लगाता हूं सरकार के ऊपर कि हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा रहा हूं कि जितने लोग तडप-तड़प इलाज के अभाव में मरे, उनकी हत्या की दोषी यह सरकार है। माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया इस अभिभाषण में कि

(श्री मदन दिलावर)

इस पर 1,749 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इसमें से 1,372 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार का है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो अनुपात है, वह 3 और 2 का रहता है यानी 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। यह अमाउंट लाये कहां से है? महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से क्यों असत्य बात कहलायी गयी? इतनी गलत बात। सभापति महोदय, आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि या तो इस सदन में आओ मत, आते हो तो सच बोलो, सच नहीं बोलते हो तो पाप के भागीदार हो। इसका मतलब यह सरकार हत्या करने की पाप की भागीदार है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इन्होंने कहा कि कानून पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और कोई कानून व्यवस्था में विघ्न डालता है, बिगाड़ता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि यह राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के खून से रंगी हुई है उनकी इतनी हत्याएं इनके राज में हुई हैं, अत्याचारों की पराकाष्ठा है और मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं और अपराध हुए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है, पूरे देश में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने के मामले में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी अनुसूचित जाति की माताओं और बहिनों की इज्जत इस राजस्थान की धरती पर कांग्रेस नहीं करती है, उनके साथ न्याय नहीं करती है, उनको सुरक्षा नहीं देती है। उसके कारण से छोटी-छोटी बच्चियां, अबोध बच्चियां और महिलाएं बलात्कारियों की शिकार हो रही हैं और सरकार बैठे-बैठे हंस रही है, देख रही है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। कई बार उसको अदालत से आदेश लाना पड़ता है, कई बार मुख्य मंत्री के पास जाना पड़ता, कई बार कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, तब जाकर के उनकी एफ.आई.आर. दर्ज होती है।

दलितों के अपहरण के मामले में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूं या क्या कहूं, क्योंकि वे ऐसे कहते रहते हैं कि जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं तो मेरा अधिकार बनता है कि मुझे विपक्ष भी बधाई दे। मैं बधाई तो इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लोगों का,

(श्री मदन दिलावर)

अनुसूचित जाति के लोगों का अपहरण हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं।

महिलाओं के अत्याचार और बलात्कार में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त करता है। राजस्थान में हर 85 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। मैं 2019 की भी चर्चा करूं तो 5,997 बलात्कार की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं माताओं और बहिनों के साथ हुई हैं, लेकिन यह सरकार रोक नहीं लगा पाई है, कई सारे बलात्कारियों को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

माननीय सभापति महोदय, बलात्कार के मामले में राजस्थान की राजधानी पूरे देश में नम्बर वन पर है। यहां लगभग 507 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं अकेले राजस्थान के 12 जिलों में। देश में जितनी बलात्कार की घटनाएं होती हैं उतनी घटनाएं जयपुर, भरतपुर, अजमेर, गंगानगर, अलवर और माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जिले जोधपुर, बीकानेर और बांसवाड़ा में हुई हैं। पूरे देश में जितनी घटनाएं होती हैं न, उतनी घटनाएं यहां हो रही हैं, माननीय सभापति महोदय।

अनुसूचित जाति के लोगों पर मैंने अत्याचार की पराकाष्ठा की चर्चा की है। माननीय सभापति महोदय, अत्याचार के साथ-साथ यह सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति के लोग डाक्टर न बनें, इंजीनियर न बनें, ऊंची पढ़ाई न करें, आगे न बढ़ें, इसलिए उन पर रोक लगाने का पूरा यत्न करती है। पिछली बार जब माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप ही मुख्य मंत्री थे। मुझे याद आता है कि उससे पहले माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत सरकार के समय जब मैं समाज कल्याण मंत्री था, तब हमने एक योजना चालू की थी। योजना यह थी कि जो डाक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं और उच्च संस्थान में कोचिंग लेना चाहते हैं तो उस कोचिंग का पैसा समाज कल्याण विभाग, यानी राजस्थान की सरकार के खजाने से भरा जाएगा। उसके कारण से राजस्थान में हजारों अनुसूचित जाति, जनजाति के डाक्टर्स, इंजीनियर्स बने, अच्छी पढ़ाई कर पाये, आगे बढ़े, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति की दुश्मन सरकार ने उस समय इस योजना को बंद कर दिया और इसके कारण से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि कोरोना काल का नाम लेकर के जिन लोगों ने हायर एजुकेशन में परीक्षा नहीं दी और बिना परीक्षा के पास किये हैं, उन लोगों की छात्रवृत्ति रोकने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन यह कहा जा रहा है कि तुमने परीक्षा तो दी नहीं है, इसलिए हम तुमको छात्रवृत्ति नहीं देंगे। ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। छात्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय करने की इनकी नीयत दिखाई दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ तो यह अन्याय और भी करते हैं। मैंने यहां विधान सभा में मामला उठाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संघ चालक दीपक जी शाह के ऊपर, जो रामगंज मण्डी के हैं, कातिलाना हमला हुआ, तो शाम को ही सरकार ने झेंप मिटाने के लिए क्या किया, मदन दिलावर के खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया। महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरा नाम मदन दिलावर है, मैं डरता नहीं हूं।

श्री सभापति: पहली बार पता चला।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। मैं कहता हूं कि मुझे गिरफ्तार करें, मैं उनका स्वागत करूंगा, पर यह झेंप मिटाने के लिए, ऐसी झेंप मिटाने के लिए। लोग गोलियां चलाएं, लोगों को मारें, एक कातिलाना हमला कराएं और +++ गाड़ी में वे हमला करने वाले लोग घूमते रहें और फिर उस बात की बात हम कहें तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इस तरह के आरोप, असत्य आरोप लगा रहे हैं, यह असत्य बात है।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आपकी डिक्शनरी में सौम्य शब्द भी हैं क्या? कुछ अच्छे शब्द भी हैं क्या आपकी डिक्शनरी में? बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, मैं +++ नाम वापस लेता हूं।

श्री सभापति: किसी का नाम नहीं लेंगे आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कब्जे हैं, अनेक कब्जे हैं, बड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं...

श्री सभापति: सनसनी पैदा मत करो, अपनी बात रखो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, ठीक है साहब।

श्री सभापति: ये तो आपको डिरेल करने के लिए आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये कब्जे न हों, उनको लूटें नहीं, गरीब के साथ अन्याय नहीं हो, इसलिए आपको पता होगा कि भारत के प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेंद्र जी मोदी एक योजना लाए हैं 'स्वामित्व योजना'।

श्री सभापति: ये आपका उत्साह बढ़ाकर गाड़ी को पटरी से नीचे उतारना चाहते हैं, आप अपना संयमित बोलो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां।

श्री सभापति: ये सब पीछे से यूं कर रहे हैं न, उससे आप डिरेल हो रहे हो, आप ट्रैक पर चलो एकदम सीधे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 'स्वामित्व योजना' लाए हैं, 'स्वामित्व योजना' में एक कार्ड दिया जाएगा, उसकी सारी सम्पत्ति की एण्ट्री होगी, वह एक वैधानिक दस्तावेज हो जाएगा तो फिर कोई भी अवैध कब्जाधारी कब्जा नहीं कर पायेगा और कब्जा भी कर रखा होगा तो जिसका नाम उसमें दर्ज होगा वही उसका मालिक होगा। अब हजारों लोगों ने, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, चाहे मैं हूं या आप हों, सबको वंचित होना पड़ेगा। यह है गरीब के कल्याण की योजना, लेकिन कभी कांग्रेस ने सोचा? सोचा ही नहीं। अनेक लोगों ने कब्जा करके और उन लोगों के साथ अन्याय किया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इस भाषण में गौ माता के संवर्धन की बात भी की थी। गौ माता के संवर्धन के लिए राजस्थान की जनता से टैक्स भी लिया गया, शराब पर टैक्स लिया, स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स लिया, पैट्रोल डीजल पर टैक्स लिया। क्या गौ माता का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है? नहीं हो रहा है, बल्कि उस पैसे को डायवर्ट करने के लिए यहां बिल पास करा लिया गया कि उस पैसे को अन्यत्र भी खर्च कर सकते हैं। कहां खर्च करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि गौ माता का संरक्षण करने का इनका जो टारगेट

(श्री मदन दिलावर)

होगा वह पूरा हो गया होगा, पैसा ज्यादा पड़ रहा होगा, इसलिए उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो गाय को काटने वाले लोग थे शायद वे बेरोजगार हो गए होंगे, जो गौकशी करने वाले लोग थे, तस्करी करने वाले लोग थे वे बेरोजगार हो गये होंगे, इसलिए उनको रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार ने बिल पास करवाया, ताकि ऐसे गौ तस्करी करने वालों को, गाय को काटने वालों को रोजगार मिल सके। उनको रोजगार देने का भी एक उपाय इन्होंने ढूंढा है कि गौ माता को कटवाओ और रोजगार दिलाओ। आप तो नन्दी शाला खोल रहे थे न? कहां है नन्दी शाला? कहां चली गयी?

सभापति महोदय, हद हो गयी। अब शराब नीति ला रहे हैं। कुछ भी करें, इस पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार यह तो एनालिसिस कर लो कि शराब से आम जनता को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सरकार को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा दारू पीने से हो रही हैं। इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरी दुर्घटनाएं होती हैं। सारी दुर्घटनाओं में जितना कोर्ट का समय जाया होता है, जितने डाक्टर्स लगते हैं, जितनी पुलिस लगती है, जितना प्रशासन लगता है और जितने लोग मरते हैं, अपाहिज होते हैं, यदि उसका मूल्यांकन किया जाए तो क्या यह लाभ का सौदा है? अगर लाभ का सौदा नहीं है तो हजारों लोगों को क्यों मरवा रहे हो? शराब पीकर के गाड़ियां चलाते हैं, इससे लोग मर रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान का विकास करेंगे इसलिए दा? तो बेचते ही रहेंगे। अब नीलामी और करेंगे। नीलामी करेंगे, कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इससे कई घर उजड़ गये। शराब पीकर बेटे ने बाप की हत्या कर दी है। शराब पीकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। शराब पीकर बाप ने बेटे मार दिये हैं। क्या यह सरकार को दिखाई नहीं देता है कि इसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं? कितने लोगों की जानें जा रही हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शराब के कारण से कई परिवार टूट गये हैं। कई तलाक हो गये हैं। कई घर टूट गये हैं। कई घर उजड़ गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार अपने आपको किसानों की हितैषी कहती है। ये ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। जब डर लगता है

(श्री मदन दिलावर)

तो रास्ते से भाग आते हैं। हम किसानों के हितैषी हैं? यह सरकार किसानों की हितैषी है, जिसने कहा था कि 5 साल तक बिजली का बिल नहीं बढाएंगे। अब उनको लूट रहे हैं। यह सरकार किसानों की हितैषी है, जो दुर्घटना में स्वर्गवासी हो जाते थे तो 10 लाख का बीमा मिलता था, वह बीमा बंद कर दिया है। इन्होंने कहा था कि आप 10 तक गिनती नहीं बोलोगे, वहां तक किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। यह किसानों को रात में बिजली देकर के मारने वाली सरकार है। इस बार सर्दी में ठिठुर करके कम से कम 50 लोग मर गये।

माननीय सभापति महोदय, यह एक टार्गेट बना रहे हैं कि सन् 2023 तक हम सबको बिजली दिन में दे देंगे। रात को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा? इनको आशा है कि 2023 के बाद ये आएंगे? ये आएंगे ही नहीं। यह मुंगेरीलाल के सपने क्यों देख रहे हैं? इनको मुंगेरीलाल के सपने नहीं देखने चाहिए।

यह किसानों की दुश्मन सरकार है। मैं दुश्मन सरकार इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी जो कृषि सुधार कानून लाये हैं, ये उनका विरोध कर रहे हैं। ये क्यों विरोध कर रहे हैं? किसान के चेहरे पर मुस्कान क्यों आनी चाहिए? किसान का बेटा अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ना चाहिए? किसान का बेटा अच्छी गाड़ी में क्यों बैठना चाहिए? अच्छी शिक्षा क्यों लेनी चाहिए? वह तो केवल इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें।

माननीय प्रधान मंत्री जो उनका भला करना चाह रहे हैं, उनको रोकने का षड्यंत्र इस कांग्रेस सरकार का हो रहा है, इसलिए कांग्रेस सरकार किसानों की दुश्मन है। इनके काकाजी का क्या जाता है? वे यही तो कह रहे हैं कि मंडियों में भी माल बेच सकते हो। बाहर भी बेच सकते हो। पैन कार्ड धारक व्यापारी हो सकता है। अगर पैन कार्ड धारक व्यापारी हो जाएंगे तो व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी। जब व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी और किसान वही रहेंगे तो माल ऊंची दरों पर बिकने की सम्भावना है। मंडी में नहीं बेचेगा और बाहर बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। अभी राजस्थान में 122 रुपया है। 2 हजार रुपये पर 122 रुपये होता है। एक बोरी गेहूं बेचेगा तो 122 रुपया उसकी जेब से रख लिया जाता है, यानी उस किसान को 122 रुपये बोरी बचते हैं तो इनको पीड़ा हो रही है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली दुर्घटना इनके ध्यान में नहीं आती। बिजली के तार लगातार लटक रहे हैं। खम्भे झूल रहे हैं। ट्रैक्टर खेत में से निकलता है तो उसको छू जाता है। किसान मर जाता है। अभी एक बस जा रही थी। उसमें लोग मर गये। बच्चे कह रहे थे कि हमारे मां-बाप को बचाओ, वे जल रहे हैं। गरीबों के घरों के ऊपर से तार निकल रहे हैं तो सरकार कहती है कि पैसा लाओ। उतना पैसा है जब तक कि उस किसान का, उपभोक्ता का घर बिक जाए तब भी पैसा नहीं आये। यानी लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वे मर जाएं। वह या तो इनको पैसा दे या मरे, नहीं तो बिजली के तार नहीं हटाएंगे। बिजली के तार क्यों नहीं हटा सकते? क्या दिक्कत है? क्या लोगों को मारोगे? बिजली की घटनाएं बहुत हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, यह भारत सरकार की योजना है लेकिन लूटपाट राजस्थान सरकार के लोग कैसे कर रहे हैं। मेरे ही बोरावास में जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में था, कांट-छांटकर के दूसरे लोगों को दे दिया। जिनका नाम था वे घूम रहे हैं कि हमारा मकान, हमारा मकान कहां हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कांग्रेस के लोग गरीबों को लूटकर के अपना घर भर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, औरों को तो चाहे लूटो, लेकिन अबोध बच्चों को तो छोड़ दो। आंगनबाड़ी केन्द्रों में और स्कूलों में उन्हें दूध पिलाने की जो योजना थी, वह बंद कर दी। दूध बंद कर दिया। बच्चों का दूध बंद कर दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बच्चों को मारना चाहते हो? इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? बच्चों का भी यह कुछ नहीं करना चाहते हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां। अभी मैंने पवन जी बंसल का बयान पढ़ा था। पवन जी बंसल ने कहा कि मेरे पास भगवान राम के मंदिर के लिए लोग चंदा लेने आये थे। मैंने नहीं दिया। हम किसी +++ का पैसा लेते ही नहीं। नहीं दिया तो अच्छा हुआ। किसी भी +++ का पैसा भगवान राम

(श्री मदन दिलावर)

के मंदिर निर्माण में नहीं लगना चाहिए। यह कैसी कांग्रेस है? यह सुप्रीम कोर्ट में जाती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कृपया शांत रहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सुप्रीम कोर्ट में जाती है और कहती है कि भगवान राम इस देश की धरती पर पैदा नहीं हुए। इस देश में नहीं हुए। उनका अस्तित्व नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रामायण में लिखा हुआ है। अपने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे रोम-रोम में है। हमने पढ़ा है कि इस देश की माटी के कण-कण में भगवान है। इस देश की माटी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारे मठ, मंदिरों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारी सारी जनता का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारा अपमान हुआ कि नहीं हुआ? उन गांधी जी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, जिन्होंने कहा था, हे राम। गांधी जी का अपमान ये लोग करना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कांग्रेस को न?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कांग्रेस को समाप्त कर रहा हूं। यह वह पार्टी है, आपको पता है 7 नवम्बर, 1966 को गौ माता की हत्या पर पाबंदी के लिए देश के लाखों संत और गौ भक्त दिल्ली में गये थे। वे यह मांग करने के लिए गये थे कि गौ हत्या पर पाबंदी हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौ हत्या पर पाबंदी होनी चाहिए। कम से कम 400 संतों को गोली मारकर के उनकी हत्या कर दी। यह +++ सरकार है। यह +++ सरकार है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ सरकार है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अमीन खां।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सिक्खों की हत्या 1984 में, 3 हजार सिक्खों की हत्या 1984 में इस कांग्रेस सरकार ने करवाई थी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जिसने कहा था उसका बेटा ...(व्यवधान) इधर-उधर घूमता फिर रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, मैं सहयोग कर रहा हूं। बहुत शार्ट में कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, हम भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सबसे निवेदन कर रहे हैं। जिस-जिस की भी आस्था है, वह उसमें सहयोग करे। लेकिन कोई +++ इसमें पैसा न दे। जैसे पवन जी बंसल ने कहा न कि मैं इसमें पैसा नहीं देता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, तारीख 10 फरवरी, 2021 के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधार कर सरकार का वक्तव्य शानदार ढंग से पढ़ा। सरकार की नीतियों का उल्लेख किया, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने पेश किया, उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस वक्त पूरी दुनिया और पूरे देश में, उसमें हम भी शामिल हैं, कुदरती कहर से सब मजबूर हैं। जो यह कोरोना की बीमारी है, उस कोरोना की बीमारी में राजस्थान के शासन ने और उसके विभिन्न अंग, जिला प्रशासनों ने हर तरह का सहयोग और मदद की, जिससे हजारों इंसानों की जानें बचीं। जितनी भी जांचें होती हैं वे सारी फ्री करायीं और दवाई भी बड़ी से बड़ी कीमती भी फ्री करायीं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद।

(श्री अमीन खां)

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी दल से आओ, राजनीति का एक दिल है और शौक है। किसी व्यक्ति को, किसी के मजहब को और किसी जाति को बुरा कहना मेरे ख्याल में हर सूरत में मूर्खता है, अज्ञानता है। आज जितने भी जुर्म होते हैं, उनको भी आप लिस्ट में देख लो, कौनसी जाति का सर्टिफिकेट दोगे कि इस जाति में कोई जुर्म करने वाला नहीं है। कौनसी जाति को आप सर्टिफिकेट दे सकते हो कि इसमें सब जुर्म करने वाले रहते हैं। यह गलत तरीका है। इंसानी तरीका अपने को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसी की खुशामदी नहीं करता हूं, आपके बी.जे.पी. की गवर्नमेंट के वक्त, पूरे पांच सालों में किसी मंत्री से मैं नहीं मिला हूं। आपके राजस्थान के गृह मंत्री कटारियाजी से एक बार मैं मिला हूं। एक हमारे यहां अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारी था, ...(व्यवधान) उसके खिलाफ शरारतियों ने एक जुर्म का मुकदमा दो जगह ट्रायल का चलाना शुरू किया। मैं होम मिनिस्टर के घर पर गया और इनको अपनी बात सुनाई। मेरे को इन्होंने यह नहीं पूछा कि इसमें सच है या झूठ है, इन्होंने डी.जी. को फोन किया तो डी.जी. ने शायद इनको यह बताया कि फलां अफसर ने दुबारा मुकदमा दर्ज करने को कहा है। इन्होंने मेरे सामने उन्हें कहा कि वह चोर है। आप एक आदमी का एक जुर्म में दो जगह मुकदमा नहीं चला सकते। वह आदमी जेल से बच गया। (व्यवधान) इसलिए मैं इस आदमी को व्यावहारिक और भला इंसान कहता हूं, यह किसी का दुश्मन नहीं कहा जाता है। अपन किसी से दुश्मनी निकालने के लिए सदन में और सरकार में नहीं आते हैं। सरकार कोई भी बनती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है कि तकलीफ वाले इंसान को रिलीफ दिलाना। जहां कहीं अन्याय होता है, उसको रोकना होता है। इस वक्त मैं आपको, पूरे सदन को गुजारिश करना चाहता हूं कि गाय की जितनी आप तारीफ करते हो, जितने इसके गीत गाते हो, उतने गाय से आप वाकिफ नहीं हो। पश्चिमी राजस्थान में गायपालक तीन जातियां विशेष रूप से हैं। एक तो सिंधी मुसलमान, दूसरी राजपूत और तीसरी चारण। इनका गायों पर गुजारे का पूरा धंधा रहा है। हमारी अच्छी तरह से गायों से आमदनी रही है। अभी पिछले दो साल के दौरान मेरी एक गाय मर गयी। जब मैं जाता था तो मेरे दोनों गाल जबान से चाटती थी, इतनी प्यारी यह गाय जानवर है। पश्चिमी राजस्थान में घास, सेवण, धामण, गढ़ीर, ग्रामणा, ये ऐसी घासें हैं

(श्री अमीन खां)

जिनमें जबर्दस्त विटामिन्स हैं और गाय की सबसे ताकतवर घासें हैं। आज ये घासें खतम हो रही हैं। इनके साथ कुछ बारीक घासें भी हैं, जिनका नाम है, कुरी, लाल मोडसी और झेरणिया घास, ये भी खतम हो रही हैं। इसका अनुमान हमने लगाया कि ये खतम क्यों हो रही है तो पहले तो खतम होने का हमें यह जचा कि जब तरक्की के बाद ये आधुनिक सामान आने लगा, तो ट्रैक्टर खेतों में चलने लगे तो बोरड़ी का पाला भी अच्छा घास-चारा होता है। इस बोरड़ी को और सेवण घास को ट्रैक्टर ने खतम कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फोग को भी खतम कर दिया।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, कुछ कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ने खतम नहीं किया, इस विलायती बबूल को पशुपालकों का पक्का दुश्मन सबको मानना चाहिए। इसको जब तक पूरा नष्ट नहीं किया जाएगा तो उस धरती पर पशु रह नहीं सकता और पशुओं पर जिनका गुजारा है, वे खुद अपने आप मरेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार ने वाहवाही लेने के लिए, किसको वाहवाही की चाह थी, पता नहीं, ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया। आप अभी भी पशुपालन विभाग से, चाहे और लोगों से असलियत का पता लगाओ। जिस दिन से यह ऊंट राज्य पशु घोषित हुआ है उस दिन से आज तक राजस्थान में ऊंटों की संख्या 50 परसेंट रह गयी है। कुछ समय के बाद में ऊंट आपकी धरती पर खतम हो जाएगा। ऊंट किस तरह का पशु है और किसके काम आता है? ऊंट काश्तकार के लिए है, गरीब मजूदर के लिए है। गरीब मजदूर इससे अपनी खेत की काश्त करता है, गरीब मजदूर अपनी बारातों को भी गांवों में ऊंटों पर ले जाते हैं। ऊंट गाड़े से घास और अनाज लाते हैं। इसी ऊंट से पानी की टंकी से मजदूरी भी करते हैं और अपने पीने का पानी भी लाते हैं। आज यह आधी संख्या क्यों हुई है? आधी संख्या इसलिए हुई है कि ऊंट राज्य पशु घोषित हो गया है। राज्य पशु घोषित होने के बाद लोगों ने इस ऊंट को छोड़ दिया, गायों को पहले छोड़ दिया। आज हर सिटी और कस्बे में देखो, गाय का जानवर आपको सड़क पर मिलता है। जिस दिन ये गाय का आप हाकां नहीं करते थे, गाय सड़कों पर, सिटी और कस्बों में नहीं मिलती थी, गांवों के गुवाड़ में मिलती थी। 50 हजार रुपये जिस दुधारू गाय की कीमत थी, उस गाय को 500 रुपये में कोई नहीं लेता है।

(श्री अमीन खां)

जिन बैलों की 10-10 हजार रुपये कीमत थी, उस बैल को कहीं ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो यह पशुपालकों के साथ अत्याचार और जुर्म हुआ। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने के बाद में इसका भी खात्मा कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कोई भी पार्टी का आदमी सच्चाई और उसूल की बात कहता है तो उसको सभी को मानना चाहिए। इसको सब धर्मो ने अच्छा उसूल माना है। मैं इसकी छोटी-सी मिसाल दूं। मेरे क्षेत्र में गडरा रोड तहसील में एक लामड़ा गांव है, उसमें चार घर भीलों के और सत्तर घर राजपूतों के रहते हैं। आपकी इस बी.जे.पी. ने हंगामा किया कि ये सब गोचर जमीन दबाकर बैठे हैं, इनको सज़ा हो तो उन भीलों के पास पांच सौ बीघा खातेदारी की जमीन थी।

(14.00 बजे)

कलेक्टर से, इन्होंने सभी से लिखा लिया कि ये आदिवासी हैं। मैंने कलेक्टर साहब से पूछा तो पता चला कि बाड़मेर-जैसलमेर में कोई आदिवासी नहीं है। जिन घरों में राजपूत हैं, वे हमारे वोटर नहीं हैं, बी.जे.पी. के वोटर हैं, लेकिन उनके साथ आप जिस तरीके से जुल्म करने जा रहे हैं, यह तो तानाशाही है। जुल्म किस तरह से किया? 323 आर.ए.सी. के जवान तैनात किये, 7 जे.सी.बी. मशीन तैयार कर दीं, 8 थानेदार तैनात कर दिये और 2 डिप्टी एस.पी. तैयार कर दिये कि चार घंटों में इन घरों को तहस-नहस करके इस जमीन को साफ करें, क्योंकि इन्होंने गोचर जमीन पर अतिक्रमण किया है। मैंने कलेक्टर साहब को भी समझाया, राजस्व मंत्री को भी समझाया। मैंने कहा साहब, इन्होंने जुर्म लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में किया है। आप इन पर जुर्माना भी कर सकते हैं। आप इन पर सज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन सौ साल से बसी हुई आबादी को इस तरह से हटाना, हम अन्याय मानते हैं। किसी ने नहीं माना। आखिर दीपावली के दो दिन पहले मैं मुख्य मंत्री जी से मिला और उन्होंने मेरी बात मानी। 28 अक्टूबर को जब वे उन घरों को तहस-नहस कर रहे थे, तब मुख्य मंत्री जी ने उन्हें बचाया। आप मानेंगे नहीं, उन राजपूतों की कोई गलती नहीं। वे जिस जगह बैठे थे, सैटलमेंट वालों ने उस जमीन को तो गोचर जमीन बता दी और दूसरा खसरा जो आबादी का बताया, वह सिवायचक

(श्री अमीन खां)

कर दिया। मैंने कहा साहब, आप गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट करें। जो इनकी गलती है, उसमें सुधार करके किसी इंसान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सरकार और सरकार के मंत्रियों से यह है कि सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए और कानूनी सलाहकारों को भी सतर्क रखना चाहिए, ताकि हमसे गलती न हो जाए।

इसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी काम सुचारु रूप से चलते हैं, उनका सबसे ज्यादा सहयोगी गांव का पटवारी है। आज पटवारी की 80 परसेंट पोस्टें खाली हैं। एक-एक पटवारी के पास पांच-पांच पटवार सर्किल दे रखे हैं। क्या वह पटवारी काम कर सकता है? मास्टरों की हालत देख लें। जितने भी बड़े-बड़े कस्बे और शहर हैं, इनकी स्कूलों में तो मास्टर सही हैं, देहाती पिछड़े इलाके जो हैं, पीढ़ियों से अशिक्षित लोग जो हैं और आगे इस युग में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे मास्टर नहीं मिल पाते हैं। मेरा ग्राम देतानी सीमावर्ती इलाके में है और उस गांव में मॉडल स्कूल है। उसमें जितने भी अच्छे विषयों के टीचर हैं, वे आज तक नहीं लगाये गये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): फिर भी जिले की सभी स्कूलों में सबसे अच्छा रिजल्ट उस स्कूल का आया।

श्री सभापति: अमीन साहब।

श्री अमीन खां (शिव): शिक्षा मंत्री से मैं पचास बार मिला। उन्होंने कहा, ''हां, आपका इंतजाम कर देंगे।'' ऐसे मास्टर भेजते हैं, जिनका या तो दो महीने के बाद रिटायरमेंट है या चार महीने बाद रिटायरमेंट है या किसी को सज़ा देनी है तो पनिशमेंट के तौर पर वहां भेज दिया। अभी एक प्रिंसिपल आया, उसने सौ विद्यार्थियों को टी.सी. दे दी। उसकी नीयत क्या थी, जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या नगण्य हो, वे स्कूलें बंद हो जाएं और उनका पिण्ड छूट जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): यह मैं अपने लोगों की क्षमता की बात करता हूं। सरकार किसी की भी हो, उसका फर्ज है कमजोर आदमी को सबल के बराबर लाना, अज्ञानी आदमी को ज्ञान दिलाना। इन कमजोर और अज्ञानियों के साथ शिक्षा में इस तरह का व्यवहार है।

(श्री अमीन खां)

अभी मैं पानी के बारे में 295 पढ़ रहा था। पानी के मामले में अधिकारियों से जब बात करते हैं तो वे कहते हैं, हमारे पास जे.ईएन. नहीं हैं, हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं, हमारे पास पम्प चालक नहीं हैं। हम क्या करें, आप सरकार को कहो। सरकार को आकर कहते हैं तो सरकार कहती है, पोस्टें खाली हैं। कोई न कोई लोग कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट स्टे कर देती है। अब क्या करें?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): मैंने कहा साहब, इसका तो रास्ता पढ़े-लिखे लोग ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम अनपढ़ भी एक रास्ता समझते हैं। ये जितने भी जे.ईएन. हैं, टेक्निकल आदमी हैं, सड़कों पर बेरोजगारों के रूप में घूम रहे हैं, इन्हें टैम्परेरी रखें और बोनस के पांच नम्बर का कानून बना दें, ताकि ये 10 बजे की बजाय 9 बजे हाजिर हो जाएं। परमानेंट लोगों के मुकाबले ये ज्यादा अच्छी सेवा दे सकते हैं। इसी प्रकार जो मास्टर हैं, एम.एड. हैं, बी.एड. हैं, उन्हें देहाती स्कूलों में रखें और उनसे कहें कि आप इतने साल रहेंगे तो जब आपका मौका आएगा, हम आपको 10 परसेंट नम्बर देंगे। इससे उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हमारी मेहनत का भरोसा है और हम नौकरी लग जाएंगे।

श्री सभापति: अमीन साहब।

श्री अमीन खां (शिव): आप भी पिछड़ों के पीछे हैं। वह बोल रहा था, तब तो आपने एक घंटा बंद नहीं किया और मैं पांच मिनट भी नहीं बोला।

श्री सभापति: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहते हुए अपनी बात बंद करता हूं। सभ्यता, इज्जत, अभी जैसे कोई कटारिया साहब की मैंने बात बतायी, मुझे इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है, न ही मुझे कुछ समझाया है, मैं उनके प्रति काबिल आदमी की हैसियत मानता हूं।

श्री सभापति: बहुत अच्छे।

श्री अमीन खां (शिव): आदमी को दुनिया में काबिलियत से जीना चाहिए। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की मुखालिफत में सबसे ज्यादा रोल अदा किया महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, लेकिन उनकी नहीं चली। बन गया, लेकिन आज मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी

(श्री अमीन खां)

बदनामी में ले आते हैं तो मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा आपको वफादार नहीं मिलेगा। हुसैन मदनी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के जेहाद में हिन्दुस्तान के बाहर रंगून की जेल में रह चुके, उन्हें हिन्दुस्तान में इज्जत नहीं मिली। क्या उन्हें देश के वफादार आदमी में नहीं मानेंगे? ऐसा विचार हम सबको बदलना चाहिए। देश सबका एक है, धर्म सबका इंसानियत है और सभी इंसानों की इज्जत करना सीखें। वैसे आप मना कर रहे हैं और मैं कमजोरी भी महसूस करता हूं, अब खड़ा नहीं रह सकता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): सभापति महोदय, धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गये अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैंने इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा और जो चीज मैं इसमें ढूंढ़ रहा था, वह नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि होगी, लेकिन वह चीज नहीं मिली। सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या-क्या है लेकिन मैं उस बात की चर्चा करना चाहता हूं जो नहीं है और होनी चाहिए थी।

सभापति महोदय, संविधान का अनुच्छेद 350-ए, जो कहता है कि हर बच्चे को अपनी प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए। 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, उसमें भी जो धारा 29(2)(एफ) है, उसमें यही लिखा है, मातृभाषा में प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। अभी-अभी पिछले वर्ष 2020 में भारत सरकार जो नयी शिक्षा नीति लायी है, उसमें भी विशेष रूप से यही हाइलाइट किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अपनी-अपनी मातृभाषा में दी जाए। इस विषय में राजस्थान सरकार क्या कर रही है, क्या किया है, उसका उल्लेख इस अभिभाषण में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं है। अब स्थिति यह बन गयी है, प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि राजस्थान की मातृभाषा कौनसी है। मैं थोड़ा-सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद में जब राजस्थान का गठन हुआ, उस समय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जयपुर पधारे, मुख्य मंत्री से मिले, मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ व्यक्तियों से मिले और उनसे निवेदन किया कि हम हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं। उसमें शर्त यह है कि देश के कम से कम 50 प्रतिशत राज्य यह स्वीकार करें कि हम हिन्दीभाषी राज्य हैं तो राष्ट्र भाषा हिन्दी बनेगी। हमारे नेताओं ने उस समय विचार किया। हिन्दी का

(श्री जोगेश्वर गर्ग)
राष्ट्र भाषा बनना आवश्यक है, यह स्वीकार किया। इसलिए तत्कालीन मंत्रिमण्डल ने राजस्थान की जनता को पूछे बिना प्रस्ताव पास कर दिया कि राजस्थान हिन्दी भाषी राज्य है। उसके आधार पर हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा बन सकी। मुझे गर्व है कि राजस्थान ने बलिदान किया। हम तो पन्नाधाय के वंशज हैं, उनकी परम्परा के लोग हैं जो राजा के बच्चे को बचाने के लिए खुद के बच्चे को मरवा दे, तो हमने अपनी मां, मातृभाषा को मरवा दिया, लेकिन हिन्दी को राष्ट्र भाषा हमने बना दिया। वह तो हमारे लिए गर्व की बात है, उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन उस समय पुरुषोत्तम दास टण्डन यहां से जाते समय वादा करके गये थे कि राजस्थानी को भी पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिलेगा और उस सम्मानजनक स्थान की हम अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय, जब हमने अपने आपको घोषित किया था कि हम हिन्दी भाषी राज्य हैं, तब प्रदेश की जनसंख्या का मुश्किल से 10 प्रतिशत हिस्सा था जो हिन्दी जानता था, लिखता था, पढ़ता था, 90 प्रतिशत लोग हिन्दी नहीं जानते थे, तब हमने यह घोषणा कर दी। आज भी स्थिति यही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, जिन किसानों के लिए इतनी हाय-तौबा मेरे सामने वाले मित्र मचा रहे हैं, वे लोग भी जब गांवों में जाते हैं तो वह किसान हिन्दी में नहीं बोल पाता, हिन्दी में अपना आवेदन पत्र नहीं लिख पाता, अपनी समस्या नहीं लिख पाता और हिन्दी में जब अफसर जवाब दे रहा होता है तो वह समझ नहीं पाता, पड़ौसी को पूछता है कि यह क्या बोल रहा है। आज भी जनसंख्या के आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो 1951 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एक करोड़ 6 लाख लोग राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते थे और हिन्दीभाषी मात्र 33 लाख थे। 2011 की जनगणना में भी हिन्दीभाषी 2 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ पाये और राजस्थान में राजस्थानी भाषी आज भी 5 करोड़ के लगभग हैं। राजस्थान के बाहर हैं वे अलग हैं, विश्व भर में हैं, वे अलग हैं। वह सारी संख्या मिलाओ तो 10 करोड़ से बाहर जाती है।

राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान में जितनी रियासतें थीं, उनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली जैसी ब्रजभाषा वाली तीन-चार रियासतें छोड़ दीजिये तो बाकी सबका रिकार्ड राजस्थानी में मेन्टेन होता था, आपस में पत्र-व्यवहार राजस्थानी में होता था और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। राजस्थानी भाषा कितनी पुरानी है, इस पर सवाल उठते हैं। मैं निवेदन करूं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कि जालोर में एक घटना हुई थी, जो इतिहास में दर्ज है। सन् 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। कान्हड़देव वहां राजा था, वीरमदेव राजकुमार थे, जो उसमें शहीद हुए। सोनगरा साम्राज्य का पतन हुआ। उस घटना पर एक काव्य 1535 में लिखा गया। पद्मनाथ महाकवि ने वह महाकाव्य लिखा, जिसका नाम है कान्हड़देव प्रबन्ध। वह उस समय की उस मरूभाषा का ग्रन्थ है, जिसको राजस्थान के लोग कहते हैं कि यह राजस्थानी का पहला ग्रन्थ है, गुजरात के लोग कह रहे हैं कि गुजराती का पहला ग्रन्थ है। वहीं से राजस्थानी और गुजराती दो भाग में बंटीं, जबकि पहले दोनों मरूभाषा के रूप में पहचानी जाती थीं। गुजरात के विश्वविद्यालयों में वह ग्रन्थ आज भी पढ़ाया जाता है, राजस्थान में नहीं पढ़ाया जाता। वह कान्हड़देव प्रबन्ध हमारा पहला ग्रन्थ है। (व्यवधान)

श्री अमीन खां (शिव): राजस्थानी भाषा कहां-कहां है? हमें तो मालूम नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): बता रहा हूं, आप मुझे 15 मिनट दे दीजिये। आसन ने 15 मिनट दिये हैं, 15 मिनट में आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। फिर कोई प्रश्न बचेगा नहीं, इसीलिए यह विषय मैंने आज लिया है, तो 1535 से जो भाषा रिकार्ड पर है, उसको 1912 में डाक्टर ग्रियर्सन, क्योंकि भारतीय लोगों की बात हमको जरा कम समझ में आती है, कम विश्वास होता है, इसलिए मैं विदेशी विद्वानों की बात कर रहा हूं। 1912 में डाक्टर ग्रियर्सन आये और उसके लगभग आसपास इटली से टेसीटोरी नाम के विद्वान आये। इटली वालों की बात आपको जल्दी समझ में आयेगी। इटली से टेसीटोरी नाम के विद्वान आये, वे पूरे राजस्थान में घूमे और घूमने के बाद जो उन्होंने सर्वे किया, उसके अनुसार उन्होंने राजस्थानी को, भले ही उन्होंने उसमें राजस्थानी नाम नहीं दिया होगा, पर विभिन्न बोलियों को मिलाकर समृद्ध भाषा के रूप में उसको रिकग्नाइज किया और रिकग्नाइज करने के बाद उसको अपने रिकार्ड में लिखा है, अपने लेखों में लिखा है, अपनी पुस्तकों में उसको लिखा है और बहुत ही मजबूत तथा समृद्ध भाषा के रूप में उसको स्वीकार किया है।

उसके बाद में 1970 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कालीचरण बहल थे, उन कालीचरण बहल साहब ने वहां शिकागो यूनिवर्सिटी में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

राजस्थानी पर शोध किया है। वहां पर उन्होंने बाकायदा राजस्थानी के कोर्स चलाये हैं और अब भी चल रहे हैं। वहां शब्दकोष का निर्धारण किया है और उस शब्दकोष में लगभग 11 लाख शब्द माने जा रहे हैं। डाक्टर सीताराम लालस, जिन्होंने राजस्थानी का शब्दकोष 11 खण्डों में लिखा। उसमें उस समय तक 3 लाख शब्द थे, पर शिकागो यूनिवर्सिटी में जो डाक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो राजस्थानी के शब्दों का संग्रह किया गया है, वह संख्या 11 लाख तक पहुंच गयी है। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी के शब्दकोष में भी 11 लाख शब्द नहीं हैं, इससे आधे ही हैं और हिन्दी में तो और भी कम हैं, पूरे डेढ़-दो लाख शब्द ही हैं। इतनी समृद्ध हमारी राजस्थानी भाषा है, जिसको हम भूल गये हैं। प्रोफेसर लखन गुसांई, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में दक्षिण एशियाई भाषाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने भी इस राजस्थानी को बहुत समृद्ध भाषा माना, मजबूत भाषा माना और उस पर भी उन्होंने अमरीका की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बहुत काम किया, कोर्सेज चलाये हैं। नेपाल सरकार ने तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रखी है। नेपाल सरकार ने अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में राजस्थानी को भी शामिल कर रखा है, शिव से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कौनसी राजस्थानी, तो यू.जी.सी. नेट की परीक्षाएं आयोजित करती हैं और उनके माध्यम से जे.आर.एफ., जूनियर रिसर्च फैलोशिप, स्कालरशिप प्रदान करती है जिस राजस्थानी भाषा के विद्यार्थियों को, उस राजस्थानी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, जिस राजस्थानी भाषा के साहित्य को केन्द्रीय साहित्य अकादमी हर साल एक साहित्यकार को पुरस्कृत करती है, जिसमें हमारे जालोर के भी एक साहित्यकार पुरस्कृत हो चुके हैं रामेश्वर दयाल जी श्रीमाली, उस राजस्थानी भाषा की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिकन लाइब्रेरी कांग्रेस में भी राजस्थानी भाषा संरक्षण प्राप्त भाषा है। दुर्भाग्य से अपने घर में उसकी मान्यता, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, पहचान नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि 25 अगस्त, 2003 को, हममें से कुछ लोग उस समय इस सदन में रहे होंगे, माननीय अशोक गहलोत मुख्य मंत्री थे, बुलाकी दास जी साहब शिक्षा मंत्री थे, तब इस सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया था।

'उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं:- संकल्प पढ़ रहा हूं मैं, "राजस्थान विधान

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभा के सभी सदस्य सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राजस्थान के विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली भाषाएं या बोलियां यथा; ब्रज भाषा, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, शेखावाटी, मालवी आदि शामिल हैं।" ये कुछ बोलियों का उन्होंने नाम जोड़ा है, और बाकी भी बहुत सारी बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा की 72 बोलियां हैं और इन 72 बोलियों को हमारी कमजोरी बताया जाता है कि कौनसी राजस्थानी। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी अधिक बोलियां होती हैं उतनी ही वह भाषा समृद्ध होती है और हम कह रहे हैं कि वह उसकी कमजोरी है, यह हमारी कमजोरी नहीं है। बोलियों में भिन्नता हमेशा रहती है। बोलियों में भिन्नता हर भाषा में रहती है। जिस राष्ट्रभाषा हिंदी को हम इतने सम्मान के साथ याद करते हैं, बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। वह कौनसी हिंदी है। उत्तर प्रदेश में कौनसी हिंदी है, बिहार में कौनसी हिंदी है। मध्य प्रदेश में हिंदी अलग है, उत्तराखण्ड की हिंदी अलग है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी अलग है, हरियाणा की हिंदी अलग है। होता है, राजस्थानी का एक दोहा है ''बारह कोसा बोली पलटे'' बारह कोस पर बोली बदलेगी ही बदलेगी। ''बारह कोसा बोली पलटे, तरुवर पलटे शाखा'' जब पेड़ के तने में से डालियां निकलने लगती हैं, उसका आकार भी बदलता है और 'बुढ़ापा में केश पलटे', बूढ़े होते हैं तो बालों का रंग बदल जाता है। 'लखण न पलटे लाखा' जैसे मदन दिलावर जी का स्वभाव नहीं बदल सकते हम।

'बारह कोसा बोली पलटे' बदलेगी ही बदलेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भाषा इसको नहीं रोक सकती। अंग्रेजी भी अपवाद नहीं है। आयरलैंड की अंग्रेजी अलग है। आस्ट्रेलिया की अलग है। अमेरिका की अलग है। छोटा-सा ब्रिटेन, खुद उसमें दो-तीन तरह की अंग्रेजियां चलती हैं। साउथ ब्रिटेन का आदमी, नोर्थ ब्रिटेन में चला जाए तो उसको बोली समझ में नहीं आती। जैसे हमारे नागपुर का आदमी पूना चला जाए तो मराठी समझ में नहीं आती है, काठियावाड़ का आदमी सूरत चला जाए तो गुजराती समझ में नहीं आती है। यदि अलवर का आदमी जालोर में चला जाए तो उसको राजस्थानी समझ में नहीं आती है। यह बोलियों में फर्क रहेगा ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं मिटा सकती। राजस्थान में तो और भी मुश्किल मामला है। यहां तो एक-एक गांव में पांच-पांच, सात-सात

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बोलियां मिल जाएंगी। सिंधी राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग स्टाइल है। विश्नोई बोलते हैं, उसकी अलग स्टाइल है। ब्राह्मण बोलते हैं, उसकी अलग स्टाइल है। श्रीमाली ब्राह्मण अलग, पुष्करणा ब्राह्मण अलग, उनकी बोलियां भी अलग-अलग हैं। राजपूतों की अलग बोली है, अग्रवालों की अलग, माहेश्वरियों की अलग, जैनों की अलग, ओसवालों की अलग है। हमारे एक गांव में पांच-पांच, सात-सात बोलियां, जहां मिलती हैं, वहां यदि कोई एकरूपता की बात करता है कि कौनसी राजस्थानी की बात कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि उससे बड़ा राजस्थानी का दुश्मन कोई नहीं है। या तो अज्ञानतावश बात कर रहे हैं या फिर वे बदमाशी के कारण बात कर रहे हैं। इसको पीछे रखने के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए एकरूपता का प्रश्न बीच में नहीं आना चाहिए।

महात्मा गांधी से भी पूछा था। महात्मा गांधी ने, जब देश आजाद हुआ, गुजरात को कहा, गुजराती गुजरात की राजभाषा होगी। सारा सरकारी कामकाज गुजराती में होगा। लोगों ने पूछा बापू 'काय गुजराती नी बात करो छो' कौनसी गुजराती की बात करो छो, कौनसी गुजराती की बात कर रहे हैं, काठियावाड़ वाली, सौराष्ट्र वाली, नोर्थ गुजरात वाली, बड़ौदा वाली या सूरत वाली। बापू ने जवाब दिया था, जो तुम बोल रहे हो, वह गुजराती लिखना शुरू करो। अपने आप एकरूपता आ जाएगी, लिखने में जब आएगी, प्रिन्ट में जब आएगी, अखबारों में आएगी, किताबों में आएगी, धीरे-धीरे शब्दों का आदान-प्रदान होता रहेगा। मेवाड़ी के शब्द जाकर हाड़ौती में मिल जाएंगे, हाड़ौती के शब्द शेखावाटी में मिल जाएंगे, ढूंढाड़ी में मिल जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा।

मुझे याद आता है। स्व. कन्हैया लाल जी सेठिया साहब, जिन्होंने कहा था 'खाली धड़ री कद होवे, चेहरा बिना पिछांण' और 'राजस्थानी रे बिना कैड़ो राजस्थान'। वे लाडनूं के रहने वाले थे। लेकिन उनकी लिखी हुई कविता 'अरे घास री रोटी ही जद' पूरे राजस्थान में पढ़ी जाती है। पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ते रहे हैं, समझते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई।

सूर्यमल्ल मीसण हाड़ौती के कवि थे। मैं 1980 से ही इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। मैं वर्षों तक सूर्यमल्ल मीसण को बीकानेर का मानता रहा। बाद में पता चला कि नहीं, वे तो हाड़ौती के थे। उनकी भाषा से मैं उनको बीकानेर का मानता था। इसलिए कोई दिक्कत लिखित में, साहित्य में, कहीं कोई

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दिक्कत नहीं है। इस एकरूपता का प्रश्न खड़ा करना, बिलकुल गलत है। इसे मैं mischievous कहता हूं। इसको बदमाशीपूर्वक किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात के लिए 1992 में मैंने करवाया था, 116 विधायकों ने दस्तखत किये थे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): स्व. गुमानमल जी लोढा, पाली के सांसद थे। उन्होंने राजस्थान के 35 में से लगभग 26-27 सांसदों के दस्तखत करवाये थे, जिसमें महाराजा गजसिंहजी भी राज्य सभा में सांसद थे। हम लोग वोट क्लब पर जाकर धरने पर बैठे थे, पूरा दिन महाराजा गजसिंहजी भी विराजे थे, गुमानमल जी लोढ़ा भी विराजे थे और हम कई लोग थे। हमने मांग की थी कि इसको आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और उसके बाद इस समय भी 120 विधायक माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। मेरे पास कापियां हैं। राजस्थानी को मान्यता प्रदान की जाए, मान्यता भारत सरकार प्रदान करेगी, ठीक है लेकिन राजस्थान में तो पहले आप उसको राजभाषा स्वीकार करो। राजभाषा एक से अधिक हो सकती हैं। झारखण्ड में उन्होंने 8 भाषाओं को राजभाषा बना दिया। गोवा में 4 भाषाएं राजभाषा के रूप में एक्ट बनाकर की हुई हैं। छत्तीसगढ़ में हिन्दी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बना दिया। अभी तक छत्तीसगढ़ी आठवीं अनुसूची में नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): गोवा ने कोंकणी को जब राजभाषा घोषित किया था, उसके कई सालों बाद वह आठवीं अनुसूची में शामिल हुई थी। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। हम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप राजस्थानी के बड़े हितैषियों में माने जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे आपने संकल्प पारित करवाया था, वैसे ही राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए आप एक्ट लाइए, राजभाषा एक्ट में संशोधन लाइये, उसको शामिल करिये। जो छोटे-मोटे झगड़े हैं। जैसे ब्रज भाषा, ब्रज और राजस्थानी में बहुत फर्क है। ब्रज को भी शामिल कर लीजिए, राजस्थानी, ब्रज, वागड़ी और भी कोई हो, नाम डालना है डाल दीजिए,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दो-चार-पांच नाम डाल दीजिए भले, पर करिए। प्रारम्भिक शिक्षा उस भाषा में होनी चाहिए। ब्रज क्षेत्र के बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा ब्रज में होनी चाहिए। मारवाड़ के बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा मारवाड़ी में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमको करनी होगी। यह राजस्थानी को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है।

अभी-अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में लेख आया है जिसने राजस्थानी की तीन बोलियों को डाइंग लैंग्वेज कह दिया है जिसमें आपकी हाड़ौती और ढूंढाड़ी भी शामिल हैं। वे भाषाएं मर रही हैं और जब भाषा मरती है, सिर्फ भाषा नहीं मरती है, उसके साथ में संस्कृति मरती है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है, वाहन होती है। जब भाषा मरती है तो पूरी संस्कृति समाप्त होती है, राजस्थानी भाषा जिस दिन समाप्त होगी, राजस्थान की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय मानते हुए मैं एक बार फिर आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, राजभाषा कानून में संशोधन करिए। उसमें राजस्थानी को, ब्रज को शामिल करके प्रारम्भिक शिक्षा में देने की व्यवस्था करिए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, पिछले दो साल में सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी काम किये गये और कोरोना काल में माननीय मुख्य मंत्री जी के जो प्रयास रहे, वे काफी सराहनीय रहे। इनकी प्रशंसा स्वयं देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने भी की। सभापति महोदय, इन सबके बावजूद भी मैं काफी दु:खी हूं, क्योंकि मैं पिछले दो साल से राजस्थान के बेरोजगार जवानों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के मजदूरों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। भर्ती कैलेण्डर जारी करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं लेकिन अफसोस कि मेरी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई।

सभापति महोदय, मेरे पिता ने 1965 में, 1971 में पाकिस्तान के

(श्री बलजीत यादव)

खिलाफ युद्ध लड़ा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डलवाकर घुटने टिकवाये, उस सेना में मेरे पिता भी थे, जिस बात का मुझे गर्व है। मेरे पिता पिछले 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। जब भी विधान सभा सत्र आता तो वे मुझे बताते कि अपने यहां बेरोजगार लड़के बहुत हैं। गांव में इनको फैक्ट्रीज में रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं मिल रहा है। भर्तियां निकल नहीं रही हैं। तू एम.एल.ए. बना है। इनकी मांग को सदन में मजबूती के साथ उठाना। मेरे पिता मुझे बताते हैं कि किसानों के साथ घोर अन्याय होता आ रहा है। चुनाव के बाद सभी लोग बात करते हैं, लेकिन रीयलिटी में किसान के साथ कोई कुछ कर नहीं रहा है, तू किसानों की मांग को मजबूती से सदन में उठाना।

सभापति महोदय, न मैं किसी सरकार से डरा, न किसी नेता से डरा। मैंने मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए और जनता की मांग के अनुरूप उन तमाम मांगों को सदन में रखा। हो सकता है मैं बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी बना हूं लेकिन क्योंकि मेरा यह धर्म और यह कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने बेझिझक उन मांगों को रखा। कैंसर के पेशेंट की अंतिम समय में आवाज भी लगभग चली-सी जाती है, बहुत मुश्किल से वह बोल पाता है। मेरे पिता से जब बोला नहीं जा रहा था, तब भी पूछते कि कितने लोगों को नौकरी लगवायी। मैं बोलता कि एक को भी नहीं लगवायी। वे पूछते कि बिजली के बिल कम हुए क्या, कि सरकार ने नहीं किये तो मेरे पिता ने एक बात कही मुझे कि देख कमजोर की कोई नहीं सुनता, इस दुनिया में तू निर्दलीय विधायक है, अकेला विधायक है, इसलिए तेरी बात का वजन सरकार नहीं मान रही है। बेटा, यह जनता है राजस्थान की, हिन्दुस्तान की, यह बजरंग बली की तरह भोली-भाली और वफादार है। जिस तरह से बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलायी थी कि सागर को आप पार कर सकते हो, उसी तरह से चाहे तुझे गांव -गांव, ढाणी-ढाणी जाना पड़े, चाहे सब कुछ अपना बेचना पड़े, लेकिन अपनी आवाज का असर बढ़ा, उसके वजन को बढ़ा और राजस्थान की जनता को उसकी ताकत याद दिला। जिस दिन राजस्थान की जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, फिर कोई भी तेरी आवाज को या जनता की मांग को हल्के में नहीं लेगा। मैंने बार-बार चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि हिन्दुस्तान में आज की डेट में लगभग 23 स्टेट्स ऐसे हैं, जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि केवल

(श्री बलजीत यादव)

उन्हीं की स्टेट के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की सरकार को कौनसी दिक्कत है कि वह यह कानून नहीं बना रही है। अगर आप नहीं बनाते हो तो उन 23 स्टेट्स से भी वह बाउंडेशन खतम करवायें। अगर उन्होंने बाउंड कर रखा है तो फिर अकेले राजस्थान के बेरोजगार युवा का गुनाह क्या है? लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि सिम्पल-सी बात भी किसी के क्यों नहीं समझ में आती।

सभापति महोदय, मैं तो कहता हूं कि किसान जब मांग करता है न तो भी मुझे अजीब लगता है। मालिक किसी से भी मांगता नहीं है, मालिक देता है। वह किसान हिन्दुस्तान का, इस देश का मालिक है लेकिन अफसोस की बात है कि वह अपनी मांग भी करता है तो लोग अपनी-अपनी पार्टियों के हिसाब से बंटे हुए नजर आते हैं और कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता। किसान अन्याय सहन करे तो कितना सहन करे, कब तक सहन करे। 1973 में गेहूं का भाव 200 रुपये क्विंटल था और बाजार में सोना 500 रुपये तोला मिलता था। आज गेहूँ की कीमत बढ़ कर मात्र 17 सौ से 18 सौ रुपये हुई है और सोना 50,000 रुपये तोला मिल रहा है। 1973 में आई.ए.एस. की सैलेरी होती थी लगभग 600 रुपये और आज की डेट में 100 गुना बढ़ गयी है। सौ गुना सोना बढ़ गया है। सौ गुना आईएएस की सैलेरी बढ़ गयी लेकिन उस किसान की कीमत मात्र साढ़े तीन गुना बढ़ी है। मजदूर को 1973 में मजदूरी में मिलते थे 4 किलो गेहूं और आज नरेगा में मजदूरी करने जाता है, उसको जितना पैसा मिलता है उसके 6 किलो गेहूं आते हैं यानी कि 1973 से लेकर आज तक हिन्दुस्तान के मजदूर की मजदूरी बढ़ी है डेढ़ गुनी। किसान की उपज की कीमत मात्र साढ़े तीन गुना और दूसरे लोगों की 100 गुना बढ़ी है। कितना सहन करे, कितना खून का घूंट पीये हिन्दुस्तान का किसान लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों को गम्भीरता से नहीं ले रहा है।

सभापति महोदय, पिछले 5 साल में अडानी की सम्पत्ति बढ़कर 11 गुना हो गयी है लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल करता है तो हमारे साथी उसको अपनी-अपनी पार्टी के नजरिये से देखते हैं। अंग्रेजों ने भी इसी तरह देश के लोगों में फूट डालकर और यहां पर राज किया। अब यह नेता ने जनता को बांटकर, पार्टियों में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं देखता हूं, सभापति महोदय, एम.एल.एज. की हालत, एमएलए का काम इतना सा रह

(श्री बलजीत यादव)

गया कि वह चार ट्रांसफर्स के लिए मंत्रियों के यहां गिड़गिड़ाता रहता है। मंत्री उस ट्रांसफर के नाम पर कई ऐसे-ऐसे मंत्री हैं, जो विधवा विलाप करते रहते हैं। क्या एम.एल.ए. का, यही काम है, क्या यही काम है मंत्री का? मुझे देख-देखकर हैरानी होती है। मैं सोचता था, विधान सभा में नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, बड़े-बड़े काम होते हैं। हम उस विधान सभा का अंग बनने जा रहे हैं। सब लोग मिलकर सबसे निवेदन करेंगे कि इन किसान, मजदूर, गरीब लोगों ने हमें भेजा है। पहले किसी ने किया, नहीं किया, अपन यहां से शुरुआत करते हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। काफी निराश हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं और घुटने नहीं टेके हैं। आज सदन में मैं शपथ लेता हूं कि चाहे मेरा घरबार बिक जाये, मैं जानता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं लेकिन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर मैं किसानों से हस्ताक्षर कराकर लाकर मुख्य मंत्री जी को दूंगा कि अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, यह राजस्थान की 36 बिरादरी की मांग है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो, लोकतंत्र में कहते हैं कि सर गिनाने पड़ते हैं, वह सर भी मैं गिना कर बताऊंगा। मैं अकेला नहीं हूं, यह मेरे अकेले की मांग नहीं है, यह आम जनता की मांग है, जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं आज भी इस सदन में मांग करता हूं कि छोटे किसानों को मुफ्त में बिजली दें एम.एस.पी. पर उसकी फसल को खरीदें। सरकारें एमएसपी को भी ऐसे दिखाती है कि जैसे पता नहीं उसको क्या दे रहे हैं। एम.एस.पी. का मतलब होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वह भी उसको नहीं देना चाहते, मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम मिनिमम मांग रहे हैं। जब किसान बेचने आता है तो ओने-पौने दामों में बिक जाता है, क्योंकि जब फसल आती है तो एम.एस.पी. पर खरीदी ही नहीं जाती। वह ज्यादा दिन घर में रख नहीं सकता, मजबूर है, वह ओने-पौने दाम में बेच देता है। फिर एम.एस.पी. पर खरीदने का ढोंग होता है, मामूली-सी फसल खरीदी जाती है। बाजरे की फसल, जो मेरे राजस्थान में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होती है, 41.3 परसेंट, लेकिन उसको एम.एस.पी. पर नहीं खरीदा जाता है। 2,125 रुपया एम.एस.पी. प्राइस और बाजरा 1200-1300 रुपये में बिकता है। किसान कितना सहन करे? सभापति महोदय, जब बिजली के बिल आते हैं तो किसान की कंपकपी छूट जाती है। किसान अपनी इज्जत को बचाना चाहता है। वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता कि कैसे मेरी इज्जत को बख्श दो। किसान जिंदा लाश है, आपको चलता-फिरता दिखता है, लेकिन वह

(श्री बलजीत यादव)

कब का मर चुका है। अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए वह प्रतिदिन मरता है। लेकिन पता नहीं लोग कैसे निष्ठुर हो गये, कैसे पत्थर दिल हो गये, कैसे संवेदनहीन हो गये कि किसी को भी उसका दर्द समझ में नहीं आता। भाड़े के लोग लेकर मोटी मोटी तोंद के नेता सोशल मीडिया पर बब्बर शेर लिखवा देते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको बनाया, जब, उसके पक्ष में लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो सारे के सारे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरह से सहन करता रहेगा तो यह अन्याय यूं ही होता रहेगा। सभापति महोदय, इतिहास गवाह है कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वे इसी प्रकार से अन्याय सहते-सहते जब अति हो गयी, बर्दाश्त के बाहर स्थिति आ गयी तो उस क्रांति का जन्म हुआ। (व्यवधान) मेरे करने से नहीं, यह राजस्थान की जनता करके बतायेगी, हिन्दुस्तान की जनता करके बतायेगी और याद रखना, आज आपको लग सकता है कि एक निर्दलीय एम.एल.ए. है, लेकिन मैं जिंदा रहा तो मैं आपको बताऊंगा, बलजीत यादव जिंदा रहा तो आपको बतायेगा, कमजोर हो सकता हूं लेकिन मेरे सीने में बहुत आग है। मेरे मन-मस्तिष्क में भी जुनून है और इतिहास गवाह है कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति ने जुनून से लड़ने की सोची तो जीत जुनून की हुई है और हम जनता के जुनून को जगायेंगे। एक-एक चीज जनता को बतायेंगे। हमें कोई एम.एल.ए. का मोह नहीं, मैं तो आज भी सरकार से कहता हूं आप किसान के साथ न्याय कर दो, जवान के साथ कर दो, मैं तो अपनी एम.एल.ए. शिप से रिजाइन कर दूंगा, आप अपना एम.एल.ए. बना लेना। उसको जिताकर और भेजेंगे, इस सदन में कह रहा हूं। जिस दिन कर दो, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। यहां इन सोफों पर बैठकर मैं कोई खुश होने के लिए नहीं आया कि इनमें कोई ज्यादा आनंद मिल रहा है। फौजी का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस विधान सभा में यह सोचकर आये थे कि जो कोई एम.एल.ए. विधान सभा में बोलता है तो उसको बहुत गम्भीरता से लिया जाता है। शायद दूसरे एम.एल.ए. सो जाते होंगे, बोलते नहीं होंगे, इसीलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा, हम चलेंगे और वहां बोलेंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा।

सभापति महोदय, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब किसी छोटे-से व्यक्ति ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हो। हो सकता है कि मंगल पांडे की तरह वह खुद सफल नहीं हो पाया हो, लेकिन उसने क्रांति का

(श्री बलजीत यादव)

बीज जरूर डाला। हो सकता है कि हम कुछ न बन पायें, कुछ न कर पायें, लेकिन इतना जरूर है कि जनता को आईना जरूर दिखायेंगे। जनता को हकीकत से रू-ब-रू करवायेंगे। जिस प्रकार से बजरंग बली जी को शक्ति का एहसास हुआ ...(व्यवधान) तो उन्होंने उस लंका को भी जलाया, उस अहंकारी रावण के अहंकार का भी नाश किया। उसी प्रकार से राजस्थान की जनता भी नेताओं के अहंकार को चूर-चूर करेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बरसात के दिनों में नदियों में बाढ़ का पानी बह जाता है। मैंने पहले भी इस मांग को रखा था कि एक बार इस किसान की सुध ले लो, वह जो नदियों का पानी व्यर्थ बह रहा है, उसको किसान के खेत तक पहुंचा दो, किसान को बिजली मुफ्त दे दो, उसकी फसल को एम.एस.पी. पर खरीद लो, सारे काम रोक दो, एक बार यह काम कर लो पूरा देश तरक्की के पथ पर विद्युत गति से दौड़ने लगेगा। जनता से इतना पैसा आता है, लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। उस पैसे का कोई बचाव नहीं होता, सरकारी अधिकारी लूट लूटकर उसको खा रहे हैं।

सभापति महोदय, लगभग 10 आई.पी.एस., आई.ए.एस. अधिकारी हैं, कोई भी सरकार आये, उसी पर वे अपना कब्जा कर लेते हैं। राज वे करते हैं, माल वे खाते हैं और जो जनता हमको भेजती है कि इनसे बचाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। इनसे बचाओ हमें, जिनको भेजते हैं कि हमारे लिए लड़ो, वह स्वयं उनके चंगुल में फंस जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कितने ही आई.पी.एस., आई.ए.एस. हैं, मैं बता सकता हूं, जिनकी हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। सरकार उस सम्पत्ति को कुर्क करे। मैं पुन: सरकार से मांग करूंगा कि जवान, किसान, मजदूरों की मांगों को गम्भीरता से लें, यह मेरा बार-बार उससे निवेदन है। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह छबड़ा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका

(श्री प्रताप सिंह)

धन्यवाद करता हूं। सरकार ने महामहिम से राजस्थान के लिए इनकी उपलब्धियों का बखान करवाया है, पर मैं समझता हूं कि दो साल में विकास के नाम पर कोई काम किसी गांव में, किसी जिले में, कहीं पर भी कोई काम देखने को नजर नहीं आता, सिवाय कोटा के।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वसुन्धरा जी के शासन के समय राजस्थान की सरकार ने राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए कई सारी फ्लैगशिप योजनाएं चलायीं, लेकिन ज्यादातर स्कीमों को या तो बंद कर दिया गया है या उनका नाम बदल दिया गया है। इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सभापति महोदय, दो साल में जो सबसे अधिक आवश्यकता नजर आती है, वह रोजगार है। राजस्थान का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, चाहे गांव हो या शहर हो, इसलिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इस बाबत प्रयास करने चाहिए, पर मुझे दुःख है कि सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुए हैं और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई है।

सभापति महोदय, कोरोना काल में या कोरोना के पहले राजस्थान में आयुष्मान भारत बीमा योजना को लागू किया गया, लेकिन इस योजना में प्रावधान इस प्रकार के कर दिये कि प्राइवेट हास्पिटल के अलग और गवर्नमेंट हास्पिटल के अलग। उसका नतीजा है कि जहां भामाशाह स्वास्थ्य योजना के समय, हमारी सरकार के समय भामाशाह योजना से करीब 1 हजार 57 प्राइवेट हास्पिटल जुड़े हुए थे आज स्थिति यह है कि आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इससे पांच सौ से भी कम प्राइवेट हास्पिटल जुड़ पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दे, ताकि गरीब का इलाज समय पर हो सके।

सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली की दरें हिन्दुस्तान में सबसे अधिक हैं। 50 यूनिट बिजली तक 4 रुपये 50 पैसे, जबकि हरियाणा में यह दर 2 रुपये, गुजरात में 3 रुपये 5 पैसे और दिल्ली में मात्र 3 रुपये है। अपने यहां पर स्थाई शुल्क और सैस लगने के कारण बिजली की दरें सर्वाधिक हो गयी हैं। राजस्थान में 55 यूनिट बिजली का बिल 700 रुपये का आ रहा है। जब मैंने इस पर गुणा-भाग किया तो यह 13 रुपये 34 पैसे प्रति यूनिट

(श्री प्रताप सिंह)

बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही है, डोमेस्टिक कनेक्शन वालों को मिल रही है। इसी प्रकार से व्यावसायिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी काफी बिजली का भार डाल दिया है। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि इस ओर ध्यान दे। सरकार ने वादा किया था कि किसानों का बिजली का बिल कम करेंगे। वह वादा तो इनका झूठा निकला जबकि ये अपने आपको किसानों का हितैषी बताते हैं। वसुन्धरा राजे जी की सरकार में जो 833 रुपये प्रति माह की सब्सिडी किसानों को दी गयी थी, वह समाप्त कर दी गई है। मेरा निवेदन है कि आप किसानों के हितैषी बन रहे हो। अभी-अभी आपने पूरे राजस्थान में धरना दिया है। कम से कम आप सब भी इस प्रकार की कोशिश करें कि किसानों को जो सब्सिडी वसुन्धरा सरकार ने दी थी, वह वापस चालू हो।

सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल का महंगाई से सीधा सम्बन्ध है। देश में पैट्रोल और डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है। यदि वैट और करों की दरों की तुलना करें तो अन्य राज्यों से राजस्थान में पैट्रोल पर टैक्स लगभग 36 परसेंट और डीजल पर लगभग 26 परसेंट है जबकि पड़ौसी राज्य हरियाणा में टैक्स 20 रुपये 10 पैसे, डीजल पर 20 रुपये 20 पैसे ही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पैट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को तत्काल कम करें ताकि किसान, गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। बड़े आदमियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी जरूर पिस रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इसमें अवश्य ध्यान दें।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। आधे में रेगिस्तान है, पानी की अपने यहां पर बहुत कमी है। पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी रीत गया है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें, जिनमें कम पानी लगता हो।

(14.57 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, गाय हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आज शहरों में ही नहीं, गांवों में भी गायों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और वे शहरों व गांवों में लावारिस घूमती हुई कहीं पर भी आपको दिख जाएगी। राजस्थान का कुछ हिस्सा तो अपने ऊपर कलंक है। हम सबके ऊपर कलंक है,

(श्री प्रताप सिंह)

जहां पर गोकशी की जा रही है और एक तरह से गायों का कत्लेआम हो रहा है। यह हमारे लिए कलंक है। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जिले में जहां पर भी जरूरी हो, जितनी भी आवश्यकता हो, गोशालाएं खुलवाएं, ताकि हमारी संस्कृति का प्रतीक गोमाता को हम संरक्षण दे सकें।

सभापति महोदय, प्रदेश में कैंसर की बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। कैंसर का मुख्य कारण पेस्टिसाइड्स और फर्टीलाइजर्स हैं, ऐसा बताया जाता है। महोदय, मेरा निवेदन है कि हम सबको आर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए। जो किसान आर्गेनिक खेती करना चाहता है, उसको सरकार की तरफ से इन्सेंटिव मिले, कुछ और फायदे मिलें, ताकि वे आर्गेनिक खेती कर सके। मैंने गोशालाओं का जिक्र किया। गोशालाएं भी इसमें लाभकर हो सकती हैं। उनका गोबर वगैरह आर्गेनिक खेती में काम आ सकता है, इसलिए गोशालाएं भी निश्चित रूप से आप ज्यादा से ज्यादा बनवाएं।

(15.00 बजे)

मेरा यह भी निवेदन है कि अभिभाषण में आपने अल्पसंख्यकों के लिए, बच्चों के लिए वज़ीफ़े का एलान किया है। मेरा यही कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं किया है। खाली उपलब्धियों का जिक्र मात्र किया है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय खुश हो सके, वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। मान्यवर, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अल्पसंख्यक नाम से मात्र मुसलमानों को देखा जाता है। जैन, सिख, ईसाई ये सब लोग भी अल्पसंख्यक हैं। हमारे लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और हमारे लिए भी योजनाएं अलग से बनाई जानी चाहिए। हमारा धर्म अलग है, हमारी गिनती अल्पसंख्यकों में होती है। निश्चित रूप से चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, और मत-मतांतर का व्यक्ति हो, उसको निश्चित रूप से कोई न कोई फायदा सरकार को देना चाहिए, ताकि वह समाज की बराबरी में समाज के साथ चल सके।

वसुन्धरा जी ने अन्नपूर्णा योजना चालू की थी कि गरीब को 8 रुपये में खाना व 5 रुपये में नाश्ता मिल सके। पहले तो यह योजना सरकार बनते ही बंद कर दी। बाद में इस योजना को महात्मा गांधी के नाम से चालू किया गया, इंदिरा गांधी रसोई योजना या जो भी हो, 8 रुपये में आपने भी खाना चालू किया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, परंतु 5 रुपये में जो नाश्ता

(श्री प्रताप सिंह)

वसुन्धरा सरकार के समय मिलता था, वह आप लोगों ने बंद कर दिया। इसका सीधा असर गरीब पर पड़ता है, मजदूर पर पड़ता है। जो घर से भूखा निकलता है, 5 रुपये में अगर नाश्ता करके जाता है तो दिन भर मजदूरी ढंग से कर सकता है। गरीबों के बच्चे शहरों में पढ़ने को आते हैं। गरीबों के बच्चों को 5 रुपये में नाश्ता मिल सकता है, वे अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस पर भी आप गौर करें और यह नाश्ता पुन: चालू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, कोटा को कोचिंग सिटी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। वर्तमान में कोरोना प्रकोप के कारण सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल्स बंद हो गये थे। कोरोना की कमी को देखते हुए सरकार ने वापस कोचिंग इंस्टीट्यूटस को और हॉस्टल्स को यह परमिशन दी कि बच्चे आप रख सकते हैं और बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। परन्तु अभी तक जिस प्रकार की मुझे जानकारी है, 15-20 प्रतिशत बच्चे जो कोटा के बाहर के हैं, वे ही आ पाए हैं। आते ही उनमें भी कई बच्चों के कोरोना की बीमारी हो गयी है, कोरोना हो गया है, इसलिए प्रवासी बच्चों को कोटा कोचिंग के लिए भेजने में डर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई इस प्रकार के नियम-कायदे बनाएं ताकि प्रवासी राजस्थानी या राजस्थान के और हिस्सों के लोग कोटा में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बेखौफ होकर भेज सकें और कोटा शहर अपनी पुरानी स्थिति में आ सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं। इनकी मूंछों से डर रहे हैं। देखो आप, पूरा खाली है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरी बात सुनिए, संयम जी, धारीवाल साहब, कटारिया साहब, डाक्टर साहब, आप और मैं राजपूत हैं। हम कम हैं क्या किसी से?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, किसानों के कर्ज माफी की बात बहुत की जा रही है। लगातार दो साल से सुन रहे हैं। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष के मुंह से बार-बार निकलता था कि सरकार बनते ही आठ दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। परन्तु मुझे बताते हुए दुख है कि

(श्री प्रताप सिंह)

कोआपरेटिव का कर्जा तो माफ हुआ है, लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जिनसे किसानों ने के.सी.सी. ली है, वह अभी तक माफ नहीं हुई है। किसान भटक रहा है कि कर्जा माफ होगा या नहीं होगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई इन्सेंटिव या कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है कर्जा माफी की तरफ। मैं इस बात के लिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सैटलमेंट की योजना बनाई है, जो ओवरड्यू किसान हैं, केसीसी के या ट्रैक्टर लोन के या दूसरे लोन के उनके दस परसेंट में जो योजना चली है, दस परसेंट हिस्से में उनको एन.ओ.सी. मिल रही है, निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। यह अच्छी योजना है। अगर आप भी करते तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा मिलता और राजस्थान के किसानों को भी फायदा मिलता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, Please conclude your speech.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। देश में अडाणी, अम्बानी को छोड़कर ज्यादातर उद्योगपति हमारे राजस्थान के हैं। राजस्थान में उद्योग धंधा भी लगाना चाहते हैं। वे यहां पर पैदा हुए हैं। वे अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं परन्तु सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई योजना बने कि वे अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपने स्टेट की तरफ आकर्षित हों। उनके भी मन में है कि हमने पैसा कमाया है, हम भी हमारी मातृभूमि की रक्षा करें, परन्तु सुविधाओं के अभाव में वह राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। उद्योग मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें।

मान्यवर, सड़क विकास की पहली कड़ी है। सड़कों की स्थिति इस प्रकार की है कि पिछले दो वर्षों में लगता है कि पी.डब्ल्यू.डी. के ताला ही लग गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, please cooperate. Already you have taken more time.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): वसुन्धरा सरकार के समय के 38 करोड़ रुपये तो सड़कों के हैं और 6.50 करोड़ रुपये, जिन ठेकेदारों ने बिल्डिंग का काम किया है, उनके आज दिन तक बकाया हैं। दो साल में पी.डब्ल्यू.डी. में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। 500 तक की आबादी के सब गांव जुड़ गये हैं 2001 की जनसंख्या के हिसाब से। आज 2021 है, मेरी मांग है कि 2021 में जिन गांवों की संख्या 500 या 500 से अधिक हो गयी है,

(श्री प्रताप सिंह)

उनको सड़क से जोड़ने के लिए भी आप कोई प्लान तैयार करें और उन गांवों को शीघ्रातिशीघ्र सड़क से जोड़ें।

श्री सभापति: Please cooperate and finish your speech. श्री राजकुमार रोत।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): साहब एक और है। दुर्भाग्य से पिछले दो वर्षों में कानून व्यवस्था की जिस प्रकार की स्थिति हुई है, यह किसी से छिपी नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है कि राजस्थान में साइबर क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, साइबर क्राइम के लिए हमारी पुलिस एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि साइबर क्राइम की पुलिस को अलग से ट्रेनिंग करवाएं, ताकि इस नयी बीमारी को रोका जा सके। शेखावाटी में जिस प्रकार से गैंगवार बढ़ रहे हैं, हमें रात-दिन सुनने को मिल रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत। प्लीज बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर..

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: महत्वपूर्ण तो सब कुछ है परन्तु Your time is over now. श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): आज देश की जो स्थिति बनी हुई है और राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में, सरकार के जो विषय हैं, कोरोना जैसी महामारी में एक कुदरती कहर था और इस कुदरती कहर में हमारे देश की वास्तविकता क्या है? हमारे राज्य की वास्तविकता क्या है? यह हम सबको एहसास कराया। यह एक ऐसी बीमारी थी और अभी भी है कि इंसान, इंसान को टच करने से डरता है। इस विकट परिस्थिति में, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी ने राजनीतिक पार्टियों से उठकर माननीय गहलोत साहब को साथ दिया। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी

(श्री राजकुमार रोत)

से निपटने के लिए सभी ने अच्छा काम किया। इस समय हमने देखा कि हमारे लोगों की क्या स्थिति है, राज्य की क्या स्थिति है, हमारा देश कितना मजबूत हैं, हम कितने मजबूत हैं। यह उस विकट परिस्थिति में देखने को मिला कि हमारे लोग किस स्थिति में हैं।

मेरा चौरासी विधान सभा क्षेत्र है, जो डूंगरपुर, राजस्थान और एम.पी. का बार्डर पड़ता है। उस बार्डर पर उस समय यह स्थिति बनी, जो गरीब मजदूर थे और गुजरात मजदूरी के लिए गए थे, लॉकडाउन में सारी परिवहन की सुविधा बंद कर दी गयी, वे 600-700 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे। एक दिन ऐसा था कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि किसी भी ज़िले में कोई मूवमेंट नहीं होगा और होगा तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही होगी। सारे कलेक्टर डरने लग गए। वहां रतनपुर बार्डर पड़ता है, उस बार्डर पर यह स्थिति बनी कि जिला प्रशासन लोगों को उधर से इधर धकेल रहा है और इधर जिला प्रशासन लोगों को इधर से उधर धकेल रहा है। लोग जंगलों में भाग रहे थे। मैं आपके माध्यम से सदन में इसलिए रखना चाहता हूं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, यह एक कुदरती कहर हुआ, उसके लिए हमारा देश, हमारा राज्य, इतना सक्षम अभी तक हम लोग नहीं कर पाए कि प्राकृतिक आपदा से निपट सके।

अभी दो-तीन दिन पहले ही हमारे बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ में एक व्यक्ति अपने चार मासूम बच्चों को मारकर खुद फांसी पर लटक गया। आज से एक महीने पहले गुजरात में 15 लोग रोड के साइड में सोए हुए थे, डम्पर चढ़ गया और मर गये, यह क्या रीजन है? हम यह सोच रहे हैं कि डम्पर चढ़ गया, हम यह सोच रहे हैं कि आदमी ने दारू पी रखी थी इसलिए चार बच्चों को मार दिया, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही? क्या वजह थी कि उन लोगों को वहां सड़क के किनारे सोना पड़ा? पूरे इलाक़े में यह स्थिति बनती है कि 30 से 40 प्रतिशत जो लोग होते हैं, वे अपने बीवी-बच्चों को, पूरे परिवार को लेकर गुजरात काम के लिए जाते हैं, वहां काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जो 15 लोगों का हादसा हुआ, उसमें उनका पूरा का पूरा परिवार खतम हो गया। इससे यह साबित होता है कि आज तक हमने गरीबों, बेरोजगारों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या काम किया है।

उस इलाक़े में दो बड़े डैम बने हुए हैं। एक माही डैम, दूसरा कडाणा

(श्री राजकुमार रोत)

डैम गुजरात में बना हुआ है। आज किसानों की बात हो रही है। दो डैम का विकास हुआ, लेकिन क्या हुआ, माही का सारा पानी गुजरात उपयोग कर रहा है और उस एरिया में जो लोग विस्थापित हुए, वही लोग आज बंजर जमीन पर जाकर रह रहे हैं। वही लोग आज गुजरात जाने के लिए मजबूर हैं। कडाणा विस्थापित हुआ, हमारा डूंगरपुर जिला, मेरे विधान सभा क्षेत्र की वेदपुरी पंचायत समिति, इसमें से 20-25 गांव विस्थापित हुए, आज तक भटक रहे हैं। कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कई लोगों को सरकार ने आंकड़ों में विस्थापित कर दिया उस जमीन पर, वहां पर पहले से कोई और रह रहा है। ऐसे लोग जो गुजरात जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है, इसलिए आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गुजरात का कडाणा का पानी, सारे लोग, उस क्षेत्र के आदिवासी विस्थापित हुए और पूरा पानी गुजरात उपयोग कर रहा है। माही की भी वही स्थिति है। भीखाभाई नहर बन रही है। 1996 से काम चल रहा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। आगे काम चल रहा है और पीछे टूट रही है। गवर्नमेंट हर बजट सत्र में उसकी मरम्मत का पैसा सैंक्शन कर रही है,यह कौन सा विकास है, किस दिशा में जा रहे हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, न पक्ष पर लगाना चाहता हूं और न ही विपक्ष पर लगाना चाहता हूं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर सवाल उठता है। हमारी जो व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सही तरीके से काम नहीं किया। हम यह चाहते हैं कि गुजरात, कडाणा वाला कमिटमेंट हुआ था गुजरात व राजस्थान सरकार का, गवर्नमेंट पहल करे, उस कमिटमेंट के अनुरूप जो पैसा था, वह गुजरात गवर्नमेंट को दे दें। माही व कडाणा का पानी जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लोग हैं, उनको सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाएं, ताकि ये घटनाएं नहीं हों। मर जाएंगे उस समय तो हम 2 लाख, 5 लाख रुपये दे देंगे, लेकिन इससे पहले ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि ये लोग गुजरात ही नहीं जाएं। इनकी जमीनें पड़ी हैं, उपजाऊ जमीन थी, उससे विस्थापित होकर बंजर में रह रहे हैं, वहां हम पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो।

अभी सदन में पक्ष और विपक्ष, दोनों की तरफ से चर्चा भी हो रही थी। भर्तियों के सम्बन्ध में हमारे साथी यादव जी बता रहे थे कि राज्य में बेरोजगारी है। राज्य में ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बनी हुई है। युवा परेशान हो रहा है, दर-दर भटक रहा है। हमारे उधर की एक व्यवस्था बताता हूं। अभी घटना हुई, काकरी डूंगरी कांड हुआ। वह पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय रहा।

(श्री राजकुमार रोत)

हम मानते हैं दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हुई, सही नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यवाही कर दी। सरकार ने, विपक्ष ने भी दांव खेल दिये, लेकिन क्या कारण रहा कि वह घटना हुई। यह भर्ती से जुड़ा हुआ मामला था। पिछली सरकार की शिक्षक भर्ती थी। शिड्यूल्ड एरिया में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। 2016 की अधिसूचना है, उसमें यह स्पष्ट है कि 45 परसेंट एस.टी., 5 परसेंट एस.सी. और 50 सीटों में सभी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी जा सकते हैं। अब उस 50 परसेंट में से 1167 सीटें खाली रह गयी थीं। उन खाली सीटों को लेकर लड़के कोर्ट में गए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि एसटी के पात्र अभ्यर्थी सीट पर जा सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ फिर डी बी. में दूसरा पक्ष गया और उनको वहां से हार मिली। फिर यही लड़के सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन हमारी जो गंदी राजनीति चलती है, मैं इस सदन में किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। अक्टूबर, 2019 में उन लड़कों को हाई कोर्ट के रास्ते से लाकर, डूंगरपुर ज़िले में अक्टूबर, 2019 में सड़क के रास्ते बिठाया। मैं इस घटना का इसलिए बता रहा हूं कि यह घटना हुई नवम्बर, 2020 में और उन लड़कों को अक्टूबर, 2019 में सड़क पर बिठाया, 22 दिन तक कलेक्टरी के बाहर बैठे रहे। वापस वही लड़के दिसम्बर में, हमारे नेताओं ने इसी काकरी डूंगरी पर चढ़ाया, वह इसलिए चढ़ाया कि जनवरी-फरवरी में पंचायती राज चुनाव होने वाले थे, ताकि युवा हमारी तरफ आए, हमारा वोट बैंक बढ़े, परन्तु किस्मत इतनी फूटी कि उस साल पंचायती राज चुनाव नहीं हुआ। दिसम्बर, 2019 में 12 दिन तक काकरी डूंगरी पर वे लड़के बैठे रहे। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। दिसम्बर, 2019 में चार प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनी और उसमें यह हुआ कि तीन महीनों में इसका निस्तारण किया जाएगा। लड़के इंतजार करते रहे, फिर सितम्बर, 2020 में, एक साल बाद, फिर उस काकरी डूंगरी पर चढ़े। वहां 18 दिन तक बैठे रहे। उसी दिन बैठे और उसी दिन मुकदमा हुआ, पुलिस द्वारा उनको जबरदस्ती उतारने की कोशिश हुई। मैं ऐसी घटना बताऊंगा, भयंकर बारिश हो रही थी उस समय, दो महिला अभ्यर्थी प्रेग्नेंट थी, उनका मिसकैरेज हो गया। कई लड़कों के साथ मारपीट हुई। 18 दिन बाद, यहां 24 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, इससे पहले 14 सितम्बर, 2019 को होने वाली थी, 20 को नहीं हुई, 17 को होने वाली थी नहीं हुई, 24 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। पूरा उदयपुर सम्भाग इस मीटिंग का इंतजार कर रहा था कि कुछ न कुछ निस्तारण होगा लेकिन

(श्री राजकुमार रोत)

हम संवेदनशील नहीं बने। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वह मीटिंग कैंसिल कर दी। फिर कुछ लड़के रोड पर उतर गये। उन लड़कों ने वह गलत किया। क्या इस देश में, इस राज्य में पहले कभी कोई आंदोलन नहीं हुए, क्या पहले कभी कोई सड़कें जाम नहीं हुईं चलो, उन लड़कों ने गलत किया। जाम होते ही तुरन्त जाकर लाठीचार्ज कर दिया, आधे घंटे में फायरिंग कर दी, धूमधाम-धूमधाम कर दिया। क्या स्थिति बनी। एक साल तक लड़कों को मजबूर किया। 22 दिन तक कलेक्ट्रेट के आगे बैठाया। 12 दिन तक उसी कागरी डूंगरी में फिर बैठाया। हमारे इस सिस्टम ने वापस 18 दिन तक उसी काकरी डूंगरी पर बैठाया। यह किस वजह से हुआ। 2016 की अधिसूचना के अनुरूप जो 50 परसेंट सीटें हैं, इसमें सभी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी जा सकते हैं लेकिन एक ऐसा लीकेज छोड़ दिया इस लाइन में, यह स्पष्ट नहीं किया कि ये जो 50 परसेंट सीटें हैं, उनमें सभी वर्ग के लड़के जा सकते हैं, लेकिन किस-किस वर्ग के लिये क्या पात्रता है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। इसीलिये यह घटना हुई। आज स्थिति बनी हुई है अब उस एरिये में क्या चल रहा है। दो लोगों की जान गई। उन लोगों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। फायरिंग हुई, जो राजा-रजवाड़ों के समय, अंग्रेजों के समय जो चलता था, वही उस समय चला और पूरा उदयपुर सम्भाग यह सोच रहा था कि विपक्ष, विपक्ष ने कमेटी बनाई कि इस घटना की हम जांच करायें, इसकी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन विपक्ष ने भी आकर ऐसा धब्बा डाला, कहा कि ये तो सारे आदिवासी नक्सलाइट हैं। विपक्ष ने पता नहीं अपनी कौनसी खुन्नस निकाली। क्या उस इलाके से कभी बी.जे.पी. को सपोर्ट नहीं मिला है, क्या उस इलाके से कभी कांग्रेस को नहीं जिताया? एक बार लोगों ने हमारे जैसे गरीब लोगों को एकमत देकर भेज दिया तो उसका खामियाजा यह थोड़े ही है कि लोगों को मारा जायेगा, जेल में भरा जायेगा। पुलिस की गाड़ियां गांवों में घुमा-घुमाकर कई लोगों के हाथ-पैर तोड़ दिये। जो अंग्रेजी शासनकाल में नहीं होता था, वह हुआ। चलो यह मान गये कि आदिवासियों का आंदोलन था लेकिन आज तक उस एट्रोसिटी मामले में जितने मामले हुए थे एजइट-इज वही लोग, वही जो परिवादी बने थे, उन्हीं को इस एफ.आई.आर. में जोड़ा गया। 20 से 25 एस.सी. समाज के लोगों को इसमें जोड़ा गया।

मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा। एक हरिजन टीचर था। वह सुबह स्कूल जा रहा था। अपनी भुहाली में उसकी पोस्टिंग थी। पुलिस ने उसको उसका

(श्री राजकुमार रोत)

नाम और उसकी जाति पूछ कर जेल में डाल दिया, उसका पैर तोड़ दिया गया, उसको जे.सी. कर दिया गया। यह कौनसा तरीका है? बीच में माइनोरिटी के लोगों को डाल दिया, सारे हमारी पार्टी के लोगों को। खेरवाड़ा के एक सी.आई. साहब कहते हैं, हम तो सबको अन्दर डाल देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लगा करके सारों को एफ.आर. के मुकदमे में डाल रखा है। हमने कौनसा गुनाह किया था। हमको यह कौनसा इनाम मिला है। आज भी यह स्थिति बनी हुई है। आज भी जब मर्जी आये तब पुलिस की गाड़ी गांवों में घुमाई जाती है। जो लोग अभ्यर्थी थे, जो अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या वे आगजनी करेंगे। उनको लूट का आरोपी बनाया, यह क्यों हुआ। हमें कारण जानना पड़ेगा। एक होटल थी अतिथि पैलेस, उस होटल को जलाया। उस होटल को तीन बार तोड़ा। हमें भी बुरा लगा। हमने पता लगाया कि ये कौन थे तीन बार इस होटल को तोड़ने वाले, तीन बार उस होटल को जलाने वाले। उन लोगों का क्या गुस्सा था। वह होटल फेमस है कि डूंगरपुर जिले का कोई भी अधिकारी आता है तो उसकी सेवा-चाकरी, सभी वहीं होती है। जहां मर्जी आये वहां ये कब्जा करते हैं। आसपास के लोगों को परेशान करके अपनी दुकान चलाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, हमें 10 मिनट मिला है, तो लगभग थोड़ा ही समय हुआ है। आपसे विशेष निवेदन है।

सर, मैं यह इसलिये बता रहा हूं कि आसपास के लोगों, अभी जो उस इलाके से सिक्स-लेन निकल रहा है, मैं आपको एक घटना बताऊंगा। एक विधवा महिला है। जो सिक्स-लेन कम्पनी काम कर रही है, वह अपने साथ में 4-5 दुकानें लेकर चल रही है। मर्जी आये, वह गरीब आदमी है, उसकी जमीनें हड़प रही है। एक विधवा महिला थी, उस महिला का अभी घर गिरा दिया। ऐसे ही पीड़ित लोग, जब ऐसा कुछ होता है तो अपना गुस्सा निकालते हैं। वही इस आंदोलन में हुआ था।

अभी एक घटना फिर हुई। कल ही एक आर्डर निकाला है। उस इलाके में अंग्रेजी शासन काल में एक जनवरी, 1841 को मेवाड़ भील कोर बटालियन का गठन हुआ था। अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर का इसलिये गठन किया था ताकि मेवाड़ भील कोर में इसी आदिवासी इलाके के जो भील लड़के हैं, उनको

(श्री राजकुमार रोत)

भर्ती किया जायेगा। भर्ती इसलिये किया जायेगा ताकि वे इस एरिये को समझेंगे, इसी की भाषा को समझेंगे और इस इलाके की कानून-व्यवस्था को समझेंगे तो ही हम इस इलाके में लोगों से व्यवस्थित वाद-विवाद कर पायेंगे। यह उद्देश्य था। लेकिन आज क्या हो रहा है। परसों ही एक आर्डर निकला है। भील कोर बटालियन को, जो एक यूनिट खेरवाड़ा में है, एक यूनिट बांसवाड़ा में है, उनको अजमेर की तरफ दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। यह क्या कारण है। तीन से चार साल हो गये, उसकी भर्तियां सही तरीके से नहीं निकल रही हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ने जो भील कोर बटालियन वहां से दूसरे जिलों में भेजने का आर्डर निकाला है, उसको निरस्त किया जाये। (व्यवधान) क्योंकि हम इसका विशेष विरोध करते हैं।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, जो शिक्षा की बात हो रही है, मैं दो मिनट में मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। भारत सरकार द्वारा शिड्यूल्ड एरिये का विस्तार हुआ। शिड्यूल्ड एरिये का विस्तार हुआ 19.05.2018 को और इसके बाद कार्मिक विभाग का आदेश निकलता है। उस राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो विस्तार हुआ एरिया है, इसके बाद वाली सभी भर्तियों में यह मान्य होगा, लेकिन अधिकारियों ने मिलीभगत से इसके पहले की जितनी भर्तियां थीं, इन सभी भर्तियों में इस इलाके के लोगों को बैकडोर एंट्री दे दी। कहां-कहां अन्याय नहीं कर रहे हैं। इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आज अभी तक जो हम कहते हैं भारत-पाकिस्तान, हमें यह लगता है कि डूंगरपुर में भारत-पाकिस्तान, डूंगरपुर के लोगों को यह लगा कि भारत-पाकिस्तान एक हो गया, पूर्व-पश्चिम एक हुआ और इस देश को जो चला रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अपने-अपने सिद्धांत हैं। लेकिन डूंगरपुर में इस देश की दो महान पार्टियां कांग्रेस और बी.जे.पी. ... (व्यवधान) दोनों ने मिलकर अपना बना दिया।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज कन्क्लूड। प्लीज, रोत साहब। प्लीज, कन्क्लूड। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सिद्धांतहीन पार्टियां हो गयी हैं।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द जी मेघवाल।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, हमारे यादवजी बता रहे थे, उनको कहना चाह रहा हूं कि इस देश का, इस राज्य का युवा समझ चुका है कि आने वाले समय में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: Please conclude your speech. You just have two minutes. Please, I am allowing you....(व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आपको खूब धन्यवाद। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): सभापति महोदय, 10 फरवरी, 2021 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो इस सदन में अभिभाषण किया गया, उस पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पूर्व वक्ता अभी लम्बे-चौड़े भाषण, इस अभिभाषण को छोड़कर, जाने कहां-कहां की बातें यहां पर कर रहे थे। पिछले दो साल से हमारे नेता और राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत साहब के द्वारा सीमित संसाधन होने के बाद भी, विषम परिस्थितियां होने के बाद भी इस प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन किया गया, चाहे वह कोरोना में हो या किसी गम्भीर बीमारी की स्थिति में हो, कोई भूखा नहीं सोये, उस स्थिति में हो। मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने रात-दिन एक करके, चाहे वह विपक्षी पार्टी का नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, गांव का पटवारी हो, गांव का सरपंच हो, हर व्यक्ति से सम्पर्क करके इतनी बड़ी महामारी से, जिससे पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड डर रहा था, भयभीत था, लेकिन उन्होंने राजस्थान को जिस प्रकार से सुरक्षित किया, राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लोगों के मन को जीतने का प्रयास किया और जिसकी वाहवाही हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी ने, उनके मुख के द्वारा की गयी कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्थापित करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान ने केन्द्र में 25 सांसद चुनकर भेजे हैं। पिछले दो साल से राजस्थान का जो हिस्सा है, चाहे वह जी.एस.टी. का हो या अन्य मदों का हो, वह 25 के 25 सांसद मूक दर्शक

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बनकर इस विषम परिस्थिति में राजस्थान की जनता की तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्रधान मंत्रीजी के भाषण पर, प्रधान मंत्रीजी के आह्वान पर ताली और थाली बजाते हैं, अगर राजस्थान की जनता की बात वहां सदन में रखते तो राजस्थान की जनता, राजस्थान के आठ करोड़ लोग उनको बधाई देते, धन्यवाद देते, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूं कि वह सदन में, भारत की संसद में ताली और थाली बजा रहे हैं, राजस्थान की जनता की भावना को ध्यान में नहीं रख रहे, उनकी तरफ नजर नहीं रख रहे, उनको अगले जन्म में ताली बजाने वाला बनाये।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दो साल में, क्योंकि वह किसान की पीड़ा को समझते हैं, मजदूर की पीड़ा को समझते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान का किसान, जब नवम्बर और दिसम्बर का समय आता है, जब खेत में पानी देने की बात आती है तो रात को ग्यारह बजे, बारह बजे, तीन बजे, जब उसका फीडर का टाइम होता है तो वह मोटर चालू करने जाता है और अंधेरी रात में जब वह खेत में पानी देने जाता है तो पानी बर्फ की तरह हो जाता है और जब हाथ उसमें देता है तो पूरा शरीर कांप जाता है और उसको यह पता ही नहीं होता कि उसको रात को खेत में पाणत करते हुए कहीं पर बिच्छू काटेगा या सांप काटेगा, उस भावना को ध्यान में रखते हुए बजट में यह घोषणा की कि हमारे कार्यकाल में, 2023 के पहले-पहले पूरे राजस्थान के किसानों को केवल दिन में बिजली दी जाएगी, रात में किसी फीडर पर बिजली नहीं दी जाएगी। यह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया और उसी परिणति में पिछले दो साल के कार्यकाल में चाहे 400 के.वी. के जी.एस.एस. की बात करो, 220 के.वी. के जी.एस.एस. की बात करो, 132 के.वी. के जी.एस.एस. की बात करो या 33 के.वी. जी.एस.एस. ग्रिड की बात करो, पूरे राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में इनको बनाकर, उनका यह मिशन है, उनका यह विजन है कि आने वाले 2023 के पहले-पहले किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बात रोजगार की हो रही है, लेकिन मैं यहां पर बैठे हुए विपक्ष के नेताओं से यह पूछना चाहूंगा कि 2014 में आपने देश की जनता को भ्रमित किया था और झूठ का एक पिटारा लेकर आये थे

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

कि भाइयों और बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपये देंगे। इस बात पर इस देश की 135 करोड़ जनता ने विश्वास किया और फिर आपने कहा कि कांग्रेस के राज में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस बात पर भी विश्वास किया। फिर आपने यह कहा कि कांग्रेस के राज में महंगाई सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की उम्र की तरह बढ़ रही है, हम इस पर काबू करेंगे, इस पर भी हिन्दुस्तान की जनता ने विश्वास किया। आपने यह कहा कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, इस बात पर भी देश की जनता ने आप पर विश्वास किया। आपने यह कहा कि विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे, इस बात पर भी विश्वास किया लेकिन इस छह साल के कार्यकाल में इतने एजेंडे, इतने वादे आप लोगों ने किये हैं, एक भी विजन और एक भी एजेंडा अगर आपने पूरा किया हो तो मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से हमारे देश के प्रधान मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आप एक नया विजन लेकर आये हो, तीन कानून जो किसानों को बरबाद करने वाले हैं, जो किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले हैं और उसकी वाहवाही आप और आपके मंत्री और आपके सांसद गांव की चौपाल पर जाकर करना चाहते हैं, वह किसान, जो दिल्ली की बोर्डर पर या जिले की बोर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहा है, वह न कांग्रेस का है और न भारतीय जनता पार्टी का है, इस हिन्दुस्तान के 135 करोड़ लोगों में से वह किसान है। उसको कांग्रेस से लेना-देना नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है। वह यह चाहता है कि मेरी जो आने वाली नस्लें हैं, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, इस कानून के माध्यम से मर जाएंगी, उसका दमन होगा और जो देश के दो पूंजीपति हैं और जिस प्रकार से इमरजेंसी के टाइम पर जब देश में जनसंख्या बढ़ रही थी, इस देश में एक नारा दिया गया था कि 'हम दो और हमारे दो'। आज उस नारे की परिणति क्या हो गयी है? हम दो और हमारे दो यानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इधर अंबानी और अडाणी। यानी, 'हम दो और हमारे दो', इस देश के विकास के लिए एक नारा दिया गया था लेकिन आज 'हम दो और हमारे दो', यह नारा इस देश को बरबाद करने के लिए लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एक मिशन ये लाये हैं, आत्मनिर्भर भारत

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

और कोरोना काल के अन्दर इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, निर्मला जी सीतारमण, जो इनकी वित्त मंत्री हैं, उनके मुख के द्वारा कि हिन्दुस्तान में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज हिन्दुस्तान की जनता को समर्पित किया जा रहा है। उसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हिन्दुस्तान के 135 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज आया था, इसमें नौजवान को रोजगार लेने के लिए आवेदन कहां पर करना पड़ेगा? उसको बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन कहां पर करना पड़ेगा? किसान को अपनी आय दुगुनी करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये में से आवेदन कहां पर करना पड़ेगा? यह सब मुंगेरीलाल के सपने हमारे देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय नरेंद्रजी मोदी इस देश की जनता को दिखा रहे हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जियो कम्पनी जो 2014 में एक सिम लेकर आयी थी, उस सिम में फ्री डाटा, फ्री मोबाइल, आप जितने घंटे नेट चलाओ तो चलाओ। आज इस देश का नौजवान जो आने वाला देश का भविष्य है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वह इस इंटरनेट का आदी इतना हो चुका है कि न उसको परिवार की चिंता है, न उसको देश की चिंता है, न समाज की चिंता है और आने वाला यह नेट इस देश की नस्ल को बरबाद कर देगा।

इसी प्रकार से यह जो बिल आया है, आप कहते हो कि मंडियां हमने बंद नहीं की हैं। किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है, इस देश में जब इन दो व्यक्तियों का आधिपत्य हो जाएगा, जमाखोरी हो जाएगी और जब किसी चीज की शार्टेज हो जाएगी तो ये उस चीज को निकालेंगे और मनमानी मनमर्जी की रेट से किसान को बेचेंगे, आम जनता को बेचेंगे, यह जमाखोरी इस देश के लिए एक विनाशकता हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता और इस सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा और यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपको कोई झिझक की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश की, राजस्थान की आठ करोड़ जनता आपके साथ है। आपने जिस प्रकार से, चाहे भारत सरकार आपको आर्थिक मदद करे या नहीं करे, लेकिन आपने अपने

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बलबूते पर राजस्थान की आठ करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कोरोना काल में, चाहे आपने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, जो 140 के ऊपर बनाये, 43 हजार आइसोलेशन केन्द्र बनाये, 1,899 वेंटिलेटर लगवाये, 3,170 आई.सी.यू. वार्ड बनाये और रोगियों के सम्पूर्ण इलाज के लिए उनका एक सपना था कि मेरे राजस्थान का एक भी व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं मरे और आपने निरोगी राजस्थान का एक सपना देखा, आज पूरे राजस्थान की जनता उसके लिए आपको बधाई देना चाहती है।

आपने अभी हाल ही में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना की शुरुआत की और उसका उद्देश्य भी यही है कि आज इस देश में जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वह केवल बीमारी पर खर्च हो रहा है। 100 रुपये की मजदूरी करने वाला व्यक्ति जब कोई बीमार हो जाता है तो वह यह सोचता है कि मैं मेरे बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? आपने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना के तहत, वह पहले 3 लाख 30 हजार रुपये मिलते थे, उसको आपने पांच लाख रुपये करके उसकी सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए राजस्थान की जनता का दिल जीतने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल के कार्यकाल में, चाहे सामाजिक न्याय की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो या खिलाड़ियों को रोजगार देने की बात करो, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उनके मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से जन कल्याणकारी काम किये हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। केवल इस सदन में भाषण देना अलग बात है, लेकिन आंकड़ों और तथ्यों को उठाकर बात करेंगे तो सही स्थिति हम सभी के सामने आएगी, क्योंकि खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में आउट आफ टर्न उच्च पदों पर नियुक्ति हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दी गयी है।

राजस्थान के आठ करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिले, उसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाकर आज उनका काम चल रहा है। गांवों में चाहे सोलर ऊर्जा के माध्यम से ट्यूबवैल लगाकर पानी देने की बात हो या पाइपलाइन के माध्यम से पानी देने की बात करो या हैंडपम्प लगाकर पानी देने की बात हो, हमारे राजस्थान के आठ करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं।

गौ-वंश संरक्षण, गाय, जिसको माता मानते हैं। एक माता हमको

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

जन्म देती है, दूसरी माता, जो हमको अनाज पैदा करके देती है और तीसरी माता, जो हमको दूध पिलाती है। एक माता पर हम सोते हैं, एक माता हमारे पास रहती है और जिसके नाम पर हम वोट मांगते हैं, वह माता दर-दर की ठोकरें खाती है। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है और अगर गौ-माता की काउंटिंग कराओ तो 8 करोड़ नहीं आएगी। मैं सदन के नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि भाषण देना एक अलग बात है। आज गौमाता की यह दुर्दशा क्यों हुई, इसके जिम्मेदार कौन हैं, यह दर-दर की ठोकरें क्यों खा रही हैं? इस पर चिंतन करने का काम नहीं किया। केवल गौ-माता के नाम पर हमने वोट मांगने का काम किया। आज सारे चरागाहों पर दो जून की मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने कभी अतिक्रमण नहीं कर रखा है, पांच बीघा के काश्तकार ने कभी चरागाह पर अतिक्रमण नहीं किया है। जो बड़े-बड़े भूमाफिया हैं, जिनको राजनेताओं का संरक्षण हैं, उन लोगों ने चरागाह की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। उसके कारण ही आज गौ-माता की यह दुर्दशा हो रही है। इस पवित्र सदन में चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हम एक संकल्प पारित करें कि राजस्थान की जितनी भी चरागाह की जमीनें हैं, चाहे वह किसी भी नेता के संरक्षण में हो, किसी भी अधिकारी के संरक्षण में हो, उसको गौ-माता के लिए सुरक्षित करेंगे और उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि गौवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए बजट 2020-21 में भरण-पोषण के लिए 885 करोड़, आप कहते हो कि गौ-माता के लिए क्या करते हो, 885 करोड़ रुपये का गौ-शालाओं को अनुदान दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थानी भाषा की बात चल रही थी। राजस्थानी भाषा हमारी मातृ भाषा है, राज्य की भाषा है और इसको संविधान में दर्जा मिलना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि राजस्थान हमारी जन्मभूमि है कर्मभूमि है और हमारी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए राजस्थान की विधान सभा नहीं, केन्द्र में बैठे हुए सांसदों द्वारा इसको उठाना जरूरी है। वहां पर हमारे 25 के 25 सांसद, जो लगातार 2014 की बात करो, 2019 की बात करो, 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर जाने के बाद वे राजस्थान की भाषा पर एक

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

शब्द भी वहां पर नहीं बोले। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती है।

माननीय सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जिस प्रकार का वर्तमान परिवेश चल रहा है, आज देश जिन हालातों से और परिस्थितियों से गुजरा है, 70 साल में देश ने जो विकास किया, 70 साल में इस देश ने जो सम्पत्तियां बनायीं, 70 साल में इस देश ने 135 करोड़ लोगों के भविष्य का जो निर्माण किया, पिछले छह साल में उनका हनन किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। पिता की सम्पत्ति पर तो कोई भी बेटा नाज कर सकता है, लेकिन खुद की कमाई हुई सम्पत्ति को अगर कोई नाज करे, उसको संतान कहते हैं। माननीय प्रधान मंत्रीजी, 70 साल में कांग्रेस ने चाहे एयरपोर्ट बनाये हों, रेलवे का निर्माण किया हो, बड़े-बड़े डैम बनाये हों, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगायी हों, उनको बेचकर तो आप मौज कर सकते हैं, लेकिन आपके पिछले छह साल के कार्यकाल में आप एक चीज तो बताएं कि हमने इस देश के विकास के लिए यह काम किया है। इसलिए केवल बातें और भाषणों से पेट नहीं भरता। इस देश को विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब-अमीर, पूंजीपति और सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना होगा, तब ही यह देश आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

सूचना

चित्तौड़गढ़ में बस दुर्घटना में 4-5 व्यक्तियों की मृत्यु

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी चित्तौड़गढ़ में उदयपुर से चित्तौड़ जाने वाली एक लोक परिवहन बस का एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में करीब चार-पांच लोगों की डैथ हो गयी और करीब 12 से 15 लोग गम्भीर घायल हो गये। मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, उसकी जांच भी कराएं। जो घायल हो गये हैं, सरकार उनका अच्छी तरह से इलाज करवाएं और जिन लोगों की डैथ हो गयी, उनके लिये सरकार मुआवजे की घोषणा करे कि इस रूप में क्या दे सकती है। इसके बारे में मंत्रीजी, जो भी

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

मुआवजा बनता है, सरकार की तरफ से उनको दिलवाएं और जो गम्भीर घायल हैं, उनको भी सरकार से अंशदान दिलवायें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति: माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभिभाषण के बिन्दु संख्या 3 में 'समृद्ध और विकसित राजस्थान' कहा गया है, राजस्थान के नव-निर्माण की बात कही गयी है। मैं पिछले दो साल से तो राजस्थान में देख रहा हूं कि जो पिछली सरकार थी और उस सरकार के समय में जो काम किये गये थे, उनके उद्घाटन में ही इस सरकार ने दो साल का समय निकाल दिया है। आज राजस्थान के ऊपर 45 हजार 282 करोड़ का कर्ज है। 2017-18 में यह कर्ज 13 हजार 556 करोड़ था और 2018-19 में यह 25 हजार 878 करोड़ का कर्ज था। राजस्थान के ऊपर कुल कर्ज का आंकड़ा देखें तो 3 लाख 79 करोड़ के करीब यह कर्ज पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, आज कर्जा लें, परन्तु पिछले दो साल के अन्दर कहीं भी कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। पूरे राजस्थान की जनता त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रही है और राजस्थान कर्जा लेने में पूरे देश के अन्दर दूसरे नम्बर पर आ गया है। 03 मार्च, 2020 को राजस्थान में कोरोना का पहला पेशेंट आया। विधान सभा चल रही थी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारिया जी, उप नेता आदरणीय राठौड़ साहब ने कहा था कि इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के साथ है। आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें हम लोग आपके साथ हैं परन्तु मुझे कहते हुए दु:ख है कि लॉकडाउन के बाद में जो हमारे प्रवासी भाई थे, उनको यहां लाने में सरकार ने भारी मजाक बनायी। जन-प्रतिनिधियों ने दबाव बनाया कि प्रवासी बाहर दु:खी हैं, खाने की होटलें बंद हैं, सारे व्यवसाय बंद हैं और जो नौकरी करते थे, उनके पास पैसा भी खतम हो गया है। सरकार ने आनन-फानन में एक आदेश निकाला कि जो भी प्रवासी बाहर रह रहा है, वह इस नम्बर पर रजिस्ट्रेशन कराये। मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि जो हैल्पलाइन नम्बर दिया गया था, वह नम्बर दो-दो दिन तक बिजी चल रहा था। सरकार

(श्री नारायण सिंह देवल)

ने अलग-अलग राज्यों के लिए, चाहे हमारे आई.ए.एस. हों, आई.पी.एस. हों, उनको कोआर्डिनेटर नियुक्त किया। मुझे कहते हुए दुख है कि वह जो कोआर्डिनेटर अधिकारी थे, उनके या तो फोन बंद थे या वे फोन रिसीव नहीं करते थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने एक हजार बसों की व्यवस्था की। राजस्थान के प्रवासी भाई महाराष्ट्र में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में भी रहते हैं। इसके अलावा और भी कई राज्यों में रहते हैं, उन प्रवासियों के साथ में आपने ऐसा मजाक क्यों किया? मेरा मानना है कि यह सरकार जानती है कि प्रवासी बन्धु, जो भी बाहर अपना व्यवसाय करते हैं, वह हमारा वोट बैंक नहीं हैं। प्रवासियों के दु:ख-दर्द हमने अपनी नजरों के सामने झेला है। इस सरकार ने कोरोना में एक नारा दिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने कोरोना में कितने राशन के किट बांटे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश के भामाशाह, स्वयंसेवी संगठन, धर्मगुरू, साधु-संत, संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन-रात लोगों को भोजन और राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केन्द्र की सरकार को, जिसने देश के 80 करोड़ लोगों को नवम्बर, 2020 तक पांच किलो गेहूं और एक किलो दाल और इसके साथ-साथ में 500-500 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया। इस कोरोना काल में जो हमारी भामाशाह स्वास्थ्य योजना थी, वह भी बंद कर दी गयी। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना थी। वह भी इस सरकार ने दो साल से लागू नहीं की। उसके कारण कई लोगों ने पैसों के अभाव में जिंदगी से हार मान ली। प्राइवेट हास्पिटल में जहां लोग कोरोना के लिए गये वहां उनसे जमकर पैसा लिया गया। सरकार प्राइवेट हास्पिटल्स को मिनिमम प्राइस पर जमीन भी अलाट करती है तो भी इन्होंने लोगों को कोई सुविधा नहीं दी। प्राइवेट हास्पिटल्स और सरकारी हास्पिटल्स के अन्दर कोरोना के वार्ड खोल दिये, बहुत अच्छा काम किया, सभापति महोदय, आप खुद भी पेशे से डॉक्टर रहे हुए हैं, इन वार्ड के अन्दर, जहां कोरोना के वार्ड थे वहां इमरजेंसी के आपरेशन नहीं किये गये। यहां तक कि जो पेशेंट डायलिसिस करवाना चाहते थे, उनके डायलिसिस भी समय पर नहीं हुए। इस कारण से कई लोग इस संसार से विदा हो गए। पूरे देश, दुनिया ने और यू.एन. ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की लड़ाई में जो अच्छा काम किया,

(श्री नारायण सिंह देवल)

इसके लिए प्रशंसा भी की, परन्तु मुझे कहते हुए दुख है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका भी विरोध किया।

मैं देश के वैज्ञानिकों, डाक्टरों को भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की सर्वश्रेष्ठ दवाई आज हमारे देश में बनी है। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को भी देश की जनता धन्यवाद देना चाहती है कि इस वैश्विक महामारी में एक दवाई हमारे देश में बन गयी है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि कोरोना की वैक्सीन आज 13 देशों के अन्दर सप्लाई हो रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिंदु संख्या 11 में कहा गया है कि कोरोना वारियर्स, जिनमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं संविदाकर्मी शामिल हैं, ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाए, उनके परिजनों को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सरनाऊ गांव का निवासी और उसी पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर संविदाकर्मी लगे हुए मांगीलाल जी, हरिराम जी विश्नोई की ड्यूटी के दौरान 16 अक्टूबर, 2020 को मृत्यु हो गयी। जालौर जिले से यहां प्रस्ताव भेजे हुए पांच महीने हो गये हैं तो यह सरकार की पारदर्शिता का एक नमूना मैं कहना चाहता हूं कि उस परिवार को आज भी एक रुपया नहीं मिला। अत: मेरी इस सदन से मांग है कि उस परिवार को जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता दी जाए।

अभी पिछले कुछ दिनों में केंद्र में वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और इस बजट में वैक्सीनेशन के लिए 45 हजार करोड़ के बजट का एलोकेशन किया गया, परन्तु महामहिम के अभिभाषण में धन्यवाद का एक शब्द भी यह सरकार नहीं कहलवा सकी।

इस सरकार ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं। पिछले बजट में कहा गया कि हम किसानों के हित में किसान कल्याण कोष का गठन करेंगे। दो हजार करोड़ रुपया लोन लेकर अलाट भी कर दिया और इस दो हजार में से 1,830 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में आपने दे दिया तो किसानों का कल्याण कैसे होगा, हम लोगों की यह समझ से परे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का दो साल का राज्यांश भी यह सरकार नहीं दे रही है तो आज राजस्थान का किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

आज बड़ी उमंग से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राहुल गांधी जी यहां पधारे हैं। इन्होंने आज से ठीक 808 दिन पहले हमारे जालोर जिले की धरती पर विधान सभा चुनाव 2018 से पहले कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो 10 दिन के अन्दर मैं सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। हमारे सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, 10 दिन में तो ये कर्जा माफ नहीं कर पाए, परन्तु कल यहां से राहुल गांधी जी के विदा होने तक तो आप कर्जा माफ करवा दीजिए। आज भी ढाई लाख किसान कर्जा माफी का राजस्थान में इंतजार कर रहे हैं।

सोसाइटियों से जो ऋण दे रहे हैं, उसके अन्दर भी राइडर लगा दिया है, किसानों को लाख रुपये की लिमिट है तो 20 हजार रुपया मिल रहा है।

पिछली विधान सभा में मैंने सहकारिता मंत्री जी को ध्यान दिलाया था कि जो डिफाल्टर किसान हैं, हालांकि कांग्रेस की कथनी और करनी में भारी फर्क है, जब आपने किसानों का सम्पूर्ण ऋण माफ कर दिया तो डिफाल्टर कहां से आया? तो मंत्री जी ने आनन-फानन में आदेश निकाला कि हम डिफाल्टर को भी लोन देंगे। मुझे कहते हुए दुख है कि आज भी इनकी कोआपरेटिव सोसाइटी के कम्प्यूटर पर डिफाल्टर ही बताया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पंचायती राज के साथ में इस सरकार ने भारी खिलवाड़ किया है। वार्डों का ऐसा पुनर्गठन कर दिया है, कहीं 300 का वार्ड है, कहीं 1800 का वार्ड है। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया उसमें भी सारे नियम-कायदे आपने ताक में रख दिये। कहीं चुनाव हो गये, आज भी राजस्थान में 12 जिलों के अन्दर चुनाव नहीं हुए हैं, जो सरपंच बन गये हैं, राजस्थान वित्त आयोग का 2,964 करोड़ रुपया आज भी उनके खाते में नहीं गया, वह भी राज्य सरकार ने अपने खाते में ले रखा है।

नरेगा में कोई पक्का काम नहीं हो रहा है, नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। अभी तो मेरे 10 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: Already 10 minutes exceeded.

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं 2 मिनट में खतम कर रहा हूं।

सरकार ने 16 जिलों के अन्दर दिन में बिजली देने की बात कही थी, परन्तु यह घोषणा केवल घोषणा ही है। इन 16 जिलों में जालोर का भी नाम था, परन्तु दिन में बिजली नहीं दी जा रही है, 833 रुपये की सब्सिडी खतम कर दी है। घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार पांच साल किसानों के कोई बिजली के बिल नहीं बढ़ाएगी, फ्यूल चार्ज और सरचार्ज के नाम पर भारी बढ़ोतरी कर दी। आज केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना है, उसमें भी राज्यांश नहीं मिलने के कारण सारा काम ठप पड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां की कुछ मांगें हैं, वह बात कह कर मैं मेरी बात खतम करूंगा। रानीवाड़ा में जसवंतपुरा के अंदर आई.टी.आई. खोली थी, आज उस बात को तीन साल हो गये, मैंने पिछली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया, मंत्री महोदय ने कहा कि इसको जल्दी से चालू कर देंगे, परन्तु आज भी वह बंद है।

पिछली सरकार में रानीवाड़ा में कॉलेज स्वीकृत हुआ था और बिल्डिंग के लिए छह करोड़ का प्रस्ताव भी भिजवाया गया, परंतु अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। पिछले दो बजटों में मुख्य मंत्री जी जालोर जिले को भूल गये, परन्तु अब की बार जालौर में रानीवाड़ा में कॉलेज के पैसे भी अलाट करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री पदमाराम।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: Please, it's not the ruling....(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन यह डिसीप्लिन है, मेरे डिसीप्लिन हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का रैगुलेशन आज हरियाणा से शुरू हो रहा है। हरियाणा ने दादागीरी करके हमारी सिधमुख नहर बंद करने का प्रोग्राम बना लिया। हमारे किसानों की फसल जल जाएगी।

श्री सभापति: सर, यह डिसीप्लिन नहीं है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं सरकार से इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं कि हरियाणा दादागीरी नहीं करे। पिछले 3 महीने से वहां भा.ज.पा. की सरकार हमारे हिस्से का पानी खा जाती है और राजस्थान की सरकार ने बार-बार इन्टरवीन किया है, फिर भी आज हमारे रैगुलेशन में दखलंदाजी कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: रूलिंग में नहीं है, I'm not allowing you.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इसलिए मैं आपके मार्फत सरकार तक यह बात भेजना चाहता हूं कि हरियाणा हमारा पूरा पानी दे और हमारा रैगुलेशन बी ग्रुप सिद्धमुख नहर का जारी रखे।

श्री सभापति: आप बहुत डिसीप्लिंड हैं, मेरा आपसे आग्रह है। माननीय श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, 10 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण सदन में दिया गया, उसके समर्थन में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल से राजस्थान में हमारी सरकार है। हमारी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने विषम परिस्थितियों में आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के उपरांत भी राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता को हर सम्भव प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए जो सराहनीय काम किया, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, गत मार्च के महीने में एक विश्वव्यापी महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। राजस्थान में मार्च के महीने में सबसे पहला केस आया। इस महामारी का पूरे विश्व में इतना भय था कि इसका पेशेंट कहीं बैठ गया या हाथ लगा लिया और उस पर कोई अन्य बैठ गया या चला गया तो वह बीमार हो जाएगा, खतम हो जाएगा। उस संकट की घड़ी में हमारे यहां के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने काम किया। हमारे यहां के डाक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, सभी नेता और पूरे राजस्थान की जनता ने मिलकर इस भयंकर बीमारी का मुकाबला किया। पूरे विश्व में राजस्थान एक आदर्श बनकर के आगे उभरा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी विपक्ष के माननीय सदस्य, जो कई बार यहां जीतकर आये हैं,

(श्री पदमाराम)

कई बार मंत्री रहे हैं, बड़े-बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, उनका ज्ञान बहुत है, वे यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। भारत के महान प्रधान मंत्री जी तो विश्व के अन्दर विख्यात हैं। हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने 6 साल में भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनके मुंह से किसी का नाम लिया ही नहीं जाता है। उनके राज में मोदी जी और अमित शाह के अलावा किसी का नाम नहीं है। उन्होंने प्रशंसा की कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जनता के हितैषी हैं। आम जन को कैसे बचाया जाए, आम जन की कैसे रक्षा की जाए, आम आदमी को साथ लेकर के कैसे चला जाए, सभी पार्टियों के लोगों को, सभी धर्म गुरूओं को, सभी कर्मचारियों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश की, इसलिए हम सब मिलकर के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप विपक्ष में हो, आपकी मंशा है कि हम कांग्रेस की प्रशंसा कैसे करें। अभी एक वरिष्ठ सदस्य ने कह दिया कि मैं कांग्रेस का विनाश करने वाला हूं। कांग्रेस का नाश न तो कभी हुआ, न ही होने वाला है और न ही कभी होगा। आपके मनसूबों पर पानी फिरेगा। आप चाहते हो कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दें। जिस पार्टी ने इस देश को आजाद किया, जिस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश के ढांचे को मजबूत किया। आज इससे देश में एक वट वृक्ष बनकर के खड़ा हुआ है। यहां बिजली, पानी, सड़कें, रेल और हवाई जहाज सभी निर्माण करने वाले लोगों को आप देश से निकालना चाहते हो। आप देश को मजबूती देने वाले लोगों का नाम नहीं लेना चाहते हो। ऐसी तानाशाही कभी नहीं चलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मन में एक जिज्ञासा है। राजस्थान की सरकार राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कर्जा था, उसको उतारने की कोशिश की। कोरोना महामारी ने इस साल में ऐसा आर्थिक संकट पैदा कर दिया, जिससे राजस्थान का रेवेन्यू 30 परसेंट पर आ गया। बहुत मजबूरी से लोगों को तनख्वाह देने की व्यवस्था की। महामारी के अन्दर नि:शुल्क दवाइयां देने की व्यवस्था की। हास्पिटलों के अन्दर लोगों के खाने की व्यवस्था की। बड़े-बड़े महंगे इंजेक्शन लगाए, जिससे कि राजस्थान की जनता की जन हानि नहीं हो। आज पूरे विश्व में सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही है।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो मैनेजमेंट है, जो सोच है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। राजस्थान में कोआपरेटिव बैंकों के कर्जे माफ कर दिये। राजस्थान की जनता ने 25 एम पी जिताकर दिये। हमारे विपक्ष के नेता वहां मजबूत हैं। प्रधान मंत्री उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर सकते हैं। प्रधान मंत्री जी अपने चहेतों के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो एक गरीब किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए इतना दरियादिल उनको होना चाहिए कि वह कामर्शियल बैंकों का कर्जा माफ कर सकें। नहीं, कामर्शियल बैंकों का कर्जा माफ करने से माननीय प्रधान मंत्री को कोई फायदा नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी तो कारपोरेट जगत के जो महान उद्योगपति हैं, उनको मजबूत करेंगे। वाहवाही करने के लिए, यहां के मीडिया को देने के लिए उनके पास पैसे हैं। किसान के पास क्या है? अगर गरीब किसान मजबूत हो जाएगा, किसान का बेटा बड़ी नौकरी पर चला जाएगा तो देश में अनर्थ हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करें। उनको सद्बुद्धि आये। अगर कामर्शियल बैंकों में आप बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के पैसे माफ कर सकते हो तो एक गरीब किसान के लिए, उसके बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए, उनको मजबूत करने के लिए उनके कर्जे माफ करें। गरीब किसान ने कर्जा लेकर अपने बच्चों का भरण-पोषण किया है। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए लोन लिया था। उसकी फसल खराब हो गयी। कभी टिड्डी आ गयी। कभी अनावृष्टि हो गयी। कभी बाढ़ आ गयी। इस कारण से उसकी फसल की उपज नहीं हो सकी और ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़कर के कर्जा बढ़ गया। प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन हैं कि वे भावुक हैं। सबको साथ में लेकर चलने की उनकी भावना है। वे देश के प्रधान मंत्री जी से निवेदन करें कि आने वाले समय में राजस्थान के जितने भी किसान हैं, उनके कामर्शियल बैंकों के कर्जे वह माफ करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो किसानों के खिलाफ काले कानून पास किये, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने उनको राजस्थान में लागू नहीं करने के लिए विधान सभा बुलाई और सदन में कानून पास किया। मैं

(श्री पदमाराम)

हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी जरूरत पड़ गयी जिसके कारण ये तीन कानून आये। ऐसा कौनसा संकट आ गया? राजस्थान के किसान, पूरे भारत के किसान कह रहे हैं कि हमको इन कानूनों की जरूरत नहीं है। इससे किसानों की आय कैसे दुगुनी हो जाएगी। किसान अपनी पैदावार को पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे यहां की जीरे की फसल हम गुजरात में बेचते हैं, बैंगलौर में बेचते हैं, महाराष्ट्र में बेचते हैं। ऐसी कौनसी समस्या आ गयी? समस्या यह है कि उद्योगपति दूसरी जगह नहीं बेच सकता। उनको छूट देने के लिए महान प्रधान मंत्री जी ने यह कानून पास किया है। वह उनके सपोर्टर्स हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि स्टॉक, किसान कहां स्टाक रखता है। किसानों की जितनी पैदावार होती है वे उसको बेचकर अपने घर का भरण-पोषण करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे कैसे बच्चों को सर्विस लगाएं या धंधा कराएं, उसके लिए कोशिश करते हैं। उद्योगपतियों ने यह जो कानून आया है, उससे पहले 20-20 किलोमीटर लम्बे-लम्बे गोदाम बनाये हैं। वह किसलिए बनाये हैं? किसान भोले भाले हैं। जब उनकी पैदावार आती है, उससे पहले दूसरे से वह कर्जा लेकर के आते हैं। बैंकों से कर्जा लेकर के आते हैं। समय पर अगर उनकी फसल नहीं बिकेगी तो औने-पौने दामों पर हम खरीद लेंगे। उसको गोदामों में संरक्षित कर देंगे। जब बड़ा पैसा आएगा तो उस समय उसको बेचेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे किसान वहां 70 दिन से धरने पर बैठे हैं। अभी हमारे सामने वाले, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग कह रहे थे कि किसी किसान ने आत्महत्या की, उसको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। बिलकुल, दी जानी चाहिए। उसके ऊपर संकट था। उसको आगे-पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। उसको सिर्फ मौत ही दिख रही थी। इससे उसने आत्महत्या कर ली लेकिन इस ठंड के अन्दर 200 किसान खतम हो गये। इस भयंकर सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय विपक्ष के नेता और माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या इतना भी टाइम नहीं है कि उनका नाम लें। वह क्यों खतम हुए? उनके साथ क्या अन्याय हुआ? उसकी क्या समस्या है? उसके बारे में टाइम नहीं है।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए बोला जाता है कि ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये नक्सलवादी हैं। किसान अपनी आवाज उठाता है। भारत के अन्दर कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, प्रधान मंत्री जी के खिलाफ बोलेगा तो वह देशद्रोही है। इनके साथ बोलने वाले तो राष्ट्रवादी, राष्ट्र हितैषी, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, ऐसा देश के अन्दर वातावरण पैदा हो गया। आज देश का युवा भ्रमित है, युवाओं को पहले 2014 के अन्दर माननीय मोदीजी ने कहा था कि हमारा राज आ जाएगा, हम साल में दो करोड़ नौकरी देंगे। अभी कोरोना काल के अन्दर एकदम रात को बारह बजे लॉकडाउन लगा दिया। गरीब लोग मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे उनको वापस आने के लिए साधन नहीं मिला। मजदूरी करने वाले के पास क्या होता है? अभी हमारा कोई साथी कह रहा था कि वहां फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्री वालों को कोई तकलीफ नहीं है, वे तो हवाई जहाज से आ सकते हैं। एक मजदूर, मजदूरी करने के लिए गया, यहां उनको भरण पोषण करने के लिए अपने बच्चों को जीवित रखने का साधन नहीं था, वह वापस नहीं आ सका। लॉकडाउन एकदम लगा दिया, पुलिस को सरकार ने कह दिया कि यदि वह वहां से आ जाएगा तो महामारी इतनी फैल जाएगी, पूरा प्रलय हो जाएगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। ऐसा भय था। उस भय को भगाने के लिए दो करोड़ नौकरी देना तो दूर, फैक्ट्रियां बंद हो गयीं, छोटे-छोटे उद्योग धंधे बंद हो गये, उनकी रोजी रोटी खतम हो गयी और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गयी, ऐसी महान भावना हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से 2013 के अन्दर मेरे यहां नर्मदा नहर की स्कीम सैंक्शन हुई थी पेयजल की और 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। हमारी सरकार चली गयी, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, इन्होंने छह महीनों के अन्दर उसका पुनर्निरीक्षण करके उस योजना को बंद कर दिया। पिछले पांच साल के अन्दर एक पैसा भी उसके अन्दर खर्च नहीं हुआ। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको रीओपन किया है। मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस योजना को जल्दी से जल्दी चालू करें।

मेरा विधान सभा क्षेत्र अल्पसंख्यक सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अन्दर रहने वाले अल्पसंख्यक लोग शिक्षा से वंचित हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री पदमाराम)

से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके दिल में जज्बा है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय खोलें, उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई नवाचार किये हैं। 400 मेगावॉट, 132 मेगावॉट जी एस एस के बारे में मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन के लिए 25 हजार किसान बाकी रह गये हैं, उनको घरेलू कृषि कनेक्शन दिये जाएं। एस.टी. के लोग, जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, उनको सामान्य योजना में जोड़ दिया है तो बाड़मेर को सीमावर्ती जिला मानते हुए एस.टी. के लोगों को प्राथमिकता के तौर पर कृषि कनेक्शन दें। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी अनुसूचित जनजाति के जीवन का उद्धार करने के लिए यह घोषणा करेंगे।

(16.12 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, अभी कानून व्यवस्था की बात आयी। कई लोगों ने कह दिया कि मुकदमे बढ़ गये, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आबादी बढ़ेगी, लोगों के पास धन बढ़ेगा, अत्याचार करने वाली कोई जाति नहीं होती है, अत्याचार करने वाले किसी धर्म, मजहब के लोग नहीं होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कानून व्यवस्था के अन्दर, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए नौकरी का प्रावधान किया है। ऐसे कई नवाचार किये हैं। कम संसाधन होने के उपरांत भी अभी जो डीजल की रेट, क्रूड आयल की रेट विदेशों में 40 डालर प्रति बैरल है और यहां डीजल 90 रुपये प्रति लीटर है और पैट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया है, क्यों? जब 135 डालर प्रति बैरल था और 65 रुपये प्रति लीटर डीजल हो रहा था, तो महान नेता जिन्होंने हमेशा ही राजस्थान का विकास किया है, राजस्थान के अन्दर, भारत के अन्दर खाली टंकियां लेकर, गैस की टंकियां लेकर रोड के ऊपर घूम रहे थे, आप चुप क्यों हैं? एक्साइज ड्यूटी दिनों दिन क्यों बढ़ रही है?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई उनके अन्दर राजस्थान को हिस्सा देना चाहिए, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाकर करोड़ों रुपये का जो धन वसूल किया, वह पैसे कहां खर्च किये?

(श्री पदमाराम)

भ्रष्टाचार की बात करने वाले, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले छह साल से भारत के अन्दर आपका शासन है और कांग्रेस को आप कोस रहे हो कि सत्तर साल में कुछ नहीं किया, आपने छह साल के अन्दर कौनसा जादू कर दिया। हर जगह आपके करोड़ों-करोड़ों रुपये के मुख्यालय बन गये। हर जगह आपकी सरकार है, आपके पास धन की कमी ही नहीं है, किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी भी एम.एल.ए. को खरीद सकते हैं, ऐसा कौनसा जादू कर दिया?

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री अविनाश।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरों पर आरोप लगाने वाले खुद के अन्दर झांकें कि हम कितने सच्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, मैं उसके विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह राज्य सरकार के विकास का आईना होता है, लेकिन जनता की नजरों में बीते दो साल के सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह पूर्ण रूप से आकांक्षाओं और निराशाओं से भरा हुआ है, यह जनता महसूस कर रही है। आपके इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल से कहलवाया गया, किसान कल्याण के बारे में, फसल ऋण माफी के बारे में, चाहे वह कोरोना काल का जिक्र हो, ग्रामीण विकास और पंचाययती राज का जिक्र हो, चिकित्सा सेवाओं का जिक्र हो, इस प्रकार के तमाम मुद्दे आपने इस बुकलेट में हम लोगों को दिये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीते दो वर्ष के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से पिछले भारतीय जनता पार्टी की, वसुन्धराजी की सरकार के कार्यकाल और इन दो सालों के कार्यकाल की अगर तुलना करें तो यह कहा जाएगा कि सरकार ने या तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को बंद करके रख दिया या उनका नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। अगर इतिहास में इस

(श्री अविनाश)

सरकार को कोई नाम दिया जाएगा तो पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने वाली सरकार के नाम से जाना जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग 25 महीनों के शासन काल में इस कांग्रेस सरकार ने जो काम किये, अभी कुछ मित्र कह रहे थे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने काम किये हैं। हां, मैं कह रहा हूं कि आपकी कांग्रेस की सरकार ने काम किये हैं, लेकिन क्या काम किये? एक बार आप तसल्ली से सुनें। आपने पिछली सरकार की मुफ्त दूध योजना थी, उसको बंद कर दिया, भामाशाह योजना को बंद कर दिया, भामाशाह स्वास्थ्य योजना सेवा को बंद कर दिया, आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, अन्नपूर्णा योजना को बंद करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया, जल स्वावलम्बन बंद कर दिया, पेंशन योजना बंद कर दी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर दी, गौरवपथ निर्माण बंद कर दिये, प्रशासन शहरों की ओर अभियान बंद कर दिया, गांवों में लगने वाले राजस्व शिविर बंद कर दिये, शिक्षित युवाओं को रोजगार बंद कर दिया, बिजली पर मिलने वाली किसानों की छूट बंद कर दी, किसानों की बाजरे की एम.एस.पी. पर खरीद बंद कर दी, संविदा कर्मियों की भर्ती बंद कर दी, सफाई कर्मियों की भर्ती बंद कर दी, शहरों का विकास बंद कर दिया, भ्रष्टाचार पर लगाम बंद कर दी, अपराधियों पर नियंत्रण बंद कर दिया, सेवानिवृत्त कर्मियों की दवाई बंद कर दी, कोरोना काल में मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी घरों में कैद रहे। ये आपकी जो राज्य सरकार थी, उसने पिछले दो सालों के अन्दर ये काम किये हैं। जिस प्रकार से 2018 के अन्दर आपको बहुमत मिला, बहुमत के बाद में आशा जो इस राजस्थान प्रदेश की जनता को थी, आपने इन दो सालों के शासन के अन्दर राजस्थान प्रदेश की जनता को धोखा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आपने पहला धोखा कर्ज माफी के नाम पर दिया, दूसरा धोखा आपने बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर किया, तीसरा धोखा बिजली की दरें बढ़ाकर किया, चौथा धोखा आपने महिला सुरक्षा के नाम पर किया, पांचवां धोखा अपराधों पर नियंत्रण नहीं लगाकर किया, छठा धोखा कोरोना के कुप्रबंधन के नाम पर किया, सातवां धोखा राज्य के हाईवे पर टोल लगाकर किया, आठवां धोखा, देश में सबसे महंगा पैट्रोल और डीजल यदि कहीं बिकता है तो वह राजस्थान प्रदेश में बिकता है। उसके बाद में भामाशाह योजना को बंद करके धोखा किया। इंदिरा

(श्री अविनाश)

रसोई चालू करके, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मां अन्नपूर्णा आप लोगों की मां नहीं हो सकती, आपकी मां इंदिरा और गांधी नेहरू परिवार हो सकता है। इसीलिए आपने मां अन्नपूर्णा का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया। आज राजस्थान में पैट्रोल पर 38 प्रतिशत और डीजल पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है। इसका मतलब है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं रेट वसूली जा रही है तो राजस्थान में वसूली जा रही है। सत्ता के लिए जिस प्रकार से जनता से आप विश्वास मत हासिल करते हैं, विश्वास मत सत्ता और शासन-सुख भोगने के लिए नहीं होता है। यह तो दबे, पिछड़े, गरीबों के कल्याण और सेवा के लिए होता है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी कहते हैं कि हमारा देश और दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। हमसे शत्रुता करने वाले लोग होंगे, उनसे स्वयं को बचाते हुए भी हमारी आकांक्षा उन्हें समाप्त करने की नहीं, उन्हें स्वयं से जोड़ने की है। यह वास्तव में हिंदुत्व है। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना यदि हमारे मन में आ जाए, सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की भावनाओं को यदि हम लेकर चलेंगे, निश्चित रूप से भारत पुन: विश्व गुरु बन जाएगा।

इसी प्रकार से मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ ऐसे लोगों से चलता है, जो होते तो हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि पिछले छह वर्षों में मोदी जी ने क्या किया है, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यदि आप में हिम्मत है तो आप तसल्ली से सुनना, इत्मीनान से सुनना और यदि मेरी बात गलत हो तो आप उठकर विरोध कर देना। मोदी जी ने पिछले छह सालों का शासन जो इस देश को दिया है, दो सीटों से खड़ी हुई पार्टी आज 303 सीटों पर स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। 500 सालों बाद राम मंदिर का निर्माण किसने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 70 साल के बाद धारा 370 खतम करने का काम किसने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। सी.ए.ए. का कानून किसने पास किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 72 साल के बाद तीन तलाक से मुक्ति का काम किसने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 34 साल बाद नयी शिक्षा नीति बनाने का काम किसने

(श्री अविनाश)

किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 22 साल के इंतजार के बाद देश को राफेल जैसा फाइटर जैट विमान यदि किसी ने दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया। 70 साल बाद खुले में शौच से मुक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। 56 साल के बाद देश में 100 परसेंट बैंकिंग सेवा देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। 70 साल बाद में 8 करोड़ 3 लाख महिलाओं को मुफ्त में उज्ज्वला योजना में गैस सिलैण्डर देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। 70 साल के बाद में एक करोड़ 3 लाख गांवों में इंटरनेट की सेवा देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। 43 साल बाद में वन रैंक, वन पेंशन देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है।

आपने कहा, मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी का डर इतना है, खौफ इतना है, विश्वास इतना है कि जो परिवार हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर पिछले 70 सालों से राज कर रहा था, ये वे लोग थे जो स्वयं को हिन्दू नहीं मानते थे, वे जनेऊ पहनकर ब्राहमण बनने को मजबूर हो गये और जिनके परिवार की मां यह कहती थी कि राम जी का अस्तित्व नहीं है और जिसका भाई कहता था मंदिरों में हमारी बहन-बेटियों को छेड़ा जाता है, आज उसी की बहन दो दिन पहले गंगा जी जैसे पवित्र स्थान पर स्नान करती नजर आ रही है। यह मोदी जी के आने के बाद ही इस देश में सम्भव हुआ है।

मैं कहना चाहूंगा, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं, मैं इस कोरोनाकाल में उसकी सेवाओं के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड-19 सेवा में मई, 2020 तक जो कामकाज किये, लगभग 85,701 सेवा स्थानों पर कार्यकर्ता काम करते रहे, 39,851 यूनिट रक्त का संग्रहण किया, एक करोड़ 10 लाख 55 हजार 450 राशन किट शहीद परिवारों को वितरित किये, प्रवासी श्रमिक सहायता के रूप में 27 लाख 98 हजार 91 श्रमिक सहायता के काम किये। अन्य प्रांतों को 13 लाख 30 हजार 330 और 4 लाख 89 हजार 949 सेवारत कार्यकर्ता काम करते रहे। 62 लाख 81 हजार मास्क वितरण का काम किया और 7 करोड़ 11 लाख 46 हजार 500 तैयार भोजन के पैकेट वितरित किये और अस्थायी निवासों में एक लाख 31 हजार 443 लोगों को रखा और घुमंतू जन सहायता के रूप में एक लाख 36 हजार 866 लोगों की सहायता की।

(श्री अविनाश)

इसी प्रकार से इस कोरोनाकाल में भा.ज.पा. ने भी अपना योगदान दिया। जिस प्रकार भा.ज.पा. के 921 संगठनात्मक जिले इसमें शामिल रहे, संगठनात्मक मण्डल के रूप में 14,540 मण्डल शामिल रहे, 9 करोड़ 54 लाख से भी अधिक खाद्य पैकेट वितरित किये गये, 2 करोड़ एक लाख रुपये से ज्यादा के राशन के किट वितरित किये गये, 2 करोड़ 24 लाख से अधिक फेस कवर, पी.एम. केयर्स फण्ड में अंशदान करने वाले 30.90 लाख से अधिक, 32 लाख 17 हजार जमीनी स्तर पर जुटे कार्यकर्ता, 2 लाख से अधिक बीमार व वृद्ध की सेवा में लगे कार्यकर्ता, हस्ताक्षर अभियान में कुल 3 लाख 68 हजार से भी अधिक लोगों ने भी काम किया। आप कहते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया।

मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं कि अगर मेरी बात गलत हो जाए और जिस राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाने का सपना आपने देखा है, उसकी सोच यहां तक पहुंच जाए तो आप में से उठकर कोई आदमी बता दे। मोदी जी ने पिछले पांच वर्षों के शासन में 7 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन दिये, 100 परसेंट विद्युतीकरण का काम किया, 2 करोड़ गरीब लोगों को प्रधान मंत्री आवास के माध्यम से घर दिये, 9 करोड़ शौचालय दिये, 33 करोड़ जन-धन के अकाउंट दिये, 50 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से लाभान्वित किया, 32 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब दिये, 14 करोड़ मुद्रा लोन दिये, 1.8 लाख किलोमीटर की रोड्स बनायीं, 35 नये एयरपोर्ट बनाये, सस्ता मोबाइल डाटा दिया, सैनिकों को हथियार व सुरक्षा देने का काम किया और नये एम्स का निर्माण किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह जो बात है, वह दो दिन पहले के अखबारों में छपी है। यह गुजरात का एक वाकया है जो पूरे सदन में बताना चाहूंगा। दो दिन में चार-चार वर्ल्ड रिकार्ड्स बने हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): वड़ोदरा में 2 किलोमीटर लम्बा हाईवे 24 घंटे में बनकर तैयार हुआ है। यह विश्व रिकार्ड आप गूगल पर सर्च कर लें। भारतीय रेलवे को 100 परसेंट विद्युतीकृत करने का काम मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से पिछले कई दिनों से किसानों के बिल किसान हित में केंद्र सरकार ने पास किये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): इस सरकार के द्वारा किसानों के बारे में जिस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है निश्चित रूप से सावधान रहने की जरूरत है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कांग्रेस द्वारा कृषि बिल को साजिश करार दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सच यह है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है। एम.एस.पी. मिलता है और मिलता रहेगा। ये सारी बातें इस किसान बिल में हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस अपनी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठी रही, वह किसान हितैषी सरकार कैसे हो सकती है? जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती रही कि किसानों को मण्डी के अलावा भी उपज बेचने के लिए अलग-अलग विकल्प मिलने चाहिए, वह अब किसानों को क्यों जकड़े हुए देखना चाहती है? यू.पी.ए. सरकार में आपके प्रधान मंत्री जी और आपके कृषि मंत्री जी ने भी इन कृषि बिलों के सुधार के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन आपने मोदी सरकार आने के बाद यू-टर्न ले लिया। यह समझ से परे है। मोदी सरकार ने रबी की फसलों की जिस प्रकार से एम.एस.पी. में बढ़ोतरी की है, यह भी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आत्म निर्भर भारत के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज इस मोदी सरकार ने दिया है। उसमें इकोनोमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी और डिमाण्ड के बारे में बात की गयी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्री अविनाश (जैतारण): रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक सम्बल देने का काम कोरोनाकाल में अगर किसी ने किया तो, वह केन्द्र सरकार ने किया।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): एक अंतिम बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। दो दिन से यह चर्चा चल रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, तेंदुआ आ गया, तेंदुआ आ गया।

श्री सभापति: वह आपसे बड़ा शेर तो है नहीं। आप जब लॉयन यहां हाउस में हैं तो फिर उसकी क्या जरूरत है? (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सभापति महोदय, पिछले वर्ष दो ऐसी गम्भीर चीजों से हम ग्रसित रहे, पाकिस्तान से तो टिड्डी आयी और चीन से कोरोना। फसलों को तो टिड्डी ने चौपट किया और वायरस ऐसा कि पास में बैठे व्यक्ति से भी हम डरते थे। इतनी भयावह स्थिति थी। वैश्विक महामारी के दौरान राजस्थान सरकार ने विषम और कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद विकास के पहिये को निरंतर गतिमान रखा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और उनकी संवेदनशील सोच को व सभी नेताओं को, जो उन्होंने शामिल किया- एम.एल.ए., एम.पी., सरपंच, पार्षदगण, जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, हर वर्ग को साथ लेते हुए इस कोरोना जैसी महामारी में इस प्रदेश को उबारने का काम किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पूरे देश में आधी रात को लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, बसें बंद हो जाती हैं। दूसरे प्रदेश में गया हुआ बेरोजगार मजदूर, वह अपने घर लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी नौकरी चली जाती है। नौकरीपेशा लोग चिंतित हो जाते हैं।

इस महामारी में एक ऐसा भयावह दृश्य है, वह महसूस करता है कि मैं अपने परिजनों से वापस मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। जो गरीब व्यक्ति थे, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण विवश हो गये, क्योंकि उनका रोजगार जा चुका था। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को हमारे देश भर में जो मजदूर थे वे सड़कों पर निकले। गर्मी का महीना था, पैरों में छाले पड़ गये और कई बार ऐसी संवेदनशील पिक्चर हमारे सामने आईं कि किसी के बच्चे की डैथ हुई तो वह मरे हुए बच्चे को लेकर भी पैदल चलता रहा, ताकि वह सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच सके। मैं यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं कि सभी साथियों से राय-मशविरा भी लिया गया और प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, कोई भी व्यक्ति पैदल न चले। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और पूरी उस टीम को मैं धन्यवाद देती हूं कि राजस्थान में हमने ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी।

साथ-साथ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों, चाहे वे डाक्टर, नर्स, आंगनबाड़ी

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

कार्यकर्ता हों और साथ में मैं पक्ष और विपक्ष के नेताओं का भी कहना चाहूंगी कि सबका इसमें सहयोग रहा, जिसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूं कि इसकी बदौलत विश्व भर में राजस्थान एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा। यह एक बहुत बड़ी बात राजस्थान के लिए रही है और बधाई की भी बात है।

जिन दिनों में कोरोना की शुरुआत हुई, तब जांच पूना लेबोरेट्री से आती थी, पर जब कोरोना की शुरुआत से पहले माननीय राहुल गांधी जी ने लोक सभा में अवगत करा दिया था कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में प्रवेश करने वाली है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन उनकी बात का हमेशा की तरह मजाक बनाया गया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। सभापति महोदय, जब जांचें 4-5 दिन में आती थीं तब तक कोरोना और स्प्रेड होता जाता था। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि राजस्थान के अन्दर हर जिले में कोरोना बीमारी की जांच हो रही है। इसके अलावा मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत 90 प्रकार की जांचों को फ्री किया जा रहा है। हाल ही में निरोगी राजस्थान की ओर से सार्थक कदम, महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना को 30 जनवरी, 2021 को प्रारम्भ करके पहले की तरह संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की जनता को एक और सौगात दी है, जिसमें पांच लाख रुपये तक का बीमा सुनिश्चित किया गया है। यह बहुत बड़ी सौगात है।

मैं अभी सुन रही थी, यहां पर बेरोजगारी की बात की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में त्वरित गति से कार्यवाही की गयी। दो वर्षों में 81,893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और साथ ही 50,865 पदों के लिए भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ केन्द्र की तरफ से भी हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गयी थी, पर कहां है वह रोजगार? हम पूछना चाहते हैं। लॉकडाउन करके जो मजदूरी वह मजदूर कमाता था वह भी बन्द करने का काम किया। ठीक इसी तरीके से मैं कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्रियों द्वारा युवाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजना 1 जनवरी, 2019 से आरम्भ कर अब तक 800 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगार भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है। लगभग 2 लाख 50 हजार बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिला है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

मैं खेलों की तरफ भी आना चाहूंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते और एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने हमारे सुझाव को भी प्राथमिकता दी और आज 29 राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में आउट आफ टर्म उच्च पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। यह बहुत बड़ी सौगात हमारे खिलाडियों के लिए है। इसी की बदौलत सामान्य श्रेणी में 3 खिलाड़ियों ने, पैरा-ओलम्पिक के लिए 6 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है जो खेल के क्षेत्र में आज बहुत बड़ी सौगात है। पहले राजस्थान से कोई इक्का-दुक्का खिलाड़ी ही ओलम्पिक जा पाता था, पर आज 9 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। इसके लिए मैं उन खिलाड़ियों को एक ओलम्पियन होने के नाते उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं।

सभापति महोदय, मैं कृषि कानूनों पर भी जरूर आना चाहूंगी। भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे देश के अन्दर लगभग 80 दिनों से हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली की सरहद पर कड़ाके की ठण्ड में बैठा रहा, शहादत देता रहा। देखिये, विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी बताया गया कि कोरोना के बावजूद जी.डी.पी. में भारी गिरावट आई, पर इसके बावजूद कृषि विकास दर में 3.4 की बढ़ोतरी रही है। यही इस देश की मजबूती का कारण है और आज इसी मजबूती के ऊपर ये तीनों काले कानून रूपी बादल मंडरा रहे हैं। इसी की बदौलत आज इस देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि याद रखना, जब किसान या जवान मरता है तो समझना पूरा हिन्दुस्तान मरता है। यह छोटी बात नहीं है। आज वह अन्नदाता, जो इस देश का पेट पालता है, खुद भूखा रह सकता है। आपने देखा होगा कि गांव के अन्दर एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई गरीब है और किसान के घर लस्सी लेने के लिए गया तो लस्सी दी, दूध लेने के लिए गया तो दूध दिया, और कोई जरूरत के सामान की जरूरत पड़ी तो उसने उस अपने पड़ौसी को सहारा दिया, पर आज वह खुद का सहारा मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। मैं 1965 की लड़ाई के समय का एक वाकया याद करना चाहती हूं। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

था तब अमेरिका ने भी आंखें दिखाई थीं कि भारत देश को गेहूं देना हम बन्द कर देंगे। उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री सम्माननीय लालबहादुर जी शास्त्री काफी व्यथित थे, चिन्तित थे, क्योंकि देश की आन-बान-शान का सवाल था। जब वे एक सभा को सम्बोधित करने जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले अपनी धर्म पत्नी ललिता शास्त्री जी से कहते हैं कि मैं देश को सम्बोधित करने जा रहा हूं, मैं देश से एक बात बांटना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक समय का भोजन घर में न बने ताकि मैं देख सकूं कि मेरे बच्चे एक समय के भोजन के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। पहले उन्होंने यह अपने घर पर आजमाया और तब देश की जनता से आग्रह किया कि हमें अपने देश की जनता का पेट पालना है तो एक समय का हमें उपवास रखना होगा और देश ने उनकी बातों का मान किया। ठीक इसी तरीके से, मैं कहना चाहती हूं कि उतना संवेदनशील हमें आज फिर बनने की जरूरत है। देखिये, बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत जी के शब्द बिल्कुल सही प्रतीत होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था 'द्वार बन्द होंगे नादार के लिए, द्वार खुलेंगे दिलदार के लिए, व्यापारी के लिए।' इस देश में इन कृषि कानून के जरिये व्यापारियों के लिए द्वार खोल दिये गये हैं। आज किसान चिन्तित है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगी कि वे खुद के लिए चिन्तित नहीं हैं वे उसी व्यवस्था के लिए चिन्तित हैं, जिस तरीके से गांव में वह हर उस गरीब व्यक्ति को साथ लेकर चलने का प्रयास करता रहा है। मण्डी व्यवस्था खतम होने पर वह चिन्तित है कि मण्डियां जब खतम हो जाएंगी, उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलेगा और देश के अन्दर मनमाने भाव से अनाज की बिक्री होगी तो वह इसके लिए चिन्तित है। किसान की चिन्ता इसलिए है, वह देख रहा है कि वह अपनी जमीन के ऊपर बंधुआ मजदूर बन जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): महंगाई को लेकर वह चिन्तित है, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर चिन्तित है और वह अपने अस्तित्व को लेकर चिन्तित है। सभापति महोदय, यहां पर बहुत सारे साथियों ने सुरक्षा को लेकर भी बातें कीं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट में और चाहूंगी। मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि मैं सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, जिसका जिक्र लगभग सब साथियों ने किया। एक संवेदनशील दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सभापति महोदय, आप खुद शेखावाटी से आते हैं और आपको मालूम है कि वहां क्राइम किस तरीके से शुरू हुआ। उसके ऊपर न जाते हुए एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगी कि सदन में बैठे जितने भी साथी हैं, चाहे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के अन्दर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वे असहनीय हैं, पीड़ादायक हैं। उसका हम विरोध करते हैं। इसमें खुले दिल के साथ हमें इन चीजों को कम करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि उसी सादुलपुर क्षेत्र के अन्दर जो प्रतिभाएं हुई हैं, क्योंकि सदस्य कहते हैं कि आपका क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, गम्भीर है, बहुत डेंजरस है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर आर.बी.आई. के गवर्नर बिमल जालान का जन्म हुआ। सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लक्ष्मीनिवास मित्तल, जो कि आयरन के किंग माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ। आईपी.एस. हमारे यहां से हुए, आर.ए.एस. यहां से हुए, आर.पी.एस. यहां से हुए और देश के लिए तिरंगा लहराने वाले सबसे ज्यादा एथलीट भी हमारे क्षेत्र से आते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

सूचना

रतनगढ़ के गांवों में तेंदुए का आतंक

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गम्भीर घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव लदासर, दाउदसर में पिछले चार दिन से एक तेंदुआ घूम रहा है। चार ग्रामीणों को घायल कर चुका है, कई मवेशी घायल हो गये हैं। वन विभाग के तीन कर्मचारी, एक पुलिस का कर्मचारी घायल हो गया है, लेकिन अभी तक वह तेंदुआ अपना विकराल रूप धारण किये हुए है। ग्रामीण लोगों में भयंकर भय व्याप्त है, सुबह से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं। वन मंत्री जी बैठे थे, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करके, उसको पकड़ा जाए। जिससे दहशत में जी रहे लोगों को...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। 10 फरवरी, 2021 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान की पवित्र विधान सभा के इस सदन में अभिभाषण पढ़ा गया। अभिभाषण में कितना सत्य, कितना असत्य था, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत महामहिम को सरकार के द्वारा दिया गया दस्तावेज पढ़ना था और वह उन्होंने पढ़ा।

2020 का वर्ष हम सबके लिए कष्ट एवं पीड़ादायक रहा और वह गुजर भी गया। देश व प्रदेश के कई लोग कोरोना के अन्दर, कोरोना के काल में चपेट में आए, कई हमसे बिछुड़ गये और हमारे इस पवित्र सदन के चार साथी भी इस कोरोना की चपेट में आने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए।

राजस्थान सरकार के सवा दो साल पूरे हो गये हैं लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में विकास देखा जाए तो कहां दिखेगा। विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार ही अस्थिर है। जो सरकार चालीस-चालीस दिन तक होटलों के अन्दर बंद रहे, प्रदेश की जनता सरकार को ढूंढती रहे और सरकार कहीं नजर नहीं आये। कांग्रेस के सवा दो साल में जनता एकदम त्रस्त हो गई है, ये सब हमारे सामने है। राजस्थान का व्यापारी, मजदूर, युवा, बेरोजगार अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है। जिस सरकार की नींव ही असत्य पर आधारित हो, जब 2018 में चुनाव हुए थे, तब जनता से वादे किये गये थे, किसानों से वादा किया, आपका सम्पूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कहां गया वह कर्जे माफी का काम, यह वादाखिलाफी क्यों है? नौजवानों से वादा किया, आओ बेरोजगारी का फार्म भरो, बेरोजगारी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

भत्ता देंगे, साढ़े तीन हजार रुपये हर महीना, हर बेरोजगार पढ़े-लिखे व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कहां गया वह भत्ते का वादा, वादा तो वादा रह गया, वादा भूल गयी है सरकार। इस प्रकार नौजवान उस भत्ते को लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जनता को भ्रमित करके वोट लिये थे, आज जनता इनसे त्रस्त है।

माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना जैसी महामारी में भी जिस प्रकार से पूरे देश के अन्दर एक डर का माहौल बन गया। देश के अन्दर, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने जो अपना काम किया, वह सराहनीय रहा। पूरे विश्व के अन्दर मोदी जी का नाम हुआ कि कोरोना के अन्दर अच्छे प्रबंध हुए। लॉकडाउन लगाना पड़ा, राजस्थान में भी लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान राजस्थान की सरकार को जो काम करने चाहिए थे, वे बराबर नहीं हुए। लोगों का मनोबल नहीं बढ़ा, लोगों का मनोबल घटा और लोगों के अन्दर डर का माहौल रहा। लोगों ने कहा प्रदेश के बाहर, प्रदेश के अन्दर कोई रोजगार के लिए गया हुआ था तो उसने सोचा कि मैं जैसे-तैसे घर चला जाऊं, लेकिन जो बसों की व्यवस्था करनी थी, ट्रेनों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह समय पर नहीं हो पाई। लॉकडाउन के अन्दर लोग फंसे रहे और अपने आपको ऐसा महसूस कर रहे थे कि राजस्थान के अन्दर सरकार होने के बावजूद भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

सरकार ने कुछ प्रबंध किये भी थे, बड़े-बड़े अधिकारियों को लगाया था कि लोगों को लाने की व्यवस्था करो, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करो, लेकिन बड़े-बड़े अधिकारी लगाने के बाद भी कई अधिकारी तो ऐसे भी निकले, जिन्होंने मोबाइल तक रिसीव नहीं किये। हमने कई प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में रह रहे जो लोग थे, उनसे बात की, उनकी वहां भी व्यवस्था कराई। उनके परिवार की यहां पर भी व्यवस्था की। इस महामारी की चपेट में आने से अन्य प्रदेशों से जो लोग आना चाहते थे, वे अपने परिवार को लेकर सड़कों पर पैदल चलकर निकल पड़े और मन में धारणा बना ली, हम मरेंगे या जियेंगे, हम एक बार अपने घर जाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे। यह धारणा बनाकर वे निकले थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोरोना काल के अन्दर जिस प्रकार से सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वह उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देश और प्रदेश के कई भामाशाहों ने जरूरतमंद लोगों

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

को चाहे काढ़ा पिलाने का काम हो, भोजन का पैकेट देने का काम हो या राशन किट पहुंचाने का काम हो, उन्होंने किया। मैं सदन के माध्यम से उन सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस कठिन समय में उन लोगों को सहायता देने का काम किया। कोरोना काल में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के तहत दो हजार रुपये की किश्त डाली, 6 माह तक का राशन नि:शुल्क दिया, आर्थिक सहायता देने का उन्होंने काम किया और समय-समय पर उन्होंने टीवी पर आकर के जनता को इस डरे हुए माहौल से बाहर निकालने का काम किया, जनता का मनोबल बढ़ाने का काम किया। एक बात गांव के अन्दर खूब चली, यह बात जरूर चली कि भाया आपां सब बच ग्या, देश में प्रधान मंत्री मोदी हो, ई बार तो आपां बच ग्या, अर मोदी जी री जगह दूजो होतो, तो आपा न सबन मरनो पड़तो, यह एक कहावत हो गयी। गांवों के अन्दर हमको अगर किसी ने बचाया है तो मोदी जी ने बचाया है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नम्बर 6 में लिखा गया और उनसे पढ़वाया गया। कोरोना के बावजूद समाज के हर वंचित को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर विकासपरक दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाते हुए लोक कल्याणकारी सरकार ने कृषि ऋण माफी, इंदिरा रसोई योजना, औद्योगिक विकास, वन स्टोप सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाएं, महिला सशक्तीकरण, जल संरक्षण योजना, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं का विस्तार कर आम जनता को नई ऊर्जा का संचार किया। ये उसमें पढ़वाया गया। यदि राजस्थान में सभी योजनाएं चल रही हैं तो प्रदेश की जनता में असंतोष क्यों है? सवा दो साल के कार्यकाल में विकास अवरुद्ध क्यों हुआ है? न तो सड़कें हैं और जो सड़कें हमारी सरकार ने स्वीकृत की थीं, उन सब कामों को उन्होंने रोकने का काम किया, गांव के अन्दर सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। जिन ठेकेदारों ने सड़कें बना दीं, वे अपने बिल लेकर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे बिल किस प्रकार से पास हो सकते हैं।

पेयजल की समस्या आने वाली है। इस वर्ष वर्षा कम हुई है। सरकार से मेरा आग्रह है कि समय रहते चेत जाए और पेयजल का प्रबंध कर लें। एक

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आग्रह और करना चाहूंगा पेयजल योजना के अन्तर्गत टैम्परेरी रूप से जो कर्मचारी लगे हैं, उनको दो-दो साल से भुगतान नहीं हो रहा है, कम से कम उनका भुगतान करा दो ताकि पेयजल योजनाओं को सुचारु रूप से वे चला सकें। प्रदेश में बिजली का हाल तो बड़ा ही खराब है। गांवों के अन्दर दस-दस, बारह-बारह, पन्द्रह-पन्द्रह गाडियां लेकर के वी.सी.आर. बनाने के लिए अधिकारी पहुंच जाते हैं एक दहशत का माहौल तैयार करते हैं। जो चोरी कर रहा है या जो चोरी नहीं कर रहा है, जिसके घर में वाशिंग मशीन है या नहीं है, आयरन प्रेस है या नहीं है, कूलर है या नहीं है, उन सबको लिखकर उन पर वी सी आर बनाकर बीस-बीस हजार से लगाकर दो-दो लाख रुपये तक की गरीब व्यक्तियों का वी सी आर बनाकर के वे चले जाते हैं। यदि उस वी.सी.आर. को समझौते में लेना पड़े तो यदि 2 लाख की वी.सी.आर. किसी किसान के घर में बन जाये, तो एक लाख या एक लाख 20 हजार कहां से लायेगा और वह किस प्रकार से समझौते के अन्दर जाएगा। यदि वह पैसा जमा नहीं कराता है तो थाने के अन्दर उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इस प्रकार से एक डर का माहौल राजस्थान सरकार ने बिजली विभाग के द्वारा बना रखा है। मेरा आग्रह है, समय रहते हुए इन सबको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरा तो इतना ही आग्रह है कि जितनी बिजली चोरी हो, उतना पैसा वसूल कर लें तो फिर भी चलेगा। थाने के अन्दर यदि मेरी एक तोला की कोई चेन खो जाए तो मैं एक तोला चेन का पैसा ही तो लूंगा और यह वी.सी.आर. यदि आपने फाड़ दी और एक हजार की चोरी की तो आप 10,000 वसूल कर रहे हो यह कहां का नियम है? सरकार को जो काम करने चाहिए थे वह तो नहीं किये। (व्यवधान)

उदयलाल जी पर भी आऊंगा। उदयलाल जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सहकारिता के अन्दर आपने बड़ी धाक जमा रखी है। आपको इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे जिले के मंत्री हैं। डेयरी के चुनाव चल रहे हैं और डेयरी के चुनाव के अन्दर हमारे डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जी जाट ने पर्चा भरा। आपने नियम विरुद्ध एक ऐसे अधिकारी को भेजा, जिसने उनका पर्चा खारिज कर दिया। मेरा आग्रह है आपसे कि ऐसे अधिकारी को आपने भेजा कि उनका पर्चा खारिज किया। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) चुनाव में अपना

काम किया है ...(व्यवधान) चुनाव में ड्यूटी थी उसकी ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने अपने दम पर पर्चा खारिज कराया। मेरा आग्रह है कि वह बद्रीलाल चुनाव जीतकर आयेगा और डेयरी का चेयरमैन वापस बनेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आपको जवाब देने की जरूरत कहां आ गयी। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 2 मिनट और लूंगा साहब, मैं तो 2 मिनट ही बोला हूं।

अभिभाषण के पैरा नम्बर 65, 66, 67 और 68 में कानून व्यवस्था का बड़ा बखान किया है। कानून व्यवस्था का बखान तो इतना जोरदार हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं है। राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था इतनी जोरदार कि देखते ही बनती है, चारों तरफ दहशत का माहौल। राजस्थान के अन्दर किसी का विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन माफिया जरूर बनते हैं। ब्याज माफिया, बजरी माफिया, पत्थर खनन माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया, डीजल चोरी माफिया, साइबर क्राइम माफिया, टोल माफिया और एक बायोडीजल माफिया और आ गया। चित्तौड़ जिले के अन्दर कम से कम 40 जगह पर अवैध रूप से बायोडीजल पम्प लगे हुए हैं। डी एस ओ ने उन पर छापा मारा, लेकिन आज दिन तक उन पर कोई एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। यह किस प्रकार की सरकार चल रही है? मेरा आग्रह है आपसे...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 2 मिनट, सर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा आग्रह है आपसे।

श्री सभापति: बोल लिये, काफी बोल लिये आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यदि सरकार को हम नहीं कहेंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि सरकार पटरी पर है या बेपटरी है। यदि सरकार पटरी पर है तो अच्छी बात है और सरकार पटरी से उतर गई तो हमारा धर्म बनता है विपक्ष का, कि हम सरकार को लाइन पर लाने का काम करें। मेरा आग्रह है दो बातें और। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रफीक खान।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो चीजें और कहूंगा माननीय सभापति महोदय, दो चीजें और कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मेरा आग्रह है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये। श्री रफीक खान।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है, बैठें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। एक साल का लेखा-जोखा ऐसे समय में, ऐसी महामारी के समय में, इस दौरान ऐसी महामारी पूरे देश में, राजस्थान में और पूरी दुनिया में आयी। बजाय उसमें सहयोग करने के, हमारे साथी नेता क्रिटिसिज्म करने पर लगे हुए हैं उसमें से गलतियां निकालने पर लगे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी सहनशीलता के साथ में एक युद्ध की तरह से इससे निपटने का काम किया। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी की महात्मा गांधी के एक भजन से तुलना करता हूं कि किस तरह उन्होंने काम किया 'वैष्णव जन तो तैने कहिये...' 'वैष्णव जन तो तैने कहिये जो पीर पराई जाने रे' प्रतिपक्ष के नेताओं का पीर से कोई काम नहीं है। ये तो क्रिटिसिज्म करेंगे। ये गलतियां निकालेंगे उसमें 'पर दुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आने रे' इनको मन अभिमान से मतलब नहीं है इनको सरकार के कामों को अनदेखा करना है। जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी से निपटा, इनके प्रधान मंत्री ने उसकी प्रशंसा की। प्रधान मंत्री ने यह कहा पूरे देश के अंदर अगर

(श्री रफीक खान)

सबसे अच्छा कोरोना के कार्यकाल में कोविड मैनेजमेंट रहा तो वह राजस्थान में रहा। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने अपने भाषण में इस बात को नहीं दोहराया। बड़े शर्म की बात है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई पूरा साल ही उससे लड़ते-लड़ते गुजर गया। बहुत से स्वास्थ्य कर्मी, बहुत से लोकल बॉडी के कर्मचारी, बहुत से नगर निगम के कर्मचारी काम करते-करते कोरोना जैसी महामारी का शिकार हुए और उनकी डैथ हो गई। उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए था। ऐसे लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी। हमारे सदन के कुछ नेता भी चले गये, लेकिन ये लोग एक दूसरे में कमी निकालने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, और क्या काम में लगे कि कैसे सरकार गिरा दें। काम में सपोर्ट नहीं इनका, सरकार गिराने के मंसूबे मन में पनपाते रहे। जब शुरुआत हुई जिस वक्त कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल रहा था, चाइना लड़ रहा था, इटली लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, उस वक्त ये अमेरिका के राष्ट्रपति की मक्खनबाजी कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान आये। 'हैलो ट्रम्प' के नारे दिये गये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। इंटरवीन नहीं करें बीच में। बीच में किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 'हैलो ट्रम्प' के नारे यहां दिये और यहां नारे देते-देते वहां चले गये अमेरिका। 'अबकी बार ट्रम्प सरकार' और सरकार नहीं बनी तो व्हाइट हाउस में पहुंच गये। तमाम तरह के धोखे और धोखों से बनी हुई इनकी केंद्र सरकार ने कहीं भी आम आदमी के लिए काम नहीं किया। किसानों का मामला हो, गैस की सब्सिडी हो, पेट्रोल डीजल के बारे में बहुत उछल-उछल कर बोल रहे हैं। अभी 50 डॉलर प्रति बैरल है जब 150 था, तब भी यह भाव नहीं थे। 150 डालर के भाव में भी यह भाव नहीं थे। आज पूरी दुनिया के अन्दर मुझे अच्छे से याद है मोदी जी का भाषण, श्रीलंका में प्राइस नहीं बढ़ रहे, पाकिस्तान में प्राइस नहीं बढ़ रहे, नेपाल में प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, हिन्दुस्तान में कैसे पैट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं। आज इनसे पूछें, इनके हाथ में पावर है, ये क्यों नहीं जवाब देते। सिर्फ रिलायंस कम्पनी को फायदा देने के लिए पूरे देश की जनता को लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। देश के ऊपर जब ये सत्ता में आये तो 'देश नहीं बिकने दूंगा', इस नारे के

(श्री रफीक खान)

साथ और बेचने में लग गये और हर चीज बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं। ओएलएक्स का एक एड आता था। पहले उसमें दो बाबा आते थे। एक कहता बेच दूं, बॉस? तो दूसरा कहता बेच दे। रेल बेच दे, एयरपोर्ट, बेच दे, बंदरगाह, बेच दे, एयरलाइन, बेच दे, आई.ओ.सी.एल., बेच दे, एच.पी.सी.एल., बेच दे, ओ.एन.जी.सी., बेच दे, एल.आई.सी., बेच दे। इनसे यह पूछें, ये अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचें, ये दोनों नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता, प्रतिपक्ष बैठे हैं यहां पर, ये बोलें कि ये जो बेचने की बातें कर रहे हैं, इनको बनाया किसने। किनके हाथों से यह बनीं। जिस परिवार का मुखिया सम्पत्ति बनाता है, कपूत बेटे बेचते हैं, सपूत बेटे सींचते हैं धन को, बेचते नहीं हैं। आपने सिर्फ बेचने का काम किया है और करे जा रहे हो। आपको यह चाहिए था...

श्री सभापति: इधर-इधर। उधर नहीं इधर। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बताइए आप।

(17.00 बजे)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, कल बहुत जोरों से आवाज आ रही थी कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है उन अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दे दी, बहुत मजबूती से आवाज उठायी। आप लोगों ने तो केंद्रीय मंत्री बना दिये राजस्थान से चुनकर जाने वाले एम.पी. को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, जिनका चिट फंड घोटाले में नाम है, जिनको आप मुख्य मंत्री बनाने के सपने देखते हो। और तो और ऐसी बात करने के बाद आप राजस्थान सरकार पर एलीगेशन लगाते हो। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, जिस तरीके की बात करते हैं। कल हमारे ब्यावर से आने वाले साथी ने बहुत बड़ी-बड़ी बात की। 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों के नाम लिखे जो आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने और बोले कि 1977 तक यह पांच आदमी बने और इन पांच आदमियों के बनने से अकबर महान, बाबर महान और औरंगजेब महान, औरंगजेब कभी महान नहीं हुआ। आप सबको मालूम है औरंगजेब कभी महान नहीं हुआ। महाराणा प्रताप को महान का दर्जा दिया गया, अकबर को महान का दर्जा दिया गया, लेकिन आपने उन लोगों पर, उन शहीदों पर उंगली उठाई, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो आजादी के लिए जेल गये। कांग्रेस पार्टी का गठन सत्ता लोलुपता की वजह से नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ देश की लड़ाई लड़ने के लिए और ये वे नेता थे, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए जेल गये। यहां तक कि

(श्री रफीक खान)

इन नेताओं को हिन्दुस्तान में कब्र में दफन करने के लिए जगह नहीं मिली, उन लोगों पर आपने उंगली उठाई, आप लोगों को सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। उन्हीं नेता की नवासी नजमा हेपतुल्ला जी, जब तक वह कांग्रेस में रहीं तब तक तो वे उनकी नवासी हैं और तब उनमें एब हैं और जब वह इनके पास आ जाती हैं तो यह मंत्री बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं। ये सिवाय जातिवाद, सम्प्रदाय भड़काने के अलावा कोई काम नहीं करते। जब जातिवाद, सम्प्रदाय की बात आती है ये पूरे राजस्थान में 200 में से एक टिकट पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाते हैं। 550 लोक सभा सांसदों में, जिस देश की जनसंख्या में 14-15 परसेंट मुसलमान रहते हैं, वहां इनको लोक सभा लड़ाने के लिए एक काबिल आदमी नहीं मिलता। सिर्फ सम्प्रदाय की बात करते हैं। सम्प्रदाय की बात पर लोगों को भड़काते हैं और उसी पर राजनीति करते हैं। राजस्थान की असेंबली हो, यू.पी. की असेम्बली हो, जहां यू.पी. में 18 से 20 परसेंट मुस्लिम रहते हैं, 400 आदमी को टिकटे बांटते हैं, कांग्रेस पार्टी यहां 200 में से 15-16 आदमियों को लड़ा देती है तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। आप सिवाय जातिवाद के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। आपको आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी और आपके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इस देश की हिस्ट्री रही है, देश का इतिहास गवाह रहा है कि जिन भी लोगों ने सम्प्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर राज किया, उनको हिन्दुस्तान की जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और यह कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं आपको दो पंक्ति पढ़कर सुनाता हूं, "हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारी भी कुर्बानी है इस देश की आजादी में।"

कल बहुत सारी चर्चाएं हुईं बहुत सारे एलीगेशन लगाये गये, बहुत सारी बातें करी गयीं। देश की आजादी में जिन लोगों का खून बहा, जिन लोगों पर एलीगेशन लगाये गये, उनकी चार पंक्तियां जो हमारे नेशनल सोंग के रूप में गायी जाती हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा।" यह 1904 में उन्होंने लिखीं, जिनके ऊपर कल सदन में एलीगेशन लगाये गये। "मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दुस्तां हमारा। यूनान ओ मिस्र, ओ रूमा सब मिट गये जहां से, अब तक है बाकी नाम ओ निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।" सभापति महोदय,

(श्री रफीक खान)

आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जो कि सरकार के विजन का एक आईना होता है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 138 बिन्दुओं के माध्यम से सरकार के कार्यकलापों को सदन में रखा गया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पक्ष और विपक्ष का अपना धर्म निभाते हुए इस अभिभाषण का विश्लेषण अपने-अपने तरीके से किया, अपने अपने विचार व्यक्त किये और अपने-अपने हिसाब से सबको धन्यवाद भी दिया, लेकिन 'मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,' मैं तो सारा धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने इस अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2020-21 हर व्यक्ति के मानसिक पटल पर महामारी से अपने आपको बचाने व सामाजिक सेवा के लिए हमेशा अंकित रहेगा। इसी तर्ज पर सरकार ने भी चिकित्सा के अलावा अन्य विभागों के कार्य को उचित स्थान देना जरूरी नहीं समझा। इसी का परिणाम है कि आज 2020-21 की अधिकांश योजनाएं या तो बंद पड़ी हैं या धीमी गति से चल रही हैं। मैं कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकारी मशीनरी, समस्त जन प्रतिनिधिगणों, कोरोना वारियर्स तथा विशेष रूप से भामाशाहों व आमजन का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अथक प्रयासों व सेवा भाव से वैश्विक महामारी कोरोना पर काबू पा सके। यह सही है कि कोरोना के नाम पर बड़ा सरकारी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन अब सत्ता व प्रशासन में बैठे लोगों का यह परम दायित्व बनता है कि जनता की गाढ़ी कमाई के खर्च हुए पैसे का भविष्य में भी सदुपयोग होता रहे क्योंकि जितनी राशि चिकित्सा हेतु संसाधनों की खरीद व ढांचागत निर्माण हेतु खर्च की गयी, उस अनुपात में उन चिकित्सकीय उपकरणों को चलाने वाले कर्मचारियों की भर्तियां नहीं हो पाईं, जिससे दक्ष कर्मचारियों के अभाव के कारण चिकित्सकीय उपकरणों का संचालन भविष्य में भी सही हो पायेगा, इस पर थोड़ा संशय है।

आज सरकार ने बड़ी राशि से नये चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद, जैसे कि वेंटिलेटर्स, आई.सी.यू. बैड व अन्य उच्च तकनीक वाले उपकरण

(श्री नारायण बेनीवाल)

खरीदे, लेकिन इनको सही तरीके से चलाने के लिए दक्ष व तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी भर्ती भी सरकार को करनी चाहिये थी। इसके अलावा डाक्टर भर्ती, नर्सिंग भर्ती, लैब टेक्नीशियन भर्ती तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व अन्य के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थाई नियुक्ति के बारे में गहनता से विचार किये बिना निरोगी राजस्थान का सपना कभी साकार नहीं हो सकता।

इस कड़ी में नागौर मुख्यालय पर अति शीघ्र मेडिकल कालेज को चालू करने, जे.एल.एन. अस्पताल में गम्भीर रोगियों हेतु लिफ्ट लगाने, पांचला सिद्धा सी.एच.सी., जिसकी घोषणा 2013 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई थी, को मापदण्डानुसार चालू करवाने, खींवसर क्षेत्र में सी.एच.सी., पी.एच.सी. व उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने व नये उप केन्द्र खोलने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु आने वाले बजट में शामिल करवाने का आग्रह करूंगा।

सभापति महोदय, यह सही है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया है और अगर किसी बीमार व्यक्ति को उपचार, दवा व जांचों हेतु सरकारी सहायता मिल जाए तो व्यक्ति भी शासन-प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है। यह सही है कि बिन्दु संख्या 15 में वर्णित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण 30 जनवरी, 2021 से शुरू करने की घोषणा का जिक्र किया गया है, लेकिन इस बहुत बड़ी योजना की उचित मानिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वरना इस योजना का हश्र भी कहीं पूर्व की भामाशाह योजना की तरह न हो जाए, जिसमें पहले तो निजी अस्पताल मालामाल हो गये, फिर भामाशाह योजना से इलाज नहीं करने का बड़ा बोर्ड अपने अस्पताल के बाहर लगा दिया।

सभापति महोदय, इस सदन में बैठे अधिकतर माननीय सदस्य किसान परिवारों से चुनकर आते हैं, लेकिन पार्टियों की विचारधाराओं में बंध कर हम हमारा नैतिक कर्तव्य भूल जाते हैं। किसान आंदोलन व तीन कृषि कानूनों के प्रति लोगों में पनप रहे रोष तथा 200 से अधिक किसानों की आंदोलन के दौरान शहादत के बारे में भी अगर महामहिम महोदय कहीं जिक्र करते तो ऐसा लगता कि हम सबका मूल कर्तव्य जय जवान-जय किसान की समृद्धि का भी है तथा इस लोकतांत्रिक देश में किसानों को भी मौलिक अधिकार दिये गये हैं। सभापति महोदय, प्रदेश में किसानों के कल्याण हेतु गठित कृषक कल्याण कोष के बारे में भी स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाने का

(श्री नारायण बेनीवाल)

जिक्र तथा किसान की भूमि सरकारी व निजी बैंकों की गिरफ्त से कैसे बचे, इसको लेकर ठोस कानून की आवश्यकता आज आजादी के 72 साल बाद आमजन द्वारा महसूस की जा रही है। पूर्ण कर्ज माफी की अपेक्षा भी प्रदेश का आम अवाम इस अभिभाषण से चाहता था, लेकिन इसका जिक्र नहीं होने से आम लोगों का विश्वास सरकारों में थोड़ा कम हुआ है।

सभापति महोदय, अगर राजस्थान जैसे प्रदेश को वाकई में धनी प्रदेश बनाने की ओर ले जाने की चेष्टा सरकार रखती है तो महामहिम राज्यपाल महोदय के 138 बिन्दुओं के इस अभिभाषण में कम से कम 10 बिन्दु सहकारिता आंदोलन पर होने चाहिये थे क्योंकि जब तक सहकारी आंदोलन को मजबूत नहीं बनायेंगे, सहकारी बैंकों व सहकारी संस्थाओं की माली हालत ठीक नहीं करेंगे, तब तक किसान की समृद्धि के बारे में सोचना बेमानी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव, राजफैड व नेफेड में के.वी.एस.एस. एवं जी.एस.एस. का बकाया भुगतान दिलाएं, प्रत्येक किसान को सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों के वितरण के बारे में तुरन्त प्रभाव से योजनाबद्ध तरीके से अपना विजन सदन के सामने रखें।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा श्रम कल्याण विभाग की योजनाओं की सही क्रियान्विति व मानिटरिंग अगर की जाए तो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक समाज की समस्त योजनाएं पहुंच सकती हैं, लेकिन ये बड़ी विडम्बना है कि समाज कल्याण व श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को हर जिला स्तर पर 'एजेंट माफिया' ने बुरी तरह जकड़ रखा है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों का केंद्रीकरण जिला स्तर पर नहीं करके इन कार्यालयों को समस्त कार्मिकों सहित ब्लाक स्तर पर रखा जाए।

इसके अलावा मैं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का सदस्य होने के नाते प्रत्येक जिले पर ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण की नीति बनाने तथा हर भर्ती के अन्दर ओ.बी.सी. वर्ग के पदों के साथ छेड़छाड़ व कटौती बंद करने की मांग आपके माध्यम से करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 46 में गांवों के सुनियोजित व चरणबद्ध विकास के लिए शुरू की गयी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

(श्री नारायण बेनीवाल)

की विभिन्न योजनाओं पर किये गये कार्यों का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर ग्रामीण विकास की योजनाओं की सही मानिटरिंग व दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करने पर नीति नहीं बनायी जाए तो जनता के हजारों करोड़ रुपये की बचत के बारे में सोचना बेमानी होगा। जैसे गांवों में सी.सी. सड़क व इन्टरलाकिंग ब्लाक पहले बना दिये जाते हैं और उसके बाद जल जीवन मिशन की योजना में घर-घर नल का कनेक्शन दे रहे हो तो सारी सड़कें तोड़ रहे हैं, इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में ठोस नीति बने।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 61 में 5 पेनोरमाओं के लोकार्पण का जिक्र किया गया है, लेकिन पहले से बने पेनोरमाओं का ठीक से संचालन व रखरखाव की नीति की अत्यंत आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तेजाजी महाराज का जो पेनोरमा है, वह आज तक आम व्यक्ति के लिए नहीं खुल पाया है और जर्जर होने लगा है। ऐसे मामलों में कोई ठोस नीति के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा।

बिन्दु संख्या 65 में आनलाइन एफ.आई.आर. का जिक्र भी किया गया है, लेकिन यह प्रक्रिया ईमानदारी से चल रही होती तो प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को अपनी एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ता और न ही प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के सामने शर्मिंदा होना पड़ता।

बिन्दु संख्या 66, 67 व 68 में राजस्थान पुलिस के विभिन्न नवाचारों का उल्लेख किया गया है, जो निश्चित रूप से 'आम जन में विश्वास व अपराधियों में डर' के स्लोगन को सार्थक कर सकता है अगर ईमानदारी से इस पर काम किया जा सके, लेकिन विडम्बना है कि हाल ही में पकड़े गये पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कार्यकलाप ऐसे लगे जैसे ये लाइसेंस शुदा डकैत हों, जिससे पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 69 से 74 तक बिजली विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, परन्तु सच्चाई इससे विपरीत है। आज देश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का प्रदेश होते हुए तथा देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने, किसानों को दी जा रही सब्सिडी को समाप्त करने के बावजूद भी

(श्री नारायण बेनीवाल)

बिजली कम्पनियां निरन्तर घाटे में जा रही हैं, क्योंकि बिजली खरीद, सामान खरीद तथा संचालन व रखरखाव हेतु दिये जाने वाले ठेकों में भारी भ्रष्टाचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं खींवसर क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 220 व 132 व 33/11 के जी.एस.एस. की मांग आपके माध्यम से करूंगा। आज बड़े दु:ख का विषय है कि बिजली व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद कई गांव व हजारों ढाणियां आज भी बिजली-पानी से वंचित हैं।

बिन्दु संख्या 75 में प्रदेश में शिक्षा के नेटवर्क को मजबूत करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रदेश में अटकी, भटकी व लटकी भर्तियों के कारण युवा मानसिक अवसाद में आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। 2021 की रीट परीक्षा का समय पर आयोजन हो, साथ ही 2016 रीट अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सरकार ने एस.एल.पी. दायर कर रखी है, उसका निस्तारण करवा के पीड़ित बेरोजगारों को न्याय दिलाया जाए, ऐसा मैं आग्रह करूंगा।

बिन्दु संख्या 78 में देव भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किये गये कार्यों का उल्लेख किया गया है, साथ ही राजस्थानी भाषा को राज्यीय भाषा का दर्जा देने व स्कूलों व कालेजों में राजस्थानी भाषा के अध्यापकों के पद सृजित करने की मांग आपके माध्यम से करूंगा।

बिन्दु संख्या 101 सुशासन को बढ़ावा देने हेतु जनकल्याण पोर्टल चालू करने का उल्लेख किया गया, लेकिन अगर सही मानिटरिंग व किसी की जवाबदेही तय नहीं की गयी तो इसका हश्र भी पहले की तरह चल रही योजनाओं की तरह ही होगा। अगर वास्तव में सुशासन को बढ़ावा देना है तो प्रत्येक सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति को आवश्यक रूप से लागू किया जाए, जिस पर पहले ही सरकार ने काफी बड़ी धनराशि खर्च कर रखी है तथा समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गयी समस्त परियोजनाओं को कड़ाई से लागू करवाना सुनिश्चित करायें, जिससे जिला स्तर, उप खण्ड व ब्लाक स्तर तक जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जन की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित हो सके।

महोदय, बिन्दु संख्या 103 में उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों के विकास एवं निवेशों को प्रोत्साहन देने की दिशा में 7 नये औद्योगिक क्षेत्र

(श्री नारायण बेनीवाल)

विकसित करने के साथ ही 17 नये औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारम्भ करने का उल्लेख है, जिन पर 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि के खर्च का उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने के साथ-साथ यह भी देखें कि पुराने औद्योगिक क्षेत्र बंद तो नहीं हो रहे हैं।

बिन्दु संख्या 111 में बाड़मेर रिफाइनरी कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हर बड़े उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तथा उस उद्योग का सी.एस.आर. फंड उसी इलाके के विकास के लिए खर्च हो, ऐसी ठोस कार्ययोजना की महती आवश्यकता है।

बिन्दु संख्या 112 में रिवर सेंड के विकल्प के रूप में एमसेन्ड नीति का उल्लेख किया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सरकार उचित न्यायिक स्तर पर अपना पक्ष ठोस रूप से रखे तथा प्रदेश में समस्त खनिजों के लिए खनिज नीति (चाहे वह लाइम स्टोन हो, चाइना क्ले हो, बजरी हो, फैल्सपार सहित तमाम खनिज) का सही रूप से बनना अति आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान खनिज सम्पदा से भरपूर प्रदेश है। इसके साथ-साथ खान मालिकों को पर्यावरण स्वीकृति (ई.सी.) में बहुत दिक्कत आ रही है। जिनका एग्रीमेंट हो गया, उनको तीन-तीन सालों तक ई.सी. के लिए लटकना पड़ रहा है। इस पर ठोस नीति बनानी चाहिए और सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, जिससे आम जन को लाभ मिले तथा माफिया व अधिकारी गठजोड़ का खात्मा हो।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 120, 121, 122, 123 में सड़क तंत्र को मजबूत करने, आर.ओ.बी., आर.यू.बी. के निर्माण के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन आज हम खुलकर बात करें तो पिछले दो साल से सड़कों के तंत्र के सुदृढ़ीकरण में सरकार पूरी तरह विफल रही है। और तो और पी.पी.पी. मॉडल व टोल रोड भी क्षतिग्रस्त होने के बावजूद लोगों से टोल की वसूली की जा रही है। अजमेर-नागौर, जोधपुर-नागौर तथा जयपुर-नागौर (वाया जोबनेर-कुचामन-खाटू) सड़कों के बारे में न्यायालय द्वारा टिप्पणी की जाने के बावजूद मापदंडानुसार कार्य नहीं किये गये तथा जोधपुर-नागौर रिंग रोड निम्न स्तर की गुणवत्ता के कारण वाहनों के आवागमन से पहले ही टूट गयी।

(श्री नारायण बेनीवाल)

बिन्दु संख्या 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 में पेयजल परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल पुनर्गठन योजना, सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर हम पेयजल परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा करें तो प्रदेश के आम अवाम में सरकार की पेयजल परियोजना के कार्यकलापों को लेकर भारी रोष है। प्रदेश में करोड़ों रुपये से चालू किये गये आर.ओ. प्लांट, सोलर सिंगल फेज नलकूप, सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र योजनाओं में भारी अनियमितताएं अधिकारियों द्वारा की गयीं, जिन पर ठोस कार्यवाही करके जनता को योजना का लाभ प्रदान करवाया जाना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि चुनावों के वक्त स्वच्छ, पारदर्शी, सुशासन तथा जीरो टोलरेन्स की कही गयी बातों पर खरा उतरने का कर्तव्यों के साथ प्रयास करें, ताकि आमजन में विकसित इस भ्रांति 'आ सरकार है, ईयां ही चालेगी' को खतम किया जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोग इस अभिभाषण का गुणगान कर रहे हैं। हम प्रतिपक्ष के लोग इनकी कमियों को सत्ता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में दूसरे प्रधान मंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था, 'जय जवान-जय किसान' उनकी दूरदर्शिता थी, उनकी समझ थी। देश का अन्नदाता अपने खून पसीने की मेहनत से अन्न पैदा करके खुद खाता है और औरों को भी खिलाता है। अगर वह ठीक होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, सक्षम होगा, उन्होंने यह सोचकर यह नारा दिया था। उन्होंने कहा, देश का युवा देश की ताकत होती है। जिस दिशा में युवा मुड़ता है, उधर इतिहास बनते जाते हैं। कई आंदोलन हुए जिनने देश की नीतियों को बदला है। मैं

(श्री बाबुलाल)

उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि देश की धरती पर वार्ड पंच से लगाकर प्रधान मंत्री तक, 55 साल तक इस हिन्दुस्तान की धरती पर एक ही पार्टी थी। उन किसानों के लिए क्या किया? अभी हमारे माननीय सदस्य अर्जुन जी ने किसान सम्मान निधि योजना की बात की थी। मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे देश के किसान की किसी ने चिंता नहीं की। उन्होंने कहा देश का किसान खाद-बीज के लिए तरसता है, या तो अपने जेवर गिरवी रखेगा या फिर किसी से उधारी लेगा। ये सोचकर उन्होंने योजना बनाकर जो भी खाताधारक किसान हैं, उनके खाते में 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष तीन किश्तों में 2 -2 हजार के रूप में उनके खाते में डालने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश में उस किसान सम्मान निधि का क्या हुआ? काफी समय तक तो किसानों के खाते में पैसे जा नहीं रहे थे। फिर जब समझ में आया कि किसान हमारे से दूर जा रहा है, विरोध में जा रहा है, प्रयास किया। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि कई किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं जा रहा है, जिसके पीछे कारण राजस्थान प्रदेश की सरकार है। जो खाते ऑनलाइन करने थे, वह खाते आज तक ऑनलाइन नहीं किये, जिसके कारण से उनको जो लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ मिल नहीं पाया।

हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत प्रशंसा के पुल बांधे कि किसानों को कृषि कनेक्शन में बिजली हम 6 घंटे दे रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां का किसान गरीब है। किसी के पास जाकर अपना रोना रो नहीं सकता है। उनके लिए बोलने वाला कोई धणी-धोरी नहीं है। वहां पर अघोषित विद्युत कटौती के कारण, बिजली कटौती के कारण किसानों की फ़सलें चौपट हो रही हैं, जलकर खतम हो रही हैं। मैं स्वयं जाकर देखकर आया हूं। बिजली आती है-जाती है, जब तक मोटर चालू करके वह पानी पिलाने के लिए खेत तक जाता है, तब तक पावर कट हो जाता है। कुल मिलाकर हम देखते हैं तो 6 घंटे के बजाय 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। आप चाहें तो अधिकारियों को भेजकर जांच करवा लेना कि मैं गलत हूं या वे गलत हैं। किसानों की खेती पूरी की पूरी जल रही है। किसान रो रहा है। उसने खाद डाला है, बीज डाला है। उसकी कल्पना थी कि मेरे बच्चों को मैं रोटी खिलाऊंगा। वह बर्बाद हो रहा है, कोई

(श्री बाबुलाल)

सुनने वाला नहीं है। कई किसानों के कनेक्शन काट दिये। बिजली के बिल जमा होने के बाद में भी, हो सकता है कि कुछ समय के लिए देरी हो गयी होगी। इतनी तो मानवता होनी चाहिए कि कुछ देरी हो गयी तो कनेक्शन नहीं काटेंगे। उन्होंने कनेक्शन काट दिये, उनकी खेती बर्बाद हो गयी।

सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा और आपके इस अभिभाषण में जिक्र है, अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय जी से यह कहलवाया कि किसानों की 5 हैक्टेयर तक की कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त कर दिया गया। यह कानून पारित कर दिया। मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। कोटड़ा में 6 किसान, जिनकी भूमि के कुर्की नोटिस उनके घर पर पहुंचे हैं और कुर्क करने की तारीख 5 फरवरी, अख़बार में विज्ञापन जारी किया है। अब सरकार कह रही है कि हम काश्तकारों की, किसानों की जमीन कुर्क नहीं करने देंगे, विभाग क्या कर रहा है? कानून को भी नहीं मानते। कानून को दरकिनार करके वह जमीन कुर्क करेंगे। उस किसान के पास में आधे बीघे की जोत है, एक बीघे की जोत है, दो बीघे की जोत है, पांच बीघे की जोत है, अगर आप कुर्क कर देंगे तो वह कहां जाएगा। रोड पर बैठकर भीख मांगेगा क्या? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग जिन्होंने गलती की है, उनको आप क्या सज़ा देंगे?

सभापति महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह जनजाति बहुल क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आदिवासी रहता है। वहां पर आपने वाहवाही लूटने के लिए उनके लिए 2012 में एक राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की घोषणा की उदयपुर में। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर जनजाति के लिए विश्वविद्यालय बनेगा तो हमारे जनजाति का विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय में जाकर उपाधि प्राप्त करेगा, शोध करेगा, आगे बढ़ेगा। हम सबका उद्देश्य था, हमने भी आपको धन्यवाद दिया। हम सबकी इच्छा थी, मैं भी उस समय विधान सभा में था। हमने कहा कि वहां उस क्षेत्र के एक महापुरुष हुए हैं, एक संन्यासी हुए हैं, उनको आदर्श के रूप में मानते हैं 'गुरु गोविन्द जी', जिन्होंने भजनों के माध्यम से लोगों में जागरण किया, धुणियों के माध्यम से लोगों का जागरण किया और जागरण करके लोगों को देश को आजाद कराने के लिए प्रेरित किया। मानगढ़ धाम का जो कांड हुआ, वह भी हम सबको पता है, बहुत लम्बा हो जाएगा। हमने कहा उस गोविन्द गुरु की सबकी आस्था है, उसके नाम से विश्वविद्यालय को आप

(श्री बाबुलाल)

करिए। आपने नहीं माना। उसके बाद में 2013 के बाद में हमारी सरकार आयी। उस विश्वविद्यालय का नामकरण गुरू गोविन्द के नाम से किया। बांसवाड़ा पूरा जनजाति बहुल एरिया है, बांसवाड़ा होना चाहिए। हमने कहा, चलो बांसवाड़ा हो तो कोई बात नहीं, हमारा आदिवासी वहां पढ़ेगा। उस जनजाति महाविद्यालय की हालत क्या है? 2012 के बाद में एक बार वी.सी. लगाया था टी.सी.डामोर को, अभी आपने एक वी.सी. लगा रखा है। 2012 के बाद में एक भी भर्ती करके वहां पर व्याख्याता जो होने चाहिए, वह नहीं लगाये, जिसके कारण से आज उस क्षेत्र को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। क्या हालात हैं? आप उधारी के लेकर के काम चला रहे हैं। आपने भर्तियां नहीं कीं। जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे, तब मुझे बताएंगे कि आप वहां भर्तियां करेंगे तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी? उस क्षेत्र के आदिवासी का बच्चा भी, उसने पी.एच.डी. की है, नेट की है, स्लेट की है, योग्यता रखता है। क्या उनको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे?

सभापति महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, उसी जनजाति क्षेत्र में है। वहां पर अभी भर्तियां हुईं। भर्तियां हुईं तो भर्तियों में नियमों को तोड़-मरोड़कर के एक भी आदिवासी को उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। वह आदिवासी का बच्चा कहां जाएगा? सरकार से आशा रखता है। इससे आगे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे काफी लोग बहुत गुणगान कर रहे हैं। ये राज का खजाना किसी की बपौती नहीं है। इस राज के खजाने पर हिन्दुस्तान की गरीब-अमीर, सारी जनता के खून-पसीने का पैसा है, उनका भी हक बनता है। कोई ज्यादा देता होगा, कोई कम देता होगा, लेकिन हक तो सबका बनता है। स्वास्थ्य विभाग के लिए हम दवाइयां बाटेंगे नि:शुल्क, उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, ये सारा कर दिया। लेकिन हालत क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा में एक सीएच.सी., झाड़ोल में एक सी.एच.सी., कोटडा में तो सारे के सारे डाक्टर नहीं हैं, जीरो है। वहां पर पर्ची लिखने वाला कोई नहीं है। उन दवाइयों का हम क्या करेंगे? दवाइयों को चाटेंगे क्या? झाड़ोल में शिशु विशेषज्ञ सर्जन पद खाली है। कोटडा में तो एक एक्स-रे मशीन है। रेडियोलोजिस्ट नहीं होने के कारण से वह एक्स-रे मशीन बंद पड़ी है। क्या कारण है? क्या चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना था आप कहने तो देंगे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको निपटा दूं। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युत के

(श्री बाबुलाल)

क्षेत्र में आपसे कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिए।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): दो मिनट तो बोलने दीजिए।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): विद्युत के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा, हमारी राजस्थान सरकार ने दीनदयाल योजना बनायी, बंद कर दी। केन्द्र सरकार ने किसान को, गांव के गरीब आदमी को जोड़ने का काम किया, आज भी कई घर ऐसे हैं जो बिजली से नहीं जुड़े हैं, आप जोड़ेंगे क्या? आपने एक बात कही, कुसुम योजना के अन्तर्गत हम किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली के कृषि कनेक्शन देंगे। एक भी नहीं दिया, आगे देंगे क्या?

मैं शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जनजाति क्षेत्र में बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन अध्यापक नहीं हैं। विद्यालयों की हालत यह है कि वह जर्जर है, कहीं गिर गये हैं। मां-बाड़ी केन्द्र में जो अध्यापक हैं, हमने पिछली बार कहा कि मां-बाड़ी केन्द्र खोलिए, ताकि जो बेरोजगार बच्चा है उसको रोजगार मिलेगा, पर आपने नहीं खोला। मां-बाड़ी केन्द्र के अध्यापक हैं, उनकी मांग है कि हम भी मेहनत करते हैं, जितना सरकारी अध्यापक करता है उतना हम भी शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो हमें कम से कम संविदाकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, यह उनकी मांग है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको संविदाकर्मी का दर्जा दें, उनके वेतन में वृद्धि करें। इस अभिभाषण में असहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी देर बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, वैश्विक महामारी से राजस्थान ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित था। इस बीमारी का प्रबंधन राजस्थान सरकार ने आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में किया, वह सराहनीय था। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना की गयी। पक्ष-विपक्ष सब लोगों ने उसकी सराहना की, बेहतर प्रबंधन था। न सिर्फ

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

बीमारी के इलाज का, दवाइयों का, मशीनों का, जो कुछ भी उपलब्ध कराना था, उसमें सरकार भी धन्यवाद की पात्र है, विपक्ष भी धन्यवाद का पात्र है और राजस्थान की जनता भी धन्यवाद की पात्र है, सबने सहयोग किया। सबके सहयोग से ही राजस्थान इसका सफलता से मुकाबला कर पाया।

महोदय, जो प्रवासी राजस्थानी थे, चाहे उनके आने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, सरकार ने माकूल व्यवस्था की। पक्ष-विपक्ष ने बिना राजनीतिक भेदभाव के इसमें सहयोग किया। राजस्थान की जनता ने इसमें खुले दिल से सहयोग किया। सबके सहयोग से ही हम अच्छी तरह से इसका मुकाबला कर पाये। जो और प्रदेशों में देखने को मिले, वैसे सीन राजस्थान में देखने को नहीं मिले।

महोदय, इसके अलावा इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सालों बाद ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन हुआ है। हमारे ऐसे काफी गांव थे, काफी ऐसे क्षेत्र थे, जिनका पंचायतों के अभाव में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा था। अब मैं आशा करता हूं कि जो वंचित ग्राम पंचायतें थीं, नई पंचायत समितियां बनाई गई हैं, उनके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण विकास हो पाएगा। विकास का पूरा लाभ उनको मिल पाएगा।

सर, जैसा कि आप जानते हैं और पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि राजस्थान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए काफी कदम उठाये हैं। जैसे कि 5 हैक्टेयर तक की कृषि भूमि को कुर्की मुक्त करने के सम्बन्ध में कानून पारित किया है, इससे किसानों को काफी लाभ होगा। किसानों व आम जन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई की बिजली रात में दी जाती थी, उससे निजात दिलाने के लिए 2023 तक सरकार ने वादा किया है कि सिंचाई की बिजली दिन में मिलेगी, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

इसी के साथ, पहले बहुत सारे क्षेत्र थे, जिसमें ट्यूबवैल खोदने के लिए लोगों को एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होती थी। एन.ओ.सी. में देर होती थी, तरह-तरह की शिकायत होती थी, सरकार ने उसकी जो आवश्यकता है, उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं कि इससे हमारी जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सर, एक चीज जो केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को मिलकर करनी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

चाहिए, आज के सुबह के अख़बार में था कि पैट्रोल का भाव जयपुर में 94 रुपये प्रति लीटर हो गया। मैं केन्द्र या राज्य सरकार या दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर दोनों सरकारों से आग्रह करना चाहूंगा कि इससे आम आदमी प्रभावित होता है। हर किसी के पास मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर है, जो कुछ भी वाहन है, तो इससे प्रभावित होता है। राज्य सरकार ने जैसे दो रुपये प्रति लीटर ड्यूटी कम की है, केन्द्र सरकार को भी कुछ करना चाहिए, ताकि इसका लाभ आम आदमी को मिले। यह वाकई में एक चिंता का विषय है।

सर, अभी पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। हर पार्टी किसानों की बात करती है। अपने आपको किसानों का हितैषी बताती है। किसानों की स्थिति है, वह सबको पता है। आजकल टी.वी. पर तो पूरी खबर नहीं आती पर सोशल मीडिया के मार्फत पता लगता है। नेता प्रतिपक्ष यहां विराज रहे हैं, आपने भी अनेक आंदोलन किये हैं, आप भी अनेक बार जेल में गये हैं, पर क्या ऐसी जेल में आप रहे जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था? आपके जमाने में हो सकता है उस समय इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, पर मूलभूत सुविधाएं थीं वे आपको भी जेल के अंदर उपलब्ध थी। आज हमारे किसान वहां पड़े हैं, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और वहां पर कांटे गाड़ दिये, कंटीली चारदीवारी कर दी, यह अमानवीय व्यवहार है। इसका पार्टी से, राजनीति से सम्बन्ध नहीं है। प्रदर्शन करना, विरोध करना, प्रजातंत्र का एक अहम हिस्सा है, इसे आदमी को शांतिपूर्ण तरीके से किये जाने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे हमारे देश और प्रदेश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है।

सर, तिरंगे के अपमान का, उप नेता प्रतिपक्ष आये हैं, इनको हमारे देश के, हमारे तिरंगे की शान की। 26 जनवरी को जिसने तिरंगे का अपमान किया वह कौन व्यक्ति है, शायद उप नेता, प्रतिपक्ष को पता नहीं है, पर पूरे हिन्दुस्तान को पता है कि किनका मित्र था, किनके साथ फोटो खिंचवाता था, किनके साथ प्रचार-प्रसार करता था। किस साजिश के तहत वह गया और आप कहते हो कि किसानों ने किया। किसान तो बैठे हुए हैं, 200 से ज्यादा आदमी मर चुके हैं। वहां से कोई तो जाता। वह दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री जी कहते हैं, मैं फोन करने के लिए तैयार हूं, एक फोन में मुझे बुला ले। आप चले जाइये भाई, इनके वोट से आप जीते हैं। वह आपके कारण नहीं हैं, आप उनके कारण हो। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार उनके प्रति

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

भी थोड़ी सहानुभूति दिखाएगी और जो भी उचित निराकरण, समाधान है, वह करेगी।

सर, एक बात चली माफियाओं की। तरह-तरह के माफिया उप नेता, प्रतिपक्ष ने गिनाये हैं। बजरी माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, ब्याज माफिया। उप नेता प्रतिपक्ष को जितना ज्ञान है, मैं तो पहली बार सदन में आया हूं, ये अनुभवी आदमी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अवैध शराब का काम कैसे होता है, कैसे क्या मिलाई जाती है, कैसे बनती है, कहां से आती है। सादुलपुर से आती है, चूरू होते हुए आगे जाती है कैसे गैंगवार होते हैं, माफियावार होते हैं। मैं मानता हूं कि यह कांग्रेस और बीजे.पी. का सवाल नहीं है, हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कोई राज रहे, किसी पार्टी का रहे, इन माफियाओं से हमारे प्रदेश को मुक्ति मिलनी चाहिए। चाहे दारासिंह हत्याकांड हुआ हो, आनन्दपाल हत्याकांड हुआ हो, यह प्रदेश और सदन को बताना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने इनको पनपाया। कौन लोग थे जो इनके क्रियाकलापों से लाभान्वित हुए। इनके टेलीफोन जब्त किये हैं, उनके टेलीफोनों से पता लगाओ कि यह किस-किस के सम्पर्क में थे। इतना बड़ा माफिया कोई एक दिन में नहीं पनपता है। माननीय सतीश जी पूनिया का गृह जिला है। कुछ दिन पहले बता रहे थे कि सादुलपुर मेरी मातृ भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। वह तो इसका एक पर्याय बन गया। कोई अपराध हो, इतनी अच्छी जगह अपराध का गढ़ क्यों बन जाए, चाहे न्यांगली कांड हो, चाहे यह कांड हो, वह कांड हो, वह सादुलपुर से ही क्यों शुरू होता है। हरियाणा के बहुत ज़िलों के बोर्डर हैं, वह चीज वहां से ही क्यों शुरू होती है, यह चिंता का विषय होना चाहिए।

सर, मैं शिक्षा माफिया का बताना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक दूनी गांव है, बड़ा गांव है, तहसील हैड क्वार्टर है। कटारिया साहब, 1998 तक वहां गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, उसमें साइंस विषय था। मैंने पहली बार सुना है, प्राइवेट स्कूलों के प्रभाव में आकर, उनके असर में आकर, सरकार ने उस स्कूल से साइंस हटा दी। गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल से साइंस हटा दी, ताकि वहां की बच्चियां प्राइवेट स्कूलों में जाएं। लोग तो साइंस खुलवाते हैं, मैंने पहली बार उलटा देखा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसा अन्याय नहीं करें। जो भी सब्जेक्ट था, जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत गांवों में बड़ी लड़कियां होती हैं न, उनके घर वाले दूर नहीं भेजते हैं, फिर आवागमन के

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

साधन नहीं हैं, फिर बहुत सारी बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो मैं आग्रह करता हूं कि जो भी हमारे बालिका हायर सैकण्ड्री स्कूल्स हैं, उनमें सब विषय, जो बालिकाएं चाहें, वे उनको होने चाहिए अन्यथा प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल महंगे भी होते हैं, आम आदमी जा नहीं सकता। इसमें जनता का अहित होता है।

सर, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है देवली, उसमें आमली ग्राम पंचायत से लेकर जो सवाई माधोपुर से लगी हुई है, हिसामपुर है, जो अजमेर में केकड़ी के लगी हुई है, 200 किलोमीटर की दूरी है। सर, 200 किलोमीटर के दायरे में एक भी गर्ल्स कालेज नहीं है। वहां आठ प्राइवेट कॉलेज हैं। लोगों को मजबूरी में, खास तौर से गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो बच्चियों को वहां प्राइवेट कालेजेज में जाना पड़ता है तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षा माफिया से, जो प्राइवेट सैक्टर में चल रहा है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स कालेज और गर्ल्स स्कूल खोले जाएं।

सर, एक बड़ा विषय है, जो मेरे खुद के समझ में नहीं आया। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं बाहर से नहीं आया और जहां तक मुझे याद है, मेरे मां-बाप भी राजस्थान में ही पैदा हुए थे। हम कहीं बाहर से नहीं आये। सर, राजस्थानी भाषा क्या है। हर आदमी कहता है, हमारे मान का, शान का, आन का प्रतीक है। सर, मुझे यह बताएं कि राजस्थानी भाषा है क्या। जो गंगानगर में बोलता है, वह राजस्थानी है या बांसवाड़ा में बोलता है, वह राजस्थानी है? जो जैसलमेर में बोलता है वह राजस्थानी है या धौलपुर में बोलता है, वह? आप भाषा को मान्यता देना चाहते हैं। हमको बता तो दें, यह भाषा है कौनसी? ये बोलियां हैं। भाषा वह होती है, जिसकी लिपि होती है। क्या है, हमारी इसकी लिपि क्या है? आप हमारे ऊपर थोपिए मत, सर क्योंकि आप जैसे जानते हैं, पहले ही इस प्रदेश में, भरतपुर में, पूर्व स्पीकर हमारे गिर्राज तिवाड़ीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है ब्रज भाषा प्रदेश कमेटी। वे कहते हैं कि उसको लागू करो। हमको कुछ नहीं चाहिए, सर, कोई सी भी भाषा बोलें। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमें महंगाई से मुक्ति मिले। यह राजस्थानी भाषा से किसी को क्या मिलेगा। किसको क्या मिलेगा, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कितने प्यासों को पानी मिलेगा। कितने भूखों को रोटी मिलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): तो सरकार से मेरा यह आग्रह है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं इस प्रदेश में, देश में, आपको जाति पर बांटें, आपको धर्म पर बांटें, आपको क्षेत्र पर बांटें। अब भाषा पर बांटेंगे। ये लोग आपको लड़ा-भिड़ाकर प्रदेश में अपनी जो शांति-व्यवस्था बनी हुई है, इस पर लड़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस राजस्थानी भाषा का मुद्दा यहीं खतम किया जाए। जो भाषा चल रही है, ठीक है। हमारा कोई काम नहीं अटक रहा है। हमें तो इस महंगाई से मुक्ति दे दो, बेरोजगारी से मुक्ति दिला दो, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो, अत्याचार से मुक्ति दिला दो। हमारा काम चल जाएगा। सर, हमने राजस्थानी भाषा को यहां तक हाथ जोड़े। अगर पास किया तो मैं इसका विरोध करता हूं। मैं अकेला रह जाऊं, मैं इसका विरोध करूंगा। यह हमारी मांग नहीं है।

सर, इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राज्यपाल महोदय को, गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें राज्य सरकार की उपलब्धियां बतायीं। मैं आशा करता हूं कि इसी रूप में हमारी प्रगति होती रहे।

अंत में, सर, एक सुझाव, आदरणीय कटारिया साहब का, राजेन्द्र सिंहजी का, बाकी लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा। उसमें मैं भी सहमत हूं कि जो अधिकारी दागी हैं, राजेन्द्रजी ने कुछ सर्कूलर्स का हवाला दिया कि इनके तहत इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल सकती। उस पर सरकार विचार करे। जो फील्ड पोस्टिंग के लायक नहीं है, उनको नहीं लगाया जाए और जिनको लगा दिया, उनको अविलम्ब हटाया जाए। सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से पहले सत्र में, चौथे सत्र में और अभी छठे सत्र में जिस प्रकार से असत्य बुलाया गया है, मैं इसके लिए किसी भी प्रकार का धन्यवाद नहीं दूंगा लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको खूब-खूब धन्यवाद।

सत्ता में आये, राज्यपाल के श्रीमुख से कहलवाया कि हम संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। आप सबको विदित है, सरेआम बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्याएं, क्या यही पारदर्शिता है, यही संवेदना है? जिस प्रकार से पूर्व के सत्र में, पहले और चौथे सत्र में श्रीमुख से बुलवाया

(श्री छगनसिंह)

गया कि हम निराश्रित गोवंश के लिए काम करेंगे, हम पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलेंगे। नंदीशाला खोलना तो दूर की बात, निराश्रित गोशालाओं को अलग से बजट देना तो अलग बात, स्टाम्प ड्यूटी पर सैस, गो सेवा कर, जो जनता दे रही थी, अपने मन से दे रही थी, अपने दिल से दे रही थी, उसका भी नया विधेयक लाकर अन्य मद में खर्च करने के लिए नया विधेयक बना दिया। आपको कैसे धन्यवाद दें।

माननीय सभापति महोदय, किस विषय पर मैं चर्चा करूं। किसी भी बात पर, भले वह किसानों की बात हो, किसान आज रो रहा है। आपने सत्ता में आने के लिए किसानों को यह कहा था कि हम अगर सत्ता में आये तो दस दिन में सम्पूर्ण कब्जा माफ होगा, सम्पूर्ण। आज तक किसी भी प्रकार का, सम्पूर्ण कर्जे की बात तो दूर, सोसाइटी में भी बराबर से माफ नहीं हुआ। और तो और, मेरे पास मेरे विधान सभा क्षेत्र से, तीन जगह से ऐसे-ऐसे लोग आये, और मेरे पास आकर किसान रोये कि एक बार एस.डी.एम. को फोन कर लीजिए कि तीन या पांच दिन बाद में पैसा भर लेंगे। मैं प्लाट बेच रहा हूं, मैं जमीन बेच रहा हूं और जमीन बेचकर वह पैसा भर लूंगा लेकिन मेरी वह जमीन कुर्क मत कीजिए। ऐसे-ऐसे मामले सामने आये हैं, मैं किस बात का धन्यवाद दूं। धन्यवाद तो प्रधान मंत्री मोदीजी को देना चाहिए, जिन्होंने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा में पहले कई तरह के राइडर थे, उनको भी समाप्त करके प्रधान मंत्री फसल बीमा में यह जो क्लेम आना शुरू हुआ है यह भी कहीं न कहीं मोदीजी की देन है।

मैं बात करूं, कानून व्यवस्था की। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। आप देख रहे हैं कि चोरी हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जरा ट्रेजरी बैंचेज का हाल देखिए। पांच माननीय सदस्य बैठे हैं, बाकी मंत्रीगण तो अपनी मजबूरी से बैठे हैं। मतलब, अभी अभिभाषण पर बहस चल रही है और आज दूसरा दिन है, आप गिन लीजिए। (व्यवधान) पांच माननीय सदस्य बैठे हैं। ये छठी लक्ष्मी, एक और आ गयीं। सरकार गम्भीर ही नहीं है। आफिसर गैलरी में एक आदमी नहीं दिख रहा है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको लगता है, कोरम

पूरा हो जाएगा, तो आज घंटी बजने दो।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज, विराजिये। प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पर हम गये कहां थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह गम्भीरता है? मतलब इससे बड़ी नीरसता मैंने कभी ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): इनको बोलने की आदत है, एक बार (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको सचेतक बोलते हैं, मगर कोई मानता नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप सदन का समय खराब मत करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी कोई सुनता नहीं है। आपको कोई मानता नहीं है। आपकी कोई सुनता नहीं है। (व्यवधान) यह सत्ता पक्ष की संख्या, इसको कहते हैं संख्या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज, सहयोग करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): खाली हैं पूरी ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, हमारा कांग्रेस के भाइयों से अपनापन है। नहीं रहते हैं तो सूना-सूना रहता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पांच आदमी, देखिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम अविश्वास का प्रस्ताव ...(व्यवधान) वोटिंग कराओ, वोटिंग कराओ। अभी सरकार गिरती है।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज सहयोग करें। विराजिये, विराजिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, हमारा उनसे अपनापन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये, विराजिये। आप लोग नये हैं। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब भी इनको नींद आने लगती है, नींद

(श्री सभापति)

उड़ाने का इनका यही तरीका है। नींद तो इनकी उड़ गयी। आप अपना जारी रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इस तरह की बात मत कहें। सच्चाई यह है कि जितने चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, मेरे मित्र हैं। मैं उनको बहुत बेहतर जानता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यहां समझ रहा हूं आपकी बात। आपने इसको नींद उड़ाने वाली बात कह करके हमारा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं भी इनमें से अधिक, आधों की जितनी उम्र नहीं है, उतने सालों से मैं इनको जानता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपकी भावना का, लेकिन जो रिकार्ड पर चला जाता है, वह बहुत बुरी हालत में होता है। सच में मैं कल से लेकर आज तक जो मैं देख रहा हूं, आप स्वयं बताएं कि वास्तव में क्या यह सीरियसनेस है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, प्लीज, प्लीज। (व्यवधान) उनको बोलने दें। बाकी जो माननीय सदस्य हैं, वे भी बोल लेंगे। टाइम है नहीं, सात बजे का टाइम दिया हुआ है। उन्हें बोलने दें।

श्री छगनसिंह (आहोर): कानून-व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई मन्दिरों में चोरियां हुई हैं और एक बार नहीं, उसी मन्दिर में दो-दो बार चोरियां हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की किसी चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में टीकमसिंह राजपुरोहित की सरेआम हत्या होती है। आज तक उसका कोई पता नहीं है, क्यों? और तो और, सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के नेतरा गांव में मनोहर राजपुरोहित, तीन बहनों का इकलौता भाई, एक मात्र पुत्र चार साल से लापता है। उसका अपहरण हुआ है लेकिन आज तक, 21 से 25 विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लैटर लिखकर कहा है कि इसकी सी.बी.आई. जांच हो, लेकिन इसकी अभी तक सी.बी.आई. जांच की बात तो दूर, इसका जवाब भी ठीक तरीके से नहीं आता है। मनोहर राजपुरोहित के अपहरण का, जो फालना गांव में पढ़ने गया था, उसका अपहरण हुआ है, उसका आज दिन तक

(श्री छगनसिंह)

पता नहीं चला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि इसकी जानकारी दें कि कहां है वह मनोहर राजपुरोहित? उसका अपहरण हुआ है या मार दिया है? मार दिया है तो किसने मारा है? इसकी जानकारी, आज दिन तक इस कानून व्यवस्था की चरमराई हुई व्यवस्था के अन्दर पता ही नहीं चल रही है।

पेयजल की व्यवस्था की बात करें तो पेयजल में नर्मदा ई.आर. क्लस्टर योजना जालौर जिले के लिए बनी हुई है, लेकिन कम से कम 200 गांवों के लिए यह व्यवस्था है। जहां अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा है कि हम फ्लोराइड मुक्त पानी देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में महलावास, मेला, बालावास, मेडा-निचला, भेटाला, वहां जाकर एक बार सर्वे करवा लीजिए। वहां के युवा कुबड़पन से ग्रसित बिस्तर पर सोए हुए मिलेंगे। हर घर से कोई न कोई सोया हुआ मिलेगा। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि नर्मदा की ईआर. क्लस्टर जो महत्वाकांक्षी योजना है, करीब 200 गांवों के लिए नर्मदा की यह एक बहुत ही अच्छी और बड़ी योजना है। इसके लिए इस बजट में या तो घोषणा कीजिए या फिर इसके लिए कुछ न कुछ नया काम कीजिए। वहां पर कहीं पर भी, 22 गांवों में तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है। लोग कहीं से कहीं-कहीं जाकर पानी लाने के लिए प्रयास करते हैं तो कैसे धन्यवाद दूं राज्यपाल महोदय को? आपने उनके श्रीमुख से पढ़वा तो दिया, लेकिन कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है।

सिंचाई की बात करें तो जवाई पुनर्भरण योजना के लिए हमेशा हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जालोर, सिरोही और पाली के लिए जो जवाई बांध बना हुआ है उसके अन्दर पुनर्भरण की डी.पी.आर. बनी थी, लेकिन इसके जो आगामी जितना भी है उसके लिए न तो कोई प्रावधान किये, ठंडे बस्ते में डी.पी.आर. डाल दी, और न ही इसके लिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और तो और, मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये की सही बांध से एक घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपये, वह मुख्य कैनाल से चौड़ाईकरण के लिए, जो जवाई बांध के लिए आती है, उसके पहले वर्ष में 20 करोड़ रुपये देंगे, आज तक उसका भी कोई पता नहीं। 20 करोड़ रुपये की यह घोषणा हुई थी, नहीं, 100 करोड़ रुपये की घोषणा थी और 20 करोड़ रुपये का काम आज भी शुरू नहीं हुआ है तो क्या बात करें?

सिंचाई के साथ-साथ में अगर हम सड़क की बात करें तो मेरे विधान

(श्री छगनसिंह)

सभा क्षेत्र में तीन साल पहले दो पुल अत्यधिक बारिश के कारण ढह गये थे। छोटे-छोटे पुल हैं, काम भी स्वीकृत हो गया था, टेंडर भी लग गये थे, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है, उसमें कोई राइडर लगाकर रोक दिया है। वह है कवराडा पुलिया और आईपुरा पुलिया। इन दोनों पुलियाओं को तुरन्त शुरू करवाएं।

इसी प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में आर.ओ.बी. की भी घोषणा की थी, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। एक हमारा बागरा से धवला, लेटा रोड, वह भी मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में कहा था, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ तो कैसे धन्यवाद दें?

माननीय सभापति महोदय, कई तरह की समस्या है। शिक्षा की बात करें तो पांच लाख आबादी का विधान सभा क्षेत्र और मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है और वह भी स्वीकृत विद्यालय, जो बना हुआ है, आज दिन तक उसके पिलर बने हुए हैं, काम नहीं चल रहा है, दो साल से काम बंद है। उस राजकीय महाविद्यालय का काम तुरन्त शुरू करवाकर काम पूरा कराएं, तब तो लगेगा कि आप संवेदनशील हैं, पारदर्शी हैं, नहीं तो यही लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ भाषणों में बात करते हैं। भाषणों में बात नहीं करके विकास की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं बेरोजगार युवाओं की बात करूंगा। आपके आज के पी.सी.सी. चीफ पहले शिक्षा मंत्री थे। वे जब विपक्ष में बैठते थे तब बड़ी-बड़ी बातें कहते थे कि हम पंचायत सहायक को परमानेंट कर लेंगे, विद्यार्थी मित्रों को परमानेंट करेंगे। आज वे 200 रुपये की मजदूरी में, नरेगा मेट की मजदूरी तो 250 रुपये, 225 रुपये है, लेकिन पंचायत सहायक 200 रुपये मजदूरी में काम करते हैं। उनके लिए न तो आप ज्यादा वेतन की बात करते हैं और न ही उनको परमानेंट करने की बात करते हैं तो कैसे धन्यवाद दें?

माननीय सभापति महोदय, हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर पारदर्शी सरकार की आप कल्पना करते हैं तो आप सभी विषयों पर, जो-जो विषय इस व्यवस्था में लगते हैं, जो काम करने हैं, वे करने चाहिए।

कोरोना महामारी के बारे में जिस प्रकार आप सबने चर्चा की कि हमें मोदीजी ने धन्यवाद दिया है, यह बिलकुल सही बात है। मोदीजी ने इसलिए

(श्री छगनसिंह)

धन्यवाद दिया कि आप इसमें भी राजनीति करने लग गये थे। आपको पता था, आप लाकडाउन के विरोध में बोलने लग गये थे। मोदीजी ने जब आपकी प्रशंसा की तो आप वह भीलवाड़ा मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल करके साल भर से एक ही बात कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आपने काम किये, अच्छे काम किये हैं तो आप भी प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं, उस पर भी बोलिये। जिस प्रकार से बहरोड़ से आने वाले मेरे साथी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि अगर इस्तीफा दे दूं, बात उनकी नहीं है, आपके अन्दर भी दर्द छिपा हुआ है, सभी कांग्रेस के विधायकों के दिल में दर्द छिपा हुआ है कि काम नहीं हो रहा है, चूंकि बोल नहीं सकते क्योंकि सत्ता पक्ष में हैं। हम आज आपको हकीकत से बयान करवा रहे हैं, इसलिए यह निवेदन है कि जो-जो समस्या है, उसका निपटारा करे, तो ही आपको धन्यवाद है। माननीय सभापति महोदय, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को यह बधाई देना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना, जिसने पूरे विश्व में विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, मानो जैसे विकास के पहिये थम से गये हों, उस स्थिति में हमारे मुख्य मंत्री ने न केवल इस महामारी के प्रति समूचे राजस्थान को जागरूक किया, बल्कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए ठोस कदम भी उठाये और हम सब इस बीमारी से बहुत हद तक निजात पाने में सफल भी हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे सामने बैठे मेरे विपक्ष के साथी बार -बार यह बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों के हित में कोई कार्य नहीं किया, जबकि मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मजदूरों, विद्यार्थियों और अप्रवासी राजस्थानियों को उनके स्थान से

(श्री हाकम अली खां)

दूसरे स्थान पर नि:शुल्क गाड़ियों से लाने की व्यवस्था की और उनके खाने-पीने की व्यवस्था की और उनके घर तक पहुंचाया जबकि जिन राज्यों में भा.ज.पा. की सरकार है, उन राज्यों में मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए जो बसें लगाई गयी थीं, व्यवस्था की गयी थी, उन बसों को बोर्डर पर रोककर, पास के नाम पर उन बसों को रोका गया कि पास बनाने तक आपको अन्दर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए यह इस प्रकार से कोई न्यायोचित नहीं है।

कोरोना काल के दौरान मुख्य मंत्रीजी ने हम सबसे समय-समय पर टेलीफोन के माध्यम से बात करके हर विधान सभा क्षेत्र की स्थिति जानी और जानकारी लेकर हौसला बढ़ाया, जो काबिले-तारीफ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने तो राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के दूसरे राज्यों के मजदूरों, विद्यार्थियों और जो यहां आये हुए लोग थे, फंसे हुए थे, उनको भी अपनी रोडवेज की बसों से, प्राइवेट बसों से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया था।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी के समय भी हमारी सरकार द्वारा विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी राजस्थान में विकास के कार्यों को निरंतर जारी रखना, यह सरकार के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। इस कठिन समय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ करने एवं इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनकी प्रशंसा केन्द्र सरकार ने भी की है, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।

जब कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गये थे, तब कोरोना काल के दौरान हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया था कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। संकल्प के साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी एक दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जो काबिले-तारीफ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा ही सजग रही है। किसानों की तकलीफों को देखते हुए पेयजल एवं सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों के हित को देखते हुए ट्यूबवैल खुदाई के लिए पहले विभाग से ली जाने वाली एन.ओ.सी. के प्रावधान को खतम करके किसानों को जल आपूर्ति की बहुत बड़ी राहत प्रदान की, जिससे प्रदेश में कृषि

(श्री हाकम अली खां)

क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहूंगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर एन.ओ.सी. के प्रावधान को खतम करने के साथ-साथ अगर किसानों का बिजली विभाग में फाइल जमा कराने के लिए, उस समय ट्यूबवैल होने की अनिवार्यता खतम किया जाए तो किसानों को अधिक फायदा मिलेगा और किसान का पैसा अनावश्यक रूप से ब्लाक नहीं होगा और किसान को राहत मिलेगी। किसान से एक शपथ-पत्र लेकर उसकी फाइल जमा करवाने का प्रावधान करना चाहिए। किसान के जो पांच लाख रुपये ट्यूबवैल के लगते हैं, वे बच जाएंगे। जब किसान को डिमांड नोटिस आएगा, उस समय किसान अपना ट्यूबवैल खुदवा लेगा और डिमांड नोटिस जमा करवाकर अपना कनेक्शन करवा लेगा।

(18.00 बजे)

सभापति महोदयजी, इस वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक मील का पत्थर हुई। पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधीजी की जयंती के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को सम्मानपूर्वक बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था के लिए इंदिरा रसोई के नाम से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी, जो अति-प्रशंसनीय है। इसमें बहुत-से लोग दिन में तीन वक्त का खाना खा रहे हैं और वे हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे हैं।

सभापति महोदयजी, इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग और जागरूक दिखाई दी। सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ किये गये। इसके साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक स्तर पर भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गये, जो हमारे मुख्य मंत्रीजी व शिक्षा मंत्रीजी की दूरगामी सोच को दर्शाता है। गरीब बच्चा आज अंग्रेजी शिक्षा तो प्राप्त करना चाहता था, लेकिन निजी विद्यालयों में मोटी फीस नहीं भर सकता था। गरीब व्यक्ति के बच्चे सोचते थे कि हम भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी सरकार ने ब्लाक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया, यह बहुत ही सराहनीय और

(श्री हाकम अली खां)

प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में भी दो राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय खोले गये, जिससे जरूरतमंद छात्र अंग्रेजी शिक्षा राजकीय विद्यालय में अपने नजदीक क्षेत्र में ही प्राप्त कर सकेंगे।

स्कूली शिक्षा के साथ-साथ हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2020-21 में 38 नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये, जिसमें से एक राजकीय महाविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में भी खोला गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय की मांग काफी समय से चल रही थी। इस मांग को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के सामने फतेहपुर में जब युवाओं ने सरकारी विद्यालय खोलने की मांग रखी तो युवाओं को सरकारी महाविद्यालय के स्थान पर डंडों की बौछार सौगात के रूप में मिली, जो युवाओं के साथ जायज नहीं था। हर वर्ग का छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इस सोच के साथ हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने गौर किया और मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलकर बच्चों को एक सौगात दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आमजन तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जनकल्याण पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएगी। इससे लोगों का समय एवं धन की बचत होगी। लोगों को सभी सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए इधर-उधर भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी योजनाओं से सुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पंजीकृत मदरसों को आधुनीकरण, जैसे कमरों का निर्माण करना, पानी की व्यवस्था करना, मदरसों में कम्प्यूटर की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त बजट प्रदान करके बहुत ही नेक कार्य किया है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बुनियादी शिक्षा मदरसों में मिल सकेगी। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जितने अधिक पढ़ेंगे,

(श्री हाकम अली खां)

इस समाज का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसी सोच हमारी सरकार हर वर्ग के प्रति रखती है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के शहरी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को कि इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सीवरेज के लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति द्वितीय फेज के लिए देकर फतेहपुर की जनता को सौगात दी है। इसका कार्य अभी चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार में भी प्रथम फेज के लिए 68 करोड़ रुपये की सौगात प्रदान की थी। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोराराम जी कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राज्य सरकार की रीति-नीति, कार्यशैली व कार्य-प्रणाली का आईना होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 40 पृष्ठों का 138 बिन्दुओं वाला अभिभाषण सदन में पढ़ा, लेकिन यह अभिभाषण सिर्फ कागजी मायाजाल है। इसमें राजस्थान के विकास व जनता में विश्वास पैदा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल भयंकर निराशाजनक रहा। लोकतंत्र में हम सरकार का चुनाव इसलिए करते हैं कि चुनी हुई सरकार निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव के आमजन को मूलभूत सुविधाएं - बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क उपलब्ध कराए और राज्य में कानून-व्यवस्था कायम कर आमजन में विश्वास पैदा करे। सरकार को चुने हुए दो साल हो गये, लेकिन दो साल में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजस्थान में कई तरह के माफिया पनप गये हैं। बजरी माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया, गैंगवार, लूटमार, रोज कहीं न कहीं हत्या हो रही है, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है। एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मंदिरों में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। आज राजस्थान का कोई ऐसा गांव

(श्री जोराराम कुमावत)

नहीं है, जहां चोरियां नहीं हो रही हैं। घरों में भी चोरियां हो रही हैं। बाइकों की चोरी, दूसरे व्हीकलों की चोरियां, एक तरह से पूरा चौपट-सा हो गया है। कानून -व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं तो सबको सुनना पड़ता है। महिला उत्पीड़न में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। कानून-व्यवस्था के मामले में, एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार के मामले में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।

भ्रष्टाचार की बात करें तो राजस्थान में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। आज कोई भी काम कराने जाएं तो सरकारी आफिसों में बिना पैसे के काम नहीं होता है। पैसे दोगे तो ही काम होगा। बिना पैसों के तो आम आदमी का काम होना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है।

राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने कई अच्छी-अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने वे सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दीं, जिसमें जल स्वावलम्बन योजना, भामाशाह योजना, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स माफ किया था, वह भी वापस चालू कर दिया। किसानों के बिजली के बिलों में दस हजार रुपये माफ किये थे, वे भी वापस लेने चालू कर दिये। अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया। पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना में पांच रुपये में नाश्ता और दस रुपये में दो टाइम का खाना दिया जाता था लेकिन अब वह पांच रुपये वाला नाश्ता बंद कर दिया और एक टाइम खाना दिया जाता है।

खाद्य सुरक्षा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गयी। वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय तक पांच साल तक खाद्य सुरक्षा के पंजीकरण पर रोक नहीं थी। जो भी खाद्य सुरक्षा से नाम कटाना चाहता था, वह कटवा सकता था और जुड़ाना चाहे तो जुड़वा सकता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक साल से खाद्य सुरक्षा के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। आज गरीब आदमी, कमजोर वर्ग का आदमी बहुत पीड़ित है। खाद्य सुरक्षा में जो पात्र परिवार थे, उनके भी नाम काट दिये।

पंचायती राज का विकास भी पूरी तरह से ठप हो गया है। दो सालों से पंचायतों के पास में राज्य वित्त आयोग का एक पैसा नहीं पहुंचा है। सरपंच हाथ ऊंचे खड़े कर रहे हैं कि ऐसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी,

(श्री जोराराम कुमावत)

जो हमारी पंचायतों को भी पूरी तरह से ठप कर दिया। पंचायतों के वित्तीय पावर को भी खतम करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। जिला स्तर पर खनन विभाग को जो आय होती है, वह जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के आफिस में जमा होती है। उस डी.एम.एफ.टी. का पैसा दो साल से सभी जिलों में, पूरे राजस्थान में पडा है। सरकार उस पैसे का कोई उपयोग नहीं कर रही है, उल्टे उसके ऊपर रोक लगा दी गयी। आधा पैसा तो सभी जिलों से राजस्थान सरकार ने यहां, जयपुर मंगवा लिया है और आधा पैसा वहीं पड़ा है, लेकिन वह अभी जन उपयोग में खर्च नहीं किया जा रहा है। ऐसी सरकार मैंने कभी देखी नहीं कि वह पैसा पड़ा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसका जनहित में उपयोग नहीं हो रहा है।

सरकार ने पैरा नम्बर 89 में लिखा है कि नई पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन किया है। पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन तो कर दिया, लेकिन दो साल हो गये, उनके भवन बनाने का कोई काम नहीं हो रहा है। अन्य जन सुविधाएं- शौचालय, बाउंड्रीवाल भी नहीं बने हैं, पटवार सर्कल भी नहीं बने हैं। हैडक्वार्टर पर बारहवीं की स्कूलें, जो सभी पंचायत हैडक्वार्टर पर बननी चाहिए, वे भी अभी नहीं बनी हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो दो वर्ष की हिस्सा राशि सरकार ने नहीं भरी। इससे किसानों को दो साल का जो बीमा क्लेम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। आज किसान पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से किसानों की हितैषी कही जाने वाली यह सरकार किसानों का भी फायदा नहीं कर रही है।

इस सरकार ने आधी जिंसों के ऊपर जो दो परसेंट कृषक कल्याण शुल्क लगाया है, यह भी निश्चित रूप से जनता के ऊपर अधिभार है।

शहरी क्षेत्र में एक और नया टैक्स लगाया है, भवन निर्माण की एन.ओ.सी. लेने पर जो भवन निर्माण की वैल्यूएशन निकाली जाती है, उस वैल्यूएशन के ऊपर एक परसेंट श्रमिक कर लगाया है, तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में भी कमजोर और गरीब लोग रहते हैं, एक मकान बनाने वाले के ऊपर 15 हजार से लगा करके 50 हजार तक का भार सरकार ने जनता पर डालने का काम किया है।

सभापति महोदय, पैरा नम्बर 26 में टिड्डी नियंत्रण के सम्बन्ध में

(श्री जोराराम कुमावत)

सरकार ने कहा है कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन पिछले 12 महीने से राजस्थान भर में टिड्डियों का दल आया, उस समय सरकार ने नियंत्रण तो नहीं किया, लेकिन किसानों ने जरूर नियंत्रण किया, किसानों ने ढोल, थाली और ट्रैक्टरों से बजा-बजाकर के उन टिड्डियों को भगाने का काम किया। सरकार टिड्डी नियंत्रण के मामले में भी विफल रही और टिड्डियों से जो किसानों की फसलें नष्ट हुई थीं तो उनमें उनको मुआवजा भी नहीं मिला। निश्चित रूप से आज भी किसान उस मुआवजे का इंतजार कर रहा है।

सभापति महोदय, पैरा नम्बर 6 में कृषि ऋण, इंदिरा रसोई, पेयजल और बिजली के सम्बन्ध में सहायता करने की बात सरकार ने कही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने कृषि ऋण तो माफ किये नहीं, इन्होंने वादे जरूर किये थे कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

पहले किसानों को फसली ऋण दिया जाता था और उस फसली ऋण में डेढ़ लाख तक ऋण दिया जाता था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी कम कर दिया। आज 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार तक का ही ऋण किसानों को दिया जाता है। वह ऋण भी कम कर दिया। जो नये फसली ऋण हैं वह भी किसानों के बंद कर दिये तो यह ऋण वाली बात भी इनकी झूठी है।

पेयजल के सम्बन्ध में बात करें तो पेयजल के सम्बन्ध में अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। सरकार ने सौर ऊर्जा के पम्प स्वीकृत किये थे, लेकिन डेढ़ साल से पूरे राजस्थान भर में एक भी पम्प नहीं लगा है, सिर्फ कागजों में स्वीकृत हुए हैं।

जल जीवन मिशन की बात करें तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए खूब सारा फंड दे रखा है, लेकिन यहां पर सरकार आज तक एक साल में सिर्फ 5 लाख 11 हजार कनेक्शन दे पायी है। निश्चित रूप से यदि भारत सरकार का पैसा भी उपयोग में ले लें तो पूरे राजस्थान भर में सभी जगह जल कनेक्शन हो जाएं, लेकिन इस मामले में भी सरकार रुचि नहीं ले रही है। आज भी महिलाओं और बहन बेटियों को हैंडपम्प और बावड़ियों से पानी लाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से सरकार इनकी भी चिंता नहीं कर रही है।

अपन बिजली के मामले में बात करें तो सरकार आमजन को सस्ती व

(श्री जोराराम कुमावत)

सुलभ बिजली उपलब्ध कराने की बात कर रही है, लेकिन आज तक सरकार न तो सस्ती बिजली उपलब्ध करा पाई है, न ही सुलभ बिजली उपलब्ध करा रही है। पहले सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): लेकिन इन्होंने यूनिट रेट बढ़ा दी, मीटर किराया बढ़ा दिया, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, स्थाई सेवा शुल्क बढ़ा दिया। किसानों को पूरे 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, कोरोना काल में एवरेज बिल पकड़ा दिये, वी.सी.आर. भर दी, लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं। आज थ्री-फेज के मीटर नहीं मिल रहे हैं, थ्री-फेज की केबिल नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, बूंद-बूंद फव्वारा पद्धति के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, सिंगल फेज के मीटर भी नहीं मिल रहे हैं तो आमजन पूरी तरह से पीड़ित है और लोग बिजली से सबसे ज्यादा दु:खी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): आज सड़कों की बात करें तो मिसिंग लिंक की सड़कें, देवस्थानों को जोड़ने वाली सड़कें...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, ये पहली वाली सरकार ने खूब सड़कें दी थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने दो साल के कार्यकाल में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की है। अपन आलोचना नहीं करें तो क्या करेंगे, हम कोई प्रशंसा थोड़े ही करेंगे।

श्री सभापति: सहयोग करें, विराजिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री किसनाराम जी।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने सरकार के पिछले एक वर्ष की जो भूरि-भूरि प्रशंसा की, उसका बहुत बड़ा महत्व है। चूंकि

(श्री किसनाराम विश्नोई)

वर्ष 2020 एक महामारी का वर्ष रहा, जिसने प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व को झकझोरा, टिड्डी का प्रकोप रहा। साथ ही साथ विशेषकर 72 साल के इतिहास में महामहिम राज्यपाल ने लोकतंत्र की प्रस्तावना का पठन किया। हम भी पहली बार आये हैं, लोकतंत्र की प्रस्तावना का पठन करने की ऐसी आवश्यकता इसलिए रही कि लोकतंत्र को भी खतरा हो गया। लोकतंत्र की चुनी हुई कई सरकारों को हटाने का भी प्रयास किया, इसके लिए महामहिम ने लोकतंत्र की प्रस्तावना का पठन भी किया, यह भी प्रदेश का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, इसलिए महत्व रहा।

माननीय राज्यपाल महोदय ने भूरि-भूरि प्रशंसा इसलिए की कि कोरोना महामारी में प्रदेश की व्यवस्था की प्रशंसा न केवल प्रदेश की जनता ने की, देश के प्रधान मंत्री ने भी वर्चुअल मीटिंग के अन्दर प्रशंसा की कि व्यवस्था को सीखना है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री से सीखिये, राजस्थान से सीखिये, दूसरे मुख्य मंत्रियों को कहा गया। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस महामारी से कम से कम मौतें हुईं ठोस व्यवस्था की, भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में चला। इसलिए महामहिम ने प्रशंसा की।

साथ ही साथ कोई भी प्रदेश के अन्दर भूखा नहीं सोये, उस थीम को जोड़ा गया। सारी व्यवस्था की गयी, चाहे भामाशाह से हो, दूसरे से हो, इंदिरा रसोई से जोड़ा गया। पूरे देश में हमेशा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक लोकप्रिय माने जाने वाले मुख्य मंत्री ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज प्रति वर्ष 83 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है, जो पूरे देश का एक रिकार्ड है।

साथ ही साथ पहले से, पिछले कार्यकाल से माननीय अशोक गहलोत जी की नि:शुल्क दवा योजना, जो पूरे देश में एक मॉडल बन चुकी थी, वह भी इस महामारी में बहुत कारगर साबित हुई माननीय सभापति महोदय, जिससे जनता देश में स्वस्थ रही, स्वास्थ्य की दृष्टि से जनता की सुरक्षा की जा सकी। इसलिए हम लोग इस अभिभाषण का समर्थन करते हैं। अभिभाषण का बहुत बड़ा महत्व, राजस्थान की सरकार ने, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो ठोस कदम उठाए, उसके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है।

30 जनवरी को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका बीमा कवर पांच लाख का किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा

(श्री किसनाराम विश्नोई)

महामारी से लिंक होता है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी एक से एक बढ़कर योजनाएं इस प्रदेश में लाये। इस महामारी में भी प्रदेश के विकास की, प्रदेश के भले के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी लाये। देश के अन्दर भारत सरकार का सहयोग न होने के बावजूद भी एक विकास का पहिया माननीय अशोक गहलोत जी ने चालू रखा।

आज जी.एस.टी. का जितना अपना राजस्थान के हक का पैसा है वह भी पूरा नहीं मिल रहा है। भारत सरकार का बजट आया, मनरेगा में एक पैसा नहीं बढ़ाया गया है। केवल पांच राज्य जहां चुनाव होने हैं, उसके अलावा किसी भी ठोस योजना की राजस्थान के लिए भारत सरकार के बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। मनरेगा जो गरीब के लिए जीवनदायिनी है, जो इस महामारी में कारगर साबित हुई है, मील का पत्थर साबित हुई है, उसके लिए भारत सरकार का एक पैसा भी नहीं बढ़ाना बहुत ही बड़ी विडम्बना का विषय है, सभापति महोदय।

साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जा सके, दो हजार डाक्टरों को नियुक्ति देने का भी बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया, हमारी लोकप्रिय सरकार ने किया।

किसानों के लिए, क्योंकि महामारी के साथ-साथ पूरे प्रदेश में और विशेषकर हमारे मारवाड़ में टिड्डी का बहुत प्रकोप रहा। उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने, प्रदेश की सरकार ने सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम किया। प्रभावित किसानों को लाखों रुपये मुआवजा देने का भी सरकार ने काम किया।

मुख्य मंत्री जी ने बिजली के क्षेत्र में चाहे 400 के.वी. के जी.एस.एस. हों, 220 के.वी. के जी.एस.एस. हों, 132 केवी के जी.एस.एस. हो, 33 के.वी. के जी.एस.एस. हों, सैकड़ों की संख्या में इस महामारी के बावजूद भी नये जी.एस.एस. की स्थापना करने का काम किया, ताकि किसानों को गुणात्मक बिजली मिल सके, उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके। किसानों का मुख्य मंत्री जी ने लॉकडाउन में विलम्ब शुल्क स्थगित कर दिया। किसानों के बिल, बाद में 31 जनवरी तक उसके विलम्ब शुल्क जो थे, पैनल्टी सारी माफ कर दी जिससे लाखों रुपयों का किसानों को फायदा हुआ।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

देश के इतिहास में हमारी सरकार हमेशा किसानों के हित में सोचती है। किसानों के लिए एक साथ 72 हजार करोड़ का ऋण माफ करने वाली हमारी पार्टी, सरकार है। आप चाहे एक, दो, तीन की संख्या गिनो, चाहे कुछ भी गिनो, आप 50 हजार से ज्यादा ऋण माफ करने के ऊपर नहीं चढ़े हो। सहकारी समितियों का 2 लाख तक का तमाम कर्जा माफ किया है। वह रिकार्ड जब आप तोड़ोगे, तब बताना, तब उंगली ऊंची करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने भूरि-भूरि प्रशंसा इसीलिए की है कि किसानों के लिए अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अन्दर डेढ़ लाख तक कर्जा बिना ब्याज देने की घोषणा की है। पूरे देश के अन्दर राजस्थान राज्य पहला है। बिना ब्याज डेढ़ लाख तक का कर्जा देने की घोषणा राजस्थान से शुरू हुई थी। हम इसलिए गर्व से कहते हैं कि किसानों के भले के लिए और उनके हित में सोचते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहले 25 हजार रुपए प्रति हॉर्स पावर लोड बढ़ाने के लिए लगते थे, वह भी मुख्य मंत्री जी ने फ्री कर दिया है। 31 जनवरी, 2012 तक के कृषि कनेक्शन देने की अवधि भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाई है। किसानों के हित के लिए हमारे सभी पूर्व वक्ता कह रहे थे। आज किसान पूरे देश का अन्नदाता कहलाता है। भारत किसानों के ऊपर निर्भर देश है। किसानों ने जब अपनी पीड़ा बताई, रात को सिंचाई करके उसके पैर फट जाते हैं। सिंचाई से हाथ-पांव फट जाते हैं। उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी ने दिन में सिंचाई करने का कार्यक्रम हाथ में ले लिया है। आने वाले समय में 2023 तक तमाम किसानों को दिन में सिंचाई करने की व्यवस्था राजस्थान में की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज देश का किसान आंदोलन कर रहा है। किसान धरने पर है। किसान बोर्डर पर है। वहां 79 दिन होने के बावजूद भी भारत सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पहली बार किसानों ने हुंकार भरी है। किसानों ने देश के लिए अन्न दिया है, सत्ता दी है, इसके बावजूद भी भारत के प्रधान मंत्री ने किसानों पर कील ठोकने का काम किया है कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते। आने वाले समय में वह कील इन लोगों के चुभेगी। किसान पीछे हटने वाला नहीं है।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

सभापति महोदय, मैं चूंकि एक साधारण किसान के परिवार से आता हूं। हमारे दर्द होता है चाहे पार्टी कोई भी हो। परसों बलवान पूनिया जी कह रहे थे। आधे घंटे तक इनका गला सूख गया। यह किसान की पीड़ा है। पार्टी कोई भी हो, किसान अन्नदाता है, किसान को अगर आप कील चुभाओगे, दिल्ली तक अपनी बात रखने के लिए नहीं जाने दोगे तो निश्चित रूप से वह कील आपके भी चुभेगी।

माननीय सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था की बार-बार बात की जा रही थी। पहले पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ था। किसी आदमी की थाने में एफ.आई.आर. लॉज नहीं होती थी। वह कहता था कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी अर्जी भी थानेदार नहीं ले रहा है, मेरी रिपोर्ट भी थानेदार नहीं ले रहा है। एक भयपूर्ण वातावरण प्रदेश के अंदर बन गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह व्यवस्था कर दी कि किसी की भी एफ.आई.आर. को आप मना नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति की एफ.आई.आर. आप लॉज करोगे, चाहे परिणाम पक्ष में आये, चाहे न पक्ष में आये।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): एफ.आई.आर. में यह व्यवस्था की गयी है। भ्रष्टाचार मुक्त का मुख्य मंत्री जी ने नारा दिया है। इन सबको मालूम है कि मुख्य मंत्री जी की मंशा क्या है। भ्रष्टाचार के मामले में अशोक गहलोत जी का जीरो टोलरेंस है। इनकी भावना इनको मालूम है कि चाहे आई.ए.एस. हो, चाहे आई.पी.एस. हो, जो बदमाशी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वह जेल जाएगा। यह अशोक गहलोत जी की भावना है। उनकी सोच है। सभी लोग यह मानते हैं। कोई भी हो, साफ दिल है। जीरो टोलरेंस है। माननीय अशोक जी गहलोत बेदाग नेता है। पूरे देश में कोई भी नेता अशोक गहलोत जी के बराबर नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो, अशोक गहलोत जी जैसा सहृदय इंसान इस देश के अन्दर नहीं मिल सकता है। गरीबों के आंसू पौंछने वाला है। गरीब को भगवान मानने वाला, गरीब को गणेश मानने वाला नेता है। ऐसा नेता हिन्दुस्तान की राजनीति में आपको नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार रोकने की विंग को मजबूत करने वाले अशोक गहलोत जी हैं। पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार रोकने की विंग को अगर राजस्थान में किसी ने मजबूत किया तो वह अशोक गहलोत ने किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, 138 ब्लाकों में अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात हो, 38 नवीन कालेज खोलने की बात हो, कोरोना होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। चाहे 2 हजार डाक्टर लगाने की बात हो, विशेषकर 265 तहसीलों को ऑनलाइन करने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने काम किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, एक मिनट। 29 अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उच्च पदों पर सरकारी नौकरी दी है। टाडा, माडा का जनजाति क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर में हुआ करता था, वह कमिश्नर का कार्यालय हमारे जोधपुर में किया। उसके लिए भी हम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री और हमारी सरकार को बधाई देना चाहेंगे। इससे हमारे मारवाड़ में जो बिखरी हुई जनजाति है, उसको लाभ मिलेगा। उससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मैं इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री का सम्मान करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालूराम मेघवाल।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले कोराना जैसी वैश्विक महामारी, जो कि पूरे राजस्थान में पैर पसार चुकी थी, उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी ने केन्द्रीय सहायता देकर के, पूरे भारत में लॉकडाउन करके जो सहायता पहुंचाई, करीब 80 करोड़ व्यक्तियों को नि:शुल्क गेहूं दिया। उन्हें निशुल्क दालें दीं। केन्द्र ने जो सुविधाएं दीं, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि ऋणों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहकारिता के लिए आपने घोषणा की थी कि अवधि पार

(श्री कालूराम)

किसानों को हम ऋण देंगे। माननीय उदयलाल जी आंजना यहां विराजमान हैं। आपने घोषणा में कहा था कि हम ओवरड्यू किसानों को ऋण देंगे लेकिन आज दिन तक किसी अवधि पार किसान को ऋण नहीं मिला।

ऋण माफी के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में हम किसानों के सम्पूर्ण ऋण माफ करेंगे लेकिन आज दिन तक कोई ऋण माफ नहीं हुआ। किसानों को जो हमारी सरकार ने 50 हजार रुपया दिया था, नवम्बर में हमारी सरकार ने 50 हजार का ऋण माफ किया था। उसके बाद दिसम्बर में आपने ऋण माफी की, दिसम्बर में सरकार बनी। उसके बाद 2 महीनों में किसानों को ओवरड्यू कर दिया। जब किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो गया तो वह किस प्रकार से ओवरड्यू है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान के किसानों को, जो अवधिपार किसान हैं, उनको भी ऋण देने की कृपा करें। आपने घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, जो किसानों को एक लाख रुपया मिलता था, उसकी जगह आप किसान को 25 हजार रुपये दे रहे हैं, 50 हजार रुपये दे रहे हैं। किसान की स्थिति बहुत खराब है। किसानों को आप समय पर ऋण दें।

हमारे क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूखा ग्रस्त एरिया है। झालावाड़ जिले की 8 तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं। हमारे वहां के किसानों की स्थिति बिलकुल खराब है। सोयाबीन की फसल पूरी नष्ट हो चुकी थी। मक्का की फसल, मूंग की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सरकार ने अभी तक किसान के खाते में मुआवजा नहीं डाला है और न ही बीमा की राशि किसानों के खाते में डली है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों के खाते में मुआवजे और फसल बीमा की राशि तुरन्त डलवाने की कोशिश करें। किसान की आर्थिक स्थिति खराब है।

बिजली के मामले में आप लगातार वी.सी.आर. भर रहे हैं। उधर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आपकी विजिलेंस पार्टियां जाकर के रात-दिन किसानों के वी.सी.आर. भर रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम एक रुपया बिजली में नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपने लगातार तीसरी बार किसानों के बिजली के बिल बढ़ाए हैं। मैं

(श्री कालूराम)

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के आपने जो बिल बढ़ा दिये हैं वह ठीक है, लेकिन बिजली कम्पनी वाले और हमारे जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स.ईएन., एस.ई. जाकर उनके ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं और कनेक्शन काट रहे हैं। फसल को आखिरी पानी देने का टाइम है, अगर किसान का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर उतार लिया जाएगा तो वह आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों के करीब आधे पद खाली पड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एएन.एम., जी.एन.एम., डाक्टर, इनके पद जल्दी से जल्दी भरे जाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी डाक्टर्स थे, उनके ट्रांसफर होने से पद खाली हो रहे हैं और नये डाक्टर्स नहीं लग रहे हैं।

आपने घोषणा की थी कि पांच हैक्टेयर तक जमीन अगर किसान की कुर्क होगी तो हम उसको कुर्क नहीं होने देंगे। भूमि विकास बैंकों में जो पिछले बकाया ऋण थे, उनमें करीब 17 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण दिये गये थे। हमारे क्षेत्र में कई किसानों की भूमि कुर्क की जा रही है। भूमि कुर्क की गयी और भूमि को कुर्क करके बैंक ने अपने खाते में नाम कर लिया। एक किसान मेरे गांव के पास का है, उसने एक लाख 19 हजार रुपये का लोन लिया था। उसके आज 11 लाख रुपये हो गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका मूल रकम में फैसला करें, क्योंकि अगर उस मूल रकम में फैसला नहीं करेंगे तो किसान आत्महत्या करेगा। किसानों की स्थिति को देखते हुए आप उनके ऊपर ध्यान दें और पूरी तरह से उन किसानों का कर्जा माफ करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो फसल नष्ट हो गयी है, उसका मुआवजा जल्दी दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि, आपने किसान कल्याण बोर्ड बनाया था, उसमें कहा था कि एक हजार करोड़ रुपया हम किसान कल्याण बोर्ड में रखेंगे, एक हजार करोड़ रुपये के अलावा आप बीमा की प्रीमियम राशि जो जमा करते हैं, वह टाइम पर जमा नहीं होने की वजह से हमारे किसानों को टाइम पर बीमे की राशि नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर टाइम पर प्रीमियम जमा हो जाता तो किसानों के खाते में बीमा की राशि आ जाती तो उनको कुछ सहयोग मिलता। अभी इस बार भी सूखे की

(श्री कालूराम)

वजह से हमारे क्षेत्र में फसल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के खाते में जल्दी से जल्दी पैसा डाला जाए।

जो वी.सी.आर. भरी है, 50 परसेंट में आप जो समझौता करते हैं, तो दो लाख की वी.सी.आर. भर देते हैं। किसी के मीटर भी चालू है, फिर भी दो-दो लाख रुपये की वी.सी.आर. भरी जाती है तो उनका समझौता 50 परसेंट में नहीं, 10 या 15 परसेंट में किया जाए। मार्च आ रहा है, मार्च में समझौता योजना लागू करके उन किसानों की जो वी.सी.आर. भरी हैं, उनका समझौता किया जाए और पूर्व में जो बी.पी.एल. में कनेक्शन दिये थे, पूर्व सरकार ने, हमारी सरकार ने बी.पी.एल. में कनेक्शन दिये थे, उन लोगों के कनेक्शन के पचास-पचास, साठ-साठ हजार रुपये के उनको भी समझौता करके मार्च में उन लोगों के मूल रकम में ही उनके बिल जमा किये जाएं।

कुसुम योजना में आपने कहा था कि हम इसमें सोलर प्लांट पर किसानों को कनेक्शन देंगे। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, राजस्थान में भी किसी क्षेत्र में कुसुम योजना में कनेक्शन नहीं मिले हैं, क्योंकि इसमें कुछ पैसा केन्द्र सरकार देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है तो आप राज्य सरकार का पैसा जमा करा कर हमारे कनेक्शन करवाएं।

पंचायती राज विभाग में देखें तो एस.एफ.सी. की किश्तें हमारे चौदहवें वित्त आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा किश्तें डाल दी गयी हैं, राज्य सरकार द्वारा किश्तें नहीं डलीं, जिससे सरपंचों की स्थिति बहुत खराब है। सरपंच काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में पैसा नहीं डालने से, क्योंकि एस.एफ.सी., टी.एफ.सी. में पैसा नहीं डालने से हम कहां से स्वच्छ भारत बनाएंगे। सफाई के लिए एस.एफ.सी. का पैसा आता है, वह एस.एफ.सी. का पैसा, टी.एफ.सी. का पैसा राज्य सरकार नहीं डाल रही है। पंचायत के सरपंच वैसे ही बैठे हैं, मनरेगा में जो काम हुआ, जो निर्माण का काम, मस्टररोल का श्रमिक का काम, उनको पैसा मिलता है, बाकी मैटेरियल का पैसा दो-दो साल से अटका पड़ा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो पैसा अटका पड़ा है, उस पैसे को भी आप तुरन्त दिलाने की कृपा करें, ताकि सरपंच पंचायत में काम कर सके।

सड़क, हमारे क्षेत्र में ही क्या पूरे राजस्थान में पहले हमारी सरकार में हर विधायक को 15 किलोमीटर सड़क मिलती थी। अभी दो साल हो चुके हैं, हमें एक किलोमीटर सड़क नहीं मिली। हम क्षेत्र में जनता को जाकर क्या जवाब देंगे? माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री कालूराम)

इस बजट में 15 किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधायक को दें, ताकि विधायक कम से कम एक-एक, आधा-आधा किलोमीटर सड़क बनाकर उस ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचा सके। यह मैं मेरे अकेले की नहीं कह रहा हूं पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह 15 किलोमीटर सड़क दी जाए, ताकि सभी विधायक अपने क्षेत्र में कुछ काम करवा सकें।

इसी प्रकार 100 हैंडपम्प पहले हमारी सरकार में दिये जाते थे। दो साल हो गये हैं, दो साल में एक भी हैंडपम्प आपने नहीं दिया है। अगर इस प्रकार से आप हैंडपम्प नहीं देंगे तो पीने का पानी कहां से आएगा। हमारे पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, अल्प बारिश हुई है तो 100-100 हैंडपम्प अगर आप देंगे तो हर विधायक अपने क्षेत्र में एक-एक, दो-दो हैंडपम्प देकर, एक-एक गांव में विधायक पूरी तरह से पेयजल समस्या का समाधान कर सकेंगे।

पी.एच.ई.डी. में जैसे गागरीन 381 करोड़ रुपये की परियोजना हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी, अभी तक भी वह योजना पूरी नहीं हुई है। जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल देने के लिए आपने झालावाड़ जिले की 2022 तक कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई थी। इसका अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है तो कब तक जल जीवन मिशन योजना के तहत आप इस योजना को पूरा करेंगे?

श्रमिक कार्ड एक ऐसी योजना है कि जब यह कार्ड बनता है तो इसके द्वारा पहले प्रत्येक गरीब परिवार के व्यक्ति को उसकी बच्ची की शादी में 50 हजार रुपये मिलते थे, उसको मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये मिलते थे। इस प्रकार के श्रमिक कार्ड बिलकुल बंद हो गये हैं। मैं श्रम मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिक कार्ड बनाए जाएं। जो गरीब परिवार का व्यक्ति है, जो 100 दिन नरेगा में काम करता है, उसका श्रमिक कार्ड बिलकुल नहीं बनाया जा रहा है। अगर श्रमिक कार्ड बनेगा तो आम गरीब जनता को इसका फायदा मिलेगा। श्रमिक कार्ड नहीं बनने से उन श्रमिकों को फायदा नहीं मिल रहा है।

एक और, नरेगा में जो काम चलता है उस नरेगा में सिस्टम सुधारें, क्योंकि गरीब लोग काम से वंचित रह जाते हैं और प्रभावशाली लोग काम पर लगते हैं। फर्जी मस्टररोल भरते हैं। मैं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब व्यक्तियों को फार्म नम्बर 6 भरवा कर मजदूरी दी जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री कालूराम (डग): माननीय शान्ती धारीवालजी साहब यहां सामने बैठे हैं, हमारे नगरपालिका भवानीमंडी में सीवरेज का काम 145 करोड़ रुपये का सैंक्शंड है, उसको तुरन्त आप कराएं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर और कर्तव्य पालन की हिदायत पढ़ाकर जो उद्बोधन शुरू किया था वह काबिले तारीफ था, अनुकरणीय था।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दोराय नहीं कि कोरोना जैसा संकट हमारे जीवन में पहली बार आया था, सरकारों के लिए पहला अनुभव था, अफसरों के लिए और जन प्रतिनिधियों के लिए गम्भीर चुनौती थी, बेहतर करने का प्रयास सब लोगों ने किया। उसमें जो खामियां रही, शायद भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो हम सब जन प्रतिनिधि और सरकारें मिलकर निपट लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का काम तो किया गया, जो महामहिम के भाषण में बताया गया, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ-साथ मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाना भी एक चुनौती है। अभी तक जो पक्के काम हैं, उनकी प्रगति कम है, पक्के कामों में नरेगा में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मेरे से पहले वक्ता साथ बोल रहे थे, इससे पंचायतों में दिक्कत भी है। हर पंचायत में दिक्कत है, कार्य प्रगति में अवरुद्धता आई है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी बजट घोषणा में ये दिक्कतें दूर करने का काम सरकार करेगी, मजदूरों के कार्य दिवस भी बढ़ाएगी और पक्के कामों में भुगतान जल्दी से करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हो सकता है कि राजस्थान के कई क्षेत्रों के विधायकों की अलग-अलग राय हो पर फसल बीमा पर हमारे यहां बहुत बेहतर हुआ है। समय पर प्रीमियम जमा होने की वजह से 2019-20 तक के रबी तक के बीमा क्लैम आए हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो 2019-20 की रबी में 36 हजार किसानों के खातों में 204 करोड़ रुपये आये हैं, 450 किसान, 500 किसान ऐसे हैं जिनके पोर्टल

(श्री बलवान पूनियां)

पर गलत अक्षर दर्ज हो गये। जैसे पंचायत थी, मेरा गांव मलखेड़ा और उसका दर्ज हो गया जोगीवाड़ा, वह पैसा, वह भुगतान अभी बाकी है। हम उम्मीद करेंगे कि कृषि विभाग उसे गम्भीरता से लेते हुए भारत सरकार के साथ मिलकर इन चीजों को दुरुस्त करेगा। भविष्य में फसल बीमा को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और तेजी से कदम उठाएगी, क्योंकि सारी डिबेट में हमने सुना है कि बहुत कम विधायक साथी हैं जिन्होंने गम्भीरता से फसल बीमा का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि किसान के लिए इससे अच्छी और कोई योजना नहीं है।

महोदय, प्रदेश में बिजली के दाम बढ़े हुए हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि कोरोनाकाल के तीन महीनों में बिजली के बिलों में विशेष छूट देने की बात कही गयी थी। वे बिल इकट्ठे हो गये। आज लोगों के लिए घरेलू बिजली के बिल भर पाना भी मुश्किल है। जो बातें चल रही हैं, बिजली के दाम बढ़ने की, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में राजस्थान सरकार बिजली के बढ़े हुए दाम भी वापस लेगी और ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करेगी। घरेलू बिजली में 200 यूनिट प्रति परिवार को मुफ्त में देने की सरकार घोषणा करेगी और जो सफाई शुल्क के नाम पर बिलों में भारी गड़बड़ है, उसे ठीक करेगी। बिजली उपभोक्ताओं को सरकार को राहत देनी चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है कि बहुत बड़ा राजस्व बिजली से आता है, लेकिन राजस्व के चक्कर में यदि हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को परेशान करेंगे तो मैं राज्य सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र से जो जीएस.टी. का हिस्सा आना बाकी है, वह लेने के लिए हमें कवायद और तेज करनी चाहिए और प्रदेश की जनता को बिजली बिलों में राहत देनी चाहिए।

यहां स्वायत्त शासन मंत्री जी बैठे हैं। पूरे प्रदेश के नगरपालिका, नगर परिषद् क्षेत्र हैं, सब में अगर लोगों को पट्टेदारी करने की कवायद शुरू कर दी जाए तो हजारों करोड़ रुपये, अगर अकेले जयपुर की बात करें, जो लोग जमीन में आगे बढ़े हुए हैं, न तो कोई तुड़वाने वाला और न उन्हें कोई डिस्ट्राय करने वाला। मैं तो उम्मीद करता हूं सरकार उनके पट्टे जारी करे, उन्हें रैगुलराइज करे, उनसे फीस जमा करवाये। अकेले जयपुर में हजारों करोड़ रुपयों की आमदनी हो सकती है। पूरे प्रदेश में इस नीति को लागू कर सकते हैं। अभी जनसंख्या का घनत्व जो शहर की तरफ बढ़ रहा है, उसे गांव की तरफ बढ़ाने

(श्री बलवान पूनियां)

के लिए गांव में कॉलोनियां विकसित करने का, कन्वर्जन का काम शुरू कर देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीजों में तेजी से काम करना शुरू करेगी।

सभापति महोदय, पैट्रोल और डीजल की बात करें तो पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम नीचे हैं। केंद्र सरकार ने दुनियाभर का सैस लगा रखा है, लेकिन राजस्थान सरकार भी कम नहीं है। मैं हरियाणा के नजदीक रहता हूं। हरियाणा और हमारे यहां में दस रुपये का फर्क है। लोगों के लिए हर रोज यह सवाल होता है कि हरियाणा में जाते हैं तो दस रुपये लीटर सस्ता पैट्रोल और दस रुपये ही सस्ता डीजल है। राजस्थान सरकार ने जो पिछले दिनों सैस घटाया है, उसे और घटाकर जनता को राहत देने का काम करें।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जब तीन कानून हमारे यहां राजस्थान में पास किये गये थे, उन तीनों कानूनों को रोककर रखा है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून पास किये, उन्हें रोकना राज्यपाल का हमें समझ में आता है, लेकिन पांच एकड़ तक के किसान की कुर्की न करने का कानून राजस्थान सरकार ने बनाया, मैं समझता हूं कि उसे राजस्थान सरकार को गम्भीरता से लागू करना चाहिए। राज्यपाल महोदय को उसकी मंजूरी देनी चाहिए, ताकि पांच एकड़ तक के किसान की जमीन कर्ज के कारण नीलाम न हो, कुर्क न हो।

सभापति महोदय, यह जो भारत में आंदोलन चल रहा है, चाहे कोई भी विधान सभा का सत्र हो, यह आंदोलन हमारे लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन है। यह अभी सिरे भी नहीं चढ़ा है, दो तरीके की बातें चल रही हैं, बी.जे.पी. के लोग यह कह रहे हैं कि यह किसानों के पक्ष में है। हम आज भी हमारी बात पर कायम हैं, यह किसान के पक्ष में नहीं है। इसमें तीन महत्त्वपूर्ण चीजें हैं, जो किसान के हाथ से चली जाएंगी। जमीन किसान के हाथ से चली जाएगी, मण्डी किसान के हाथ से चली जाएगी। मैं एक बार फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि इन कृषि कानूनों और आवश्यक वस्तु अधिनियम से न सिर्फ मण्डी जाएगी, न सिर्फ जमीन जाएगी, बल्कि खाद्यान्न का, दलहन का, तिलहन का जो 36 परसेंट बाजार है, वह बाजार भी छोटे व्यापारी के हाथ से निकलकर बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। हमारी गर्दन बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी।

(श्री बलवान पूनियां)

केंद्र की सरकार जो आज एफ.सी.आई. के गोदाम भरकर गरीबों को दो रुपये किलो का गेहूं देती है, पी.डी.एस. सिस्टम जो चल रहा है, वह हमारा खतम हो जाएगा। यह आंदोलन न सिर्फ खेती वाले किसान से, खरीदकर खाने वाले से और बेचने वाले तक, सब लोगों के पेट से जुड़ा हुआ आंदोलन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आंदोलन में हम और मजबूती से लड़ेंगे और हमारे साथी जो राजस्थान विधान सभा में बैठे हैं, जो किसान परिवारों से आये हैं, हो सकता है कि उनकी राजनीतिक पार्टी दूसरी हो, पर वे हमारे साथ आएंगे।

साथियों, जवान भी मेरा है और बूढ़ा भी मेरा है,
जो आंदोलन में है, जवान भी मेरा है और बूढ़ा भी मेरा है,
हर सरहद पर खून भी मेरा है,
एक सरहद पर खून हिसाब चुका रहा है,
दूसरी सरहद पर खून हिसाब मांग रहा है,
फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारों,
वो लाठी बरसाने वालों पर अपनी जान लुटा रहा है,
पता है, बार-बार हर बार धोखा मिलेगा,
फिर भी शांति के लिए हर बुलावे पर वो जा रहा है।।
खुद्दारी देखो मेरे किसान की यारों,
आज भी उनकी महफिल में रोटी अपने लंगर की खा रहा है।

आज लाखों-लाख किसान जो शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन में लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि तीनों काले कानून केंद्र की सरकार को वापस लेने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार आने वाले दिनों में जो बजट पेश करने वाली है, इस बजट में सहकारिता विभाग को मजबूत करने का काम सरकार करेगी, कृषि विभाग को मजबूत करने का काम सरकार करेगी और भादरा-नोहर के हिस्से का पूरा पानी लेते हुए सिंचाई विभाग को मजबूत करने का काम सरकार करेगी। जो सी.ए.डी. विभाग बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा 2015 में, उस विभाग के लिए खाळा निर्माण के लिए राज्य की सरकार स्पेशल बजट का आबंटन करेगी और निरोगी राजस्थान को मजबूत करने के लिए 2013 की नर्सिंग भर्ती,

(श्री बलवान पूनियां)

प्रयोगशाला सहायक की भर्ती पूरी करने का और डॉक्टरों की भर्ती पूरी करने का काम सरकार करेगी, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब-इन्स्पेक्टर भर्ती में खाली पड़े पदों की जो अभी भर्ती चल रही है, उसमें 250 पद जोड़ने की नौजवानों-विद्यार्थियों की मांग को पूरा करेगी।

हम मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे कि 587 पद एल.डी.सी. के जो कट गये थे, उन्हें जोड़ने की हमने मांग की और उन्होंने 603 पदों को जोड़ा। इसी तरह से हर भर्ती में जो पैंडेंसी है, जो रिट किये हुए हैं, जो एस.एल.पी. लगायी हुई हैं, सरकार वापस लेकर के उन्हें पूरा करने का काम करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि किसान आंदोलन की जीत के साथ यह देश एक नया इतिहास लिखेगा और इस देश में किसान की फिर बात बड़ी होगी, किसान के बेटों की फिर बात बड़ी होगी। 'किसान एकता जिंदाबाद' के साथ मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह जी सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस सरकार को 26वां महीना है और मैं भी इस सदन में बिलकुल नया हूं। 26 महीने में मैंने इस सदन में जो देखा और सुना, बड़े दु:ख की बात है, इस सरकार के इतने महीने केवल और केवल मात्र चुनाव कराने, अपनी आपसी लड़ाई को मिटाने और होटलों में जा-जाकर ऐश करने में बीत गये हैं।

सभापति महोदय, इनके नेताओं ने राजस्थान के किसानों से वादे किये थे। वे नेता आज भी राजस्थान के दौरे पर हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस बोलकर के दस दिन में राजस्थान के सभी किसानों के दो लाख रुपये तक का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने का इन्होंने वादा किया था। इस सदन में प्योर असत्य बोला जा रहा है कि दो-दो लाख रुपये तक के कर्जे माफ हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस राजस्थान में ऐसा एक भी किसान नहीं होगा जिसका दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ कर दिया गया हो।

सभापति महोदय, दूसरा इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

था। जहां तक मेरी सोच है, वह भी इन्होंने पूरा नहीं किया। बिजली की दरें तो यहां तक हो गयी हैं, अगर बिजली का बिल किसी के हाथ में आ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके हाथों में करंट आने लग जाता है और वह आदमी दो दिन तक खाना नहीं खा पाता कि इस बिल को मैं कैसे चुकाऊंगा।

सभापति महोदय, जनता ने बड़ी उम्मीद लगाकर हमें यहां भेजा है। हमने इस सदन में आकर इस जनता के लिए क्या किया है। मैं बड़े दु:ख के साथ कहना चाह रहा हूं, इस सदन में मैंने भी बहुत चिल्ला-चिल्लाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाये हैं, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं उनके बारे में यहां बोला है, लेकिन 26 महीनों में आज तक एक भी काम, जो मैंने सरकार को बताया है और सरकार से कहा है, वह एक भी काम आज तक नहीं हुआ है। आदरणीय मंत्री महोदय अर्जुन जी यहां विराज रहे हैं, वे मेरे भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं। मैंने इनके सामने भी दो बार मेरे लैटरपैड पर डी.एम.एफ.टी. फण्ड से, काम लिखकर दिये थे। मैंने कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, डी.एम.एफ.टी. फण्ड का पैसा जनता का है और हमारे एरिया का है तो कम से कम इस पैसे से तो आप सड़कों का काम करायें और पूरे विधान सभा क्षेत्र में, जो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं उनको आप सही करायें, लेकिन आपने भी कभी नहीं सुना। उसके बाद में चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघु जी शर्मा भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बने हैं तो उनके सामने भी मैं गया और उनके सामने भी मैं गिड़गिड़ाया कि डी.एम.एफ.टी. फण्ड के पैसे से कुछ पैसा आप सड़कों के लिए लगायें। वह पैसा सड़कों के लिए है, विद्यालयों के लिए, शिक्षा के लिए है, लेकिन आज तक एक पैसा इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं लगाया।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग 42 सड़कों का मैंने लिखकर दे रखा है, जो बिल्कुल टूटी हुई हैं। वहां अगर डामर देखा जाए तो 100 ग्राम डामर भी उन सड़कों पर आपको नहीं मिलेगा। मैंने सारी चीजें लिख-लिखकर दे रखी हैं।

स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में बाउण्ड्री नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं पर आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुलाबपुरा शहर है, जो 25 हजार की आबादी का शहर है

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

तथा नगरपालिका क्षेत्र है, जिसमें 35 वार्ड हैं। मेरे चुनाव जीतने से पहले वहां पर 12वीं तक की सरकारी स्कूल नहीं थी और पिछले सत्र में मैंने मांग की थी कॉलेज और 12वीं तक के स्कूल की तो इन्होंने 12वीं तक की स्कूल गुलाबपुरा में दी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 हजार की आबादी का गुलाबपुरा शहर है और वहां सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, महाविद्यालय जितने भी हैं वे सारे प्राइवेट हैं। वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और हिन्दुस्तान जिंक की आगुचा माइंस के नाम से है, जिसमें गरीब लोग मजदूरी करते हैं। मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, पर सारे के सारे वहां प्राइवेट कॉलेज हैं, जिससे लूटमार होती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि गुलाबपुरा शहर की जो मेरी वर्षों से मांग है, हम लोग करते आये हैं, वहां की जनता करती आई है, तो आप वहां इसी सत्र से कॉलेज खोलने की घोषणा करें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बदनौर पंचायत समिति में रतनपुरा ग्राम पंचायत है। वहां पूरी पंचायत में मगरा बैल्ट होने के कारण, टावर नहीं होने के कारण फोन नहीं चलते हैं और पूरी की पूरी ग्राम पंचायत, जो कि 20-25 किलोमीटर के एरिया में बसी हुई है, वहां मोबाइल काम नहीं करते हैं। मेरे आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में ही पंचायत समिति आसीन्द में रतनपुरा लाछुड़ा एक ग्राम पंचायत है, वहां भी पूरी पंचायत में मोबाइल नहीं चलते हैं। इसके लिए भी मैंने कम से कम दस बार मंत्री महोदय और सबको लिखकर दिया है, लेकिन आज तक मेरी वह सुनवाई भी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि रतनपुरा बागछी और रतनपुरा लाछुड़ा, दोनों ही ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह के, चाहे प्राइवेट कम्पनियों के हों चाहे सरकारी कम्पनियों के हों, टावर लगाकर यह जो आम समस्या है, इसका हल निकाला जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक का एक बहुत बड़ा प्लांट आगुचा माइंस के नाम से है। वहां अधिकारियों की खुली गुण्डागर्दी है। खुलेआम वहां के लोगों की, किसानों की जमीनें बर्बाद कर दीं। वहां के जो किसान लोग हैं, उन किसानों के जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनको भी वहां रोजगार नहीं दिया जाता है। रोजगार के नाम पर अगर कोई वहां जाता है तो उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। आस-पास के 20 किलोमीटर के एरिया में उससे सारी जमीनें बर्बाद हो गयी है, जिनमें फसल

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस हिन्दुस्तान जिंक की जो माइंस है, इसकी जांच करायी जाए। इसके लिए एक जांच कमेटी बिठाई जाए और वहां के आसपास के जो किसान हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए या किसानों की जो जमीनें हैं उनका उचित दाम तय करके हिन्दुस्तान जिंक को दिलायी जाएं और सारे किसानों को राहत प्रदान की जाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यहां पर बहुत बडी-बड़ी बातें हो रही थीं कि सरकार ने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा तो पूरे के पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक अराजकता का माहौल है। मन्दिरों में लूटमार हो रखी है और तीन-तीन मन्दिरों में वहां डकैती हुई है। इस सरकार के आने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 5 या 6 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनका आज तक पुलिस राजफाश नहीं कर पायी है। ब्राह्मणों की सरेरी है, जहां चारभुजानाथ का मंदिर है, वहां डकैती हुई है, जिसका आज तक पता नहीं लगा। बदनौर में बैराठ भवानी का एक मंदिर है, बैराठ माता के नाम से, वहां डकैती हुई, जिसका आज तक पता नहीं चला। बदनौर पंचायत में ही एक परा गांव है, जहां हनुमान जी का मन्दिर है, उस मंदिर के महंत जी की मंदिर में हत्या हुई है, जिसका भी राजफाश पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक अराजकता का माहौल है, भय का माहौल है। हत्याएं, चोरी, डकैती, लूटमार खुले आम होती हैं और पुलिस आज तक एक भी हत्या का या डकैती का या लूट या चोरी का राजफाश नहीं कर पायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आप इन चोरियों, डकैतियों और जो 5 या 6 हत्याएं मेरे आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में हुई हैं, उन सभी की एक जांच कमेटी बिठाकर जांच कराई जाए और इनका राजफाश किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए माण्डल विधान सभा क्षेत्र है। उस माण्डल के दहीमता गांव से आसीन्द तक का केवल 22 किलोमीटर का एरिया है, केवल 22 किलोमीटर का टुकड़ा है और वहां भिण्डर-रामगढ़ नाम से स्टेट हाईवे भी पास हो रखा है। मैं स्टेट हाईवे की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस बजट में इस 22 किलोमीटर की सड़क को नई बनाई जाए क्योंकि वहां पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है, वहां पूरी की पूरी सड़क

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

टूटी हुई है। वहां खनन एरिया होने के कारण बड़ेबड़े डम्पर चलते हैं, बड़े-बड़े ट्रोले चलते हैं। मैं चाहूंगा कि इसी बजट में यह करेड़ा से लेकर आसीन्द तक की जो सड़क है इसको डबल व नई बनाई जाए। यह भी मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा।

साथ ही, सभापति महोदय, मेरे आसीन्द शहर में एक अन्तरराष्ट्रीय तीर्थस्थल सवाईभोज मन्दिर है, जिसके लिए मैंने पहले भी दो-तीन बार मंत्री महोदय से आग्रह किया था और मैंने सी.एम. साहब से भी आग्रह किया था। उस मन्दिर प्रांगण में प्रेम सागर के नाम से एक बहुत ही सुन्दर तालाब है। उसके लिए मैंने ढ़ाई करोड़ रुपये की मांग की थी कि उस तालाब का सौन्दर्यीकरण किया जाए और उस तालाब को मॉडल बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में जो सवाईभोज अन्तरराष्ट्रीय स्तर का गुर्जर समाज का बहुत ही बड़ा मन्दिर है, वह आसीन्द शहर के बीचों-बीच मन्दिर है और तालाब भी आसीन्द शहर के बीचों-बीच है, तो इसके लिए आप ढ़ाई या तीन करोड़ रुपये की घोषणा इसी बजट में करायें। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अभी कोरोना महामारी की बात पूरे सदन में चल रही थी। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस पूरे कोरोना काल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा विधायक कोष का जो हमारा पैसा था, जो हमको खर्च करना था, वह हमें हमारी मर्जी से देना था, पर सरकार ने दबाव बनाकर सारा का सारा विधायक कोष का जो पैसा था, उसकी खाद्य सामग्री बंटवाई। हमको वर्चुअल वी.सी. के द्वारा विश्वास में लिया गया। वह जो खाद्य सामग्री थी, वह सारी की सारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी गयी। यहां तक कि विधायक को भी उसमें नहीं बुलाया गया। मैं गलती से एक जगह चैक करने के लिए चला गया था तो वहां जो टीचर लोग लगे हुए थे, स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं थीं, उन टीचर्स ने मेरे साथ ही अभद्र व्यवहार किया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, इस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया है। मेरा ऐसा मानना है कि वह बहुत ही गलत व्यवहार था क्योंकि जब विधायक कोष का पैसा है और विधायक की मर्जी से

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

लगना है, विकास में लगना है, चाहें तो इसे कोरोना में लगाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि वह भी जनता में ही गया था, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं थीं, वह सुचारु रूप से नहीं थीं, सही नहीं थीं, उनका भी मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति: सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 13 फरवरी 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे शनिवार, दिनांक 13 फरवरी 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नवीन नियुक्त कार्मिकों के आउटडोर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण

18. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को आउटडोर के इलाज पर होने वाले व्यय का सरकार पुनर्भरण नहीं करती है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में उक्त अवधि के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को अब उक्त चिकित्सा सुविधा देने हेतु सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में उक्त अवधि के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को भी आउटडोर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने के प्रस्ताव को मंजूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, जिसके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी में आउटडोर इलाज पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त अवधि के पश्चात् नियुक्त सरकारी कार्मिकों को आउटडोर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में नवीन संकायों में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति

30. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में भवन निर्माण से सम्बन्धित क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कुल कितने छात्र-छात्राएं किस-किस कक्षा में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में नवीन संकाय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? क्या उक्त संकायों के लिए निर्धारित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक निर्धारित स्टॉफ व आवश्यक सुविधाएं विकसित कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के भवन विस्तार हेतु द्वितीय तल का निर्माण कार्य भामाशाह द्वारा किया जाना है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कक्षावार संख्या का विवरण परिशिष्ट '01' पर संलग्न है।

(3) उक्त महाविद्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट '2' व '3' पर संलग्न है।

रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(4) जी हां। उक्त महाविद्यालय में वर्ष 2020-21 में विज्ञान व वाणिज्य नवीन संकाय स्वीकृत किये गये हैं।

स्टाफ में तीन सहायक आचार्यों (2- वाणिज्य/1-विज्ञान संकाय) का पदस्थापन कर दिया है तथा शेष स्टाफ व अन्य सुविधाओं की पूर्ति यथासमय कर दी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अभयारण्यों के आस-पास क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन घोषित करने की कार्ययोजना

31. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुकन्दरा (दरा) नेशनल टाइगर रिजर्व की एक किलोमीटर परिधि क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब से तथा किस-किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के अन्य अभयारण्यों में ईको सेंसेटिव जोन (ध्वनि रहित परिधि क्षेत्र) का दायरा 10 किलोमीटर की परिधि तक किया हुआ है? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न सीमा का दायरा रखे जाने तथा वन्य जीवों की स्वतंत्रता को बाधित करने के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है एवं भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार वन्य जीवों की स्वतंत्र मोबिलिटी तथा प्रदूषण रहित रामगढ़ (बूंदी) वन्य जीव अभयारण्य के विकास के सम्बन्ध में कार्यवाही करने एवं ध्यान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही सोरसण क्षेत्र में विचरण करने वाले दुर्लभ पक्षी गोडावण के प्रजनन तथा विचरण में आने वाले व्यवधान को रोकने के लिए ही एक कोष तथा कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के 0 से 1 किमी परिधि क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है। भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 25.11.2020 को ईको सेंसेटिव जोन का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के Shock absorber के उद्देश्य से ईको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाते हैं।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के ईको सेंसेटिव जोन की अंतिम विज्ञप्ति जारी नहीं होने तक राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमा से 10 किमी. तक की दूरी के प्रकरणों में ईको सेंसेटिव जोन के प्रावधान लागू होते हैं।

राज्य में कुल 30 वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व के 24 ईको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने हैं। अब तक 14 ईको सेंसेटिव जोन के फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। एक ईको सेंसेटिव जोन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शेष 9 ईको सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(3) जी हां। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2018 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं।

(4) सोरसन अभयारण्य विकास समिति, बारां का गठन किया जाकर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत दिनांक 13.03.1992 को रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। पंजीकरण की प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है।

राशि 50.00 लाख रुपये का कोष चम्बल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गढेपान द्वारा उपलब्ध कराया गया था जिससे प्राप्त ब्याज राशि से ही उक्त कार्य करवाये जाते हैं एवं वर्तमान में कुल राशि 50.00 लाख की FDR व राशि 12.73 लाख रुपये ब्याज बचत खाते में उपलब्ध हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु गठित समिति

62. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मेवाराम जैन)

क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो अब तक समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कितनी बैठकें की गई हैं एवं समिति इनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु अपनी सिफारिशें कब तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक 5(01)मंमं/2019 दिनांक 01/01/2019 द्वारा श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। समिति की अब तक कुल 8 बैठकें आयोजित हुई हैं।

संविदा कर्मियों की पहचान एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु सतत़ प्रक्रिया जारी है।

जोधपुर के श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन का जीर्णोद्धार

33. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन जोधपुर के जीर्णोद्धार हेतु बजट में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्मृति भवन के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया था? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त भवन के जीर्णोद्धार के लिए DPR व प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई हैं? यदि हां, तो अब कब तक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

21 बिन्दु संख्या 174, श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन (टाउन हॉल) जोधपुर शहर का एकमात्र प्रेक्षागृह है, जिसके जीर्णोद्वार हेतु 5 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) जी हां। श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन, जोधपुर के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। टाउन हॉल के जीर्णोद्वार पर अब तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन (टॉउन हाल) के जीर्णोधार हेतु दिनांक 19.06.2020 को राशि 5 करोड का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है तथा विभाग द्वारा दिनांक 06.11.2020 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया गया है तथा कमेटी द्वारा डी.पी.आर. बनाया जायेगी।

पंचायत समिति मुख्यालयों पर विधिक सेवा क्लीनिक की स्थापना

34. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो जिला झुंझुनूं की कौन-कौन सी पंचायत समिति मुख्यालयों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उक्त विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर विधिक सेवा क्लीनिक संस्थापित हैं। झुंझुनूं जिले में कुल 8 पंचायत समिति मुख्यालय पर निम्नानुसार विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित हैं-

1. पंचायत समिति मुख्यालय झुंझुनूं।
2. पंचायत समिति मुख्यालय खेतड़ी।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

3. पंचायत समिति मुख्यालय नवलगढ़।

4. पंचायत समिति मुख्यालय चिड़ावा।

5. पंचायत समिति मुख्यालय उदयपुरवाटी।

6. पंचायत समिति मुख्यालय अलसीसर।

7. पंचायत समिति मुख्यालय बुहाना।

8. पंचायत समिति मुख्यालय सूरजगढ़।

(2.) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय पर विधिक सेवा क्लीनिक संस्थापित है परन्तु कोविड संक्रमण के कारण उक्त क्लीनिक पर दिनांक 23.02.2020 से पैरा लीगल वॉलेन्टियर डेपुट नहीं किये गये हैं। संक्रमणकाल समाप्त होने पर डेपुट करना सम्भव हो सकेगा।

नये जिलों के गठन के प्रस्ताव

35. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या। यह सही है कि सरकार को प्रदेश में नये जिला बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र के लिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बालोतरा को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर बालोतरा, कुचामन सिटी, सुजानगढ़, कोटपूतली, ब्यावर, भिवाड़ी, साम्भर आदि को नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन आदि प्राप्त हुए हैं।

(2) वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के **active consideration** में नहीं है। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर नये जिले के गठन के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाता है।

कोरोना काल में निजी विद्यालयों के स्टाफ को राहत की कार्ययोजना

36. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के कई सरकारी व निजी विद्यालयों में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य बंद है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के निजी विद्यालय और वहां कार्यरत स्टाफ उक्त महामारी के कारण बेरोजगार और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं?

(3) क्या सरकार ने कोरोना काल में निजी विद्यालय संचालकों और उनके स्टाफ को कोई राहत दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे प्रदेश के निजी विद्यालयों के शिक्षकों और स्टाफ को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में नियमित कक्षा कक्षीय गतिविधियां नहीं हो सकी है, लेकिन इस दौरान विद्यालयों में स्माइल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ई-कक्षा, आओ घर से सीखें एवं स्माइल-2 प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण नियमित रूप से करवाया जा रहा है।

विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की पालना सुनिश्चित करते हुए राज्य के समस्त विद्यालयों में दिनांक 18.01.2021 से कक्षा 9 से 12 एवं दिनांक 08.02.2021 से कक्षा 6 से 8 तक नियमित कक्षा कक्षीय गतिविधियां प्रारम्भ की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट 'क', 'ख' एवं 'ग' पर संलग्न है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कोरोना के अनुसरण में जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2020 से प्रदेश के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थान बन्द किये जाने के निर्देश/आदेश प्रसारित किये गये हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.03.2020 के द्वारा सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि उक्त महामारी के अवधि में बन्द के दौरान कार्मिकों के वेतन में से कटौती/कमी नहीं की जाए। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(3) उत्तर बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

(4) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पार्ट टाइम शिक्षकों का वेतन निर्धारण

37. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय व अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की सत्रवार विद्यार्थी संख्या व शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या व मासिक वेतन व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विश्वविद्यालयों में पार्ट टाइम/ अस्थाई शिक्षकों या कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त के वेतन का निर्धारण किस आधार पर किया गया? उक्त की मासिक वेतन सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में सत्र 2019-20 में 39 विद्यार्थियों एवं सत्र 2020-21 में 84 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। सत्र 2019-20 में प्रवेशित एक वर्षीय डिप्लोमा के 9 विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 114 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(ब) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या व मासिक वेतन व्यय का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

(स) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में सत्र 2019-20 में शून्य एवं सत्र 2020-21 में 40 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(द) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण व मासिक वेतन व्यय का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) (अ) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में शिक्षण कार्य हेतु समाचार पत्रों तथा टी.वी. चैनलों से सात अनुभवी पत्रकारों को शिक्षण हेतु एडजंक्ट फैकल्टी एवं अभ्यागत विद्वानों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप व्याख्यानों पर मानदेय दिया जाता है। विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(ब) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में पार्ट टाइम/ अस्थाई शिक्षकों/ कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यापन कार्य गेस्ट फैकल्टी द्वारा करवाया जा रहा है, जिनकी सूची परिशिष्ट '4' पर संलग्न कर प्रस्तुत है। इन्हें पारिश्रमिक के रूप में भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार रुपये 500/- प्रति कालांश दिनांक 31-12-2020 तक देय था तथा दिनांक 15-01-2021 से विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2021 (परिशिष्ट '5') के अनुसरण में यह पारिश्रमिक प्रति लेक्चर राशि रुपये 1000/- एवं अधिकतम सीमा राशि रुपये 25,000/- मासिक दिया जाना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ अभयारण्य में कैम्पा राशि का उपयोग

38. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के पास वर्तमान में कैम्पा व आर.पैक्स. योजनान्तर्गत कुल कितनी राशि जमा है तथा इसका उपयोग किन कार्यों पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कैम्पा व आर.पैक्स. योजनान्तर्गत पैसा विभाग को किस वर्ष से प्राप्त हो रहा है व क्या उसका उपयोग जिस कार्य को करवाने हेतु प्राप्त हुआ है, उसी पर व्यय हो रहा है?

(3) क्या यह सही है कि शेरगढ़ अभयारण्य में लम्बे समय से कैम्पा राशि जमा होने पर भी उसका उपयोग इस अभयारण्य की पूरी सीमा के चारदीवारी बनाने हेतु नही किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

तथा कुल कितनी राशि व्यय की गई व कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग के पास वर्तमान में राजस्थान प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण/**Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority** (CAMPA) अन्तर्गत कैम्पा फण्ड में 1748.26 करोड़ रुपये तथा राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसाइटी/**Rajasthan Protected Area Conservation Society** (RPACS)अन्तर्गत 93.0062 करोड़ रुपये जमा हैं।

कैम्पा(CAMPA) अन्तर्गत प्रतिवर्ष भारत सरकार से स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अनुसार प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है।

आरपैक्स (RPACS) अन्तर्गत जमा राशि पर प्राप्त ब्याज राशि से संरक्षित क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्य करवाये जाते हैं।

(2) कैम्पा(CAMPA)एवं आरपैक्स (RPACS) योजनान्तर्गत राशि वर्ष 2009-10 से प्राप्त हो रही है।

जी हां। कैम्पा योजनान्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अनुसार वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं प्रबंधन के लिए एवं आरपैक्स योजनान्तर्गत राजस्थान प्रोक्टेक्टेड एरियाज कंजर्वेशन सोसाइटी की गाइलाइन्स के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों हेतु अनुमोदित वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्यों पर खर्च किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के विकास हेतु परवन वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत राशि 121.796 करोड़ रुपये दिनांक 26.12.2016 को कैम्पा में जमा करवाया गया था।

वर्ष 2019 20 में 300.00 लाख रुपये का बजट आवंटन हुआ था, जिसमें से 231.51 लाख रुपये व्यय की जाकर 6646 रनिंग मीटर दीवार निर्माण कार्य व 4 ग्रासलैण्ड, 1 वाटर होल का निर्माण कार्य किया गया है तथा वर्ष 2020-21 में भी 300.00 लाख रुपये का बजट आवण्टित हुआ है, जिसमें 4000 रनिंग मीटर दीवार निर्माण कार्य, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, हैबीटाट सुधार हेतु 4 बायोडायवर्सिटी क्लोजर निर्माण एवं अन्य विकास कार्य प्रगतिरत है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक

16. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर सहित प्रदेश में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि पंजाब राज्य से गुजरात तक सीमावर्ती जिलों में डोडा पोस्त, अफीम के धंधे से युवाओं में नशे की लत बढ़ने से अपराध बढ़ रहे हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में वर्ष 2018 में 1,878, वर्ष 2019 में 2,589 तथा वर्ष 2020 में 2,731 कुल प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में बढ़ोतरी हुई है।

(2) पंजाब से गुजरात राज्य तक सीमावर्ती जिले क्रमश: गंगानगर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर में वर्ष 2018 में 89230 वर्ष 2019 में 1,12,810 तथा वर्ष 2020 में 1,03,920 भा.द.सं. के कुल अपराध घटित हुए हैं।

यह नहीं कहा जा सकता कि डोडा, पोस्त, अफीम के धंधे से युवाओं में नशे की लत से अपराध में बढोतरी हुई है।

(3) नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सीमावर्ती थानों द्वारा प्रभावी रूप से गश्त एवं नाकाबन्दी की जाकर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. सरकार के आदेश क्रमांक 44,972 दिनांक 19.08.2020 के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू में चोरी, डकैती लूट व वाहन चोरी के दर्ज प्रकरण

17. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक कुल कितने चोरी, डकैती व लूट के प्रकरण दर्ज हुए कितने प्रकरणों में बरामदगी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में पुलिस थाना कोतवाली व सदर थाना चूरू में चोरियों में बरामदगी का प्रतिशत अत्यन्त कम रहा? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त अवधि में चूरू जिले में वाहन चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा कितने वाहन बरामद हुए? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में जनवरी 2019 से जनवरी, 2021 तक चोरी के 670, डकैती के 3 और लूट के 32, कुल 705 प्रकरण दर्ज हुए तथा कुल 126 प्रकरणों में बरामदगी हुई जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) उक्त अवधि में पुलिस थाना कोतवाली व सदर थाना चूरू में चोरी के प्रकरणों एवं बरामदगी प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

अधिकारी एवं कर्मचारी कस्बा चूरू में कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त रहने एवं वर्ष 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते प्रकरणों मे बरामदगी का प्रतिशत कम रहा। वर्तमान में माल मुलजिमान की पतारसी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर प्रयास जारी है।

(3) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक चूरू जिले में वाहन चोरी के कुल 282 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 64 वाहन बरामद हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में महिला अत्याचार के दर्ज प्रकरण

18. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2019 से 2020 तक जिला सिरोही में महिला अत्याचार के कितने मुकदमे दर्ज किये गये, कितनों में चालान व एफ.आर. दी गई व कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री समाराम गरासिया)

(2) उक्त जिले में वर्ष 2019 से 2020 तक एससी-एसटी के कितने मुकदमे दर्ज किये गये, कितने में चालान व कितनों में एफ.आर. दी गयी? कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2019 से 2020 तक सिरोही जिले में महिला अत्याचार के कुल 1193 मुकदमे दर्ज किये गये, जिनमें से 698 मुकदमों में चालान 470 मुकदमों में एफ.आर. दी गयी है एवं 25 मुकदमें लम्बित है। शीर्षक वार विवरण परिशिष्ट अ संलग्न है।

(2) वर्ष 2019 से 2020 तक सिरोही जिले में एससी-एसटी के कुल 241 मुकदमे दर्ज किये गये, जिनमें से 133 मुकदमों में चालान, 102 मुकदमों में एफ.आर. दी गई है एवं 06 मुकदमे लम्बित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में कृषि कार्य के दौरान हुई किसानों की मृत्यु पर देय सहायता राशि

19. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि कार्य करते समय किसान के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि प्रदान करने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो 2018 से अब तक कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा द्वारा कितने किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के दोनों उप खण्डों में वर्ष 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये तथा कुल कितने आवेदन स्वीकृति हेतु शेष रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कृषि/कृषि विपणन कार्य करते हुए कृषक/खेतिहर

(कृषि विपणन मंत्री)

मजदूर की मृत्यु या अंग-भंग हो जाने की स्थिति में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा द्वारा 1 जनवरी 2018 से अब तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत प्राप्त 48 प्रकरणों में 54,50,000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी गयी, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के दोनों उप खण्डों में 1 जनवरी 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कुल 105 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 48 आवेदन स्वीकृत, 31 आवेदन निरस्त किये गये तथा 26 आवेदन वर्तमान में लम्बित है, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(3) लम्बित 26 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सहायता समिति की आगामी बैठक दिनांक 23.2.2021 में निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत राशि

20. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि किस -किस मद में शेष है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ हेतु जिला परिषद् जोधपुर से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य एवं राशि के मदवार विवरण की सूची परिशिष्ट- ''1'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ हेतु जिला परिषद्-जोधपुर से प्राप्त स्वीकृत कार्य के पूर्ण व अपूर्ण होने की सम्बन्धित ग्राम पंचायतवार विवरण की सूची परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ हेतु जिला परिषद् जोधपुर से प्राप्त मदवार शेष की राशि के ग्राम पंचायतवार विवरण की सूची परिशिष्ट- ''3'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर व जैसलमेर की नवसृजित पंचायतों को सड़कों से जोड़ने की कार्ययोजना

21. श्री अमीन खां (शिव): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में बनाई गयी नई पचांयतों के मुख्यालयों में पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें पक्की सड़क नहीं है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नई गठित ग्राम पंचायतों में से पक्की सड़क से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक पक्की सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में क्रमश: 25 एवं 04 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से वंचित हैं। पंचायत समिति वाइज सूची परिशिष्ट ''1'' व ''2'' पर प्रस्तुत है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मण्डार-रेवदर राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण

22. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम करोटी, अनादरा, घनी आबादी कस्बा मण्डार व रेवदर के लगभग 2 किलोमीटर लम्बे घने आबादी क्षेत्र के मध्य से होकर पुराना स्टेट हाईवे नम्बर 27 एवं हाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भारी वाहनों ट्रोलों आदि के आवागमन से आये दिन जानलेवा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं?

(श्री जगसी राम)

यदि हां, तो जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 की अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधिगण पिछले कई वर्षों से उक्त घनी आबादी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बाईपास बनाकर डायवर्ट करने की मांग करते आ रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार को प्राप्त मांग पत्रों पर की गई विभागीय कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त राजमार्ग पर बाईपास रोड निर्माण करते हुए भारी यातायात को घनी आबादी क्षेत्र से डायवर्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम करोटी, अनादरा, घनी आबादी कस्बे मण्डार व रेवदर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे नं. 27 पर वर्ष जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधिगण द्वारा पिछले वर्षों से रेवदर व मण्डार कस्बों के लिए बाईपास बनाने की मांग की जा रही है। उक्त बी.ओ.टी. सड़क को भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.09.2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। इस बी.ओ.टी. सड़क पर टोल संग्रहण की अवधि दिनांक 05.10.2022 को समाप्त होगी।

करोटी, अनादरा, मण्डार एवं रेवदर कस्बों के लिए बाईपास मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(3) बाईपास मार्गों का निर्माण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पद

23. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर सर्किल में विभिन्न संवर्ग के कुल कितने अभियंताओं,

(श्री मेवाराम जैन)

तकनीकी सहायकों, हैल्परों, लाइनमेन के पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पद भरे हुए हैं? खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग में लम्बे समय से कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती नहीं होने से उक्त संवर्ग के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार टेक्निशियन एवं हैल्परों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तीन वृत्त कार्यालय क्रमश: अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त बाड़मेर, अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत्त बाड़मेर एवं अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत्त चौहटन स्थापित हैं।

अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त बाड़मेर कार्यालय एवं इस वृत्त कार्यालय के अधीन बाड़मेर जिले में स्थापित विभिन्न खण्ड कार्यालयों में अभियन्ताओं तथा तकनीकी संवर्ग अन्तर्गत सहायक, लाइनमैन एवं अन्य पदों के स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों के सम्बन्ध में वांछित विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है।

अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत्त बाड़मेर एवं अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत्त चौहटन के कार्यालयों तथा इन वृत्त कार्यालयों के अधीन बाड़मेर जिले मे स्थापित विभिन्न खण्ड कार्यालयों में अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 1,133 पदों के विरुद्ध 613 पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान में कार्यरत हैं तथा इनके 520 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:-

(अ) कनिष्ठ अभियन्ताओं के **177 रिक्त पदों** पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2020 हेतु दिनांक 13.02.2020 एवं 03.03.2020 को जारी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विज्ञप्ति में विभाग के लिए अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में सिविल संवर्ग के 133 पद एवं यांत्रिक/विद्युत संवर्ग के 44 पदों को विज्ञापित किया गया है।

कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के उक्त 177 पदों पर चयन हेतु सिविल संवर्ग की परीक्षा दिनांक 06.12.2020 तथा यांत्रिक/विद्युत संवर्ग की परीक्षा दिनांक 26.12.2020 को आयोजित की जा चुकी है।

कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी सिविल का दिनांक 06.12.2020 को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त किया गया है। इस प्रकार चयन सम्बन्धी कार्यवाही बोर्ड कार्यालय स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन है।

(ब) उक्त के अतिरिक्त विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 225 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति लिये जाने हेतु कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तकनीकी संवर्ग के 6 प्रकार के पदनामों (पम्प ड्राइवर-द्वितीय, फिटर-द्वितीय, विद्युतकार-द्वितीय, मीटर रीडर, लाइनमैन एवं हैल्पर) के कुल 1309 रिक्त पदों (हैल्परों के 958 पद सहित) पर भर्ती हेतु दिनांक 12.08.2013 को जारी विज्ञप्ति एवं माननीय न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना में दिनांक 11.11.2016 एवं 06.01.2017 को पुन: जारी विज्ञप्ति के क्रम में भर्ती सम्बन्धी पत्रावली कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुसुम योजना के लाभार्थी

24. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों के लिए कुसुम योजना के तहत अब तक कितने किसानों को सोलर पम्प सैट उपलब्ध करवाये गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के कम्पोनेंट "बी" के अन्तर्गत अब तक 60 प्रतिशत अनुदान पर 6,496 कृषकों के यहां सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जिलेवार लाभान्वित कृषकों की संख्या का विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत 25,000 सोलर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लिए 30 प्रतिशत केन्द्रीयांश अनुदान हेतु प्रथम किश्त राशि रु. 68.97 करोड़ एवं 30 प्रतिशत राज्यांश अनुदान हेतु राशि रु. 267.00 करोड़ उपलब्ध कराई गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर में सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन के लम्बित प्रकरण

25. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सिंगल फेज के घरेलू बिजली कनेक्शन, जिनके डिमांड नोटिस जमा हो चुके हैं, उनको कब तक कनेक्शन देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त कनेक्शन के ऐसे कितने मामले लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सिंगल फेज के मांग पत्र जमा, विवाद रहित घरेलू कनेक्शन 28.02.2021 तक सामान की उपलब्धता व वरीयता अनुसार जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मांग पत्र जमा सिंगल फेज घरेलू बिजली कनेक्शन हेतु 433 (392 सर्विस लाइन एवं 41 जॉब वर्क) आवेदन लम्बित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय कालोनी विकसित करने की योजना

26. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि चौमूं में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना कब प्रस्तावित की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजना का मामला न्यायालय में विचाराधीन है? यदि नहीं, तो उक्त योजना में विलम्ब क्यों हो रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना में भू-स्वामित्व भी आवासन मण्डल के नाम दर्ज हो चुका है? यदि हां, तो मण्डल द्वारा कब्जा नही लेने के क्या कारण हैं?

(4) क्या आवासन मण्डल उक्त भूमि का कब्जा लेने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आवासन मण्डल चौमूं कस्बे में आवासीय योजना विकसित करना चाहता है। चौमूं आवासीय योजना में निर्मित आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1982 एवं 1989 में सामान्य पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी। आवासन मण्डल द्वारा चौमूं कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के समीप तहसील कार्यालय के पीछे 65 बीघा 07 बिस्वा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी, जिसका पेपर पजेशन दिनांक 20.09.1989 को लिया गया एवं भूमि का अवार्ड दिनांक 15.12.1989 को घोषित हुआ। खातेदारों द्वारा भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने के कारण मण्डल द्वारा मुआवजा राशि 30,47,064.00 के चैक दिनांक 23.04.1993 को न्यायालय सिविल जज, जयपुर में जमा करवा दिये गये थे। आवासन मण्डल द्वारा अथक प्रयासों के बावजूद भी अवाप्तशुदा भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका है। भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त ही योजना का नियोजन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। इस आवासीय योजना बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि पर खातेदार काबिज है व आवासन मण्डल को उक्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अतः योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। मण्डल द्वारा चौमूं में आवासीय योजना बनाने हेतु 65

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बीघा 7 बिस्वा भूमि का नामान्तरण दिनांक 30.12.2004 को मण्डल के नाम दर्ज हो चुका है **(परिशिष्ट "अ")**। उक्त भूमि का भौतिक कब्जा लेने हेतु समय -समय पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर से पुलिस जाप्ता प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु पुलिस का सहयोग नहीं मिलने के कारण भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया जा सका।

उक्त अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड दिनांक 15.12.1989 को जारी किया गया था तथा भूमि का कब्जा (पेपर पजेशन) विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 20.08.1989 में मण्डल को दिलवाया गया था।

(4) जी हां। आवासन मण्डल इस भूमि का कब्जा शीघ्र लेना चाहता है।

(जमाबन्दी की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

केशवरायपाटन नगरपालिका में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच

27. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में देरी होने से जांच एवं उद्देश्य बाधित होता रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन दोषी है? दोषियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका केशवरायपाटन (बूंदी) में भी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कितने तथा उक्त में से कितनों में कार्यवाही की गई व वर्तमान में कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशालय स्तर पर समयबद्ध तरीकों से कार्यवाही नहीं होने से अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के दोषियों को बचने का अवसर मिल जाता है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? प्रक्रियाधीन एवं लम्बित प्रकरणों में सम्पूर्ण कार्यवाही कर निर्णय करने हेतु कितनी समयावधि निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभागीय स्तर पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच का उद्देश्य आरोपों की सत्यता का पता लगाना, प्रकरण में किये गये दुराचरण की श्रेणी निर्धारित करना, तदनुसार शास्ति व दंड देने या न देने व देने की स्थिति में उसकी मात्रा का निर्धारण करना है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध किये जाने, अभियोजन के गवाहों से जिरह करने तथा अपने बचाव को प्रस्तुत करने का आरोपित को अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग को प्राप्त ऐसे प्रकरणों में जांच एवं जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत समस्त कार्यवाही हालांकि यथा सम्भव शीघ्र पूर्ण की जाती रही है, फिर भी चूंकि अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच एवं दोषियों के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु उपरोक्त वर्णित नियमों में एक प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके तहत नगरीय निकायों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर इन प्रकरणों की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभागीय स्तर पर समुचित परीक्षण किया जाकर, अनियमितता/भ्रष्टाचार की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, दोषियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात् दोषी कार्मिकों के विरुद्ध इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आगामी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही में आरोपित को आरोप पत्र जारी किया जाना, आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना, आरोपित के जवाब का प्रस्तुत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करना होता है। तत्पश्चात् आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपों की विस्तृत जांच हेतु राजस्थान सिविल सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट, प्रकरण के रिकार्ड एवं अन्य तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समुचित परीक्षण कर आरोपितों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर तदनुसार गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। कई बार आरोपियों द्वारा उनके विरुद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद भी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

दायर किये जाते हैं और ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय के मद्देनजर जांच कार्यवाही के निष्पादन में समय लगता है। इन तथ्यों के मद्देनजर जांच प्रकरणों के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है, जिसके लिए किसी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

(2) नगर पालिका केशवरायपाटन (बूंदी) में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरणों, प्रकरणों में की गई कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी में अनुसूचित जाति व जनजाति के संचालित आवासीय छात्रावास

28. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने राजकीय आवासीय छात्रावास संचालित हैं एवं उक्त में कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रावासवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संचालित अधिकांश छात्रावासों के भवन जर्जर अवस्था में हैं व अधिकांश छात्रावासों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो उक्त छात्रावासों को आदर्श रूप देने की सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अनुसूचित जाति व जनजाति के राजकीय छात्रावास संचालित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. स.	छात्रावास का नाम	श्रेणी	छात्र संख्या वर्ष 2019-20	
			स्वीकृत	लाभान्वित
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थानागाजी	एस.सी.	35	35
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थानागाजी	एस.टी.	55	38
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मल्लाणा	एस.सी.	50	46

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विभाग द्वारा संचालित उक्त छात्रावास जर्जर अवस्था में नही है तथा छात्रावासो में नियमानुसार आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं।

कोटा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाने वाले सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

29. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में कितने सरकारी कर्मचारी अनुचित तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठा रहे हैं?

(2) उक्त जिले में कितने सरकारी कर्मचारियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया गया है? उप खण्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाए गये गेहूं की राशि जमा करवायी गयी तथा कितनों ने राशि जमा नहीं करवायी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राशि जमा नहीं कराने पर किसी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्तमान में कोई भी सरकारी कर्मचारी अनुचित तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं नहीं उठा रहे हैं।

(2) जिले में उपखण्डवार खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये गये सरकारी कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	उप खण्ड का नाम	संख्या
1.	लाडपुरा	1,359
2.	सांगोद	70
3.	कनवास	142
4.	इटावा	127
5.	दीगोद	110
6.	रामगंज मण्डी	141
योग		**1,949**

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जिले में 473 सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाये गये गेहूं की राशि जमा करवायी गयी तथा 1,476 द्वारा राशि जमा नहीं करवायी गयी है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है

(4) जी नहीं। सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त किये गये गेहूं के विरुद्ध राशि की वसूली कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिन कर्मचारियों द्वारा वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराई जाएगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू तहसील में पटवारियों के रिक्त पद

30. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील चूरू में पटवार मण्डल चलकोई बणीरोतान में कानड़वासी राजस्व ग्राम सम्मिलित है? यदि हां, तो कुल कितने राजस्व खाते कानड़वासी गांव के चलकोई बणीरोतान पटवार मण्डल में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व ग्राम कानड़वासी ग्राम पंचायत खींवासर का राजस्व ग्राम है तथा सम्पूर्ण खातेदारी भूमि ग्राम खींवासर की सीमा से लगती है? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व ग्राम कानड़वासी को पटवार मण्डल चलकोई बणीरोतान से हटाकर पटवार मण्डल खींवासर में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील चूरू में पटवारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व ग्राम कानड़वासी (गैर आबाद) पटवार मण्डल चलकोई बणीरोतान में सम्मिलित है। कानड़वासी (गैर आबाद) के राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुल 236 खाते हैं। उक्त राजस्व खातों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। राजस्व ग्राम कानड़वासी (गैर आबाद) ग्राम पंचायत खींवासर में शामिल है। सम्पूर्ण खातेदारी भूमि ग्राम खींवासर, चंदेलनगर, रामपुरा पट्टा झारिया एवं कोटवाद नाथोतान के लगती है।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में तहसील चूरू में कुल 11 पटवारियों के पद रिक्त हैं। प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पटवारियों के 4,421 पदों की भर्ती के सम्बन्ध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 17.01.2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते ही रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में भूमिहीनों को वन विकास परियोजनार्थ भूमि का आबंटन

31. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में निजी वन विकास परियोजनार्थ पूर्व में भूमिहीनों को भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितनी-कितनी व किन-किनको, कब-कब भूमि आबंटित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटनों की वर्तमान में क्या स्थिति है? भूमि आबंटन, निरस्त एवं निरस्तीकरण से पृथक् रखने सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा बजट भाषण 2020-21 में वन विकास प्रोत्साहन हेतु स्थानीय व्यक्तियों को भागीदार बनाने की कोई योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में निजी वन विकास परियोजनार्थ पूर्व में भूमिहीनों को भूमि आबंटित की गयी थी। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उक्त आबंटन वर्तमान में निरस्त हैं। आबंटियों द्वारा आबंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी। (परिशिष्ट-'अ')

(3) इस प्रकार की कोई योजना वन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नये जिले बनाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट

32. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ती आबादी के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नये जिले बनाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब? कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सिफारिश के साथ प्रस्तुत कर दी है? यदि हां तो कब?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत सरकार द्वारा राज्य में नये जिलों, उप खण्ड, पुलिस उप खण्डों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए डा. परमेश चन्द्र, आई.ए.एस. सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 20.01.2014 को किया गया था। उक्त समिति के सदस्यों के विवरण से सम्बन्धित आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट वर्ष 2018 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है।

(3) जी हां। उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट राज्य स्तर पर परीक्षणाधीन है। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा के विद्यालयों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण

33. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों को आबंटित किये गये खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदानों को शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के कितने विद्यालयों के खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त नहीं हैं? अतिक्रमियों की ग्रामवार व उप खण्डवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनके आबंटित खेल मैदान पर अतिक्रमण हैं तथा इन खेल मैदानों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने हेतु किये गये प्रयासों का विद्यालयवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

निदेशालय के पत्र दिनांक 28.02.2020 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त) को राजकीय विद्यालयों/ शिक्षण संस्थानों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमणों को रोकने हेतु जिला स्तर पर राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/नगर परिषद्/जिला कलेक्टर/उप खण्ड अधिकारी स्तर पर बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है जिसकी प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में से कतिपय विद्यालयों के खेल मैदानों पर अनधिकृत अतिक्रमण है।

उक्त राजकीय विद्यालयों के खेल मैदानों पर हुए अतिक्रमण को समाप्त कर खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करवाए जाने हेतु, स्थानीय प्रशासन जिला कलेक्टर, तहसीलदार आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर तत्काल अतिक्रमण मुक्त किए जाने के निर्देश समस्त अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों/संस्था प्रधानों को पूर्व में जारी कर दिए गए हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में संचालित 04 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खेल मैदान पर अतिक्रमण है तथा इन खेल मैदानों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने हेतु किये गये प्रयासों का विद्यालयवार, उप खण्डवार व ग्रामवार तथा अतिक्रमियों का विवरण परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में संचालित विद्यालयों में से 07 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण किया हुआ है। विद्यालयवार नामवार सूची परिशिष्ट-'ङ' पर संलग्न है।

(विवरण, प्रतियां, सूची पुस्तकालय में रखे गये)

मावली के विद्यालयों के संसाधनों पर व्यय राशि

34. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा मावली विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में शिक्षकों के वेतन, विद्यालय भवन निर्माण, भवन मरम्मत, पुस्तकालय, खेल सामग्री व प्रयोगशाला उपकरणों सहित विभिन्न संसाधनों पर कितना व्यय किया गया? वर्षवार, विद्यालयवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मावली में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गत पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20 में शिक्षकों के वेतन पर व्यय राशि का वर्षवार/विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 10 रा.मा.वि. एवं 73 रा.उ.मा.वि. संचालित हैं। इनमें पिछले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) में शिक्षकों के वेतन, विद्यालय भवन निर्माण, भवन मरम्मत, पुस्तकालय, खेल सामग्री व प्रयोगशाला उपकरणों सहित विभिन्न संसाधनों पर व्यय की गई राशि का वर्षवार, विद्यालयवार व मदवार विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल के स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में स्वीकृत पद

35. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल के स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में वर्तमान में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों में से कौन-कौन से पद कब तक भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मॉडल स्कूल में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं व उनमें कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, जायल में वर्तमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**
1	प्रधानाचार्य	01	00
2	व्याख्याता	07	02
3	वरिष्ठ अध्यापक	12	01
4	प्रयोगशाला सहायक	03	00
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	00
6	वरिष्ठ सहायक	01	01
7	कनिष्ठ सहायक	01	00
8	सूचना सहायक	01	01
	कुल योग	**27**	**05**

मॉडल विद्यालयों में सभी स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति के हैं। रिक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाता है। अत: आगामी साक्षात्कार में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, जायल में विज्ञान संकाय संचालित है, जिसमें कक्षा-11 एवं कक्षा-12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

कक्षा	अध्ययनरत छात्र	अध्ययनरत छात्राएं	कुल
11	30	24	54
12	17	08	25

विद्यालय में समस्त कक्षाओं में छात्र-226 एवं छात्राएं-209, कुल-435 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

सूरजगढ़ में वृक्ष मित्र योजनान्तर्गत विद्यालय वृक्षारोपण

36. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वृक्ष मित्र योजना द्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम वृक्षारोपण किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने विद्यालयों में कितने छात्र-छात्राओं के नाम वृक्षारोपण किये गये हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वृक्ष अब तक पोषित किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो इनमें से कितने वृक्ष रखरखाव के अभाव में नष्ट हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 252 विद्यालयों में 2,327 छात्र-छात्राओं के नाम वृक्षारोपण किया गया। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। 1,341 वृक्ष अभी तक पोषित किये जा रहे हैं। 986 वृक्ष मौसम की प्रतिकूलता, आवारा पशु एवं दीमक के कारण नष्ट हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-"अ" में समाहित है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धरियावद के महाविद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की कार्ययोजना

37. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोतम लाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के महाविद्यालयों में कौन-कौन से संकाय संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों में वाणिज्य, विज्ञान संकाय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धरियावद विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय महाविद्यालय, धरियावद व राजकीय महाविद्यालय, लसाड़िया में स्नातक स्तर पर कला संकाय संचालित है।

(2) वर्तमान में उक्त महाविद्यालयों में वाणिज्य /विज्ञान संकाय स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वन आवरण बढ़ाने की कार्ययोजना

38. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन आवरण को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश प्राप्त हैं? यदि हां, तो दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदेश में कितने वन आवरण की वृद्धि हुई है? जिलेवार वृद्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई जिलों में वन आवरण में कमी आई है? यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में सरकार द्वारा वन आवरण बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास अपेक्षित हैं व उनके अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत भू-भाग को वनाच्छादित किया जाना है।

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 एवं 2019 के अनुसार प्रदेश के वन आवरण में उक्त अवधि में 57.51 वर्ग किमी. की अभिवृद्धि हुई है, जिसका जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) जी हां। अलवर, बारां, चित्तौडगढ़, हनुमानगढ़, जालौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, बूंदी, सिरोही में वन आवरण की कमी आई है। कमी के मुख्य कारण जैविक दबाव, वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन, राज्य की बंजर भूमि का कृषि क्षेत्र में रूपान्तरण आदि होना प्रतीत होता है।

(3) वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा कैम्पा, पर्यावरण वानिकी, परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक, भाखड़ा एवं गंग नहर वृक्षारोपण, विदोहन एवं पुन वृक्षारोपण योजनाओं में वर्ष 2020 21 में कुल 20,956.47 है, वृक्षारोपण करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा में सुंधा माता स्मृति वन हेतु स्वीकृत राशि

39. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पूर्ववर्ती सरकार के समय सुंधा माता स्मृति वन के लिए राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सुंधा माता स्मृति वन के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त राशि का उपयोग किस-किस कार्य में किया गया व उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-"ए" अनुसार है।

(2) जी हां। उक्त राशि का उपयोग एनिकट वृक्षारोपण कार्य दीवार निर्माण कार्य ट्यूबवैल, ईको ट्रेल्स, गैबियन, व्यू पाइन्ट, चैनलिंक फेन्सिंग कार्य बगीचा विकास, इन्टर प्रिटेशन सेन्टर, झूला, स्प्रिंकलर, नाड़ी खुदाई चेकडैम एवं निरीक्षण पथ आदि कार्य एवं मिटटी भराई व समतलीकरण हेतु किया गया।

इन कार्यों का समय-समय पर सम्भाग एवं जिला स्तर पर पदस्थापित

(राज्य मंत्री, वन)

अधिकारियों सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर; जिला कलेक्टर जालौर; उप वन संरक्षक जालौर; सहायक वन संरक्षक जालौर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा निरीक्षण किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा संभाग में बर्ड फ्लू रोकथाम की कार्ययोजना

40. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कोटा सम्भाग में बर्ड फ्लू के कारण कितने पक्षियों की मौत हुई है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पक्षियों में बीमारी फैलने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पक्षियों में उक्त बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बीमारी से ग्रसित और मृत पक्षियों के सैम्पल को प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार प्रदेश में वेटरिनरी आर.टी.पी.सी.आर. लैब खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)